खण्ड–28, अंक–09
मंगलवार, 02 चैत्र, शक संवत्, 1932
(दिनांक 23 मार्च, 2010 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2010)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 28 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति – – –	'क'
प्रश्नोत्तर – – –	1–48
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं – – –	48
प्रश्नकर्ता सदस्य के अनुपस्थिति में दूसरे सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय, स0वि0स0 द्वारा व्यवस्था का प्रश्न – – –	48–49
जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर व रूद्रपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित लोगों को इन्दिरा आवास का लाभ न मिलने के सम्बन्ध में नियम– 300 के अन्तर्गत सूचना – – –	49–50
नई टिहरी नागरिक मंच द्वारा वहां की समस्याओं के निराकरण हेतु किए जा रहे आंदोलन के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	50
जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड भगवानपुर में जिला योजना के अन्तर्गत सोनाली नदी पर बसे ग्राम शाहपुर तथा मानकमाजरा की बाढ़ एवं कटाव नियंत्रण हेतु अधूरी योजना को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – –	50–51
जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र में जनता के कनेक्शनों के विद्युत उपभोक्ताओं की समस्या व भारी बिल आने की समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	51
विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत विद्यालय भवनों की जीर्ण–शीर्ण स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना –	51–52
धनोल्टी विधान सभा के विभिन्न मोटर मार्गों पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसें संचालित किए जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	52
लघु सिंचाई विभाग की प्रस्तावित योजनाओं का प्रस्ताव वांछित धनराशि सहित भारत सरकार को भेजे जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	52–53
नियम–66 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री के विरूद्ध अवमान की सूचना पर श्री अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट – – –	53–55

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम-66 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र के विरुद्ध अवमान की सूचना पर श्री अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट – – –	55–58
कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत) – –	59–64
नियम-310 के अन्तर्गत सूचनाएं – – –	64–66
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं – – –	66–105
वित्तीय वर्ष, 2010–2011 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (समाप्त)	105–188
एस0एस0बी0 प्रशिक्षित गुरिल्लाओं पर लाठी चार्ज विषयक सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य – – –	188–189
वित्तीय वर्ष, 2010–2011 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान – – –	189
अनुदान संख्या– 23, उद्योग विभाग, अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग, अनुदान संख्या–18 सहकारिता विभाग (स्वीकृत) –	189–190
अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग, अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाएं, अनुदान संख्या– 30, अनुसूचित जातियों का कल्याण, अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (स्वीकृत) – – –	191–193
नियम-53 के अन्तर्गत सूचनाएं – – –	193
जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में शिक्षक विहीन विद्यालयों में प्रभावित हो रहे शिक्षण कार्य के सम्बन्ध में श्री शेर सिंह गड़िया, स0, वि0 स0 द्वारा नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य – – –	194
उत्तराखण्ड लोक पुस्तकालय अधिनियमानुसार ब्लाक, जिला एवं राज्य स्तर पर पुस्तकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष तथा सूचीकार के रिक्त पदों पर बी0लिब0, एम0लिब0 डिग्रीधारी छात्र/छात्राओं को नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेश त्रिपाठी, स0 वि0 स0 द्वारा नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य – – –	195
नत्थियाँ – – –	196–199

'क'

उपस्थिति

1-श्री अजय टम्टा
2-श्री अरविन्द पाण्डे
3-श्री अनिल नौटियाल
4-श्रीमती अमृता रावत
5-श्रीमती आशा
6-श्री ओम गोपाल
7-श्री करन मेहरा
8-सुश्री कैरन मेयर
9- श्री किशोर उपाध्याय
10-श्री केदार सिंह रावत
11-श्री केदार सिंह फोनिया
12-श्री खजान दास
13-श्री खड़क सिंह बोहरा
14-श्री गगन सिंह
15-श्री गणेश जोशी
16-श्री गोपाल सिंह राणा
17-श्री गोपाल सिंह रावत
18-श्री गोविन्द लाल
19-श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
20-श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
21-श्री चन्दन राम दास
22- श्री जोगा राम टाम्टा
23-श्री जोत सिंह गुनसोला
24-हाजी तस्लीम अहमद
25-श्री तिलक राज बेहड़
26-श्री दिनेश अग्रवाल
27-श्री दिवाकर भट्ट
28-श्री दिवान सिंह
29-श्री नारायण पाल
30-काजी मो0 निजामुद्दीन
31-श्री पुष्पेश त्रिपाठी
32-श्री प्रकाश पन्त
33-कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
34-श्री प्रीतम सिंह
35-श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
36-श्री प्रेमानन्द महाजन
37-श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
38-श्री बलवीर सिंह नेगी
39-श्री बिशन सिंह चुफाल
40-श्री बंशीधर भगत
41-श्री बृज मोहन कोटवाल
42-श्री शेर सिंह गड़िया
43-श्री मदन कौशिक
44-श्री मनोज तिवारी
45-श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"
46-श्री मातबर सिंह कण्डारी
47-श्री कुलदीप कुमार
48-श्री यशपाल आर्य
49-श्री यशपाल बेनाम
50-चौ0 यशवीर सिंह
51-श्री रणजीत रावत
52-डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
53-श्री राजकुमार
54-श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
55-श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
56-श्रीमती विजय बड़थ्वाल
57-श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
58-श्रीमती वीना महराना
59-श्री शहजाद
60-डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
61-श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
62-श्री सुरेन्द्र राकेश
63-श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
64-श्री सुरेश चन्द जैन
65-डा0 हरक सिंह रावत
66-श्री हरभजन सिंह चीमा
67-श्री हरिदास
68-श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 2010 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

जनपद हरिद्वार अन्तर्गत उच्च श्रेणी मेडिकल कालेज खोले जाने हेतु भूमि की उपलब्धता

**1–कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

क्या श्रम मंत्री अवगत है कि केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के अधीनस्थ कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0 एस0 आई0 सी0) द्वारा रू0 800 करोड लागत के एक उच्च श्रेणी मेडिकल कालेज को रुड़की अथवा हरिद्वार में मात्र भूमि अनुपलब्धता के कारण नहीं खोला जा सका है ?

क्या यह सत्य है कि भारत सरकार के सचिव (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) के मुख्य सचिव उत्तराखण्ड को प्रेषित पत्र डी0ओ0 नं0 एल0एस0/एम0एस0/ई0एस0/आई0 सी0/यू0के0 12-2010, 4 फरवरी, 2010 के पत्र द्वारा अस्पताल हेतु मात्र 35 एकड़ भूमि उपलब्ध किए जाने का अनुरोध किया गया है ?

यदि हां, तो क्या सिडकुल (हरिद्वार) अथवा रुड़की म्यूनिसिपल्टी में भूमि उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम, पेयजल एवं पुनर्गठन मंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

जी नहीं।

उल्लिखित पत्र में लगभग 35 एकड़ भूमि उपलब्ध किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रयोजन हेतु मौजा धनौरी परगना व तहसील रुड़की स्थित भूमि को चिन्हित कर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के विचारार्थ प्रस्ताव भेजा गया है।

भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या विगत 9–10 माह से केन्द्र सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार से भूमि की उपलब्धता के लिए लगातार आग्रह स्वरूप प्रार्थना की जा रही है। उसके बाद भी क्यों इतना विलम्ब सरकार द्वारा स्पष्ट प्रस्ताव भेजने में किया जा रहा है ? जब श्रम मंत्रालय द्वारा बड़े ही स्वतः स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि रूड़की अथवा हरिद्वार में यह मेडिकल कालेज वर्ल्ड लेबिल का है जिसमें मेडिकल, नर्सिंग इत्यादि की सुविधा होगी, खोला जाए तो फिर एक ऐसी जगह जो सेन्ट्रली स्पेस नहीं है, धनौरी का चयन क्यों किया गया ? धनौरी का प्रस्ताव कब प्रेषित किया गया उसका पत्रांक और दिनांक बताए?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि भारत सरकार के माध्यम से मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु हमें इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। इसके संबंध में समय–समय पर विभिन्न माध्यमों से कार्यवाही हुई और जिलाधिकारी हरिद्वार को तथा जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर को इसके संबंध मे अवगत कराया गया और मानक के अनुसार जो 35 एकड़ भूमि की आवश्यकता इस मेडिकल कालेज के लिए थी। प्रदेश के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत 35 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। इसके चलते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 4 जून, 2009 को बैठक सम्पन्न हुई और उसमें ऊधमसिंह नगर तथा हरिद्वार की दोनों भूमियों के संबंध में विचार–विमर्श हुआ। उसके पश्चात इन दोनों भूमियों के उपलब्धता का आधार देखते हुए श्रीमन्, जो रूद्रपुर में चिन्हित सिडकुल की भूमि थी उसे उपयुक्त नहीं पाया गया और हरिद्वार में जिलाधिकारी के माध्यम से उनके पत्र दिनांक 17.07.2009 को चार प्रस्ताव आये थे जो मौजा धनौरी, परगना व तहसील रूड़की भूमि जो बहादराबाद व रूड़की के बीच स्थित है। वहाँ आवागमन में अधिक समय व्यय नहीं होता और भूमि मौके पर खाली है। इसलिए इसका प्रस्ताव भारत सरकार के यहाँ भेजा गया और श्रीमन्, भारत सरकार से अभी इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होते ही इसमें अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से आग्रह किया था कि उक्त प्रस्ताव जो भारत सरकार को भेजा गया उसका दिनांक व पत्रांक बताए।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह पत्र 6 मार्च, 2010 को प्रेषित किया गया है और अभी इसमें अग्रेतर कार्यवाही भारत सरकार के निर्णय के पश्चात् होगी।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ धनौरी परगना लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है और रूड़की में स्वास्थ्य विभाग का अपना अस्पताल है, तो क्या सरकार इसको ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है वहाँ पर खोलने के लिए विचार कर सकती है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह जो स्थल मौजा धनौरी परगना व तहसील रूड़की है, जिसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है, वह भूमि मौके पर रिक्त है और इस भूमि का लोकेशन रूड़की बहादराबाद नहर के किनारे लगभग एक किलोमीटर है और कुल रिक्त भूमि जो उत्तराखण्ड राज्य सरकार के अधीन है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं था और इसकी स्थापना में अन्य किसी विवाद की सम्भावना नहीं थी इसलिए इसके चलते यह प्रस्ताव हुआ।

श्री सुरेश चन्द जैन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ इस पर मैंने दो प्रस्ताव दिये हैं, यह प्रस्ताव श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को, माननीय मंत्री जी को, जिलाधिकारी को दिया है, वहाँ दो जमीन हरिद्वार हाईवे पर थी, उस पर 120 एकड़ जमीन सिंचाई विभाग की उपलब्ध है और 120 एकड़ जमीन सालियर में रूड़की के पास है और 80 एकड़ जमीन सिंचाई विभाग की हरिद्वार–दिल्ली हाईवे पर है, वहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, जो अघोषित है, क्या सरकार उन दो प्रस्ताव पर विचार करेगी ? क्योंकि चारों तरफ से वह कनेक्टेड है। वह राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा सभी जगह का सेन्टर प्लेस है, हाईवे पर है तो क्या वहाँ पर करने के लिए सरकार विचार करेगी ? जो जमीन सिंचाई विभाग की उपलब्ध है या नगर पालिका की जो जमीन 120 एकड़ है उसमें से 3.5 एकड़ लेकर प्रयास करेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इसके संबंध में जिलाधिकारी हरिद्वार के माध्यम से विस्तृत विचार–विमर्श हुआ और उन्होंने 4 स्थानों के प्रस्ताव हमको प्रेषित किये थे। जिसमें पहला मौजा राजपुर परगना गोवर्द्धनपुर तहसील लक्सर, मौजा हरजोली जट परगना मंगलौर तहसील रूड़की, मौजा अहमदपुर खेड़ी परगना भगवानपुर तहसील रूड़की, मौजा धनौरी परगना व तहसील रूड़की। मान्यवर, इस प्रकार से चार प्रस्ताव हमको प्राप्त हुये थे, लेकिन इसमें से एक प्रस्ताव मौजा धनौरी परगना रूड़की का है चूँकि यह भूमि निर्विवाद थी और इसे मिलने में कोई खर्चा नहीं था और इसे मिलने में आसानी थी ताकि इसमें हम शीघ्र से शीघ्र मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकें, लेकिन मैं यह कहना

आवश्यक समझूंगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज राज्य कर्मचारी जीवन बीमा निगम के अन्तर्गत बीमित नामित व्यक्ति है जिसमें उनकी सुविधा के लिए यह मेडिकल कॉलेज खोला जाता है और इस मेडिकल कॉलेज को खोलने का जो प्रथम आधार रहता है वह बीमांकित व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए यह जो स्थान जिलाधिकारी ने दिया है उसके आधार पर चिन्हित किया है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जमीन जो चिन्हित की है वह किस विभाग की है, क्या वह उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह जो भूमि वर्तमान में है, इसमें 10.284 हेक्टेयर खाली भूमि है और इस भूमि में, कुल रिक्त भूमि में 19.940 हेक्टेयर भूमि से 3.483 हेक्टेयर में श्रीमन्, कृषि फार्म बना हुआ है, जिस पर राज्य सरकार उत्तराखण्ड का स्वामित्व है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्वामित्व पूछा है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी है, कृषि फार्म बना हुआ है, जो राज्य सरकार के स्वामित्व में है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, इसका उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जी हां।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, गोवर्द्धन पुर में तहसील लक्सर में, जोकि पिछड़ा क्षेत्र है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी सुविधा पिछड़े क्षेत्रों में दी जाय तो अच्छा होगा।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इस खाली भूमि में चैक डाटा संख्या 201, रकबा 4401 दिनांकित 24-4-2009 को माननीय आयुक्त का स्थानीय आयुक्त महोदय को इसमें स्थगन आदेश पारित है।

तारांकित प्रश्न

नगरीय क्षेत्र की पम्पिंग पेयजल योजनाओं पर लागत एवं टैरिफ का विवरण

*श्री जोत सिंह गुनसोला:-

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगरीय क्षेत्र में पेयजल की पम्पिंग योजनाओं पर प्रति 1000 लीटर पानी प्राप्त करने में कुल कितना व्यय आता है तथा सरकार उपभोक्ताओं से प्रति 1000 लीटर पर कुल कितना मूल्य प्राप्त करती है?

क्या सरकार नगरीय क्षेत्रों में ग्रेविटी पाइप लाईन द्वारा दिये जाने वाले पानी का मूल्य पम्पिंग के बराबर किये जाने पर विचार करेगी?

श्री प्रकाश पन्त-

जी हां, नगरीय क्षेत्र की पम्पिंग पेयजल योजनाओं पर वर्तमान लागत एवं टैरिफ का विवरण निम्नवत् है:-

जलापूर्ति का प्रकार	व्यय (प्रति 1000 ली, रू0 में)	टैरिफ (प्रति 1000 ली, रू0 में)
हाई हैड जलापूर्ति	26.2	5.20
लो हैड जलापूर्ति	7.04	4.55

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी का जवाब वैसे तो काफी स्पष्ट सा आ रहा है, मैं जानना चाहूँगा कि मसूरी में पम्पिंग पर प्रति हजार लागत क्या आती है ? और क्या प्रति हजार लीटर कामर्शियल के दाम क्या है ? और साथ ही मैं जानना चाहूँगा कि नगरीय क्षेत्र में कुल कितनी पम्पिंग योजनाएं संचालित हो रही है। नगरीय क्षेत्रों में कितने ट्यूबवैलों से पानी दिया जा रहा है तथा मसूरी नगर की पेयजल व्यवस्था के लिए कुल कितने पम्प संचालित किये जा रहे है तथा कोल्टी योजना की स्थिति क्या है?

श्री प्रकाश पन्त-

श्रीमन्, चूंकि जो मसूरी पम्पिंग योजना की जानकारी चाही है, उस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहूंगा कि प्रति लीटर विद्युत व्यय सहित लागत है 34.62 रू0 और विद्युत

व्यय रहित 16.96 रू0 है। मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य द्वारा कुल हैण्ड पम्पों की जानकारी मांगी गयी है तो इसकी जानकारी मैं पृथक से आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं हैण्ड पम्प की नहीं, बल्कि ट्यूबवैल की जानकारी चाहता हूँ कि कुल प्रदेश के अंदर कितने लगे है और उनकी लागत क्या है?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह तो लागत से सम्बन्धित प्रश्न है, लागत मैंने बता दी है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, 34.62 रू0 प्रति हजार लीटर विद्युत व्यय से आता है और 13.96 रू0 व्यय रहित से आता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मसूरी में विद्युत रहित कितनी योजनाएं है जो ग्रेविटी से संचालित की जा रही है और विद्युत सहित कितनी हैण्ड पम्प की योजनाएं है जो संचालित की जा रही है?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह जानकारी विद्युत सहित और व्यय रहित मसूरी पम्प की जानकारी जो आपने मांगी थी वह हमने आपको उपलब्ध करा दी है। श्रीमन्, वह मैंने आपको उपलब्ध करा दी और विद्युत व्यय चूंकि राज्य सरकार स्वयं वहन करती है, इसलिए उसको इसके साथ जोड़कर हमने आपको प्रदर्शित किया। श्रीमन्, अगर हम विद्युत व्यय घटा देते हैं तो 13.96 रूपये प्रति किलोलीटर इसकी धनराशि पहुँचती है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, मैं यह जानना चाह रहा था, जब आपने कहा कि 34.62 मीटर सहित पर थाउजेंड किलोलीटर का व्यय आता है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि कामर्शियल को आप पर थाउजेंड कितने किलोलीटर की दर से बेचते हैं और डोमेस्टिक को आप पर थाउजेंड कितने किलोलीटर की दर से बेचते हैं? यह जानकारी दे दें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, वर्तमान में जो टैरिफ निर्धारित है, वह भवन के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर होता है और जो व्यवसायिक दरें हैं, वह भी पृथक–पृथक निर्धारित हैं। जो घरेलू दरें हैं, यदि 20 एम0एम0 साईज का पेयजल विभाग से उपलब्ध कराया जा रहा है, तो 260 रूपया प्रतिमाह की दर से, यदि लो हैड तो 325 रूपया प्रति माह की दर से और यदि हैड है तो 390 रूपया प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। यदि उसका मीटर साईज 25 एम0एम0 का है, तो उसको गुरूत्व में 520 रूपया प्रतिमाह की दर से, लो हैड में 650 रूपया प्रतिमाह की दर से और हाई हैड में 780 रूपया प्रतिमाह की दर से होगा।

यह नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र का विवरण है। जहाँ तक आपने व्यवसायिक दृष्टिकोण से कहा, तो नगर पालिका परिषद क्षेत्र के लिए 3 श्रेणियाँ निर्धारित हैं। विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक के लिए जो दरें निर्धारित है, वह गुरूत्व में 10.40 रूपये है, लो हैड में 13 रूपये और हाई हैड में 15.60 रूपये है। इसी तरह से जो 'ख' श्रेणी का है, अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिए गुरूत्व में 9.10 रूपये, लो हैड में 10.40 रूपये और हाई हैड में 13.65 रूपये है। अन्य सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं संस्थागत प्रतिष्ठान व छावनी परिषद के परिषद के लिए गुरूत्व में 8.71 रूपये, लो हैड में 9.75 रूपये तथा हाई हैड में 13.65 रूपये है। नगर पंचायत क्षेत्र, म्युनिसिपल बहुद्देशीय में गुरूत्व श्रेणी में 8.71, लो हैड में 9.10 और हाई हैड में 13.65, श्रीमन्, ग्रामीण क्षेत्र में गुरूत्व श्रेणी में 8.71, लो हैड में 8.84 और हाई हैड में, 13.65 है।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मानननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में हाई हैड और लो हैड का जिक्र किया, यह क्या है? जो हाई हैड है, क्या वह ग्रेविटी से सम्बन्धित है और लो हैड पम्पिंग से सम्बन्धित है?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जो लो हैड है, वह नलकूप तथा नहर श्रेणी के हैं, इनमें हमको बहुत ज्यादा पम्पिंग नहीं करनी पड़ती और जो हाई हैड है, उसमें हमको पम्पिंग करनी पड़ती है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजनाओं में जो निजी कनेक्शन दिये जाते हैं, उनका शुल्क क्या है, अलग–अलग है या समान है? दूसरा, जो कनेक्शन दिया जाता है, उसके तहत इन कनेक्शनों में मीटर लगाये जाने का प्राविधान अभी भी है या नहीं?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, ग्रामीण क्षेत्र में जो घरेलू जलापूर्ति की जाती है, उसमें जो प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, यदि एक टोंटी युक्त जल संयोजन हम दे रहे हैं तो उसकी दरें भी निर्धारित हैं। दो टोंटी युक्त जल संयोजन हैं, 3 टोंटी युक्त जल संयोजन हैं और 4 टोंटी युक्त या उससे अधिक का जल संयोजन हैं, सबकी दरें अलग–अलग निर्धारित हैं। इसमें यदि एक टोंटी युक्त संयोजन के लिए गुरूत्व योजना है तो 53.30 रूपया निर्धारित है, लो हैड में 58.50 रूपया निर्धारित है और हाई हैड में 65.00 रूपया निर्धारित है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, जब कनेक्शन दिया जाता है, उस समय जो फीस ली जाती है, उसकी क्या दर है? और जब आप कनेक्शन दे रहे हैं, उसमें मीटर नहीं लग रहा है। एक तरफ पानी की कमी है। पम्पिंग योजनाओं में आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जितना भी ढलान वाला क्षेत्र है, सारा पानी वहां चला जाता है। यदि इस प्रकार से मीटर लगाने का प्रावधान है तो वह क्यों नहीं लगाये जा रहे हैं और अगर प्रावधान नहीं है, तो क्या आप प्रावधान करेंगे?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जो घरेलू जलापूर्ति मीटर रहित होती है और जो अघरेलू कनेक्शन होते हैं, वह मीटर युक्त होते हैं। इन कनेक्शनों का जो टैरिफ है, उससे मैं पूर्व में अवगत करा चुका हूँ।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, प्रदेश में पानी की भारी कमी है तो क्या आप जनहित में मीटर लगाने का प्रावधान करेंगे, ताकि लोग पानी का सदुपयोग करें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, उसके लिए हमने टोंटीवाइज व्यवस्था की है, एक टोंटी, दो टोंटी, तीन टोंटी और चार टोंटी से अधिक, इनके लिये अलग–अलग टैरिफ हैं।

श्री सुरेश चन्द जैन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि मैदानी क्षेत्रों में लिफ्ट पानी प्राप्त करने में कितना व्यय आता है और 1000 लीटर पर कुल कितना मूल्य प्राप्त करते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र का तो बताना मुश्किल है, हमने तीन प्रकार तय किये हैं, हाई हैड, लो हैड और गुरूत्वीय हैड। इसी के अनुसार टैरिफ निर्धारित किये गये है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि क्या सरकार नगरीय क्षेत्रों में ग्रेविटी पाइप लाईन द्वारा दिये जाने वाले पानी का मूल्य पम्पिंग योजना द्वारा लिये जाने वाले मूल्य के बराबर किये जाने पर विचार कर रही है? सरकार द्वारा उसका जवाब दिया गया कि "प्रश्न नहीं उठता" और जो यह टैरिफ आपने तय किये हैं, यह ग्रेविटी से दिये जाने वाले पाईप लाइनों पर वहीं साढ़े छः, साढ़े सात, साढ़े आठ,

13.50 और 15 रुपये की दर से पर थाउजेण्ड लीटर के हिसाब से तय किये हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह दोनों मिलाकर ग्रेविटी हैड, लो हैड और हाई हैड की परिधि में आते हैं या नहीं?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, दो अलग–अलग विषय हैं, हमने जो यह निर्धारण किया है, वह 01–02–2010 से टैरिफ लागू हुआ है। उसमें जो नगरीय क्षेत्र हैं, उनमें जलापूर्ति नगर पालिका परिषद के माध्यम से, जो उनका वार्षिक मूल्यांकन होता है, उसके आधार पर हमने तीन कैटेगरी तय की है, जिसका उल्लेख मैंने पूर्व में भी किया है। इसी तरह से जो न्यूनतम प्रभार है, वह ग्रामीण और नगरीय श्रेणी की अलग–अलग कैटेगरी है और इसी तरह से अन्य का भी निर्धारण हमने किया है। जिसके आधार पर वह दरें 01–02–2010 से प्रभावी हुई हैं। जैसा आपने प्रश्न किया कि "क्या सरकार नगरीय क्षेत्रों में ग्रेविटी पाइप लाईन द्वारा दिये जाने वाले पानी का मूल्य पम्पिंग के बराबर किये जाने पर विचार करेगी?" तो ऐसा कोई विचार विचाराधीन नहीं है।

उ0प्र0 व उत्तराखण्ड के बीच सम्पत्ति व अधिकारियों/कर्मचारियों का आवंटन

*2–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या पुनर्गठन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 तथा उत्तराखण्ड राज्य के बीच किन–किन विभागों के अन्तर्गत सम्पत्ति व अधिकारियों/कर्मचारियों का अन्तिम आवंटन हो चुका है?

यदि नहीं, तो सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

परिसम्पत्तिः– उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उ0प्र0 एवं उत्तराखण्ड के मध्य परिसम्पत्ति के विभाजन कुमाऊँ/ गढ़वाल मण्डल विकास निगम, हिल्ट्रान, चीनी मिलें, उत्तराखण्ड स्थित समस्त पर्यटन गृह, वन चिकित्सालय हल्द्वानी, कृषि विभाग की सभी मण्डियाँ, ऊधमसिंह नगर स्थित 05 जलाशय, काशीपुर हैचरी, नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड निवास, बीज प्रमाणीकरण संस्था, वन निगम की भौतिक परिसम्पत्तियां, पावर कारपोरेशन एवं जल विद्युत निगम की भौतिक परिसम्पत्तियां, विभिन्न निधियाँ/ कोष क्रमशः मण्डी परिषद निधि, झण्डा दिवस निधि, सैनिक कल्याण निधि, कारगिल शहीद कोष, दातव्य निधि, विजय निधि, पुलिस आर्म्ड फोर्स निधि, श्रम कल्याण निधि, पंचायती राज विभाग का रिवाल्विंग फण्ड, युवा कल्याण निधि एवं होमगार्ड कल्याण निधि का बंटवारा हो चुका है।

पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होटल अलकनन्दा जनपद हरिद्वार का प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

कार्मिकः-उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उ0प्र0 एवं उत्तराखण्ड के मध्य अधिकारियों/कर्मचारियों के न्याय, राजस्व विभाग के सर्वे यूनिट, महिला सशक्तिकरण विभाग एवं संस्कृति विभाग को छोड़कर समस्त विभागों का अन्तिम आवंटन हो चुका है।

सरकार द्वारा दोनों राज्यों के मध्य परिसम्पत्ति विभाजन एवं कार्मिक आवंटन हेतु लम्बित प्रकरणों का सतत् अनुश्रवण करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

मान्यवर, यह प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और पिन प्वाइंटेड भी है। सरकार ने जवाब दिया है कि अमुक-अमुक विभागों के साथ बंटवारा पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के साथ हो चुका और अमुक-अमुक कार्मिकों की अद्यतन स्थिति यह है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि कुल कितने कार्मिकों, जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित हैं? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि पुलिस कार्मिकों, कर्मचारियों/अधिकारियों के अन्तिम हस्तान्तरण की स्थिति में आज 3 हजार पुलिस कर्मियों की स्थिति क्या है?

मान्यवर, और जानना चाहूँगा कि परिसम्पत्ति विभाजन के अद्यतन आज तक कौन-कौन से प्रकरण सतत अनुश्रवण में सम्मिलित किये गये हैं?

श्री प्रकाश पन्त-

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि जो माननीय सदस्य ने जानना चाहा है श्रीमन्, उसके सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि अद्यतन जो कार्मिकों की स्थिति है श्रीमन्, उसमें जो अंतिम आवंटन के लम्बित प्रकरण हैं जो भारत सरकार के स्तर पर राज्य परामर्शी समिति के माध्यम से होने हैं। इसमें अभी संस्कृति विभाग का आवंटन शेष है, राजस्व विभाग के सर्वे कर्मियों का आवंटन शेष है श्रीमन तथा न्याय विभाग के कर्मियों का आवंटन शेष है और जो प्रकरण माननीय न्यायालय में है उसके संबंध में वित्त विभाग का प्रकरण श्रीमन्, यह भारत सरकार के स्तर पर लम्बित है। सचिवालय प्रशासन विभाग का लगभग प्रकरण निस्तारित हो चुका है। श्रीमन्, और जहां तक लोक निर्माण विभाग का प्रकरण है श्रीमन्, इसमें 6 अभियन्ताओं का अभी माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है श्रीमन्, और इस प्रकार से लगभग हमारे अभी कार्मिकों की स्थिति जो वर्तमान में है श्रीमन्, भारत सरकार से जो हमें आवंटित अविभाजित उत्तर प्रदेश से हमें कार्मिक आवंटित हुए थे, उनमें से जिन विभागों का उल्लेख मैंने किया उसके अतिरिक्त बाकी सब का आवंटन हो चुका है।

श्री गणेश जोशी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आज भी आवास विकास की सम्पत्तियों का निस्तारण एवं आवंटन लखनऊ से हो रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि आवास विकास की सम्पत्तियों का आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कब किया जाएगा– नम्बर–एक, नम्बर–2–अभी उत्तराखण्ड के माननीय मुख्यमंत्री व उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के बीच 3100 पुलिस कर्मियों की भर्ती के संबंध में एक समझौता हुआ था और यह कहा गया था कि ये पद उत्तराखण्ड को मिलेंगे, लेकिन संज्ञान में आया है कि केन्द्र सरकार द्वारा इस समझौते को मानने से इन्कार किया गया है। अब सरकार इस दिशा में क्या कर रही है?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक आवास विकास परिषद का प्रश्न है श्रीमन्, चूँकि ये परिसम्पत्तियां उसके माध्यम से क्रय की गयी थी और इस विषय को श्रीमन्, हमने राज्य परामर्शी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था श्रीमन्, और इसमें यह सम्पत्ति उनकी क्रय की हुई सम्पत्ति है, इसलिए इसमें अभी प्रकरण निस्तारित नहीं हो पाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मध्य हुई वार्ता के बाद प्रकरण में काफी तेजी आयी है और अब वर्तमान में अद्यतन स्थिति यह है कि अब लगभग–लगभग हमारे प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं। केवल जिन विभागों का मैंने उल्लेख किया है उन प्रकरणों को लिए हम भारत सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि उनका भी शीघ्र निस्तारण हो।

श्री नारायण पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूँ कि ऊधमसिंह नगर में जो 5 जलाशय हैं उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इनका विवाद खत्म हो गया और अधिकारियों, कर्मचारियों का अंतिम आवंटन भी हो चुका है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कुछ मसलों पर यू0पी0 और उत्तराखण्ड में विवाद था। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन–कौन से मसले थे जिन पर विवाद था? क्या कम्पलीट विवाद खत्म होकर उन पर आम सहमति बन चुकी है?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं माननीय सदस्य के उत्तर को थोड़ा संशोधित करना चाहूँगा, आपने कहा कि मैंने ऐसा कहा कि सिंचाई विभाग के सभी जलाशयों का प्रकरण निस्तारित हो चुका है जब कि ऐसा नहीं है। चूँकि हमारे जो राज्य की सीमा के अन्तर्गत 6 जलाशय हैं वह पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत ऐसे सभी नहरें जिनसे उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है और उनके हैड उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन रहेंगे, ऐसी व्यवस्था के चलते 6 जलाशयों पर अभी इनका रख रखाव और स्वामित्व उत्तर प्रदेश का है, जिसमें धौरा जलाशय जनपद ऊधम सिंह नगर, बिगुल जलाशय, जनपद ऊधमसिंह नगर, नानक सागर जलाशय, जनपद ऊधमसिंह नगर,

बनबसा बैराज, जनपद चम्पावत, भीमगोड़ा बैराज, जनपद हरिद्वार और कालागढ़ जलाशय जनपद पौढ़ी, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में वार्ता चली थी और हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें परिसम्पत्तियाँ उत्तराखण्ड सरकार को अविभाजित उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत मिलनी चाहिए, वह मिल जाये तो हमारे हक की जितनी परिसम्पत्तियाँ हैं वह हमको प्राप्त हो चुकी हैं, कतिपय परिसम्पत्तियों पर विवाद है।

श्री ओम गोपाल--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय पुनर्गठन मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ा विभाग शिक्षा विभाग है, इसमें उत्तर प्रदेश के कितने विकल्पधारी अपने उत्तराखण्ड में सेवायें दे रहे हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश जाना चहिए था, हजारों की संख्या में विकल्पधारी हैं जो वहाँ जाना चाह रहे हैं। इसका क्या कारण है कि वह उत्तर प्रदेश वापस क्यों नहीं गये हैं? ऐसे कितने विभागों के और मामलें हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी कार्य कर रहे हैं, उनकी संख्या क्या है ? तीसरी बात यह है कि हमारी परिसम्पत्तियाँ अभी उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन में हैं, इन परिसम्पत्तियों को कब तक अपने कब्जे में लेंगे, इस पर क्या कार्यवाही सरकार द्वारा हो रही है ?

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, जहाँ तक शिक्षा विभाग का प्रश्न कहा, चूँकि शिक्षा विभाग के कार्मिकों का प्रकरण भारत सरकार के राज्य परामर्शी समिति के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वह उत्तरांचल को ही आवंटित है। चूँकि उन कार्मिकों के उत्तर प्रदेश के मूल निवासी स्थायी निवासी होने के चलते हुए, ये कार्मिक उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं और ऐसे सभी कार्मिकों पर उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य सहमति के पश्चात ही निर्णय हो सकता है। आज की तिथि में जो भारत सरकार से कार्मिकों का आवंटन हुआ है वह शिक्षा विभाग में आवंटन शेष नहीं है। शिक्षा विभाग के सारे प्रकरण भारत सरकार के स्तर पर निस्तारित हो चुके हैं, जो दोनों राज्यों के मध्य सहमति बनती है यह प्रकरण अलग से सहमति के आधार पर निस्तारित होना है। चूँकि भारत सरकार के स्तर पर इसका निस्तारण सम्भव नहीं है। शिक्षा विभाग इस प्रकरण को अलग से देख रहा है। जहाँ तक परिसम्पत्तियों का प्रश्न है, परिसम्पत्तियाँ, मैंने जैसा कि कहा कि अविभाजित उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की सुसंगत धाराओं के आधार पर सिंचाई विभाग की नहरे हैं उनका हैड और रख रखाव उत्तर प्रदेश के स्वामित्व में है जो उत्तराखण्ड के अन्दर है।

श्री ओम गोपाल--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का पूरा जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

जवाब आ गया है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवहारिक कठिनाई है जिसके बारे में, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मान्यवर, मेनगंगा कैनाल का हैड कंट्रोल उत्तर प्रदेश के हाथों में है जब कि उससे निकालने वाली माइनर्स जो है जिन्हें रजबाहा भी कहते हैं, उनका स्वामित्व भी आज तक उत्तर प्रदेश के हाथ में है। जब कि उनका हैड भी उत्तराखण्ड में है और टेल भी उत्तराखण्ड में है। उनके पानी का इस्तेमाल भी उत्तराखण्ड के कास्तकारी या उत्तराखण्ड के लोग करते हैं। जिसका मैन्टीनैन्स न तो उत्तर प्रदेश सरकार करती है क्योंकि उन्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है और न उत्तराखण्ड सरकार करती है क्योंकि वह उनकी सम्पत्ति नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से क्या उत्तराखण्ड सरकार उन नहरों को, उन माइनर्स को कंट्रोल में लेगी जिनका हैड और टेल उत्तराखण्ड के बार्डर के अंदर है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, स्पैसिफिक प्रश्न सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है माननीय सिंचाई मंत्री इसका उत्तर देंगे।

सिंचाई मंत्री एवं समाज कल्याण (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, हम हाई कोर्ट नैनीताल में केस जीत गये थे कि नहरों का स्वामित्व हमको मिलना चाहिए। हमने बहुत सारी सम्पत्तियों का खाता, खतौनी अदि दर्ज कराने का अभियान चला दिया था हरिद्वार में। मगर उत्तर प्रदेश सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने गई है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मैं स्वीकार करता हूँ कि ये नहरें अभी उत्तर प्रदेश के अन्दर में है। हम प्रयास कर रहे हैं कि 10 खरब की सम्पत्ति है, जो हमको मिलनी चाहिए।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बहुत ही साफ–सुथरा सवाल किया है। कुल कितने कार्मिकों को डैस किया था कि अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित हैं। एक विभाग का तो आपने बताया कि लोक निर्माण विभाग के 6 हैं बाकी की अद्यतन स्थिति क्या है, आई नहीं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चूँकि यह पृथक–2 विभाग से सम्बन्धित होगा। हमारा विभाग जो देखता है भारत सरकार के माध्यम से, कितने कार्मिकों का आवंटन हुआ या नहीं हुआ। इस

प्रकरण को पुनर्गठन विभाग देखता है। विभागवार जब आंवटन हो जाता है तो आवंटन होने के बाद पृथक-पृथक विभाग इसको सुनिश्चित करता है और उसकी अपीलिंग का काम भी विभाग करता है इसलिए इसका उत्तर अलग से दिया जाना संभव नहीं। माननीय सदस्य महोदय को अलग से विभाग से जानकारी लेकर उपलब्ध करवा दूँगा।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

मान्यवर, अंतिम विकल्प पर कोई पुनर्विचार किया जा रहा है किसी अधिकारी और कर्मचारी के बारे में?

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, जहाँ तक अंतिम विकल्प का प्रश्न है जो भी ऐसा प्रकरण आता है वह राज्य परामर्शी समिति को संदर्भित होता है और उस समिति के माध्यम से उसके पश्चात् उस पर निर्णय होता है। आज की तिथि पर हमारे पास जिन विभागों के भारत सरकार में प्रकरण विचाराधीन है, राज्य परामर्शी समिति में, उसमें न्याय विभाग, सर्वे कर्मियों, राजस्व विभाग के है और संस्कृति विभाग का है। वह राज्य परामर्शी समिति में विचाराधीन है जिस पर लगातार सुनवाई जारी है और शीघ्र ही यह भी निस्तारित हो जायेंगे।

जनपद पिथौरागढ के अन्दर अस्कोट में भूमिगत खनन की अनुमति से पूर्व अन्य सुविधाओं की सुनिश्चितता

*3-श्री मयूख सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा जनपद पिथौरागढ के अस्कोट कस्बे में भूमिगत खनन की अनुमति प्रदान की जा रही है?

यदि हां, तो क्या खनन अनुमति प्रदान करने से पूर्व उक्त क्षेत्र में बसे अस्कोट क्षेत्र के नागरिकों की परिसम्पत्तियों तथा पेयजल सड़क मार्ग की सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है?

यदि हां, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

औद्योगिक विकास एवं परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)-

जी हाँ।

जी हाँ।

जिला प्रशासन द्वारा अस्कोट परियोजना क्षेत्र तथा इम्पेक्ट क्षेत्र में रह रहे स्थानीय विकास/उत्थान हेतु परियोजना के अधिकारी, विभागीय अधिकारी, तथा स्थानीय जनता की सहमति के आधार पर ग्रामवासियों की आवश्यकता के अनुसार सोशल

वेलफेयर प्लान तैयार किया गया है। प्रस्तावित प्लान में स्थानीय निकाय सहित प्राथमिक, स्वास्थ्य सुविधा, वन पंचायत का सुदृढ़ीकरण, पेयजल सुविधा व आपातकालीन सहायता सुविधा सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा प्रश्नकर्ता माननीय श्री मयूख सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

उत्तराखण्ड के आन्दोलित डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की मांगों पर विचार

*4–श्री किशोर उपाध्याय, काजी मौ0 निजामुद्दीन तथा श्री प्रीतम सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर विगत 9 फरवरी, 2010 से क्रमिक अनशन पर है?

यदि हां, तो क्या सरकार उनकी 19 सूत्री मांगों पर विचार कर रही है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की 19 सूत्रीय मांगों के निस्तारण हेतु मा0 कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 7.3.2010 को त्रिपक्षीय बैठक में लिये गये निर्णयों के आधार पर महासंघ द्वारा आन्दोलन वापस लिया जा चुका है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कल भी निवेदन किया था कि सरकार गम्भीर नहीं है प्रश्नों के प्रति, इसलिए मैं कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न संख्या–4 तीन लोगों द्वारा किया गया है। किशोर उपाध्याय जी के अतिरिक्त यह प्रश्न काजी मौ0 निजामुद्दीन जी का भी है और प्रीतम सिंह जी का भी है।

काजी मौ० निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सरकार एवं कार्मिकों के बीच क्या समझौता हुआ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ भी अपनी 19 सूत्रीय मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री, त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी और बैठक हुई है। मान्यवर, जो समाधान समिति बनी थी उस समिति को दिनांक 8.2.2010 द्वारा पुनर्जीवित किया जा चुका है। दूसरा जे०ई० के वेतनमान में जो विसंगतियाँ थी उसके बारे में कहा गया है कि 5 वर्ष के बाद रूपये 9300–34800 ग्रेड वेतन रूपये 4800 दिया जायेगा और एक पद सृजित किया जायेगा, जो अपर सहायक अभियन्ता पद होगा जिससे इनको लाभ मिल सकेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो 19 बिन्दुओं पर उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ आन्दोलनरत् थे, इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किन–किन बिन्दुओं पर सहमति हुई है और किन–किन बिन्दुओं पर सहमति नहीं बन पायी है?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, पहला बिन्दु है डिप्लोमा इंजीनियर्स की समस्याओं के समाधान हेतु पूर्व से गठित डिप्लोमा इंजीनियर्स समस्या समाधान समिति को पुनर्जीवित किया जाय और मैंने निवेदन कर लिया है। दिनांक 8.2.2010 द्वारा पुनर्जीवित कर दिया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितने बिन्दुओं पर सहमति बनी, कितने बिन्दु पर सहमति नहीं बनी?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि कितने बिन्दुओं पर सहमति बनी और कितने बिन्दु पर सहमति नहीं बनी? (व्यवधान)

काजी मौ० निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें निवेदन की क्या बात है हम पूछ रहे हैं कि कितने बिन्दुओं पर सहमति बनी और कितने बिन्दु पर सहमति नहीं बनी?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, जो जे०ई० की पदोन्नति थी और समयमान वेतनमान के हिसाब से उनको पदोन्नति मिलती थी वह नहीं मिल पायी, चूंकि छठवें वेतनमान लागू होने से वेतनमान वृद्धि समाप्त हो गयी। इसलिए एक बिन्दु पर सहमति हुई है कि अपर सहायक अभियन्ता का पद स्वीकृत कर दिया गया और उनको इसमें सुविधा दी गयी कि पांच वर्ष बाद यह पद मिल जायेगा। मान्यवर, अन्य बिन्दुओं पर समय–समय पर माननीय कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक होगी और समिति उस पर निर्णय लेगी।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, कहा गया है कि एक बिन्दु पर सहमति हुई है और अन्य बिन्दुओं पर समिति निर्णय लेगी।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, एक बिन्दु पर सहमति हुई है, अन्य बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा? (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

बता दिया है कि एक बिन्दु पर सहमति बन गयी है और जो समिति बनी है वह अन्य बिन्दुओं पर विचार कर रही है।

*5–श्री किशोर उपाध्याय–

एक से अधिक विभाग होने के आधार पर निरस्त।

जनपद देहरादून में आई०टी० पार्क की स्थापना एवं स्थानीय लोगों को रोजगार

*6 श्री गणेश जोशी–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री अवगत है कि आई०टी० क्षेत्र को बढ़ावा देने एवं स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने के उद्देश्य से देहरादून में सहस्त्रधारा रोड पर आई०टी० पार्क की स्थापना की गयी थी?

यदि हां, तो अब तक वहां पर कितने उद्योग स्थापित किये गये और कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

सिडकुल द्वारा विकसित आई०टी० पार्क में उद्योगों की स्थापना हेतु अब तक कुल 19 उद्यमियों को भूमि आवंटित की गयी है। अब तक 3 उद्योग अपना व्यवसायिक

कार्य प्रारम्भ कर चुके हैं। उक्त उद्योगों में अब तक कुल 225 स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आई0टी0 पार्क के स्थापना के लिए कुल कितनी भूमि अधिग्रहण की गयी है? और उसके निर्माण में सिडकुल द्वारा कितना धन खर्च किया गया है, तीसरी बात माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि 19 उद्यमियों को भूमि आवंटित की गयी है, लेकिन उसमें कुल तीन लोग आये और जो लोग नहीं आये या जिनको आवंटन किया गया, उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, आई0टी0 पार्क हेतु 67 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गयी जिसमें 50 एकड़ भूमि आवंटन हेतु थी। माननीय अध्यक्ष जी, 12.58 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है। जिसमें से 3 कार्य प्रारम्भ कर चुके हैं और 9 उद्योग प्रगति पर है जिनका कार्य 70 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक पूरा हो गया है और 7 उद्योग ऐसे हैं जिन्होंने समय से अपना कार्य नहीं किया है उनको हमने कारण बताओ नोटिस दिया है। नहीं तो उनका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। मान्यवर, 37.42 एकड़ में आई0टी0 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए अधिकृत किया है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मात्र 3 उद्योग ही अपने 90 फीसदी कार्य पूर्ण कर चुके हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आई0टी0 पार्क का जो मुख्य हब है जिसको 100 करोड़ रू0 की लागत से बनाना था उसकी अद्यतन स्थिति क्या है? वह जो बना है और आधा अधूरा छोड़ दिया गया है क्या सरकार उसको बनाने पर विचार कर रही है और अगर नहीं कर रही है तो जो आधे से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी? और कब तक उसको पूरा किया जायेगा?

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, आई0टी0 हब बनाने के लिए 49 प्रतिशत का शेयर हमारा है और 51 प्रतिशत का शेयर कंपनी का था। जिसके अन्तर्गत 8 करोड़ रू0 हमारा और 8 करोड़ रू0 कंपनी का लगा है। लेकिन बीच में विवाद आ जाने के कारण इसका कार्य रोक दिया गया। क्योंकि इस पर कार्य करने में 31 मीटर ऊँची बिल्डिंग की बात थी, जिसमें 7 तल बनने थे जिसको बीच में सरकार द्वारा रोक कर इसकी ऊँचाई को बढ़ाया गया इस कारण थोड़ा विवादित रहा उसके बाद कंपनी को लोन नहीं मिलने के कारण

यह मामला विवादित हुआ है और हमने इनको लिखा है कि कब तक आप कार्य प्रारम्भ करेंगे?

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, वह कौन सी कंपनी है जिसके साथ सरकार ने करार किया और 16 करोड़ रू0 खर्च होने के बाद भी आज भी उसकी अद्यतन स्थिति जीरो है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार, 8 करोड़ जो सरकार ने खर्च किया है और 8 करोड़ जो उस कंपनी ने खर्च किया उसका उत्तरदायित्व, कौन जवाबदार होगा?

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा और आईटी कंपनी का ज्वाइंट वेन्चर है। इसमें जो कार्य प्रारम्भ हुआ उसमें 8 करोड़ रूपया हमने लगाया। जब इस कंपनी को लोन नहीं मिला या कोई दिक्कत हुई तो हमने उनको नोटिस दिया और तीन करोड़ रू0 की बैंक एसेट उनकी है, जो हमारे पास है। बाकी जो हमारी पूँजी है वह सुरक्षित है उसका सर्वे करा लिया गया है। 16 करोड़ रू0 का जो उसमें खर्च आया है उसमें से 8 करोड़ हमारा है इसके लिए हमने उससे 3 करोड़ रू0 बैंक गारन्टी के रूप में लिया है और बाकी भी प्रापर्टी के रूप में हमारे पास है। 16 करोड़ का पूरा हिसाब किताब हमने देख लिया है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, क्या सरकार ने बिना कुछ सोचे–समझे कर लिया है, बैंक लोन नहीं दे रहा है। मान्यवर, यह गम्भीर विषय है कि ऐसी कम्पनी के साथ समझौता कर लिया, जिसमें 8 करोड़ रूपया दे दिया और जिसको बैंक लोन देने को तैयार नहीं है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, हमने बताया कि 8 करोड़ हमने लगाया और 8 करोड़ लोन है जहाँ तक कम्पनी के बारे में बात है तो मैंने पूरा ठोक–बजाकर किया है। लेकिन कुछ हालात ऐसे बने तो 30 मीटर हाईट को कम कर दिया गया।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह बता दें कि यह चेंजेस कौन करता है?

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, यह जाँच का विषय है, सरकार इस पर जाँच बैठाने की बात करे, क्योंकि 16 करोड़ रूपया ऐसी हालत में चला गया। मान्यवर, आपने देखा होगा कि वह जो मल्टी स्टोरी हब है उसकी स्थिति ऐसी है कि आज भी वहाँ की मशीन ऐसे ही खड़ी है, वह जर्जर स्थिति में जाने को तैयार है, क्या सरकार इसके लिए भी चिन्हित नहीं है, क्या ऐसे ही आई0टी0 का विस्तार दून वैली में किया जायेगा? मान्यवर, इस पर जाँच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें, जाँच तो बाद की बात है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, 30 मीटर हाईट की अनुमति किसने दी और 21 मीटर हाईट की अनुमति किसने दी और 21 मीटर से कम करने की अनुमति किसने दी, यह तो पता चले।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जोर जबरदस्ती से झूठ बात सच नहीं होती है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के कहने का अंदाज क्या है, हम क्या यहाँ पर झूठ बोलने आये हैं। माननीय मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं, कहने का अंदाज कैसा है। मान्यवर, जिम्मेदार मंत्री होने के बाद कहते हैं कि हम झूठ कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, ऐसा नहीं कहा है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, ऐसा मैंने नहीं कहा है, कार्यवाही में दिखवा लें।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, यह बतायें, किसने 30 मीटर की अनुमति दी और फिर किसने 21 मीटर की अनुमति दी और क्यों अनुमति दी है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुनसोला जी, आप शान्त रहें, आप उत्तेजित न हों।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला जी का उत्तेजित होने का कोई दूसरा कारण हो सकता है, प्रश्न में उत्तेजना नहीं थी। मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि केवल एक बार हाईट घटाई गई और उसको आपने 6 बार कह दिया कि यह हाईट बढ़ाई और घटाई, ऐसा नहीं है एक बार घटाई गई है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी क्या रामलीला कर रहे हैं?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, माननीय श्री दिनेश जी को रामलीला लग रही है तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, मैंने कहा कि हाईट को बढ़ाने–घटाने का काम आवास विकास का

होता है यह पता होगा, तो इसलिए मैंने कहा कि हाईट को बढ़ाया गया, लेकिन मूल कारण यह है कि उसको लोन लेने में दिक्कत हो रही है लोन नहीं मिला तो इसके लिए हमने उसको कारण बताओ नोटिस दिया। मान्यवर, जहां तक रूपये का सवाल है तो सिडकुल को कम्पनी के साथ जो हमने लगभग 8 करोड़ रू0 खर्च किया, उसकी पूरी जानकारी कर ली गयी है। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, जवाब नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, मैं जानना चाह रहा था वह कौन सा विभाग है?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने आवास विभाग बता तो दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, जब उनको घटाने की अनुमति दी गयी तो पहले कितने मीटर हाईट पर यह योजना प्रस्तावित थी, जिसको इन्होंने स्वीकृत किया और कितने पर घटाने की अनुमति दी गयी। मान्यवर, घटाने की अनुमति देने के बाद क्या वह पूर्ववर्ती जो हाईट है, वही पर रही या इसमें भी कोई तब्दीली कर दी गयी।

श्री अध्यक्ष–

यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, विभाग में पहले हाईट बढ़ायी फिर घटायी और फिर बढ़ायी इसका औचित्य क्या है? स्पष्ट करें। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने सारी बात स्पष्ट कर दी, लेकिन फिर भी मैं सदन के संज्ञानार्थ लाना चाहूंगा कि 30 मई, 2007 को (व्यवधान) आप माननीय मंत्री जी की बात समझ नहीं पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं, हमने बहुत स्पष्ट सवाल किया है, उसका जवाब माननीय मंत्री जी दे नहीं पा रहे हैं और मुझे कहा जा रहा है समझ नहीं पा रहे हैं। यही एक विडम्बना है सरकार की तरफ से। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जब कोई सुने तब तो जवाब दूं। मान्यवर, पहले जो हाईट रखी गयी थी, उसे बाद में कम कर दिया था। 30 मई, 2007 को उनके साथ समझौता हुआ इस तिथि को भवनों की ऊँचाई तय की गयी थी और 8 फरवरी, 2008 को इसमें तब्दीली की गयी थी।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, ऊँचाई को कम किया गया? (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जब ये इतना महत्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा था, जिस कम्पनी से करने की बात थी निश्चित रूप से अनुबंध हुआ होगा ये अनुबंध कब हुआ और इस अनुबंध में क्या–क्या बातें सम्मिलित थीं? क्या उस अनुबंध का पालन हुआ? यदि पालन नहीं हुआ तो जो 8 करोड़ रू0 हमारी सरकार का खर्च हुआ और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 8 करोड़ रू0 उस कम्पनी का खर्च हुआ तो क्या इसका माननीय मंत्री जी के पास कोई लेखा–जोखा है? चूंकि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि हमने बड़े ठोक बजाकर यह देख लिया है कि उनका 8 करोड़ रू0 खर्च हुआ। यदि इन सब बातों में कोई घपला हुआ है तो क्या सरकार उनके खिलाफ अविलम्ब जांच बैठायेगी? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या अनुबंध समयबद्ध था?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जो एम0ओ0यू0 हुआ था वह पूर्ववर्ती सरकार के समय में हुआ था।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, कब हुआ था?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, वर्ष 2007 में शासनादेश संख्या 592/101/उद्यान/दिनांक 30–06–2007 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किया गया था। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, इसका कोई उत्तर माननीय मंत्री जी के पास नहीं है। (व्यवधान) ड्रामा कर रहे हैं। (व्यवधान) आप खुद ही कह दें कि स्थगित कर दिया जाय। बाद में जवाब दे दीजिएगा। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, 22.03.2006 को अनुबंध हुआ और रूपये की जहाँ तक बात है, उसमें

हमने थ्योरी लगाई थी। इसमें पैसा खर्च हुआ है। हमने जो पैसा दिया था, उसमें से 3 करोड़ रूपये तो बैंक गारन्टी थी। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने यह नहीं पूछा। मैंने यह पूछा कि 8 करोड़ रूपया, जो हमारा खर्च हुआ, उसका आपके पास हिसाब होगा। आपने कहा कि 8 करोड़ रूपया उस कम्पनी का खर्च हुआ और हमने बिल्कुल देख लिया है कि 8 करोड़ रूपया खर्च हुआ है। तो उसका भी हिसाब किताब आपने अपने पास मंगाया होगा कि 8 करोड़ रूपया खर्च हुआ है। क्या आपके पास दोनों का हिसाब किताब है?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जो हमने आज की तारीख में जानकारी ली है, हमको लगता है (व्यवधान) कि वह पैसा सुरक्षित है। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह कोई जवाब नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि 3 उद्योग काम प्रारम्भ कर चुके हैं और इन तीन उद्योगों में लोगों को रोजगार मिला है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि कुल कितने लोगों को रोजगार मिल चुका है? दूसरा, आपने बताया कि 225 स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है, तो इन लोगों को किस तरह का रोजगार दिया गया है? तीसरा, 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा रहा है या नहीं? इसके अतिरिक्त ऊँचाई घटाने–बढ़ाने की जो बात माननीय मंत्री जी ने कही, उसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं या नहीं?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, वर्तमान में 3 उद्योगों ने कार्य प्रारम्भ किया है। इनमें 242 लोगों को रोजगार मिला है, जिसमें 225 स्थानीय लोग हैं। यानि 93 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है। इसमें छोटे और बड़े सभी प्रकार के पद सम्मिलित है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्नों का तो एक का भी उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

आ गया है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, कहाँ आया है? मान्यवर, अनुबंध की शर्तें क्या थी, उनका हिसाब किताब क्या था, उसकी समय सीमा क्या थी? एक का भी जवाब नहीं आया। (व्यवधान) मान्यवर, संरक्षण हमें मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, दस हजार छात्र इस हब से बाहर निकलेंगे। आज सरकार इन प्रश्न को गम्भीरता से न लेकर जवानों को टाल रही है। (व्यवधान) मान्यवर, बिल गेट्स इस आई0टी0 हब के चलते उत्तराखण्ड में आए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

इतना महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न का जवाब आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, कोई जवाब नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप बताईये न, क्या जवाब चाह रहे हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि 8–8 करोड़ का क्या हिसाब है? इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने क्या अनुबंध किया, अनुबंध की क्या शर्तें थी? (व्यवधानन)

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि 22.03.2006 को अनुबंध हुआ। जिसमें हमारा 49 प्रतिशत का शेयर है और कम्पनी का 51 प्रतिशत का शेयर है। जहाँ तक पैसों का प्रश्न है, तो मैंने कहा हमने उसको दिखवाया है और कम्पनी के पैसों की बैलेंस सीट हमने मंगवाई है। हमें लगता है, उस बैलेंस सीट के हिसाब से, कि उस पैसे का सदुपयोग हुआ है। थोड़ा कार्य हुआ है। आगे उनको लोन न मिलने के कारण यह कार्य रूका हुआ है, जिसके लिए हमने उनको कारण बताओ नोटिस भेजा है।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि अनुबंध हुआ है। अब अनुबंध की शर्तों के अनुपालन में अगर माननीय मंत्री जी इस सदन के सामने यह रख देते कि इस-इस कंडीशन पर यह अनुबन्ध हमने किया है और उसका उल्लंघन यदि कोई पार्टी या कम्पनी करती है, तो उस पर यह-यह चीजें हर्जाने के रूप में आरोपित की जायेंगी। माननीय मंत्री जी न तो अनुबन्ध की शर्तों को बता रहे हैं और न ही यह बता रहे हैं कि बैलेंस शीट को देखा या नहीं (व्यवधान) मान्यवर, यदि बैलेंस शीट देखी होती (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, सवाल का कहीं से भी उत्तर आने की स्थिति नहीं है, मैं यह चाहूंगा कि सवाल का जवाब आने वाले समय में दिया जाय और आज इस सवाल को स्थगित कर दिया जाय।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जवाब आ गया है।

श्री गणेश जोशी-

मान्यवर, 86 प्रश्न मैंने लगाया है।

श्री रणजीत रावत-

माननीय जोशी जी, कोई प्रश्न किसी का नहीं होता, प्रश्न पूरे सदन का होता है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस प्रश्न को स्थगित होना चाहिये।

श्री गणेश जोशी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने बताया कि 64 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। मान्यवर, जब भूमि का अधिग्रहण हो रहा था, तो क्षेत्र के लोग आन्दोलन कर रहे थे और मैं उनका नेतृत्व कर रहा था। तब सिडकुल और क्षेत्रीय लोगों में समझौता हुआ था। माननीय मंत्री ने भी कहा है कि वहां पर एक खेल का मैदान था तो सिडकुल ने कहा था कि यह स्थान आप सिडकुल के लिये दे दीजिये, क्योंकि प्रदेश के हित में यह काम हो रहा था। तत्कालीन सिडकुल के अधिकारियों के साथ समझौता हो गया।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करिये।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, तो यह भी कहा गया था कि कुछ दुकानें बाहर दे दी जायेंगी और खेल का एक मैदान बनाकर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, कृपया प्रश्न करिये।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो समझौता तत्कालीन अधिकारियों ने क्षेत्र की जनता के साथ किया था, क्या वह खेल का मैदान बन गया है?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, गांव के निवासियों के साथ यह समझौता हुआ था कि......।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि........।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ओम गोपाल जी, यहां पर चर्चा नही हो रही है, सभी का विषय आ चुका है। दो अनुपूरक पूछे जा सकते है और मैंने चार का अवसर दिया है।

अपने आप प्रश्न तो लगाते नहीं है और दूसरों के प्रश्न में हाथ खड़े कर देते है।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, वहां गांव के लोगों ने मांग सिडकुल से की थी कि वहां पर एक खेल का मैदान स्थापित किया जाय। जिसके लिये 9 लाख रूपये खर्च करके खेल का मैदान तैयार किया गया। लेकिन पूरी तरह से खेल का मैदान ठीक न होने के कारण और जनप्रतिनिधियों ने भी कहा था कि उस मैदान को ठीक किया जाय। तो उसके लिये वर्तमान में हमने 15 लाख रूपये और स्वीकृत कर दिये हैं।

प्रदेश में दायित्वधारियों के लिए लाल बत्ती का प्राविधान

*7–प्रीतम सिंह तथा श्री महेन्द्र सिंह माहरा 'मद्दू भाई'–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा दायित्वधारियों के लिये सरकारी गाड़ी के टॉप पर लाल बत्ती लगाने का प्राविधान किया गया है?

यदि हां, तो किस स्तर के दायित्वधारियों के लिये?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

चूंकि दायित्वधारी शब्द परिभाषित नही है। अतः प्रदेश में जिन महानुभावों/अधिकारियों को लाल अथवा नीली बत्ती का प्रयोग किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है, की सूची निम्नवत है:–

1– महामहिम श्री राज्यपाल	लाल बत्ती टॉप पर
2– उत्तराखण्ड के मा0 मुख्यमंत्री, मा0 मंत्री, मा0 राज्यमंत्री, मा0 उपमंत्री	लाल बत्ती टॉप पर
3– उत्तराखण्ड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री	लाल बत्ती टॉप पर
4– उत्तराखण्ड राज्य के नेता प्रतिपक्ष	लाल बत्ती टॉप पर
5– उत्तराखण्ड के मा0 विधान सभा अध्यक्ष व मा0 उपाध्यक्ष	लाल बत्ती टॉप पर
6– उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशगण	लाल बत्ती टॉप पर
7– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड	लाल बत्ती टॉप पर
8– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड	लाल बत्ती टॉप पर
9– जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड	नीली बत्ती टॉप पर
10– जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (जिले में जैसी स्थिति हो)	नीली बत्ती टॉप पर
11– उत्तराखण्ड के न्यायिक सेवा के जिला जज और उनके समकक्ष अधिकारीगण	लाल बत्ती टॉप पर
12– राज्य के सभा सचिव	लाल बत्ती टॉप पर

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो मैंने जो प्रश्न लगाया और मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था लाल बत्ती के बारे में, आपने नीली बत्ती भी उसमें बता दिया है। अब क्योंकि रामलीला में पाठ करते हैं उसमें रावण का पाठ खेलते हैं आप। मैं आपके माध्यम से

माननीय मंत्री जी से ये जानना चाह रहा हूँ कि जिन वाहनों पर अवैध रूप से लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है तो उसके खिलाफ सजा का क्या प्रावधान है? दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राज्य निर्माण के बाद वाहनों पर अवैध रूप से लाल बत्ती लगाने के कितने प्रकरण आये और जो प्रकरण आये उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अध्यक्ष–

माननीय माहरा जी, आपका भी कुछ इस सम्बन्ध में मूल प्रश्न है, इनका भी मूल प्रश्न है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसका उत्तर आ जाये उसके बाद।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, लाल बत्ती लगाये जाने के कुछ नियम है। उसके अतिरिक्त यदि कोई लाल बत्ती का प्रयोग करता है तो उनके खिलाफ समय–समय पर विभागीय अधिकारी, प्रवर्तन दल के लोग कार्यवाही करते हैं। जो अनुचित रूप से इसका प्रयोग करते है, उनको दंडित करते हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि सजा का क्या प्रावधान है और राज्य बनने के बाद अब तक कितने ऐसे मामले हैं जिन वाहनों पर अवैध रूप से लाल बत्ती लगायी गयी?

श्री अध्यक्ष–

राज्य बनने के बाद, कहां इतना बड़ा प्रश्न आ गया।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, अब तक ऐसे 7 मामले पकड़े गये हैं जिन्होंने लाल बत्ती का प्रयोग अवैध रूप से किया था, उनके खिलाफ विभाग ने कार्यवाही की है। 7 कुल मिलाकर मामले थे। (व्यवधान) चालान करते हैं, जिस प्रकार का होता है, गाड़ियों का चालान करते हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, गम्भीर मामला है। इसलिए गम्भीर मामला है कि कोई लाल बत्ती लगाकर, अपने वाहन पर लगाकर कोई भी वारदात अगर कर दे शहर के अंदर, आप खुद कह रहे हैं कि 149 स्थल हैं इस प्रदेश के अंदर, जो संवेदनशील है, अगर कोई लाल बत्ती लगाकर उसमें प्रवेश कर जाये और आप कह रहे हैं कि दंड लगा कर चालान उसके हिसाब से कर दिया। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, क्या करेंगे, आप ही बताएं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, क्या कोई कानूनी कार्यवाही नही है? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 7 वाहनों का चालान किया गया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, उसमें जो लोग सवार थे, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ आपने कहा कि दंड देते हैं। क्या वह दंड नॉन बेलेबल होगा?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, यह तो जो धारा लगी होगी, अदालत उस पर कार्यवाही करेगी।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

मान्यवर, दंड तो तब मिलेगा जब एक्ट बनेगा, उसके अनुसार दंड मिलेगा। क्या सरकार ऐसा एक्ट बनाने जा रही है?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, नॉन बेलेबल के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, कुछ लोग बोनट पर लाल बत्ती लगाते हैं, बोनट के ऊपर उसके लिए क्या प्रावधान है?

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में बोनट पर लाल बत्ती का प्राविधान नहीं है सब की बत्ती टॉप में लगती है।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, लगी है, सरकारी वाहनों पर?

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी मंत्री जी ने बताया कि इन महानुभावों को लाल बत्ती टॉप पर लगाने की व्यवस्था है।

जैसे मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष और भी कई लोग हैं जो लाल बत्ती लगाकर काम कर रहे हैं। मेयर साहब तो जब माननीय मंत्री जी का अभिनन्दन हो रहा था उसमें भी लाल बत्ती लगा के जा रहे थे। जो नियम विरूद्ध लाल बत्ती का प्रयोग कर रहे है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य नाम लेकर कह रहे हैं।

श्री प्रीतम सिंह--

मान्यवर, अभी जो तिलक राज बेहड़ जी ने नाम इंगित करके कहा, मेयर साहब तो जब माननीय मंत्री जी का अभिनन्दन हो रहा था उसमें भी लाल बत्ती लगा कर जा रहे थे। इसका परीक्षण अभी करा लिया जाय। (व्यवधान) जो लोग अधिकृत हैं उनके अलावा लोग लाल बत्ती लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने कह दिया।

भूमिगत जल संरक्षण हेतु ग्राउण्ड वाटर कन्ट्रोल एवं रेगुलेशन एक्ट लगाने पर विचार

*8--श्री खड़क सिंह बोहरा--

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में भूमिगत जल संरक्षण की कोई नीति न होने के कारण क्या सरकार भूमिगत जल के हो रहे दुरूपयोग को देखते हुए भूमिगत जल संरक्षण के लिए ग्राउण्डवाटर कन्ट्रोल एवं रेगुलेशन एक्ट लगाने पर विचार कर रही है?

यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

यदि नहीं , तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त--

जी हाँ।

यह प्रकरण उत्तराखण्ड राज्य की प्रस्तावित "जलनीति" के अन्तर्गत विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

श्री खड़क सिंह बोहरा–

मान्यवर, जो उपभोक्ता अभी ग्राउण्डवाटर का प्रयोग कर रहा है, उन्होंने मशीन लगा रखी है, क्या सरकार उनसे टैक्स ले रही है?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, अपने व्यक्तिगत आधार पर ग्राउण्डवाटर का उपयोग जो उपभोक्ता कर रहे हैं, वर्तमान में हम अद्यतन तो उनसे कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। यह प्रकरण विचाराधीन है। चूँकि ये प्रकरण कुमाऊँ और गढ़वाल वाटर एक्ट, 1975 के आधार पर आच्छादित है, शीघ्र ही कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत रानीखेत में पेयजल योजना पर विचार

*9–श्री करन मेहरा–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रानीखेत में गगास पम्पिंग योजना के बार–बार खराब होने के कारण वहां के नागरिकों को अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है?

यदि हाँ, तो सरकार रानीखेत की पेयजल योजना हेतु अविलम्ब कोई उठाने जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत में गगास नदी से पम्पिंग योजना वर्ष 1975 में मूलतः रक्षा विभाग हेतु डिपोजिट कार्य के अन्तर्गत निर्मित की गयी है, जिसकी जल वितरण व्यवस्था एम०ई०एस० द्वारा सुनिश्चित की जाती है। योजना की डिजाइन अवधि वर्ष 2005 में पूर्ण हो गयी है। रक्षा विभाग द्वारा इस योजना के पुनर्गठन हेतु रू0 1666.00 लाख की योजना तैयार कर उपलब्ध करायी थी, जो स्वीकृत की गयी है। योजना पर अब तक रू0 625.00 लाख का धनावंटन किया जा चुका है। योजना के पुनर्गठन प्रस्ताव में राईजनिंग मेन व पम्प बदलने का भी प्राविधान सम्मिलित है।

गगास नदी से जी.आई.एम.एस रानीखेत पुनर्गठन पेयजल योजना के निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

योजना के कार्य वर्ष, 2012 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में प्रश्न करें।

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मान्यवर, गगास नदी में जो 1975 में पम्पिंग योजना बनी उसमें कुल कितनी जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? इसमें कैन्टोनमैंट में रहने वाले सिविल पॉपुलेशन को कितना पानी ताड़ीखेत विकास खण्ड को कितना पानी क्षेत्र में दिये जाने का प्राविधान है?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह योजना हम 2012 तक पूरी कर लेंगे, उसके आधार पर हमने पूरी कार्य योजना बना दी है। अगर उस कार्य योजना का विस्तृत विवरण चाहेंगे तो वह भी मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त।

अतारांकित प्रश्न

जनपद देहरादून अन्तर्गत लम्बित धंघोड़ा चांदमारी पेयजल योजना पर की गई कार्यवाही

1–श्री गणेश जोशी–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत धंघोड़ा चांदमारी पेयजल योजना का पुनर्गठन का प्रस्ताव वर्ष 2002 से लम्बित है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त योजना हेतु कोई कार्यवाही की गयी है?

यदि हाँ, तो क्या,

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

धंघोड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना अनुमानित लागत रू0 375.78 लाख राज्य सैक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में 155 एल0पी0सी0डी0 की दर से विरचित की गयी थी,

जी हाँ।

दिनांक 01.12.2006 से स्लैप पद्धति लागू हो जाने के कारण स्लैप पद्धति के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 155 एल0पी0सी0डी0 की दर पर योजना विरचित किया जाना अनुमन्य नहीं है। नगरीय क्षेत्रों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों को पैरी अरबन क्षेत्र घोषित करने का प्रकरण गतिमान है।

लागू नहीं।

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या–9 के पश्चात प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

देहरादून से मालदेवता पी0पी0सी0एल0 हेतु नियमित बस सेवा

2–श्री गणेश जोशी–

2. क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि ग्राम पंचायत खैरी मानसिंह के अन्तर्गत देहरादून से मालदेवता, पी0सी0एल0 के लिये रायपुर रूट पर प्राइवेट बसों का संचालन कतिपय चुनिन्दा बस संचालकों द्वारा किया जा रहा है?

क्या यह सत्य है कि इन बस संचालकों द्वारा उक्त रूट पर बस का नियमित संचालन नहीं कराया जाता जिससे स्कूली बच्चों/कर्मचारियों एवं क्षेत्रवासियों को 15–20 किलोमीटर पैदल का सफर तय करना पड़ता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत खैरी मानसिंह, थेवा मालदेवता, अस्थल, सेरकी, सरखेत, टिमली मानसिंह अदि गाँवों को जाने के लिये देहरादून से मालदेवता, पी0पी0सी0एल0 हेतु नियमित नगर बस सेवा संचालन वर्तमान में प्रेमनगर से रायपुर बस सेवा को मालदेवता, पी0पी0सी0एल0 तक बढ़ाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग पर 14 परमिट धारकों द्वारा बसों का संचालन किया जा रहा है।

क्षेत्रवासियों स्कूली बच्चों/कर्मचारियों को मालदेवता से देहरादून शहर के लिये देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग की बस सेवा उपलब्ध है।

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–87 (जो कि उत्तराखण्ड में भी लागू है.) के प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन के नोटिफिकेशन संख्या–2134/तीस–दो–14–240–93 दिनांक 05–08–94 द्वारा नगर में 20 किमी0 से विशेष परिस्थितियों में 25 किमी0 तक परिवहन निगम के साथ–साथ निजी आपरेटरों को नगर बस सेवा संचालन की अनुमति दी गई है। प्रेमनगर–रायपुर नगर बस मार्ग की लम्बाई 24 किमी0 है। इस मार्ग को रायपुर से पी0पी0सी0एल0 तक बढ़ाने से मार्ग की दूरी 09 किमी0 और बढ़ जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौढी में गौरादेवी कन्याधन योजना द्वारा लाभान्वित लोगों का विवरण

3–श्रीमती अमृता रावत–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढी गढ़वाल के अन्तर्गत गौरादेवी कन्याधन योजना से लाभान्वित हेतु वर्ष 2006–07 से वर्ष 2009–10 तक प्राप्त आवेदन पत्रों तथा लाभार्थियों का वर्ष वार विवरण क्या है और योजना से लाभान्वित होने की प्रत्याशा में कितने आवेदन कब–कब से लम्बित हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि इन अवशेष आवेदन कर्ताओं को गौरा देवी कन्याधन योजना से कब तक लाभान्वित किया जाएगा?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद पौढी–गढ़वाल में गौरादेवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 से वर्ष 2009–10 तक प्राप्त आवेदन पत्रों तथा उनके सापेक्ष लाभार्थियों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है–

वर्ष	प्राप्त आवेदनपत्र	लाभार्थियों की संख्या	लम्बित आवेदनपत्र
2006–07	326	180	146
2007–08	1,035	516	519
2008–09	1,107	647	460
2009–10	874	284	590

बजट की उपलब्धता के आधार पर अवशेष आवेदनकर्ताओं को गौरादेवी कन्याधन योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।

4–श्रीमती अमृता रावत–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

जनपद देहरादून अन्तर्गत गजियावाला, गंगोल, पंडितवाड़ी, भितरली खेड़ा आदि ग्रामों के मार्गों पर परिवहन सुविधा

5–श्री गणेश जोशी–

5. क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गजियावाला, गल्जवाड़ी, गंगोल, पंडितवाड़ी, इन्द्रानगर, बिष्टगांव, भारतवाला, सीगली, रिखौली, भितरली खेड़ा, गोपीवाला आदि ग्रामों में यातायात की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है?

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त क्षेत्र के लोगों को देहरादून शहर आने के लिये 15–20 किलोमीटर पैदल का सफर तय करना पड़ता है?

यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मार्गों पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

जी हाँ।

उक्त क्षेत्र की जनता को देहरादून शहर आने के लिये सप्लाई डिपो तक पैदल आना पड़ता है। सप्लाई डिपो से शहर आने के लिये देहरादून–घंघोड़ा कैन्ट की बस सेवा उपलब्ध है।

मार्ग निर्धारण (Route Formulation) की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

आई0टी0आई0 थत्यूड़ व नैनबाग में संचालित पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध अनुदेशकों के पद

6–श्री ओम गोपाल–

क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि आई0टी0आई0 थत्यूड़ व आई0टी0आई0 नैनबाग में कौन–कौन से व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, और कौन–कौन से व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अनुदेशक के पद उपलब्ध नहीं हैं, और कौन–कौन से व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अनुदेशक के पद उपलब्ध है?

क्या मंत्री जी छात्र/छात्राओं को भविष्य को दृष्टिगत रखते हुये रिक्त अनुदेशकों के पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री रमेश पोखरियाल "निशंक")–

आई0टी0आई0 थत्यूड़ में इलैक्ट्रीशियन, आशुलिपि हिन्दी एवं प्लम्बर व आई0टी0आई0 नैनबाग में आशुलिपि हिन्दी, कटिंग स्वीइंग तथा टूरिज्म गाइड व्यवसायिक पाठ्यक्रम स्वीकृत हैं और सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अनुदेशक के पद स्वीकृत हैं, जिनमें संविदा पर अनुदेशक तैनात हैं।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी अन्तर्गत कटखेत पेयजल योजना पर स्वीकृति

7—श्री ओम गोपाल—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड थौलधार के अन्तर्गत कटखेत पेयजल योजना की स्वीकृति प्रदान करेंगे?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त—

बागोन पुनर्गठन पेयजल योजना अनु0 लागत रू0 56.79 लाख जिसमें कटखेत भी सम्मिलित है, पूर्व से ही स्वीकृत है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नदियों नालों व गधेरों में डैम या झील बनाकर जल प्रवाह बढ़ाने हेतु कार्य योजना

8—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि राज्य में बहने वाली नदियों के जलस्राव की कमी को रोकने के लिये महामहिम राज्यपाल द्वारा विगत वर्ष अपने अभिभाषण में नदियों में निरंतर एक सा जलप्रवाह बना रखने हेतु नदी, नालों पर छोटी—छोटी झील या डैम बनाकर पानी को रोकने की योजना रखी थी?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में इसके अन्तर्गत किन—किन नदियों, नालों व गधेरों में डैम या झील बनाकर जलप्रवाह को बढ़ाया गया है?

क्या सरकार जनपद अल्मोड़ा के भिकियासैंण विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कोई योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

जी हाँ।

कुमायूं मण्डल में 4 वृहद योजनायें तथा गढ़वाल मण्डल में 47 लघु योजनायें, कुल 51 चैक डैम/छोटे-छोटे जलाशयों का निर्माण कर जलप्रवाह को बढ़ाने हेतु कार्य किया गया है। इसी प्रकार कुमायूं मण्डल में 3 तथा गढ़वाल मण्डल में 9 कुल 12 जलाशयों के निर्माण की योजनायें निर्माणाधीन हैं, तथा इसके अतिरिक्त कुमायूं मण्डल में 10 तथा गढ़वाल मण्डल में 27 कुल 37 योजनाओं हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

भिकियासैंण विधान सभा क्षेत्र के नदी एवं नालों पर सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। कार्यस्थल एवं योजना उपयुक्त पाये जाने पर योजनायें प्रस्तावित की जायेंगी।

योजनायें उपयुक्त पाये जाने पर प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित की जायेंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

वृद्धावस्था व विकलांग पेंशन हेतु निर्धारित आयु

9-श्री सुरेन्द्र सिंह जीना--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आय प्रमाण पत्र के आधार पर वृद्धावस्था विधवा भरण पोषण व विकलांग पेंशन की निर्धारित आयु क्या है?

क्या 65 वर्ष की आयु वर्ग से अधिक के आवेदकों को पेंशन अनुमन्य है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार 65 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को वृद्धावस्था पेंशन देने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी--

आय प्रमाण पत्र के आधार पर वृद्धावस्था पेंशन योजना की निर्धारित आयु सीमा 60 वर्ष से अधिक है। निराश्रित विधवा एवं विकलांग भरण पोषण योजना के अन्तर्गत निर्धारित आयु सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष है।

जी हाँ।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत चौबट्टाखाल में बस सेवा का संचालन

10–श्रीमती अमृता रावत–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान चौबट्टाखाल स्थित तहसील तक प्रातः आने तथा सांय जाने के लिये पोखड़ा से कोई बस सेवा संचालित नहीं है जिसके कारण ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों से जूझना पड़ रहा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार चौबट्टाखाल स्थित तहसील आने तथा सांय पोखड़ा की ओर जाने के लिये अतिरिक्त बस सेवा संचालित किये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

श्री बंशीधर भगत–

जी नहीं।

चौबट्टाखाल–पोखड़ा मार्ग सूची संख्या–1 में सम्मिलित है। जिस पर कोटद्वार से पोखड़ा तक प्रतिदिन बस सेवा संचालित है जो सांय 4.30 बजे पोखड़ा पहुंचती है और दूसरे दिन प्रातः 7:30 बजे पोखड़ा से कोटद्वार को प्रस्थान करती है।

जी नहीं।

चौबट्टाखाल–पोखड़ा के बीच दूरी 32 किमी0 है। जिस पर उपरोक्तानुसार बस सेवा उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त मार्ग पर आवागमन हेतु टैक्सी/मैक्सी कैब वाहनों का संचालन होता रहता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद नैनीताल में हल्द्वानी–रामनगर मोटर मार्ग में बाईपास मार्गों पर बसों के संचालन पर कार्यवाही

11–श्री खड़क सिंह बोहरा–

11. क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि नैनीताल जनपद के अन्तर्गत हल्द्वानी–रामनगर मोटर मार्ग में चकलुवा–देवीपुरा–कालाढुंगी बाईपास मोटर मार्ग पर बस सेवाएं संचालन करने की मांग ग्रामीण वर्षों से करते आ रहे हैं?

क्या जनता की मांग पर परिवहन विभाग ने इस मार्ग पर चलने वाली प्राईवेट बसों के परमिटों में अंकन किया है, कि बसें चकलुवा–देवीपुरा–कालाढुंगी बाईपास मार्ग से ही चलेंगी?

यदि हाँ, तो क्या बाईपास मार्ग पर बसों का संचालन हो रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों और क्या परिवहन विभाग ने इन बस संचालकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी में मोटर मार्गों के निर्माण से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं का विवरण व मरम्मत हेतु प्रयास

12. श्रीमती अमृता रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत मोटर मार्गों के निर्माण/विस्तार अथवा डामरीकरण से क्षतिग्रस्त ऐसी पेयजल योजनाओं का विवरण क्या है जिनका अभी तक जीर्णोद्धार/अनुरक्षण नहीं हो पाया है और जिन योजनाओं से जलापूर्ति लगभग बन्द चली आ रही है? इन योजनाओं के क्षतिग्रस्त होने की तिथि क्या है?

तथा इनकी मरम्मत/जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में अब तक किये गये प्रयासों का विवरण क्या है?

तथा कब तक इन योजनाओं से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी?

श्री प्रकाश पन्त–

जनपद पौड़ी की वर्तमान में कुल 63 पेयजल योजनायें सड़क निर्माण से क्षतिग्रस्त हुई हैं जिनका विवरण संलग्न है (संलग्न–1)†

मरम्मत/जीर्णोद्धार के लिए धनावंटन हेतु लोक निर्माण विभाग से लगातार पत्राचार/व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया।

अधिकांश पेयजल योजनाओं से अस्थाई रूप से जलापूर्ति हो रही है परन्तु क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं का निर्माण लोक निर्माण विभाग से वांछित धनराशि प्राप्त होने पर निर्भर करेगा।

---

† (देखिये नत्थी "क" के आगे पृष्ठ संख्या पर 196–197 पर)

जनपद देहरादून अन्तर्गत राजपुर क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाये जाने पर विचार

13–श्री गणेश जोशी–

क्या पेयजल मंत्री अवगत है कि राजपुर विधानसभा क्षेत्र के नीलकण्ठ बिहार, आर्यनगर, मानसिंहवाला, तल्ला सालावाला में सीवर व्यवस्था नहीं है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सीवर लाईन बिछाये जाने हेतु कोई योजना बनाये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

जी हाँ।

उक्त क्षेत्र में सीवर लाईन बिछाये जाने हेतु परीक्षण कार्य प्रगति पर है। परीक्षणोपरान्त उक्त क्षेत्र में सीवर लाईन बिछाने का प्रस्ताव ए०डी०बी० अथवा जे०एन०एन०यू०आर०एम० कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु शीघ्र ही शहरी विकास विभाग को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में पिरान कलियर शरीफ में हज हाउस के निर्माण के सम्बन्ध में

14–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

14. क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि विश्व विख्यात धार्मिक स्थल पिरान कलियर शरीफ (जनपद हरिद्वार) में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों से आने वाले जायरीन धर्मावलम्बियों की सुविधा हेतु "हज हाउस" का निर्माण विगत् सरकार द्वारा प्रारम्भ कराया गया था?

यदि हाँ, तो क्या सत्य है कि वर्तमान सरकार द्वारा उक्त भवन के निर्माण को रोक दिया गया है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त भवन के निर्माण को कब स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था तथा लागत हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि का कितना धन अब तक निर्माण में व्यय किया जा चुका है तथा कितनी भूमि उक्त परिसर के निर्माणार्थ उपयोग में लायी जाएगी?

क्या मंत्री जी उक्त स्थल परिसर निर्माण कार्य रूकवाए जाने के कारण स्पष्ट करेंगे तथा कब तक उक्त स्थान पर निर्माण कार्य पूरा कराएगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

दिनांक 29.03.2003 को निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

निर्माण कार्य माह अगस्त, 2003 से प्रारम्भ किया गया। रू0 595.17 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी, जो शतप्रतिशत व्यय की जा चुकी है, हज हाउस के निर्माण हेतु 0.462 हेक्टेयर भूमि आवंटित है जिसे उपयोग में लाया जा रहा है।

निर्माणधीन हज हाउस, रूड़की जनपद हरिद्वार के निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण तथा भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है, आख्या प्राप्त होने के उपरान्त ही हज हाउस के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में पदोन्नति हेतु डी0पी0सी0 की कार्यवाही

15–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 27 जुलाई, 2009 को विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों की डी0पी0सी0/पदोन्नति करायी गयी थी ?

यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों की? क्या इन कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश की प्रति प्राप्त करा दी गयी है?

यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

खादी एवं ग्रामोद्योग की सेवा नियमावली विचाराधीन है। नियमावली बनने पर पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

उच्च शिक्षा हेतु अ0जा0अ0जन0 के छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा बढ़ाने पर विचार

16–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति के छात्रों को उनके अभिभावकों की अधिक से अधिक कितनी मासिक एवं वार्षिक आय पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है?

क्या सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु उनके अभिभावकों की आय की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रूपये 1,00,000 निर्धारित की गई है।

जी नहीं।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित योजनाएं हैं। उत्तराखण्ड राज्य में इनका संचालन भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाता है तथा इन नियमों में परिवर्तन भी भारत सरकार के स्तर से ही किया जा सकता है।

जनपद देहरादून अन्तर्गत अनु0 जनजाति सहकारी संघ विकास नगर के सेवानिवृत्त सचिव को कार्यमुक्त न किये जाने के कारण

17–श्री गोपाल सिंह राणा–

1. क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के विकास नगर में अनुसूचित जनजाति, जनजाति सहकारी संघ विकासनगर जनपद देहरादून में पूर्व में कार्यरत सचिव सेवानिवृति के उपरान्त भी उक्त संघ में कार्यरत हैं?

2. क्या सरकार द्वारा उन्हें सेवाविस्तार दिया गया है? यदि नहीं तो उक्त को अभी तक कार्यमुक्त न किये जाने के क्या कारण है?

3. क्या सरकार उन्हें तत्काल कार्यमुक्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं। (मा0 उच्च न्यायालय के स्थगनादेश दिनांक 09–08–07 के क्रम में कार्यरत है।)

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून में बिन्दाल एवं रिस्पना नदी के किनारे चैक डैम एवं जाल/पुश्ता लगाये जाने हेतु योजना

18–श्री गणेश जोशी–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून की बिन्दाल एवं रिस्पना नदी में बरसात में अधिक पानी आने से आस–पास की भूमि का कटाव हो जाता है ?

यदि हाँ, तो सरकार बिन्दाल एवं रिस्पना नदी के किनारे चैक डैम एवं जाल/पुस्ता लगाये जाने हेतु कोई वृहद योजना बनाये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जनपद देहरादून की बिन्दाल एवं रिस्पना नदी से आबादी एवं भूमि की सुरक्षा हेतु जाल/पुस्ता निर्माण की 4 योजनायें निर्माणाधीन हैं। धनराशि के अभाव में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

धनराशि उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद देहरादून के मसूरी में अतिरिक्त पेयजल योजना पर विचार

19–श्री गणेश जोशी–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि मसूरी में पेयजल की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पाती है?

यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि पूरे मसूरी क्षेत्र को आज भी उतना पानी उपलब्ध कराया जाता है जो राज्य निर्माण से पूर्व उपलब्ध कराया जाता था?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मसूरी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त पेयजल योजना बनाये जाने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

जी नहीं।

परन्तु मसूरी के कुछ क्षेत्रों में कभी–कभी पेयजल की आपूर्ति की समस्या रहती है।

राज्य निर्माण के बाद मसूरी क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति में वृद्धि की गयी है।

जी हाँ।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मसूरी नगर क्षेत्र हेतु गठित प्राक्कलन रू0 16.09 करोड़ पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत बुरांशखण्डा पेयजल योजना हेतु दो नग–डी0जी0 सैट के अधिष्ठापन पर विचार

20–श्री गणेश जोशी–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि देहरादून जनपद के अन्तर्गत बुरांशखण्डा पेयजल योजना दो–नग डी0जी0 सैट के अधिष्ठापन का प्राक्कलन लम्बित है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पेयजल योजना हेतु दो–नग डी0जी0 सैट के अधिष्ठापन पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

वर्तमान में किसी भी ग्रामीण पेयजल योजना पर डी0जी0 सैट अधिष्ठापित नहीं है। ग्रामीण पम्पिंग पेयजल योजनाओं पर डी.जी. सैट अधिष्ठापित किये जाने हेतु नीति निर्धारित कर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल में कालाढूंगी बन्दोबस्ती में बाढ नियंत्रण हेतु योजना

21–श्री खड़क सिंह बोहरा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बौर नदी से जनपद नैनीताल के कालाढूंगी बन्दोबस्ती ग्राम में प्रतिवर्ष हो रहे भारी भू–कटाव एवं आबादी के खतरे को देखते हुए बाढ नियंत्रण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ, बौर नदी से जनपद नैनीताल के कालाढूंगी बन्दोबस्ती ग्राम की सुरक्षा हेतु लागत रूपये 94.46 लाख की योजना का गठन किया गया है।

उक्त योजना का अनुमोदन राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा कर दिया गया है। अग्रेत्तर कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद ऊधमसिंह नगर में पिछले एक वर्ष में हुई सड़क दुर्घटनाओं में मृत व घायल व्यक्तियों का विवरण

22–श्री हरभजन सिंह चीमा–

22. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में पिछले एक वर्ष में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं तथा दुर्घटनाओं से प्रभावित मृत एवं घायल हुए व्यक्तियों के मासिक आंकड़े क्या हैं?

क्या सरकार दुर्घटनाओं पर भविष्य में रोक लगाए जाने हेतु कोई उचित कार्यवाही करने जा रही है?

यदि हाँ, तो उसका प्रारूप क्या होगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

जनपद ऊधमसिंह नगर में पिछले वर्ष 2009 में माह जनवरी से दिसम्बर तक हुई सार्वजनिक सेवायन दुर्घटनाओं से प्रभावित मृत एवं घायल हुए व्यक्तियों के मासिक आंकड़े निम्नवत है:–

माह	कुल दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
जनवरी	01	0	10
फरवरी	0	0	0
मार्च	0	0	0
अप्रैल	2	0	30
मई	0	0	0
जून	0	0	0
जुलाई	0	0	0
अगस्त	0	0	0

सितम्बर	2	1	9
अक्टूबर	1	1	0
नवम्बर	6	4	44
दिसम्बर	0	0	0
योग	12	6	93

जी हाँ।

उपरोक्त हेतु प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है, जो सतत प्रक्रिया है। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह जनवरी तक की गयी प्रवर्तन कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:–

ओवर लोडिंग	5.508
बिना फिटनेस	3.761
वाहन की यांत्रिक दशा खराब होना	20
यात्री वाहनों में लटक कर यात्रा करना	215
लापरवाही अथवा खतरनाक ढंग से वाहन चलाना	412
तेज रफ्तार	187
बिना चालक लाईसेन्स	9380
लाईट खराब होना	330
भार वाहनों में यात्री ढोना	432
अनाधिकृत एलपीजी किट	25

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत में एस.सी.पी/टी0एस0पी0 योजना अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में उपलब्ध धनराशि का विभागवार ब्यौरा

23–श्री महेन्द्र सिंह माहरा 'महू भाई'–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत में एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी?

उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विभागवार ब्यौरा क्या है?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद चम्पावत को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का वर्षवार विवरण निम्नवत है–

योजना/मद का नाम	वर्ष 2006–07 में आवंटित धनराशि	वर्ष 2007–08 में आवंटित धनराशि	वर्ष 2008–09 में आवंटित धनराशि
अनुसूचित जाति उप योजना	1336.68	1189.07	550.27
जनजाति उपयोजना	18.49	22.06	11.45

उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विभागवार ब्यौरा संलग्न है। †

जनपद चम्पावत के दिगाली चौड एवं बाराकोट में स्वीकृत आई0टी0आई0

24–श्री महेन्द्र सिंह माहरा 'महू भाई'–

24. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के दिगाली चौड एवं बाराकोट में आई0टी0आई0 स्वीकृत किये गये हैं?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

वर्ष 2006 में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के अल्चौना में फ्लोरीकल्चर पार्क एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य

25–श्री प्रीतम सिंह–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अल्चौना में सरकार फ्लोरीकल्चर पार्क एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किस उद्देश्य से की गई?

† (देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ संख्या 108–139 पर)

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिस उद्देश्य से उक्त प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है उसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है?

यदि हाँ, तो कब से?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

जनपद नैनीताल की अल्चौना में फ्लोरीकल्चर पार्क की स्थापना विभिन्न प्रकार के बल्ब वाले फूलों यथा ग्लैड्यूला, ट्यूलिप, डैफोडिल लिलियम एवं आयरिस इत्यादि के बल्ब के उत्पादन एवं निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा किसानों को फूलों की खेती के बारे में जानकारी एवं प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गई है।

जी हां।

जून 2009

प्रश्न नहीं उठता।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री किशोर उपाध्याय, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री नारायण पाल, श्रीमती अमृता रावत, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सुश्री कैरन मेयर तथा श्री ओम गोपाल की कुल 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री किशोर उपाध्याय, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री नारायण पाल, श्रीमती अमृता रावत, सुश्री कैरन मेयर तथा श्री ओम गोपाल की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूं। शेष सूचना अस्वीकार हुई।

*श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, नियम–310 में भी हमारी सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। अभी देखता हूँ।

प्रश्नकर्ता सदस्य के अनुपस्थिति में दूसरे सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय स0वि0स0 द्वारा व्यवस्था का प्रश्न

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

क्या अव्यवस्था आ गई किशोर जी।

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, जब कोई प्रश्न सदन में उपस्थित हो जाता है तो वह सदन की सम्पत्ति हो जाता है। मान्यवर, कल प्रश्न संख्या–11 एवं 12 थे। मान्यवर, बहुत से सदस्य उसमें अभिरूचि रखते थे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मना नहीं किया। मैंने हमेशा अवसर दिया है। यदि माननीय सदस्य अनुपस्थित हो तब भी अवसर दिया है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, अब तो संसद में यह हो गया है कि अगर प्रश्नकर्ता सदस्य अनुपस्थित है तो दूसरे माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। मान्यवर, आप का विनिश्चिय इस पर आ जाए।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य अनुपस्थित है और यदि कोई अन्य माननीय सदस्य जिज्ञासा व्यक्त करते हैं तो उन्हें अवसर दिया जायेगा।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, धन्यवाद।

*श्री शहजाद–

मान्यवर, हमारी भी नियम–310 में सूचना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अभी देखता हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के वि0ख0 गदरपुर व रूद्रपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बी.पी.एल. सूची में सम्मिलित लोगों को इन्दिरा आवास का लाभ न मिलने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना.

*श्री प्रेमानन्द महाजन–

[मान्यवर, माननीय सदन को अवगत कराना है कि जिला ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर व रूद्रपुर के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित लोगों के लिए इन्दिरा आवास योजनाओं के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुछ लोगों के लिए आवास आये हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में बी0पी0एल0 सूची के अनुसार सबको मकान मिलने की बात पूर्व में अधिकारियों द्वारा कही गयी थी, किन्तु बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित ग्राम पंचायतवार कुछ लोगों को इन्दिरा आवास नहीं मिला है।

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन्दिरा आवास से वंचित लाभार्थियों को स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रतीक्षा सूची में नाम सम्मिलित नहीं होना बताया जा रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों ने जानबूझकर बी0पी0एल0 सूची में से एक अलग सूची प्रतीक्षा सूची के नाम से बनाई है, जिसमें स्थानीय अधिकारियों द्वारा कुछ न कुछ गडबडी की गयी है जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर विकास खण्ड गदरपुर, रूद्रपुर में गरीब आवास विहीनों को इन्दिरा आवास न मिलने से वहाँ की जनता में भारी असंतोष व्याप्त है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर माननीय सदन की कार्यवाही रोक कर नियम–300 के अन्तर्गत त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नई टिहरी नागरिक मंच द्वारा वहां की समस्याओं के निराकरण हेतु किए जा रहे आंदोलन के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना,

श्री किशोर उपाध्याय–

[मान्यवर, टिहरी के विस्थापितों द्वारा सरकार द्वारा उनके साथ किये गये वायदों को पूरा न करने के संबंध में तथा अन्य नागरिक सुविधाओं के अभाव के विरोध में दिनांक 21–3–2010 से क्रमिक एवं आमरण उपवास आरम्भ कर दिया गया है। वहाँ का जनमानस सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये से आहत एवं आन्दोलित है। स्थिति दिन प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व की सूचना पर नियम–300 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

जनपद हरिद्वार के वि0ख0 भगवानपुर में जिला योजना के अन्तर्गत सोनाली नदी पर बसे ग्राम शाहपुर तथा मानकमाजरा की बाढ़ एवं कटाव नियंत्रण हेतु अधूरी योजना को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना,

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, हरिद्वार जनपद के ब्लॉक भगवानपुर में जिला योजना के अन्तर्गत सोनाली नदी पर बसे ग्राम शाहपुर की बाढ़ सुरक्षा हेतु वर्ष 2009–10 योजना की लागत 107.77 लाख एवं ग्राम मानकमाजरा की बाढ़ एक कटाव हेतु सोनाली नदी पर नियंत्रण कार्य योजना लागत 65.62 लाख स्वीकृत की गयी थी। उपरोक्त दोनों योजनाओं में क्रमशः 15 लाख तथा 8 लाख रूपये वर्ष 09–10 में अनुमोदित किये गये थे। जिससे उक्त दोनों योजना अधूरी है। गाँव की भूमि के साथ आबादी को भी भारी खतरा है। जनता उक्त कार्यों को अतिशीघ्र बरसात से पहले करवाना चाहती है इसलिए उक्त दोनों योजनाओं के लिए राज्य सेक्टर से धन की व्यवस्था कर कार्य इस वित्तीय वर्ष या अगले

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष में बरसात से पूर्व कराये जाने हेतु कार्यवाही करें। कार्यवाही न होने के कारण जनता आन्दोलन कर सकती है। इस अति लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र में जनता कनेक्शनों के विद्युत उपभोक्ताओं की समस्या व भारी बिल आने की समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नारायण पाल–

[जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों, जहाँ पर सरकार द्वारा वर्षों पूर्व गरीबों को उनकी माँग के अनुरूप जनता कनेक्शन व कुटीर ज्योति के नाम से विद्युत की सुविधा दी गयी थी। यह सुविधा गाँवों के बी0पी0एल0 व उससे भी नीचे का जीवन स्तर यापन कर रहे लोगों के लिए थी। कनेक्शन लगने के बाद पहले तो विद्युत विभाग ने जनता कनेक्शन लगा चुके लोगों से वर्षों तक कोई विद्युत शुल्क नहीं लिया। लेकिन अब उनके पास बीस से पचास हजार रूपये के भारी बिल भेजे जा रहे हैं। जो कि इन गरीब परिवारों के साथ सरासर अन्याय व धोखा है। क्योंकि उन्हें फ्री कनेक्शनों के नाम पर कनेक्शन दिये गये थे। यहाँ के बिल चुकाने में असमर्थ सैकड़ों लोगों के कनेक्शन भी विभाग ने काट दिये हैं।

मैं इस लोक महत्व के विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत विद्यालय भवनों की जीर्ण–शीर्ण स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मुझे आपकी अनुमति से सम्मानित सदन को अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत निम्न विद्यालय भवनों की स्थिति अत्यधिक जीर्ण–शीर्ण बनी हुई है। जिसके कारण जहां शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है, वहीं कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित होने की आशंका बनी हुई है।

यद्यपि मैं बराबर ही विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारियों का ध्यान इन विद्यालय भवनों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करते हुये दुर्घटना होने की आशंका व्यक्त करती आ रही हूं। किन्तु अनेक स्मरण पत्रों के बावजूद भी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही और उसके परिणामों की जानकारी नही मिल पा रही है।

मेरा मान्यवर से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत निम्न जीर्ण–शीर्ण विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार करने/करवाने हेतु सरकार को निर्देशित किया जाय। ताकि विद्यालय परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और प्रभावित हो रही शिक्षण व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा सके।

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*सदस्यों ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क0	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड
1.	श्री हंस महाराज राजकीय इण्टर कालेज, पोखड़ा	पोखड़ा
2.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नाई	पोखड़ा
3.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, दिवोलीखाल	पोखड़ा
4.	राजकीय उच्चर माध्यमिक विद्यालय, जिवई	बीरोंखाल
5.	राजकीय इण्टर कालेज, बेदीखाल	बीरोंखाल
6.	राजकीय कन्या इण्टर कालेज, खितोटिया	बीरोंखाल
7.	राजकीय कन्या इण्टर कालेज, बीरोंखाल	बीरोंखाल

धनोल्टी विधान सभा के विभिन्न मोटर मार्गों पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसें संचालित किए जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना,

*सुश्री केरन मेयर-

[मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत निम्नलिखित मोटर मार्गों पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसें संचालित किये जाने की मांग जनमानस द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। इन मार्गों पर परिवहन निगम की बसों के संचालन से जनपद देहरादून, टिहरी व उत्तरकाशी के साथ-साथ पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। किन्तु अब तक भी सरकार द्वारा इन मोटर मार्गों पर परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं किया जा सका है:-

1- देहरादून से विकासनगर, नैनबाग, घोड़ाखुरी, एन्दी बनचौरा होते हुये उत्तरकाशी। (रात्रि विश्राम)

2- देहरादून से आनन्दचौक, सत्यों होते हुये सिद्धपीठ सुरकण्डा से नई टिहरी एवं इसी रूट पर वापस रात्रि विश्राम हेतु देहरादून।

3- देहरादून से मसूरी होते हुये सुवाखोली थत्यूड़ से ख्यार्सी गरखेत, यमुना ब्रिज, विकासनगर होते हुये वापस रात्रि विश्राम देहरादून।

अतः मैं मा0 सदन में इस अविलम्बनीय लोकहित के प्रश्न को नियम-300 के तहत त्वरित कार्यवाही हेतु रखे जाने की मांग करती हूँ।]

लघु सिंचाई विभाग की प्रस्तावित योजनाओं का प्रस्ताव वांछित धनराशि सहित भारत सरकार को भेजे जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना,

*श्री ओम गोपाल-

मान्यवर, अवगत कराना है कि प्रदेश के सभी जिलों हेतु लघु सिंचाई विभाग द्वारा शासन को रुपये 4.30 सौ करोड़ के गूल, हौज, हाईड्रम आदि योजनाओं के निर्माण

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हेतु प्रस्ताव समय से भेजे जा चुके हैं किन्तु शासन द्वारा भारत सरकार से उक्त योजनाओं हेतु लगभग रूपये 300 करोड़ प्राप्त करने हेतु योजनाओं के प्रस्ताव अभी तक भारत सरकार को न भेजे जाने के कारण उक्त धनराशि को अवमुक्त नहीं कराया जा सका है जिस कारण इस वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन तक उक्त धनराशि भारत सरकार से अवमुक्त हो पाना प्रतीत नहीं होती यदि समय से उक्त योजनाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित कर दिये जाते तो प्राविधानुसार 300 करोड़ रूपये की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी होती उक्त धनराशि न मिलने से राज्य सरकार को बहुत नुकसान होगा तथा प्रदेश भर की लघु सिंचाई विभाग की विभिन्न योजनाओं व विकास कार्यों पर विपरीत असर पड़ेगा । आज ही प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाने की मांग करता हूं।

विषय लोकमहत्व का होने के कारण अविलम्बनीय है अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नियम–66 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री के विरूद्ध अवमान की सूचना पर श्री अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट

(व्यवधान के मध्य)

श्री किशोर उपाध्याय–

मानीय अध्यक्ष जी, मद संख्या 6 में मेरा एक विशेषधिकार हनन का मामला है। (व्यवधान के मध्य)

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, इसमें मेरी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें सूचनी दी थी, आज दी थी या कल दी थी? आप पढ़ तो लें क्या विशेषधिकार का मामला है?

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, कल दी थी इसी 20 तारीख को मेरे विधान सभा क्षेत्र चम्बा में माननीय सिंचाई मंत्री जी, उदघाटन के लिए गये और वहां पर आई0टी0आई0 छात्रावास का भी उद्‌घाटन किया गया। मान्यवर, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और अखबार में मेरा नाम दे दिया गया। निमन्त्रण पत्र में भी नाम छाप दिया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इस प्रदेश में टिहरी जल विकास निगम वर्षों से कार्य कर रहा है और पांच बार ऐसी अवहेलना की गई। मान्यवर, जनप्रतिनिधि की उपेक्षित ही नहीं बल्कि अवहेलना की गयी और लज्जित करने का काम किया गया है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, पूरी बात आने दें।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के और पीठ से स्पष्ट निर्देश है। मान्यवर, केवल माननीय विधायक का अपमान नहीं है बल्कि उस क्षेत्र की पूरी जनता का अपमान है। इस सदन के निर्देश की अवहेलना है और एक बार नहीं पांच बार हो चुका है।

*पेयजल एवं पुनर्गठन मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, जिनके बारे में कहा गया है, वे स्वयं उपस्थित हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, एक दलित छात्रावास का शिलान्यास नई टिहरी में किया गया, उसमें भी यही स्थिति पैदा हुई है। इस प्रकार से पांच प्रकरण हो गये हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि टिहरी जल विकास निगम, मान्यवर, हमारे जनपद के अन्य सदस्यों की भी बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी है।

*सिंचाई एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य किशोर उपाध्याय जी का बहुत सम्मान करता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया पूरी बात तो सुन लें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, कार्यक्रम की सूचना माननीय किशोर उपाध्याय जी को दी गयी, जब मैं चम्बा गया और मैंने कहा जब तक किशोर उपाध्याय जी नहीं आ जायें, तभी शिलान्यास करेंगे। मान्यवर, माननीय सदस्य को मैंने फोन भी किया। आपने कहा मैं डोईवाला में हूँ, लेकिन मान्यवर, मेरा एक कार्यक्रम उत्तरकाशी में 2:00 बजे का लगा हुआ था इसलिए मैं वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रह सका और मेरे पी0आर0ओ0 ने माननीय किशोर उपाध्याय जी को टेलीफोन पर सूचना दी, मैंने भी आपको अवगत कराया।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों का आदर करता हूँ माननीय किशोर उपाध्याय जी, इस प्रकार से आप आरोप मेरे पर लगा रहे हैं यह सरासर गलत है।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी पर मेरा आरोप इतना नहीं है, जितना टिहरी जल विकास निगम पर है। अगर माननीय मंत्री जी ने मुझे सुबह फोन पर सूचना दी है तो कौन सा माननीय मंत्री जी ने हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया था जो मैं समय पर वहां पहुँच जाता। (हंसी) अगर आपको उत्तरकाशी जाना है तो ठीक है, मान्यवर, यह कार्यक्रम कब तय हो गया होगा, जबकि आपने सब कुछ छाप दिये थे। मान्यवर, यह बड़ा चिन्तनीय विषय है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस विषय पर परीक्षण करा लूंगा, अब दोनों की बात आ गयी है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस दिन मेरे पास हेलीकॉप्टर हो जायेगा, मैं माननीय किशोर उपाध्याय जी को दे दूंगा। (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी, आपका विषय आ गया है और माननीय मंत्री जी की भी बात आ गयी है, अब इसका परीक्षण करा लेंगे और उस पर उचित कार्यवाही होगी।

नियम–66 के अन्तर्गत 'राष्ट्रीय सहारा समाचार–पत्र' के विरूद्ध अवमान की सूचना पर श्री अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–66 में मेरी सूचना थी, आज कई दिन हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 23 फरवरी, 2010 को राष्ट्रीय सहारा समाचार–पत्र में रिश्वत लेते धरे गये माननीय को छोड़ा, शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया जो कि अप्रत्यक्ष रूप से मेरे से सम्बन्धित है। उक्त समाचार पूर्ण रूप से, मुख्य रूप से अनर्गल है और असत्य है, के प्रकाशित होने से मेरा अपमान हुआ है जिसकी प्रतिपूर्ति किया जाना असंभव है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने सूचना के अधिकार के तहत मैंने एक सूचना भी मंगायी थी जिसमें सतर्कता सेक्टर द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि दिनांक 23/02/2010 को कोई ट्रेप की कार्यवाही नहीं की गयी। समाचार–पत्रों में प्रकाशित खबर झूठी है, बेबुनियाद है। जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। सतर्कता सेक्टर द्वारा न तो किसी जन प्रतिनिधि/विधायक को न तो पकड़ा गया और न छोड़ा गया और न ही किसी किस्म की कोई बातचीत हुई। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, 23 तारीख की सूचना भी उसके बाद मैंने 20.21.22 तीनों दिन की सूचनाएँ सतर्कता विभाग द्वारा मंगायी। जिसमें

उन्होनें बताया कि न तो इससे पहले और न इसके बाद इस तरह की कोई ट्रैप कार्यवाही हुई है यह असत्य खबर है। माननीय अध्यक्ष जी, आई0 जी0 गढ़वाल द्वारा जब इसकी जाँच की गयी तो उस जाँच में भी, जब मुझसे भी बयान लिये गये और अखबार के बयान लिये गये, तो उसमें उनके द्वारा यह कहा गया है, कि रिश्वत लेने वाले व्यक्ति का नाम, रिश्वत की रकम, घटना का दिनांक, किस प्रकरण में रिश्वत ली गयी आदि महत्वपूर्ण तथ्यों पर अनभिज्ञता जाहिर की है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब उनको यह पता ही नहीं था कि किससे रिश्वत ली है, कब रिश्वत ली है, कितनी रिश्वत ली है तो इस तरह की खबर, माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि इसमें मेरा नाम नहीं छपा था लेकिन इसमें लिखा था कुमाऊँ का एक विधायक और जो किसी निगम का अध्यक्ष भी है।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे अलावा कुमाऊँ का कोई भी विधायक अध्यक्ष नहीं है। मान्यवर, यह पूरी खबर मेरी ओर इंगित की गयी थी। जबकि इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। इस वजह से मेरे क्षेत्र में विपक्षी पार्टियों द्वारा मेरे पुतले जलाये गये। जबकि माननीय अध्यक्ष जी, उस दिन पूरा दिन, जिस दिन की यह घटना थी, इतवार को ही मैं देहरादून पहुँचा हूँ। सोमवार को लोक लेखा समिति की बैठक थी सुबह 11 बजे से ही मैं बैठक में उपस्थित रहा और करीब 2:45 बजे तक बैठक में रहा। माननीय लोक लेखा समिति के अध्यक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी यहाँ पर हैं वे इस बात के गवाह हैं। उसके बाद दिन में मैंने लंच भी नहीं किया था। मैं सचिवालय गया। माननीय विधायक शेर सिंह गढ़िया जी मेरे साथ थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सेल में गया और वित्त विभाग के सेक्शन में गया और उसके बाद हायर एजूकेशन के सेक्शन में गया। माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के कमरे में गया उसके बाद माननीय एस0 के0 द्विवेदी के कमरे में गया और उसके बाद हायर एजूकेशन की अपर सचिव, राधिका झा के यहाँ गया। जहाँ भी गया, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए गया और 6:30 बजे मैं अपने घर आया उसके बाद मैंने अपने क्षेत्र के एस0डी0एम0 से बात की, डी0डी0ओ0 से बात की और आपदा से संबंधित सूचनाओं की मैंने जानकारी ली, और उसके बाद मैंने स्याल्दे कालेज और मनीला कालेज के प्रधानाचार्य से बात की है। इन सारी बातों की डिटेल माननीय अध्यक्ष जी, मेरे फोन के कॉल डिटेल से मिल सकती है। मैं कहां था और मैंने किससे बात की, इसकी सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अगर मुझे कहीं लिखने की जरूरत है तो मैं लिखकर दे सकता हूँ, बी0एस0एन0एल0 वालों को। माननीय अध्यक्ष जी, खाना खाने के बाद मैं 10:30 बजे सो गया था और 11:15 के बाद माननीय अध्यक्ष जी, सारी बातें यहाँ पर आना जरूरी है। क्योंकि विधायक के तौर पर हम लोगों को जाना जाता है और हम लोगों को सच्चाई के तौर पर जाना जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे कर्मचारी ने जब मैं सो रहा था मुझे उठाया और मुझे बताया गया कि किसी पत्रकार का फोन आया।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी लैण्ड लाईन पर फोन किया गया था। फोन सुनने के बाद मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ पर है मुझे लगा रात को कोई मजाक कर रहा है मैंने उससे पूछा कि आपने कहाँ फोन मिलाया है, तो उनका कहना था कि मैंने आपके घर के नं0 पर फोन मिलाया है, मैंने कहा कि मैं अपने घर पर ही हूँ। उसने पूछा कि क्या आपको विजिलेंस ने पकड़ रखा है? मैंने कहा कि मैं घर पर हूँ आप मुझे यहाँ आकर देख सकते हैं। सारी बातें करने के बाद मैंने फोन रख दिया और सो गया। सुबह जब मैं उठता हूँ तो अखबार में खबर छपती है कि रिश्वत लेते हुए माननीय को छोड़ा और पूरी खबर मेरी तरफ इंगित थी और अगर इसको पढ़कर चुप रह जाता तो शायद यह बात सबके सामने आती कि जरूर कुछ न कुछ रहा होगा और बात यह भी आई थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर रहा होगा। और लोग यह भी कह रहे थे कि आग जहाँ लगती है धुआं वहीं उठता है अगर ऐसे में माननीय अध्यक्ष जी, मैं चुप रहता तो शायद यह मान लिया जाता कि जीना जी ने कुछ न कुछ किया होगा। जबकि अपनी पूरी तनख्वाह 3 साल का पूरा वेतन मैंने अपने मान्यवर, आप मेरे पूरे पास बुक की डिटेल चेक कर सकते हैं, आज भी मेरे बैंक में डेढ़ या दो लाख रुपये हैं और आज भी मेरे क्षेत्र में जिनकी पेंशन सरकार ने लगा रखी है, मैं अपने घर से, अपने पिता जी के घर से ट्रस्ट बनाकर हर माह पेंशन बाँट रहा हूँ और इसके बावजूद यह आरोप मुझ पर लगाना यह मेरी सरासर बहुत बड़ी अवमानना हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि उन पत्रकारों, जिन्होंने यह खबर छापी है, शायद इसके पीछे कोई ऐसा बड़ा आदमी होगा जिसने यह खबर दी है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में मैंने सी0बी0आई0 को भी पत्र लिखा है जिसको मैं आपको दे रहा हूँ, हो सकता है कि इस षड्यंत्र के पीछे जब उन्हें सफलता न मिले तो वो मेरी हत्या करने का प्रयास करें, इसलिए मेरी जान को भी खतरा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसकी जाँच होनी चाहिए, दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, यह मैं आपसे मांग करता हूँ और सदन के सारे माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि यह किसी के साथ भी हो सकता है, आज मेरे साथ हुई है, आज हम सब असुरक्षित हैं, हो सकता है कि आज हम यहाँ है और कल हमारे बारे में कुछ भी खबर छाप दी जाए और कोई घटना हो जाए और हमारा नाम लिया जाए, क्योंकि आई0जी0 गढ़वाल ने कहा कि इसमें आपका कहीं नाम नहीं है और इसमें साफ लिखा है कि कुमाऊँ के विधायक हैं वह मेरे अलावा कोई नहीं है। मान्यवर, कल यह खबर आ सकती है कि जिसकी बड़ी-बड़ी मूँछे हैं जिसे यह काम करते हुए पकड़ा गया, तो सदन में दो ही लोग है जिनकी बड़ी-बड़ी मूँछे हैं उनके लिए भी हो सकता है, माननीय अध्यक्ष जी, आपके लिए भी आ सकता है कि किसी विधान सभा के माननीय अध्यक्ष है, आपके लिए भी बिना नाम छापे बात कही जा सकती है, यह मजाक का विषय नहीं है, यह बड़ा मामला है क्योंकि हम लोग अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते है और लोग हमसे प्रेरणा लेते हैं, हम सच्चाई से जाने जाते हैं और इस तरह की खबर आयेगी। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस पर तत्काल कार्यवाही हो और शायद सभी माननीय सदस्य हमसे सहमत

होंगे। (सभी माननीय सदस्यों ने सहमति व्यक्त की) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज दोबारा कह रहा हूँ कि मैं यदि इन 3 साल के कार्यकाल में किसी ठेकेदार को देहरादून लाया हूँ तो मैं राजनिति से इस्तीफा दे दूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना जी ने काफी विस्तार से प्रकरण रखा और बड़ी भावनाओं के साथ जिस सच्चाई को उन्होंने बयान किया और 23 फरवरी, 2010 को जिसकी घटना का आपने उल्लेख किया, चूँकि यह सरकार के संज्ञान में विषय आया तो हमने तत्काल इसकी जाँच के आदेश निदेशक, सर्तकता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड को सौंप दी थी और इनकी इस जांच के माध्यम से अविलम्ब सच्चाई को पता करने के लिए निर्देशित किया था और उन्होंने जाँच रिपोर्ट दी तो निश्चित रूप से यह जाँच काफी बड़े सवाल खड़ी करती है। मान्यवर, पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र ने 6 मार्च, 2010 को शासन को अपनी जाँच रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में अवगत कराया था कि उनके द्वारा दैनिक जागरण एवं राष्ट्रीय सहारा तथा सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त बयान लिये गये और विभाग के अभिलेख भी देखे गये। जाँच के मध्य दैनिक समाचार पत्र "राष्ट्रीय सहारा" एवं "दैनिक जागरण" के प्रतिनिधियों द्वारा जो बयान दिये गये हैं, उसमें तथाकथित रिश्वत देने वाले व्यक्ति का नाम, रिश्वत की रकम, घटना की दिनांक, किस प्रकरण में रिश्वत दी गयी आदि महत्वपूर्ण तथ्यों के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की गयी है। सतर्कता विभाग से उपलब्ध सूचना/साक्ष्य से भी इस प्रकार की किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है। अतः इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के अभाव में उक्त दोनों समाचार पत्रों में अंकित आरोपों का सत्यापन नहीं हो पाया। अतः दिनांक 23–02–2010 को प्रकाशित समाचार क्रमशः "घूस लेते धरा माननीय" एवं "रिश्वत लेते धरे गये माननीय को छोड़ा" की कथित घटना की पुष्टि नहीं हुई है। श्रीमन्, इस प्रकार से यह घटना पूर्ण रूप से असत्य है, इसकी सर्तकता अधिष्ठान के माध्यम से जाँच कराई। चूँकि यह प्रकरण माननीय विधायक के नाम से जुड़ा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस विशेषाधिकार नोटिस पर जो आपका विनिश्चय होगा वह अनुकरणीय होगा।

श्री अध्यक्ष–

दोनों पक्षों की बात आ गई है, माननीय सदस्य एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात आ गई है कि इसमें जो हुआ वह आ गया है और इस पर हम अपने विचार को सुनिश्चित करते हुये बाद में इसका विनिश्चय सदन के सामने आ जायेगा।

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 मार्च, की बैठक में दिनांक 23 मार्च से दिनांक 27 मार्च, 2010 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है:–

मार्च, 2010

23 (मंगलवार)

1– वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

2– अनुदानवार मांगो का प्रस्तुतीकरण चर्चा एवं मतदान।

अनुदान संख्या

23–उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

24–परिवहन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

18–सहकारिता विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

20–सिंचाई, एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की अनुदान, पर मांग, चर्चा और मतदान।

15–कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

30–अनुसूचित जातियों का कल्याण से सम्बन्धित विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

31–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण से सम्बन्धित विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

24 (बुद्धवार) सार्वजनिक अवकाश (रामनवमी)

25 (गुरूवार)

अनुदान संख्या

13–जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

16–श्रम रोजगार विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

05–निर्वाचन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

26 (शुक्रवार)

अनुदान संख्या

06–राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

25–खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

08–आबकारी विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

26–पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

17–कृषि कार्य एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

28–पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

29–औद्यानिक एवं रेशम विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

27 (शनिवार)

अनुदान संख्या

19–ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान

11–शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान

01–विधान सभा की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। — विवाद नहीं होगा।

02–राज्यपाल की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। — –तदैव–

03–मंत्रिपरिषद की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। — –तदैव–

04–न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग,चर्चा और मतदान। — –तदैव–

07–वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। — –

09–लोक सेवा आयोग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। — विवाद नहीं होगा।

10–पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। — –

12–चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। — –

21–ऊर्जा विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान — –

14–सूचना विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। –

22–लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान –

27–वन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। –

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2010 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण। –

(2) असरकारी कार्य

(क) असरकारी संकल्प

1. श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को प्रस्तुत निम्न संकल्प पर चर्चा जारी:–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैण) घोषित की जाय।"

2. श्री अजय टाम्टा सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्न संकल्प पर चर्चा जारी:–

"यह माननीय सदन प्रबल सिफारिश करता है कि प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत तथा प्रशासनिक दृष्टि से जन सामान्य को सुविधा प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश में वर्तमान विकास खण्डों की संख्या को बढाते हुए नए विकास खण्डों के सृजन पर गम्भीरता से विचार किया जाय, विशेषकर जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मछखाली, मझोढ, जालली, सोमेश्वर नये विकास खण्ड बनाये जाने तथा प्रदेश में लगभग 30 नये विकास खण्डों का निर्माण किए जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाय।"

(ख) निम्नलिखित संकल्पों के प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:–

1. श्री जोत सिंह गुनसोला "इस सदन का निश्चित मत है कि कूड़े कचरे से सार्वजनिक जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के निवारण एवं पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाये रखने हेतु प्रदेश के स्थानीय निकायों एवं पंचायतों द्वारा कूड़ा प्रबन्धन एवं उसके अन्तिम निष्पादन हेतु ठोस योजना बनाकर शीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ की जायें।"

2. श्री किशोर उपाध्याय– "इस सदन की सर्वसम्मत राय है कि नवगठित प्रदेश उत्तराखण्ड में नदियों से रेता–बजरी के चुगान–भरान पर प्रतिबन्ध के कारण सभी विकासात्मक कार्य रूक गये हैं। रेता–बजरी पत्थर एवं अन्य निर्माण खनिजों पर प्रतिबन्ध के कारण सरकारी, असरकारी एवं निजी निर्माण कार्यों की प्रक्रिया पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः यह सदन प्रबल संस्तुति करता है कि विकास की प्रक्रिया में निर्माण खनिज सामग्री के अभाव से आ रही बाधा को दूर करने तथा विकासात्मक कार्यों को तीव्र गति प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार से उक्त प्रतिबन्ध को अविलम्ब हटाने के लिए आग्रह किया जाय।"

3. श्री करन मेहरा– "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश की रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित छावनी क्षेत्र रानीखेत को नगर पालिका बनाया जाय।"

(3) नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्तावः–

(1) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर से जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया तक रेलवे लाईन बिछाई जाय ताकि उक्त सुदूर क्षेत्रों का समग्र विकास हो सके।"

(2) श्री जोत सिंह गुनसोला, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

"प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक पर्यटन के नये आयाम तलाशे जाएं।"

(3) डा० हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपद बिजनौर के 61 ग्राम पंचायतों को उत्तराखण्ड राज्य में शामिल किया जाय।"

नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा:–

1. श्री जोत सिंह गुनसोला– "सरकार प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक वन सम्पदाओं एवं संसाधनों के वैज्ञानिक दोहन हेतु नीति बनाकर वन सम्पदाओं का उपयोग प्रदेश हित में किये जाने के लिए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें।"

(4) नियम–54 के अन्तर्गत सूचना:–

निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा:–

1. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल– "कार्बेट टाइगर रिजर्व एवं उसके आसपास के वन क्षेत्रों में हो रही बाघों की मृत्यु एवं पार्क के बाह्य क्षेत्रों में खुले रिसोर्ट स्थापित होने की सरकार द्वारा कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण वन्य जीवों के भविष्य पर हो रहे प्रभाव पर चिन्ता।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी, से यह सदन सहमत है।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, पहले प्रस्ताव पास हो जाने दीजिए।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, फिर तो विनिश्चय आ जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ अभी आपने कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश पढ़ी और माननीय संसदीय कार्य–मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है, मान्यवर, मांगों पर मतदान, अभी हमको मांगों का दस्तावेज दिया गया है। नियमावली के नियम– 176 में लिखा है "अध्यक्ष, सदन नेता के परामर्श से अनुदान की मांगो पर विचार और मतदान के लिये 15+4 दिनों से अनधिक के दिन नियत करेंगे।" मान्यवर, इसमें 23 से लेकर 27 तक दिन नियत किये गये हैं। मान्यवर, दूसरा मेरा निवेदन यह है कि कटौती के प्रस्ताव के विषय में नियमावली में लिखा है "कटौती के प्रस्ताव की सूचना, उस अनुदान पर विचार करने के नियत दिन से कम से कम दो दिन पूर्व दी जायेगी," मान्यवर, अब हम सूचना कहाँ से दें, जब आप दस्तावेज आज ही उपलब्ध करा रहे हैं। तीसरा, मान्यवर, इस सदन और इस प्रदेश को यह जानने का अधिकार है, 27 तारीख को शनिवार है और शनिवार के दिन सदन आहूत कर दिया गया है और जो मेरी जानकारी है, उसके हिसाब से 29 और 30 तारीख को सदन की कार्यवाही चलनी थी, वह कार्यवाही चलेगी या नहीं चलेगी? मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, बहुत महत्वपूर्ण मसला है। जो अनुदान माँगे हैं, हर सदस्य को उनकी स्टडी करने का मौका मिलना चाहिए।

ऐसी कौन सी स्थिति इस प्रदेश में पैदा हो गई है कि सरकार हड़बड़ी में आकर एक–दो दिन में ही सब कुछ कर लेना चाहती है। आज ही बजट पर भी चर्चा है और अनुदान संख्या–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कौन सी ऐसी बुद्धिमत्ता इस प्रदेश में आ गई है, क्या सारे विधायक इतने विद्वान हो गये हैं कि सारी चीजें वे एक साथ ही अध्ययन करके चर्चा कर लें।

श्री अध्यक्ष–

यह कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशें हैं, जिसमें आप लोग भी सदस्य हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं अनुदान की मांगों की बात कर रहा हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 18 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण प्रस्तुत किया था और कटौती के प्रस्ताव के लिये पूरा समय मिला है। मान्यवर, यह सिफारिशें कार्य–मंत्रणा समिति की है, जिसे समिति ने तय किया है और उस समिति में पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्य होते हैं।

(व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह कोई अच्छी बात नहीं है, इसमें पक्ष और विपक्ष की क्या बात है।

श्री अध्यक्ष–

यह सर्वसम्मति से हुआ है।

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–9 पुकारे जाने पर)

नियम–310 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हमारी नियम–310 में एक सूचना है।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, हमारी एक महत्वपूर्ण सूचना नियम–310 में है।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे देख लेता हूँ।

(माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

विनिश्चय तो आने दीजिये, कृपया स्थान ग्रहण करें।

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इण्डिया इन काउंसिल की ओर से डिप्टी कमिश्नर, नैनीताल एवं श्री प्राग नारायण के मध्य दिनांक 1–3–1933 को 90 वर्षों के लिये एक लीज डीड निष्पादित की गई थी, के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री करन मेहरा, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, डा0 हरक सिंह रावत, श्री तिलक राज बेहड़ और गोपाल सिंह राणा की है। दूसरी सूचना राजकीय सेवाओं में कार्यरत् उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को राज्य आन्दोलनकारी घोषित करने के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय, श्री प्रीतम सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, डा0 हरक सिंह रावत एवं श्री मनोज तिवारी जी की है। तीसरी सूचना श्री रणजीत रावत एवं श्री केदार सिंह रावत जी की, वीरभद्र बैराज, ऋषिकेश पर दिनांक 2 मार्च, 2010 को कुछ लाशें देखे जाने के सम्बन्ध में है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, ग्राह्यता पर सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

चौथी सूचना श्री नारायण पाल, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री हरिदास एवं श्री शहजाद जी की है, जो कि पहली सूचना से ही सम्बन्धित है। अतः मैं इस सूचना को पहली सूचना के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है, कल भी थी और आज भी है।

श्री अध्यक्ष–

पांचवी सूचना उत्तराखण्ड में कानून व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री हरिदास की है। मैं नियम–310 के अन्तर्गत पाँचों सूचनाओं को अस्वीकार कर रहा हूँ। (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री तिलकराज बेहड़, श्री गोपाल सिंह, श्री मनोज तिवारी अपनी-अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गये। इससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, आपकी सूचना इसमें भी है और नियम-58 में भी है (घोर व्यवधान) श्री केदार सिंह रावत और रणजीत सिंह रावत जी की सूचना है वो आपने नियम-58 में भी दी है सूचना, उसे नियम-58 में, मैं सुन लूँगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने ऋषिकेश वाली सूचना नियम-58 में भी दी है। मैं इसे उसी के साथ नियम-58 में सुन लूंगा। (व्यवधान) आन्दोलनकारियों वाली सूचना को भी नियम-58 में ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के 'वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठ गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाए

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-58 के अन्तर्गत 1-श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री हरिदास, 2-श्री प्रेमानन्द महाजन, 3-डा० हरक सिंह रावत, 4-श्री केदार सिंह रावत, 5-श्री किशोर उपाध्याय, 6-श्री जोत सिंह गुनसोला, 7-कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", 8-श्री नारायण पाल, 9-श्री बलवीर सिंह नेगी, 10-श्री गोपाल सिंह राणा, 11-श्रीमती अमृता रावत जी की कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र राकेश-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका विनिश्चय आया था कि मेरी सूचना को नियम-310 में सुनेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम-58 में उसे सुन रहा हूँ। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, मेरी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत भेदभाव हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

श्री गोपाल सिंह जी, आप ऐसी भाषा न बोलें। आप तो पुराने सदस्य हैं, आप ऐसी बात मत करिये, भेदभाव वाली बात मत करिये। भेदभाव किसी के साथ नहीं होता है यहां पर। मैंने आपसे निवेदन किया था। आप बजट पर बोल चुके हैं इस विषय पर ये प्रश्न दुबारा कैसे आ जायेगा, बताईये। आप बजट में बोल चुके हैं इस विषय पर, कल बोले हैं। रिपीट नहीं होगा। पहले आप अपने शब्द वापस लीजिए। कृपया स्थान ग्रहण करिये। आप अपने भेदभाव वाले शब्द वापस लीजिए।

श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, मैंने आंदोलनकारियों के साथ भेदभाव की बात कही है।

श्री अध्यक्ष–

किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। कृपया स्थान ग्रहण करें। आप एक बार बोल चुके हैं। कल ही बोला है आपने, दुबारा कैसे रिपीट हो जायेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। आप नियमों को देख लीजिए न। दुबारा नहीं हो सकता। कृपया स्थान ग्रहण करें। एक ही विषय पर रोज तो नहीं बोलेंगे न। कल बोल चुके हैं आप। कृपया स्थान ग्रहण करिये। आप कार्यवाही देख लीजिए कल की। कृपया स्थान ग्रहण करिये। (व्यवधान) माननीय जोत सिंह जी, आप ऐसी बात क्यों करते हैं। नियम–58 में आपकी भी है, औरों की भी है। अब लेनी 5 ही हैं। 5 में अगर नम्बर नहीं आयेगा तो क्या करूँगा मैं, बताओ। (व्यवधान) आज नहीं लिखा था, कल तो लिखा था, परसों तो लिखा था। (व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, वैसे तो आपकी सदाशयता मिली है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, इनकी सूचना अगले दिन ले लें। ये दुबारा दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण है।

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

दुबारा देंगे तब देख लेंगे। जब देंगे तब देख लेंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

अब व्यवस्था कहां से आ गयी।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

अव्यवस्था कहाँ से आ गई। अव्यवस्था नहीं है, व्यवस्था है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, उस दिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि चिंगारी भी नहीं है आज तो महा परमाणु बम निकल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

नियम–58 में कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री बलबीर सिंह नेगी, डा0 हरक सिंह रावत, श्री किशोर उपाध्याय, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा हरिदास एवं कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकृत हुईं।

एक तो मेरा माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन है कि जिन–जिन माननीय सदस्यों ने एक से अधिक सूचनाओं पर हस्ताक्षर किये हैं वह कृपा करके मुझे बता दें कि वह किस सूचना पर बोलेंगे और किस सूचना पर नहीं बोलना चाहेंगे। माननीय सदस्य को एक सूचना पर ही बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हमारी नियम–310 की सूचना थी। मेरी अलग–अलग सूचनायें हैं।

श्री अध्यक्ष–

वह नियम–58 में कन्वर्ट हो गई हैं। नियम–58 में एक सदस्य को एक ही सूचना पर बोलने की अनुमति दूँगा। जो माननीय सदस्य अपनी जिस एक सूचना पर बोलने चाहेंगे वह उस पर बोल सकते हैं। यह आप देख लीजिए।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्नीय अध्यक्ष जी, मेरी सूचना आन्दोलनकारियों से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष–

आप देख लीजिए।

*कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, गन्ने की बड़ी अविलम्बनीय सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी नियम–310 की अलग और नियम–58 की अलग सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

आपको एक ही सूचना पर बोलना है, आप जिस सूचना पर कहेंगे उस पर आपको सुन लिया जायेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। डा0 हरक सिंह रावत जी, आप कौन सी सूचना पर बोलना चाहेंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आन्दोलनकारियों वाली सूचना पर बोलना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिलक राज बेहड़ जी, आप किस पर बोलना चाहेंगे।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, प्राग नारायण वाली सूचना पर बोलना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष–

पहले नियम–58 की सूचना ले लेते हैं।

*श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे आपने नियम–58 के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करने का सुअवसर दिया। श्रीमन्, विगत वर्षों से अशासकीय असहायिक मान्यता प्राप्त विद्यालय संगठन के बैनर तले अपनी एक सूत्रीय मांग सरकार से करते आ रहे हैं और विधान सभा के सामने धरने पर बैठे हैं। लेकिन सरकार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं कर रही है, इन विद्यालयों को अनुदान प्रदान करने हेतु पूर्व सरकार द्वारा भी कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी, किन्तु आचार संहिता

* सदस्यों ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रारम्भ होने के कारण कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी। ये अधिकांश विद्यालय पर्वतीय क्षेत्रों के हैं, जहाँ प्रत्येक युवा वर्ग विपरित परिस्थितियों का सामना कर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और नौकरी की उम्मीद लगाये बैठे हैं। परन्तु ऐसे विद्यालयों में 15–20 वर्षों से अल्प मानदेय के सहारे मुश्किल से जीवन यापन करने वाले कर्मचारियों की स्थिति देख कर निराशा से मैदान की ओर पलायन कर रहा है। अशासकीय असहायिक मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित न किये जाने से जन सामान्य में घोर असंतोष व्याप्त है। श्रीमन्, हमारे सारे उत्तराखण्ड में पूर्व कांग्रेस सरकार के समय 13, जो हाईस्कूल अशासकीय विद्यालय हैं वह सूचीबद्ध है और 29 अशासकीय हाईस्कूल जो विद्यालय हैं वह भी सूचीबद्ध है।

मान्यवर, उसमें से एक इण्टरमीडिएट अशासकीय विद्यालय सूचीबद्ध है। लेकिन श्रीमन्, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चूंकि पूरे पर्वतीय क्षेत्र में जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ तो अध्यापक नहीं हैं जो थोड़ी बहुत वहाँ की शिक्षा देखने वाले अशासकीय विद्यालय के अध्यापक हैं जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं उनके विद्यालयों को भी अनुदान सूची में न लाने के कारण पूरे पर्वतीय क्षेत्र में घोर असंतोष व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व विषय पर नियम–58 के अन्तर्गत आज सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की माँग करता हूँ।

*शिक्षा राज्य मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, प्रदेश के अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु नई नीति/मानकों के निर्धारण पर कार्यवाही गतिमान है। प्रदेश में वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण एवं प्रशासनिक व्यय भार में मितव्ययता बरतने के संबंध में अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त अग्रिम आदेशों तक नये माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थाओं को अनुदान सूची में न लिये जाने के विषय पर पूर्व में माननीय मंत्रिमण्डल के आदेशों से मंत्रिमण्डल की उप समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति का गठन उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–45/स.वि0/2008–09 दिनांक 14 नवम्बर, 2008 के द्वारा किया गया है। अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने हेतु नीति निर्धारण की कार्यवाही गतिमान है। नीति निर्धारण के बाद ही आगे कार्यवाही होगी।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, अभी–अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि इसी 11 मार्च को एक इण्टरमीडिएट अशासकीय विद्यालय को अनुदान सूची में लिया गया है। शेष जितने भी हाईस्कूल

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अशासकीय विद्यालय है उनके बारे में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। विशेष रूप से मान्यवर, उन अशासकीय विद्यालयों को जिनकी टोकन मनी स्वीकृत हो गई है। उनको नई किस्त जानी चाहिए थी, उनको भी अनुदान सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, पूर्व में 2006 में 2001 तक के हाईस्कूल और इण्टर के 74 विद्यालयों के लिए प्रस्तावित किया गया था लेकिन मितव्ययता के कारण इन सब पर रोक है जैसे ही नीति निर्धारण होगा। एक में अभी शासनादेश हुआ था वह माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का प्रकरण था, उसे पूरा किया गया है।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, समय सीमा तय की जाए।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रदेश में अशासकीय विद्यालयों की स्थिति बहुत ही जर्जर हो गई है। उनका मैनेजमैंट वेतन देने की स्थिति में नहीं है। सरकार कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले पा रही है नीतिगत मामला है तो नीतिगत मामले का निर्णय भी तो सरकार लेगी।

संसदीय कार्य एवं पेयजल मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, कार्यवाही गतिमान है।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

कितने साल लगेंगे नीतिगत निर्णय लेने में।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, तीन साल हो गये हैं। जब हमारी सरकार थी तो अशासकीय विद्यालयों को वित्त सहित मान्यता दी थी। अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया था। इस सरकार का कार्यकाल तीन साल हो गया है कब तक कार्यवाही गतिमान रहेगी। इसी तरह से पाँच साल निकल जायेंगे। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय डा0 हरक सिंह रावत, श्री बलबीर सिंह नेगी और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार गम्भीर नहीं है। इस सरकार का गठन हुए 3 साल हो गये। मान्यवर, मैनेजमैंट के पास इतने संसाधन नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस विषय पर सरकार स्वयं गम्भीर है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, तीन साल निकल गये इस सरकार के। सरकार ने क्या गम्भीरता दिखाई है। जब माननीय मदन कौशिक जी शिक्षा मंत्री थे तो मैंने इस बात का निवेदन उनसे भी किया था। वे कह रहे थे कि 6 महीने के अंदर अनुदान सूची में ले लेंगे। अब बिष्ट जी शिक्षा मंत्री हैं, तब भी कार्यवाही गतिमान है। मान्यवर, प्रबन्ध समिति के पास अध्यापकों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। विद्यालयों में गणित, अंग्रेजी व अन्य महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे ? सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा गम्भीर विषय है, अगर सरकार तीन साल में एक विद्यालय को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में है, को यदि अनुदान सूची में लेती है। मान्यवर, पूरे प्रदेश के अशासकीय विद्यालय आज धरने पर बैठे हुए हैं, अभी उत्तरकाशी के दौरे पर गया था, सारे अशासकीय विद्यालयों के प्रबन्ध तंत्र मिले थे। मान्यवर, आज वे विद्यालय बन्द की स्थिति में हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपका विनिश्चय चाहिए। (कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) (व्यवधान के मध्य)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए और समय सीमा तय होनी चाहिए। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें, कह दिया है कि नीतिगत मामला है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, नीतिगत मामले हैं तो निर्णय कौन लेगी? (व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रकरण सरकार के विचाराधीन है और नीतिगत है। मान्यवर, कौन मना कर रहा है और कार्यवाही गतिमान है। (व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, तीन साल निकल गये हैं, कब तक गति रहेगी, अभी भी कैसे विचाराधीन है? (व्यवधान के मध्य) मान्यवर, सरकार की ओर से आ जाय कि जल्दी इस पर निर्णय लेंगे। आप खड़े होकर कह दें। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। कार्यवाही गतिमान है। (व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकरण पर शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान के मध्य)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, दो साल बाद तो हम कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री सुरेन्द्र राकेश जी, आप कौन सी सूचना पर बोलना चाहें, नहीं हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–310 की सूचना की ग्राहयता पर बोलने का अवसर दिया है,इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस राज्य को बने 10 वर्ष होने वाले हैं, मान्यवर, लगातार एक ही व्यक्ति कभी ऋषिकेश में उनका नाम आ रहा है, कभी प्राग फार्म जो 5 हजार एकड़ के लगभग था, परिवारों के बंटवारे होते–होते अब दो हजार एकड़ पर भाई बहिनों का विवाद हो गया। उस पर 145,146 करके सरकार ने संरक्षण कर उस पर भी कब्जा कर लिया गया। सैकेटरी ऑफ स्टेट इण्डिया इन कौंसिल की ओर से डिप्टी कमिश्नर नैनीताल एवं श्री प्राग नारायण के मध्य दिनांक 1.3.1933 का 99 वर्षों के लिए एक लीज डीड निष्पादित की गई थी, जिसके अनुसार जनपद नैनीताल जो वर्तमान में ऊधमसिंह नगर के परगना रूद्रपुर के 12 ग्रामों में कुल 5193 एकड़ भूमि कृषि कार्य के लिए दी गई। पारिवारिक बंटवारे में उनके 6 पुत्र में से 2 पुत्र वारिस बने, धीरे–धीरे चकबन्दी अधिकारी आदेश दिनांक 10.3.97 को उनके आदेश पर पारिवारिक सैटलमेन्ट के आधार पर मीनाक्षी, मनीषा, मनोज भाई बहिनों के नाम दर्ज की गई। इस प्रकार पारिवारिक विवाद बढ़ता चला गया और दिनांक 1.3.1933 पैरा–17 के अनुसार आयुक्त कुमाऊँ डिविजन नैनीताल ने दिनांक 10.8.2005 में सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश रिवैलिडेशन एक्ट, 1970 को प्रभावी मानते हुए प्रश्नगत भूमि को राज्य सरकार की भूमि माना। मान्यवर, कमीश्नर ने वर्ष 2005 में आदेश भी कर दिया और उस आदेश में, मैंने बताया कि खसरा नम्बर भी डाले गये, यह जमीन सरकार के नाम करने के आदेश कर दिये। तत्पश्चात मनोज अग्रवाल व उनकी बहनों के बीच विवाद प्रारम्भ हो गया, उस विवाद में भू–माफियाओं ने जाना शुरू कर दिया।

मान्यवर, जबकि लीज समाप्त हो गयी थी। लेकिन एक 290 एकड़ की तथा 190 एकड़ की सब लीज जून, 2008 तथा सितम्बर, 2008 को मैसर्स ईको फ्रैन्डली प्रोसिसिंग पार्क प्रा0 लि0 द्वारा निदेशक, राकेश मिश्रा, रजिस्टर्ड दफ्तर 912, कैलाश कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली तथा निदेशक, मदन मोहन शर्मा, मैसर्स इस्टीम कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0 लि0 द्वारा रजिस्टर्ड दफ्तर 263, गंगानगर सोमेश्वर मंदिर रोड, ऋषिकेश के नाम करा ली गयी। मान्यवर, सब लीज हो गया। सब लीज कैसे हो गयी। यह किसके इशारे पर हुई और इतना ही नहीं सब लीज दर्ज कर दी गयी। यह कितना गंभीर मामला है कि खसरा खतौनी में सब लीज दर्ज हो गयी। यह पहली बार ऐसा सुनने में आया है। कि सब लीज की जमीन को खतौनी में दर्ज कर लिया गया। यह कैसे हुआ, और किसके इशारे पर हुआ। खसरा–खतौनी में मदन मोहन शर्मा को सब लीज दर्ज कर दी गयी। आखिर कौन तहसीलदार था, कौन कौन लोग थे इतना ही नहीं, उसके पश्चात जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर के पास यह मामला पहुँचा निस्तारण के लिए और 27.10.2008 को मान्यवर, मैं बिल्कुल सदन में इस बात को कह रहा हूँ कि जिलाधिकारी पर दबाव डाला गया जो उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी थे। यह भूमि सारी की सारी लगभग 2 हजार एकड़ जमीन सारी इनके नाम दर्ज कर दी जाए। जब भू–माफियाओं के दबाव में, सत्ता के दबाव में जिलाधिकारी ने इस काम को नहीं किया और उन्होंने भी 27.10.2008 को 1700 एकड़ भूमि सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश कर दिए। सरकार के नाम जमीन दर्ज हो गयी। जिसका आदेश हमारे पास है। जिलाधिकारी इस पूरी की पूरी जमीन को सरकार के नाम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि सरकार के पास इतनी जमीन आ जाती तो उत्तराखण्ड के काम आती। उसके पश्चात एक दिन बीच में 27.10.2008 के जिलाधिकारी के आदेश है और 28 की सुबह जिलाधिकारी का ट्रांसफर आर्डर आ जाता है। जिलाधिकारी को तत्काल रिलीव करने के लिए और वे तत्काल सी0डी0ओ0 को चार्ज देकर चले जाते हैं। उसके बाद मान्यवर, क्या हो रहा है उसके बाद उससे भी बड़ा हो रहा है उसके बाद कुछ लोग फार्म पर जाते हैं और वहाँ पर क्योंकि उनकी मंशा तो पूरी हुई नहीं मान्यवर, सरकार के नाम जमीन दर्ज हो गयी। वो लोग मुख्यमंत्री से मिले उन्होंने जिलाधिकारी का ट्रांसफर करा दिया। तो उन्होंने, जो मनोज की बहन थी मिनाक्षी अग्रवाल, उनके फार्म पर जाकर गोली चलानी शुरू कर दी। 15–20 लोग थे हथियार बन्द और उसमें कौन था [XXX] जिसकी एफ0आई0आर0 है किच्छा थाने के अंदर। असली आदमी तो [XXX] है जो ऋषिकेश में भी जमीन का घोटाला कर रहा है। सरकार की सारी जमीन के अंदर जिस तरह से घोटाला हुआ मान्यवर, उसके कारण विधान सभा नहीं चली उसी बात को लेकर, लेकिन [XXX] के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद 307 का मुकदमा मान्यवर, और उसके बाद क्या

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हो रहा है मान्यवर, 147,48 149,380,504,506,तथा 427 अपराध संख्या 260/8 मान्यवर, मुकदमा कायम होता है। उस मुकदमे के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती और धीरे-धीरे लोग फार्म के अंदर घुसते हैं।

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, इतना ही नहीं उसके पश्चात जान बूझकर, भाई-बहनों का झगड़ा बहुत समय से चल रहा है, ऐसा 145-46 में है, एक नहीं इनके परिवारों में 51 सौ एकड़ जमीन है जिसका बंटवारा हुआ, उसके अन्दर कई परिवारों में जमीन बांटी गई। मान्यवर, आज से 10 साल पहले श्री मनोज अग्रवाल और मीनाक्षी अग्रवाल के बीच गोली चली और मनोज अग्रवाल जेल में रहे और उस समय 145-46 नहीं हुई और मीनाक्षी के खिलाफ एफ०आई०आर० हुई। सी०बी०सी०आई०डी० ने जाँच की वह भी फाइलें आज तक लम्बित पड़ी है तो उस समय 145-46 नहीं हुई और मात्र एक गोली चली और प्रशासन का हवाला देकर 145-46 के आदेश कर दिये है और उसके बावजूद अपनी मनमर्जी से उसके माध्यम से दो हजार एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया है, आज एक साल हो गया है, उन्होंने जब से यह काम किया है कोई हिसाब नहीं है, सारे का सारा गन्ना, पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी के दबाव में सीधे-सीधे काट लिया गया। मान्यवर, क्या सरकार इसीलिए बनी है, राज्य इसलिए बना है कि जिसकी पार्टी हो वह आ जाये, चाहे कोई दिल्ली से आ जायेगा, कोई बाम्बे से आ जाये और कहे कि मेरे सरकार से बहुत संबंध है। मैं बहुत ऊँची पहुँच रखने वाला व्यक्ति हूँ अब मेरी सरकार बनी है, मैं जो चाहूँ उससे करा लूँ, यह बड़ा गम्भीर विषय है। मान्यवर, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, पीठ से उम्मीद करता हूँ सरकार से उम्मीद नहीं है क्योंकि सरकार कह देगी 145-46 में झगड़ा हो रहा था। दूसरी बात एफ०आई०आर० जो दर्ज हो गई, उसकी सरकार को कोई चिन्ता नहीं है, तो सरकार मिली हुई है, ऐसा लगता है कि सरकार खुद ही शेयर होल्डर बन गई हो। मान्यवर, मेरी विधान सभा का मामला है और जिस तरह से लगातार वहाँ का माहौल खराब है और इतना ही नहीं मीनाक्षी अग्रवाल की जिला प्रशासन ने नहीं सुनी तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तो आदेश हुआ कि आप जिस घर में रहती थी उसी घर में रहेगी, पर वह डर के मारे नहीं आ पा रही है तो मैंने कई बार एस०एस०पी० से कहा कि फोर्स दें।

मान्यवर, सारे लोग बैठे हैं और यह बहुत बड़ा घोटाला 2 हजार एकड़ जमीन का हुआ है, जिस जिलाधिकारी ने दर्ज किया था सरकार के नाम, अगर उस जिलाधिकारी की पीठ थपथपाते तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी जमीन उत्तराखण्ड के लोगों के काम आती, बहुत बड़े प्रयोजन में काम आती, सरकार, धीरे-धीरे जितनी प्रदेश के अन्दर ऐसी जमीन है ऐसी जमीनों को बाँटने पर लगी है, यह मामला बहुत गम्भीर है। मान्यवर, हजारों करोड़ रूपये का घोटाला है, 2 हजार एकड़ जमीन की बात है, आज हमारे यहाँ 5 लाख, 10 लाख एकड़ खेती की जमीन नहीं है, 20 लाख रूपये की खेती की जमीन

नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए और मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार की मिली भगत से हुआ है, आप इसमें कुछ निर्देश दें कि तत्काल 145–46 का निस्तारण किया जाए, तत्काल निस्तारण करके काबिज हो और जो सरकार के नाम जमीन दर्ज है वह दोबारा सरकार के नाम दर्ज हो और उस जमीन पर कब्जा ले, तब तो इस प्रदेश के अन्दर अच्छा संदेश जायेगा।

श्री गोपाल सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–310 की सूचना पर बोलने की अनुमति दी इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय श्री तिलक राज बेहड़ जी के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूँ कि हर जगह माफिया प्रभावशाली हो रहे हैं और पूरे उत्तराखण्ड की भूमि माफियाओं के कब्जे में जाती जा रही है। मान्यवर, बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि सरकार ने बिल्कुल इस पर ध्यान ही नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय श्री तिलक राज बेहड़ जी ने कहा कि सैक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इण्डिया फॉर काउंसिल डिप्टी कमिश्नर नैनीताल एवं श्री प्राग नारायण को ब्रिटिश काल में मान्यवर, दिनांक 1–3–1993 को 99 साल की लीज दी गयी थी, जबकि लीज की जमीन को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। यह जमीन नैनीताल कमिश्नर द्वारा सरकारी घोषित कर दी गयी। इसके बाद भी लीज पर लीज दे रहे हैं और भू–माफिया इस कदर हावी हो गये हैं। मान्यवर, मैंने भी प्रैक्टिस की है, लीज पर लीज नहीं होता है, माफिया हावी हो गये हैं। मान्यवर, इस समय सदन में माननीय भट्ट जी तो है नहीं। आज पूरे प्रदेश को बेचा जा रहा है। आप ऋषिकेश के मामले को देखिए, प्रयाग फार्म के मामले को देखिए। मान्यवर, दो हजार एकड़ भूमि में तो बहुत सारे सरकारी कार्य हो सकते थे इतनी जमीन पर हमारी राजधानी बन सकती है। मान्यवर, भू–माफियाओं को आज कानून का कोई डर नहीं है, ये सरे आम गोली चला रहे हैं। मान्यवर, मनोज अग्रवाल और मीनाक्षी अग्रवाल हैं जो दोनों भाई–बहिन हैं इनका आपस में विवाद है। माफियाओं का आतंक इस तरह हावी है कि उनके ऊपर गोली चलाना इनके खिलाफ मुकदमें भी दर्ज है और अपराध संख्या 260/2008 है। मान्यवर, इसमें कई संगीन धाराएं लगी हुई हैं जैसे बल प्रयोग, धमकी देना, जान से मारने का प्रयास करना आदि है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बावजूद भी सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है और न ही इनके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई है इससे इन माफियाओं की हौसला अफजाई हो रही है, जोकि अच्छा संकेत नहीं है। मान्यवर, जिला प्रशासन ने सरकार की मिलीभगत से 145–146 की कार्यवाही कर दी है और इसकी सुपुर्दगी उन्हीं लोगों को दी है। मान्यवर, कान चाहे इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात तो एक ही हुई।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सीमित करें। विषय आ गया है।

श्री गोपाल सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, माफिया प्रदेश में आज हर जगह हावी हो गये हैं। मान्यवर, एक जनजाति की जमीन एक गैर जनजाति नहीं ले सकता है। इस सम्बन्ध में, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि माफिया इस कदर हावी है कि वे थारूलैण्ड की जमीन को भी बेच रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

विषय आ गया है। कृपया बैठ जाईये।

श्री गोपाल सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सदन की पूरी कार्यवाही रोक कर चर्चा की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी, वैसे विस्तार से विषय आ गया है, परन्तु आप अपनी बात को संक्षेप में रखिए।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। मान्यवर, इसमें सब लीज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिन लोगों ने सब लीज की है, वह कैसे की है। यह मामला वर्ष 2008 का है। मान्यवर, 2008 में सब लीज दर्ज हुई है और सब लीज अभिलेखों में कैसे दर्ज हुई? क्या सब लीज अभिलेखों में दर्ज होने का कोई प्राविधान है? मान्यवर, इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन–कौन से अधिकारी संलिप्त हैं? क्योंकि हो यह रहा है कि अभिलेखों में बहुत सी ऐसी चीजें दर्ज होने लगी है कि वह एक विवाद का कारण बन सकती है। मान्यवर, कौन लोग यह कर रहे हैं और कौन से अधिकारियों के अंदर एक माफिया तंत्र है जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उनको भी इंगित करना सदन का कार्य है। मान्यवर, जब धारा 145–146 लग गयी तो यह उन्हीं लोगों को सुपुर्द कर दी, जो लोग संदिग्ध है। मान्यवर, [X X X] जिनके नाम रिपोर्ट दर्ज है, वह अब बेखौफ होकर जेल के अंदर जाता है और बाहर आता है।

नोट–[X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, वहां अपना एक साम्राज्य सा बना रखा है। तो क्यों नहीं, जिला प्रशासन इन लोगों के खिलाफ, इतनी संगीन धाराएं हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करता? यह दो मुख्य बिन्दु सदन में उठकर आये हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर कोई विनिश्चय आपकी तरफ से आएगा।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, ऊधमसिंह नगर के प्राग फार्म के बारे में, मैं कहना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, यह जो प्राग फार्म है, इसके इर्द–गिर्द दसियों हजार लोग, अनुसूचित जाति के, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समाज के वहाँ पर हैं और जैसा कि हम पिक्चरों में देखते हैं, ऐसा कोई बहुत ही दबंग आदमी है, वह मजदूरों के साथ अत्याचार कर रहा है और तो और जैसा कि अभी माननीय बेहड़ साहब ने काफी कुछ खुलासा करके बताया। ऐसी ज्यादती वहां लोगों के साथ हो रही है कि अगर सरकार ईमानदारी के साथ उसका संज्ञान ले ले तो बहुत ही बड़ी शर्म की बात होगी और जिस मनोज अग्रवाल की यहां पर चर्चा हो रही है, उसको जबरदस्ती [X X X] नाम का जो क्रिमिनल है, उसने बन्धक बना लिया। जिसका ऋषिकेश में भी नाम आया। मान्यवर, वह आज वहां पर बन्धक बना हुआ है और प्राग नारायण जी की बेटियां जो वहां पर रहती थी, आज वे घर छोड़कर चली गयी है, उनका अता–पता नहीं है। उनका भाई के साथ आपस का जो कलेश था, उस कलेश के कारण कहीं चली गयी। मान्यवर, [X X X] मेरठ या दिल्ली से आया। ऋषिकेश में उसका नाम है। एक ही दिन मे सब कुछ हो गया। एक ईमानदार जिलाधिकारी वहां पर था, जब वह प्रकरण हम लोगों के सामने आया, तो हमने इस पर न्यायोचित कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी से कहा, लेकिन वह जो जिलाधिकारी था, उसका ऐसे हवा में ट्रांसफर किया गया, जबकि उसने बहुत ही अनुकरणीय और बहुत ही अच्छा काम किया था, सरकार के खाते में इसको दर्ज करने का। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे–ऐसे गुण्डे, क्रिमिनल यहां आएंगे, [X X X] जैसे और यहां घूमेंगे। हमारे बड़े–बड़े नेताओं से मिलेंगे और यह बताएंगे कि हम तो पार्टी के हैं, हम तो इसके हैं, हम तो उसके हैं। मान्यवर, ऐसे ही ऋषिकेश में कर दिया और ऐसे ही प्राग फार्म में कर दिया। इतनी तेजी से जो काम हो गये, मैं तो कहता हूँ, तहसील किच्छा, एस0डी0एम0, रूद्रपुर, जो हमारी सरकार के विधिक मामले वहां पर देखते हैं, जिलाधिकारी, कमिश्नर और सरकार में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, बगैर अधिकारियों के मिले हुए इतना बड़ा काम हो ही नहीं सकता। वह गुण्डा [X X X] प्रदेश के अन्दर खुले आम घूम कर कहता है कि मेरा कौन क्या कर लेगा? यह सरकार के लिए भी बड़े शर्म की बात है, विधायिका के लिए शर्म की बात है और सभी लोगों के लिए शर्म की बात है। दसियों हजार लोग ऐसी गुलामी की जिन्दगी वहां पर जी रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा, झोपड़ी का मकान नहीं बना सकते हैं। वे स्वतंत्र होकर जीवन यापन नहीं कर सकते। कोई मुगलों का शासन थोड़ी है। कोई अंग्रेजों का शासन थोड़ी है यहां। चुनी हुई सरकार

नोट–[X X X] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

है यहां, विपक्ष है यहां, सदन है यहां, सदन में हम लोग अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। जिलाधिकारी का जिस दिन ट्रांसफर किया गया, हम लोगों ने समझ लिया कि इसमें बड़े-बड़े हाकिम, बड़े-बड़े नेता जो हैं, उनका हाथ है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में नियम-310 के माध्यम से हम लोग यह प्रकरण लाए हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं। अरे, हम इस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे, 2-3 दिन ऋषिकेश का मामला चला, उसके बाद खत्म हो गया। प्राग फार्म की भी यही स्थिति होगी। मैं इस सदन में किसी स्तर तक, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला हो किसी भी स्तर तक इस लड़ाई को लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। हम लोग वहां के जनप्रतिनिधि हैं, अपनी बात को आपके माध्यम से सदन में रख रहे हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं। यदि सरकार जरा भी जिम्मेदार है तो उस [X X X] नाम के गुंडे के खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री प्रकाश पन्त-

माननीय अध्यक्ष जी, नाम लेकर किसी व्यक्ति को इंगित नहीं करना चाहिये। क्योंकि वह व्यक्ति यदि यहां पर आकर अपना पक्ष नहीं रख सकता है, तो उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री नारायण पाल-

मान्यवर, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वह [X X X] नाम का व्यक्ति एक गुंडा है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, कोई एफ0आई0आर0 किसी बात को प्रमाणित नहीं करती है।

श्री नारायण पाल-

मान्यवर, सरकार को उसकी इतनी चिन्ता हो गई।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नारायण पाल जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

पूर्व में भी ऐसे प्रकरण आये हैं और पीठ से यही निर्णय भी रहा है, आज और आज से पूर्व भी ऐसा विषय आया है तो उसके सम्बन्ध में यही व्यवस्था है कि जो व्यक्ति यहां पर आकर अपनी सफाई नहीं दे सकता है, उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य 'वैल' में आ गये और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

नोट-[X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें, अपने–अपने स्थान से ही अपनी बात को रखें।

(माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर वापस चले गये।)

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, उस व्यक्ति पर रासुका लगनी चाहिये, क्या वह सरकार का शेयर होल्डर है?

श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, आप उस व्यक्ति पर रासुका लगाने के लिये पीठ से निर्देश दे दीजिये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

विषय तो आने दीजिये, माननीय नारायण पाल जी की बात तो आने दीजिये। (माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जब मैंने उसका नाम लिया तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बहुत खराब लगा।

श्री अध्यक्ष–

मुझे भी खराब लगा।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपको खराब लग रहा है तो मैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, सरकार उसकी जांच कराये (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिलक राज बेहड़ जी, आपकी बात काफी विस्तार से आई है, अब श्री नारायण पाल जी को भी बोलने दीजिये।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, सरकार के पास गरीबों के लिये जमीन नहीं है। हमको जमीन नहीं चाहिये, सरकार को जमीन चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, हमारा [XXX] से क्या लेना–देना है, एफ0आई0आर0 में उसका जिक्र है, इसलिये उसकी बात आ रही है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें, आपकी बात आ गई है, अब श्री नारायण पाल जी को भी बोलने दीजिये।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आज गरीबों के पास घर बनाने के लिये जमीन नहीं है। पूरे प्रदेश में हजारों–लाखों परिवार ऐसे हैं, जिनके पास एक इंच जमीन घर बनाने के लिये नहीं है। उनको सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है और माफियाओं को जमीन बेच रही है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नारायण पाल जी, आप कृपया अपनी बात कहें।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के क्षेत्र में जब मालपा में भूस्खलन हुआ था तो वहां से लोग तराई में आकर बस गये थे और 10 हजार के करीब लोग वहां पर रहते हैं। सितारगंज में ऐसे 5–6 हजार लोग हैं, जिनके लिये हम लोग कह रहे हैं कि उनको जमीन के पट्टे दिये जायं। एक तरफ [XXX] को 2 हजार एकड़ जमीन दे दी जाती है और दूसरी तरफ इन्हें 30 बाई 30 का प्लाट नहीं मिल रहा है। इसके लिये उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई है। सरकार के नुमाइंदों को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है।

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के नुमाइंदों को बहुत ही गुस्सा आता है इस बात पर, माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही गुस्सा आता है इस बात पर, लेकिन हमें भी बड़ा कष्ट होता है कि 10 हजार लोग जिनके साथ जुल्म किया जा रहा है। उसमें सरकार को गुस्सा नहीं आता है। जो श्रम के मामले हैं। आज 60 रुपया मजदूरी का दिया जाता है तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को उसमें संज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस गुण्डे को गुण्डा कह दिया, बदमाश को बदमाश कह दिया तो वो सफाई नहीं दे सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, आप से अनुरोध कर रहा हूँ कि इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है, उसके खिलाफ तो पहले कार्यवाही हो और उसके खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज है, उस पर एक्शन लिया जाय और जो सरकार की जमीन है, सरकार के खाते में आये। ये हम आप से अनुरोध करना चाहते हैं। आप सरकार को निर्देश करें।

नोट–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–310 पर बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष–

नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

श्री शहजाद–

मान्यवर, जब ऋषिकेश की बायो कैमिकल कम्पनी के मामले में चर्चा हुई थी, बात हुई थी ग्राह्यता पर, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि एक सिंडीकेट है। जिसमें प्राग फर्म, मीडिया सेंटर, हरिद्वार और एक नया प्रकरण आज और बता रहा हूँ। एक नयी व्यवस्था शायद दो चार दिन में हो रही है आई0टी0 के बहुत बड़े एमाउन्ट के काम उसको मिलने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सिंडीकेट अगर इसी तरह काम करता रहा और सरकार मेहरबान रही तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखण्ड को जिन लोगों ने आंदोलन किया है, जिन्होंने इसमें आहुति दी है, वो शर्मसार होंगे और वो कहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश में अच्छे थे, कम से कम वहां गुण्डे यहां की इतनी पहुँच तो नहीं रखते थे। प्राग फार्म 2000 एकड़ जमीन, इसमें माननीय सुरेन्द्र राकेश जी ने कई उस दिन प्वाइंट गिनाये थे, मैंने भी कहा था लेकिन सरकार ने जवाब देते समय एक प्वाइंट का भी संज्ञान नहीं लिया। आज फिर कह रहा हूँ कि जो मीडिया सेंटर हरिद्वार में लगभग 8 करोड़ की लागत से बनाया गया टम्परेरी व्यवस्था, और ये प्राग फार्म सटोरिया बायो कैमिकल कम्पनी और आई0टी0 के जो काम अब उसे मिलने वाले हैं, अगर इसी तरह सिंडीकेट बना करके इस प्रदेश को लूटने का काम हुआ तो मैं समझता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, ये न ही प्रदेश के लिए अच्छा है और न यहां की जनता के लिए। अगर सरकार वाकई ईमानदार है इस प्रदेश की जनता के प्रति, तो इस 2000 एकड़ जमीन में जो भूमिहीन हैं, जो जरूरतमंद हैं, क्या उनके पट्टे काटने का काम करेगी? क्या इन भू माफियाओं से ये जो बहुत बड़े–बड़े गुंडे माफिया पार्टी के बहुत बड़े वफादार इन लोगों को कब्जा न करा करके क्या गरीब को रोटी देने का काम ये सरकार करेगी? जब माननीय मंत्री जी जवाब दें तो जो मेरे प्वाइंट हैं इनका उल्लेख जरूर करें। मैं ये चाहूँगा। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

लंच के बाद ले लें।

श्री शहजाद–

काफी लम्बा उत्तर है, लंच के बाद ले लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रेमानन्द महाजन जी के बाद।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–310 को नियम–58 की ग्राह्यता पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, सारे तथ्य आ गये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि माननीय तिलक जी ने जो शब्द यहां पर उच्चारित किये हैं, एक–एक शब्द सत्य है। ये भूमि तत्कालीन जो डी0एम0, हमारे यहां डी0 सेंथिल पांडियन साहब थे, जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर और उन्होंने जब यह डिसीजन दिया था, पूरे जिले में एक गरीब तबके में, जो भूमिहीन समाज में, दलित समाज में एक खुशी की लहर बह गयी एक ऐसा सच्चा व्यक्ति आया जिसने हिम्मत का काम किया, क्योंकि जिलाधिकारी कार्यालय में यह मामला पहले से लम्बित था और किसी ने भी यह बोल्ड डिसीजन, गरीबों के हित का डिसीजन, किसी भी पूर्व जिलाधिकारी ने नहीं लिया। मान्यवर, उनको हटा दिया गया, एक व्यक्ति के खिलाफ 8–9 धारा पंजीकृत है उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि इस व्यक्ति के खिलाफ एक तो रासुका लगाया जाय और उसके पास ऐसे गलत किस्म की परिसम्पत्तियां हैं उनकी सी0बी0आई0 जांच कराई जाय, इसकी मांग आपसे करता हूँ।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 310 की सूचना पर ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे जिलाधिकारी जो अच्छे जिलाधिकारी हैं ऐसे कितने जिलाधिकारियों को हटाया जायेगा? जिस तरीके से पांडियन को वहाँ से हटाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार पर शक हो रहा है वहां की यहां की जनता को, कि जो भूमाफिया हैं उनको संरक्षण दे रही है, 2000 एकड़ जमीन पर कब्जा करवाया गया है, ऋषिकेश में कब्जा करवाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, कहां तक ये भूमाफिया रहेंगे जो हमारा सदन है, सदन में हम अपनी बात रखेंगे तो सरकार की तरफ से ऐसे जवाब आयेंगे तो उसके खिलाफ क्यों बोला जा रहा है, जब कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, मुकदमा दर्ज ही नहीं करती सरकार, लेकिन अगर दर्ज भी हो गया तो उसमें कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा तो निवेदन है आपसे, सरकार से तो उम्मीद की नहीं जाती है, आप की ही तरफ से विनिश्चय आ जाये, जो जमीन है दो हजार एकड़, वह गरीब लोगों को दे दी जाय, उसमें लोग अपनी रोजी रोटी का साधन करें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, आपका विनिश्चिय आने की उम्मीद कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

अब हम 3:00 बजे अपराह्न तक भोजनावकाश के लिए उठते हैं।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

*श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आज प्रशिक्षित गौरिल्ला एस0एस0बी0 पर पुलिस द्वारा सचिवालय के बाहर लाठीचार्ज हुआ है। कई घायल हो गये है (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर और–जोर से अपनी बात को कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

संसदीय कार्य एवं पेयजल मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, जिस प्रकरण पर माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है उसकी जानकारी प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री तिलक राज बेहड़ जी तथा कांग्रेस के अन्य सम्मानित विधायकगण तथा बहुजन समाज पार्टी के माननीय विधायकों के माध्यम से नियम–310 के अन्तर्गत सूचना दी थी। नियम–58 में ग्राह्यता पर उस सम्बन्ध में विचार माननीय सदन के समक्ष माननीय सदस्यों ने रखे। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यह जो प्रकरण माननीय सदस्यगणों ने सदन के समक्ष रखा है इस प्रकरण के अन्तर्गत अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा 1970 में प्रश्नगत भूमि का पट्टा समाप्त कर यह भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी गई और उसके पश्चात् प्रश्नगत पट्टे पर उसकी शर्तों के आधार पर कुछ विवाद हुआ और उस विवाद के चलते हुए आयुक्त कुमाऊं मण्डल को आर्बिटेटर नियुक्त किया गया और आयुक्त कुमाऊं मण्डल ने तथा पंचायत के निर्णय दिनांक 10.08.2005 के आधार पर यह भूमि सरकार में निहित करने के निर्देश जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर को निर्गत किये गये उसके आधार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर ने कार्यवाही की। उसके आधार पर उत्तर प्रदेश राजकीय आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम के प्रपत्र 9 और 10 के अधीन भूमि का कब्जा लिये जाने के संबंध में खातेदारों को नोटिस भी जारी किये गये जिसके विरूद्ध खातेदारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई और याचिका पवन पापुलर लि0 बनाम राज्य सरकार तथा अन्य और याचिका संख्या 1002 प्राम एग्रो फार्म लिमिटेड माननीय अध्यक्ष जी, रिट याचिका संख्या 982 श्रीमती शशि अग्रवाल बनाम राज्य सरकार, रिट याचिका संख्या 996 कुमारी मीनाक्षी अग्रवाल बनाम राज्य सरकार दायर की गयी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तराखण्ड की उक्त रिट याचिका में दिनांक 8.9.2005 को कलैक्टर द्वारा जारी नोटिस दिनांक 12.8.2005 की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था। जिसमें राज्य सरकार द्वारा दिनांक 4.8.2006 को पुनः रिव्यू प्रार्थना-पत्र माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया, वह अभी विचाराधीन है। मान्यवर, इस प्रकरण को इस सम्मानित सदन के संज्ञान में जो माननीय सदस्यगण लाये कि इसमें सब लीज की गयी है ऐसा सदन के संज्ञान में लाये। यहां मैं यह अवगत कराना चाहूंगा कि यह प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय में विचाराधीन होने के साथ जो आपने धारा-145 कार्यवाही की बात कही है। मान्यवर, इसमें मूल प्रकरण के स्थगन आदेश से यह आच्छादित होता है। यह प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने से इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। जहां पर स्पेसिफिक सब लीज की बात कही गयी है। उसका सरकार परीक्षण करा लेगी। मान्यवर, यह ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको हम घोटाले की परिभाषा दें। मान्यवर, चूंकि यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अतः इस पर कार्यवाही नहीं हो सकती है।

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, दिनांक 27.12.2008 को सरकार के नाम आदेश हो चुके हैं कि सरकार के नाम दर्ज किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

पूर्व में यह विनिश्चय आ गया है।

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, अन्धेर है, यथा स्थिति के आदेश हो चुके हैं अब स्टे नहीं मिल सकता है, यथा स्थिति तो सरकार के पक्ष में है, फिर उनके नाम 145, 146 कैसे सुपुर्द हो गयी? जब यथा स्थिति में सरकार के नाम हो गयी और सरकार को कब्जा लेना था और सरकार के नाम होना चाहिए था? मान्यवर, जानबूझ कर सरकार ने किया है। मान्यवर, जहां

सरकार सब लीज की बात कर रही है, यह देखिये, सब लीज बढ़ी है। (पेपर दिखाते हुए) मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी दिखाये हैं।

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, मैंने कहा कि जो आप दे रहे हैं, इसका परीक्षण करा लेंगे।

मान्यवर, यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इसको अग्राहय करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में अपनी-अपनी बात कहते हुए आ गये। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

जो मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, उसका क्या हो सकता है आप बतायें? मैं माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़, डा० हरक सिंह रावत, डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री नारायण पाल, श्री हरिदास और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राहय करता हूँ। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि इसका परीक्षण करा लेंगे, पहले परीक्षण हो जाये, जाँच का विषय बाद में आयेगा। (माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ जी ने अपने उक्त प्रकरण से संबंधित कुछ कागजात अध्यक्ष जी को दिये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त--

माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उस पर यथास्थिति बनी हुई है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

कृपया स्थान ग्रहण करें। जब तक सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर नहीं जाते हैं उनकी बातों का संज्ञान न लिया जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन, न्यायालय में मामला विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप इसमें परीक्षण के बाद जाँच करवा दीजिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(वेल में खड़े माननीय सदस्य अपने अपने स्थान चले गये।)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके विनिश्चय को माननीय मंत्रीगण चुनौती दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य का संज्ञान नहीं लिया जाए। आपके पुराने मित्र हैं मैं क्या करूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इतना बड़ा गम्भीर विषय है जिस पर नियम–310 के तहत हमने इस सदन के सम्मुख रखने का प्रयास किया था, लेकिन आपने सहृदयता दिखाते हुये नियम–310 को परिवर्तित करके नियम–58 की शाहयता पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी गम्भीरता इसी बात से निहित है कि हम सब लोग अगर आज इस सदन में बैठे हैं तो इस विषय की गम्भीरता के कारण और इस विषय के कारण यहां पर बैठे हैं। यह उत्तराखण्ड राज्य अपना स्वरूप ले पाया है, एक राज्य के रूप में परिवर्तित हो पाया है, तो निश्चित रूप से उसमें इस उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिकों की, उत्तराखण्ड की माता–बहनों की, उत्तराखण्ड के नौजवानों का, उत्तराखण्ड के छात्रों की अहम भूमिका थी, बलिदान था, त्याग था, संघर्ष था। वहीं माननीय अध्यक्ष जी, उससे भी अधिक संघर्ष, बलिदान, त्याग, तपस्या इस राज्य के निर्माण में उत्तराखण्ड के कर्मचारियों की थी और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्तराखण्ड के आम लोग थे, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता थे, छात्र थे उससे भी अधिक त्याग इन कर्मचारियों का है, इसलिए माना जा सकता है, माना जाना चाहिए कि ये सरकारी सेवक होते हुये भी, अपनी नौकरी की परवाह न करते हुये, अपने बच्चों के पेट को काटते हुए, उनके भविष्य की चिन्ता न करते हुए, इस उत्तराखण्ड राज्य के आंदोलन में उन्होंने सहभागिता निभाई।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज भी याद है वह दिन वर्ष, 1994 में, मैं पौड़ी से विधायक था और पौड़ी से जब हमारे प्रदेश के वयोवृद्ध नेता श्री म्होनी जी, श्री वाचस्पति जी

और तमाम अनेक लोग पौड़ी में उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे और वर्ष, 1994 की 7-8 तारीख को आंदोलनकारियों को भूख हड़ताल स्थल पर से उठाया गया, लाठीचार्ज हुआ, हमारे नौजवान कर्मचारी घायल हो गये। 8 तारीख को प्रातः पौड़ी चौंचा गांव की महिला जहां दरांती लेकर पौड़ी की सड़कों पर उतर आयीं वहीं माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज भी याद है, जब हमारे तमाम आंदोलनकारी साथी, जिसमें माननीय दिवाकर भट्ट जी भी थे। मान्यवर, मैंने बजट भाषण के दौरान भी इस घटना का उल्लेख किया कि जब उस समय की तत्कालीन सरकार माननीय भट्ट जी के पीछे पड़ गयी थी तो हमको इन्हें किसी ग्रामीण क्षेत्र में उनकी जान की सुरक्षा के लिए भेजना पड़ा। मान्यवर, मुझे आज भी याद है जब मैं पौड़ी हास्पिटल में उन घायल नौजवानों को देखने गया था। मान्यवर, मुझ से पहले इन्हें देखने के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय खण्डूड़ी जी गये थे तो उन्हें, उन्होंने बैरंग लौटा दिया था। मान्यवर, जब मैं वहां पर गया तो उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी कि रावत जी, पहले आप बाजार में जुलूस निकालेंगे तब हम आपको घायलों को देखने देंगे। मान्यवर, उस समय लगभग 20-25 मेरे साथी मेरे साथ थे। मान्यवर, जब हमने राज्य की मांग को लेकर जुलूस शुरू किया तो देखते ही देखते जुलूस लगभग 10 हजार से अधिक लोगों का हो गया, इसमें अधिकांश भूमिका कृषि विभाग, जिला उद्योग विभाग, मुख्य विकास अधिकारी के ऑफिस थे, जिधर से जुलूस निकलता था, सारे ऑफिस के कर्मचारी अपने ऑफिसों को छोड़कर उस आंदोलन में शरीक हुए। माननीय अध्यक्ष जी, चाहे वह पूर्ववर्ती कर्मचारी शिक्षक संघ हो जो वर्तमान में उत्तराखण्ड शिक्षक संघ है, चाहे मसूरी काण्ड हो, चाहे खटीमा काण्ड हो, चाहे श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू काण्ड हो, चाहे दिल्ली की 2 अक्टूबर की रैली हो। माननीय अध्यक्ष जी, इस उत्तराखण्ड के कर्मचारी पर्वतीय क्षेत्र के कर्मचारी राज्य के आंदोलन में उसी रूप में कूद गये जिस रूप में हमारी माताएं, बहिनें, भूतपूर्व सैनिक कूदें थे। मान्यवर, उन्होंने नौकरी की परवाह नहीं की, भले नौकरी जाती हो तो चली जाय, लेकिन हमारे उत्तराखण्ड की अस्मिता के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया है तो उत्तराखण्ड के कर्मचारी तब तक चुप नहीं बैठेंगे और अपने ऑफिसों को लौटकर नहीं जायेंगे।

मान्यवर, चाहे सरकार कितना ही दमन कर ले, नौकरी छूट जाय तो छूट जाय, हमें जेलों में डाल दे, लेकिन हम राज्य से कम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मान्यवर, इतना बड़ा संघर्ष इस राज्य आंदोलन में इनका रहा है। मान्यवर, मैं मिलेट्री साईस का शिक्षक होने के नाते चाहे फिदेलकास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा की क्रान्ति हो, चाहे अमेरिकन सिविल वार हो, चाहे रसिया का 1917 का गृह युद्ध हो, चाहे 1949 का साम्यवाद हो, चाहे चाईना की क्रान्ति हो, हमने सबका अध्ययन किया है। मैं कह सकता हूं चाहे यासर अराफात के नेतृत्व में फलिस्तीन मुक्ति मोर्चा का मामला हो, चाहे नेल्सन मण्डेला दक्षिण अफ्रीका में चलायी गयी श्वेत, अश्वेत की क्रान्ति हो। माननीय अध्यक्ष जी, इन तमाम आंदोलनों का अध्ययन करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि यह उत्तराखण्ड राज्य

का आंदोलन अपने आप में अभूतपूर्व था, अभूतपूर्व है और अभूतपूर्व रहेगा और इसे अभूतपूर्व बनाने में मुझे आज भी याद है दो अक्टूबर के बाद अगस्त्यमुनि, श्रीनगर, पौढी, कोटद्वार में कर्फ्यू लग गया था। मान्यवर, आज भी मुझे याद है लोगों ने डर के कारण घरों से बाहर निकलना बन्द कर दिया था। कर्मचारियों की मजबूरी थी, आन्दोलन सुस्त हो गया था, आन्दोलन की गति धीमी हो गयी थी। कर्मचारियों की मजबूरी हो गयी, हमने प्रदेश सरकार को नोटिस दिया है, प्रदेश सरकार के खिलाफ हम बगावत कर सड़कों पर उतर आये हैं, आन्दोलन में कूद पड़े हैं। अब बिना राज्य बने हुए, बिना कोई समझौता हुए हम वापस भी नहीं जा सकते। मुझे आज भी याद है, पर्वतीय कर्मचारी संघ के नेताओं ने मुझसे बात की। स्व0 बुटोला जी पर्वतीय कर्मचारी संघ के संरक्षक थे। बहुत से कर्मचारी नेता आज भी कर्मचारी हैं, बहुत से सेवानिवृत्त हो गये हैं। पूरे उत्तराखण्ड के कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, पौढी में। बहुत से कर्मचारी नेता, चाहे टोडरिया जी हों, चाहे नैनीताल के कर्मचारी नेता हों, सब पौढी में आए, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, रावत जी, हमारी स्थिति ऐसी हो गयी है कि हम उगल भी नहीं सकते और निगल भी नहीं सकते। लोग, जो आन्दोलनकारी थे, उनमें से कई तो घरों में बैठ गये और कुछ कहीं चले गये। हमारी स्थिति ऐसी हो गयी है, हम किन शर्तों पर वापस आएं, राज्य बना नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि जब-जब आन्दोलन की आग धीमी पड़ी, आन्दोलन सुस्त हुआ, आन्दोलन जब-जब कमजोर हुआ, उस समय इस उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन को अगर जिन्दा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का किसी ने निर्वहन किया है, तो वह राजकीय कर्मचारियों ने किया है, कार्पोरेशन में रहने वाले कर्मचारियों ने किया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, यह राज्य बनने के बाद आपको, हमको, सबको यह सौभाग्य मिला है कि हम इस सम्मानित सदन के सदस्य बन सकें। उत्तराखण्ड राज्य के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति है। जब सरकार ने, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे यह सरकार है, सरकार ने जब निर्णय लिया कि हम उत्तराखण्ड के आन्दोलनकारियों को सम्मानित करेंगे, उनको रोजगार देंगे। मान्यवर, ऐसी स्थिति में, जैसा मैंने उल्लेख किया जब-जब उत्तराखण्ड आन्दोलन कमजोर होता था......

श्री अध्यक्ष-

माननीय हरक सिंह जी, अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखने हैं।

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, उस समय यही कर्मचारी हमारे आन्दोलन की रीढ़ की हड्डी होते थे, नींव के पत्थर होते थे और आज हमने राज्य बनने के बाद इन्हीं कर्मचारियों को भुला दिया। इनका योगदान भुला दिया। आज चाहे दौलत सेमवाल हों, चाहे सर्कवाल जी हों, चाहे नेगी जी हों, चाहे बुटोला जी हों, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, इस राज्य के आन्दोलन में, तमाम कर्मचारी, हजारों कर्मचारी, लाखों कर्मचारी जो थे, इस उत्तराखण्ड के, आज राज्य बनने के बाद हमने उनके उपकार को भुला दिया। उनमें कोई

शिक्षक हैं, हम उनको नियुक्ति नहीं दे सकते, उनको प्रोन्नति में अवसर दिया जा सकता है। उनको लगेगा कि उत्तराखण्ड राज्य ने हमारे उस त्याग का, हमारे उस बलिदान का, जो दो–दो साल तक हमने वेतन नहीं लिया, कैसे गुजारा किया होगा हमने? परिवार का पालन पोषण कैसे हुआ होगा? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि डेढ़ लाख से अधिक जो इस उत्तराखण्ड के कर्मचारी हैं, जिनकी इस उत्तराखण्ड राज्य के आन्दोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही है, जेलों में रहे हैं, उनको प्रोन्नति का अवसर दिया जाना चाहिए, उनको सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। उनके परिवार के व्यक्ति को, जिस तरह हम आन्दोलकारियों को नौकरियों में स्थान दे रहे हैं, उसी तरह उनके परिवार के व्यक्ति को भी नौकरी में स्थान दिया जाना चाहिए, यह मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। उन आन्दोलनकारियों की तरफ से मैं आपका विनिश्चय चाहता हूं, आपका संरक्षण चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उत्तराखण्ड के जिन कर्मचारियों ने आन्दोलन में भाग लिया है, उनके लिए मैं आपसे चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो जाए। सभी पार्टी के लोगों के विचार आ जाएं क्योंकि ग्राह्यता पर तो जिनके इस सूचना में दस्तखत हैं, उन्हीं को अवसर मिलेगा। लेकिन यह विषय इतना गंभीर है कि हमारे इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के इस पर विचार आ जाएं, इस पर आप चर्चा स्वीकृत करें। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के शहीदों, खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर, और श्रीयंत्र टापू के शहीदों तथा स्व0 इन्द्रमणि बडोनी जी की स्मृतियों को नमन करता हूं। क्योंकि आप स्वयं भी उस आन्दोलन के एक पुरोधा रहे हैं आज सरकार में भी ऐसे हमारे कई साथी हैं, जैसे दिवाकर भट्ट जी हैं और भी बहुत से साथी उस आन्दोलन का हिस्सा रहे हैं। मैं भी उस आन्दोलन का एक अदना सा सिपाही रहा हूं और एक राजनीतिक दल का राष्ट्रीय पदाधिकारी होने के बावजूद मैं अपनी पार्टी के मुख्यालय पर 12 दिन तक राज्य के मुद्दे पर भूख हड़ताल पर रहा था और उस संघर्ष का आशीर्वाद यह हुआ कि मुझे इस सम्मानित सदन का सदस्य बनने का मौका मिला। मान्यवर, आपने भी देखा और हमने भी देखा, मैं यह नहीं कहता कि खाली पर्वतीय क्षेत्र के लोग नहीं थे या खाली पर्वतीय क्षेत्र के कर्मचारी नहीं थे। उस समय सारा का सारा जितना हमारा कर्मचारी वर्ग था, वह निश्चित रूप से आन्दोलन का हिस्सा थे और 20 सितम्बर, 1994 से लेकर 21 दिसम्बर, 1994 तक एक आन्दोलनकारी की तरह वह सब लोग इस आन्दोलन में शामिल रहे। जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत जी ने भी कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है और जब हमारी उनसे बात होती थी कि आप तो सरकारी कर्मचारी हो,

आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है, नौकरी भी जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि किशोर उपाध्याय जी, जब तक उत्तराखण्ड राज्य नहीं मिलेगा, हम लोग अपने घर वापस नहीं जायेंगे, चाहे उसके लिये कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े।

मान्यवर, परसों ही उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी मंच का सम्मेलन हुआ था और आप भी कृपा करके उसमें उपस्थित हुये थे। किस तरह की भावना उन लोगों की थी, आपने स्वयं देखा है। वे आहत हैं कि किस तरह से यहां पर आन्दोलनकारियों की उपेक्षा हो रही है। यह उन्होंने नहीं कहा है, यह तो हमारी तरफ से आकांक्षा है कि उन लोगों को पदोन्नति मिलनी चाहिये, कोई इंसेंटिव मिलना चाहिये, वेतनवृद्धि मिलनी चाहिये। इस बीच में मैंने उनसे बात की, जब उनका सम्मेलन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि किशोर उपाध्याय, हमें कुछ नहीं चाहिये, लेकिन कम से कम सरकार यह तो माने कि हमारा भी उस उत्तराखण्ड आन्दोलन में कोई योगदान है। हम लोग जो लगभग 1 लाख 22 हजार की संख्या में थे, इस सरकार के सामने ऐसी कौन सी परेशानी आ रही है कि यह एक कागज का टुकड़ा नहीं दे सकती है कि आप लोग उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी हैं और यह आपका सम्मान पत्र है। तो इस प्रकार से उन आन्दोलनकारियों की उपेक्षा हो रही है।

मान्यवर, मैं आज देख रहा था कि किस तरह से उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों की उपेक्षा हो रही है, माननीय पुष्पेश त्रिपाठी जी ने कल एक सवाल लगाया था उसमें बताया गया था कि दो लोग मुजफ्फरनगर कांड में शहीद हो गये थे और मैं उन शहीदों के परिवारों को जानता हूँ, आज उनके पास खाने के लिये अनाज नहीं है। आन्दोलनकारी शहीद हो गये और सरकार का जवाब आ रहा है कि हमने उनके परिवारों को 40 और 50 हजार रूपये की सहायता प्रदान कर दी है।

मान्यवर, तो इस तरह जिनकी नींव पर, जिनकी शहादत पर, जिनके संघर्ष से ये राज्य बना है, अगर उनकी उपेक्षा हो तो यह चिंता का विषय है। इसमें हमारे और भी साथी बोलेंगे इसलिए मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। सीधे-सीधे आपसे निवेदन है और निश्चित रूप से जैसे हरक सिंह जी ने कहा आप इस पर चर्चा करवा दें जिससे और लोगों के विचार आ जाएं और जो उनकी भावनाएं हैं मान्यवर, आंदोलनकारियों की भावनाएं हैं, सरकारी कर्मचारियों की, उनकी भावना की रक्षा होनी चाहिए। मान्यवर, आपकी तरफ से विनिश्चय आना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने नियम-310 की सूचना को नियम-58 में सुनने के लिए निर्देश दिये, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। राज्य आंदोलनकारियों से सम्बन्धित चर्चा कराने के लिए ये विषय सदन के सम्मुख रखा गया है। मैं समझता हूँ कि हम सबकी पूरे सदन की और सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है

कि जो राज्य आन्दोलनकारी रहे हैं उनके सम्बन्ध में बहुत गम्भीरता से चिंतन करके कोई ठोस निर्णय और कोई ठोस निर्देश आपकी तरफ से सरकार को जाना चाहिए। ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। विशेष रूप से इस राज्य को बनाने में, इस राज्य के आंदोलन में जो राजकीय कर्मचारी थे इस प्रदेश के, उन्होंने जिस तरह से अपनी पूरी सेवाओं को दांव में लगा करके लंबे समय तक आंदोलन किया और उस समय तो भी, हम नहीं सोचते थे, कि ये राज्य बनेगा। लेकिन लगातार संघर्षशील रहे और उसी का परिणाम है कि आज ये राज्य हमारे सामने है और अगर उसके बाद भी उन सरकारी कर्मचारियों को पीड़ा होती है, कोई कष्ट होता है, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती है, उनको सम्मान नहीं दिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि उनका सबसे अधिक अपमान है। इसलिए मैं अधिक समय न लेते हुए आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही को स्थगित करते हुए चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

*श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–310 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और सम्मानित साथी श्री किशोर उपाध्याय जी, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल जी ने जिन बातों का यहां पर उल्लेख किया, उससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि निश्चित रूप से आज यहां पर जितने भी सम्मानित सदस्य बैठे हैं, कहीं न कहीं उन आंदोलनकारी जिन्होंने इस उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति के लिए बहुत लम्बा संघर्ष किया, बहुत लम्बी लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई के तहत ही आज ये सब सौभाग्य, आज जो यहां पर माननीय सदस्य बैठे हैं उनको प्राप्त हुआ है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हमें निश्चित रूप से चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि जब ये उत्तराखण्ड राज्य हम लोगों को प्राप्त हुआ और उस समय कहीं न कहीं उन सब जो हमारे विद्वान जन, चिंतनशील लोगों ने चिंतन मनन किया होगा कि जिस उत्तराखण्ड राज्य की प्राप्ति हम करने जा रहे हैं उसके पीछे क्या उसके उद्देश्य है, क्या उसकी भावनाएं हैं और विशेषकर जिन उत्तराखण्ड आंदोलनकारियों ने इसमें अपनी सहभागिता करी, बढ़–चढ़ कर करी और उन्होंने अपने को हर कदम आगे बढ़ाने का काम किया और अपने परिवार को भी छोड़ने का काम किया और उन्होंने कहीं ऐसा नहीं सोचा होगा कि जिस उत्तराखण्ड राज्य की हमने कल्पना की, 10 साल बाद भी उत्तराखण्ड राज्य के जो मूल उद्देश्य हैं, जो उनकी भावनायें थी कि हमें उसमें हमारा अधिकार मिलेगा, उन सारी बातों को देखते हुए जो हमारे राजकीय सेवाओं में कार्यरत् आन्दोलनकारी हैं उनको निश्चित रूप से आन्दोलनकारी घोषित किया जाय। मैं समझता हूँ इतने महत्वपूर्ण विषय पर जिसको विस्तृत रूप से माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व का विषय है। इसमें सदन की सारी कार्यवाही को रोककर चर्चा की मांग करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने और हमारे सम्मानित साथियों ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर अपनी-अपनी बातें कही। श्रीमन्, मैं राज्य आन्दोलन की पृष्ठभूमि पर नहीं जाना चाहता क्योंकि इस आन्दोलन से यह सदन भली-भांति परिचित है। श्रीमन्, जब यह आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। (व्यवधान) जब इस उत्तराखण्ड राज्य में राज्य प्राप्ति के लिए आन्दोलन प्रारम्भ हुआ उस समय किसी को भी यह पता नहीं था कि कब तक राज्य का निर्माण हो पायेगा। इस उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक नागरिक ने राज्य आन्दोलन में सहभागिता निभाई और आन्दोलन के दौरान जो कुछ घटित हुआ उससे यह सदन भली-भांति परिचित है। श्रीमन्, मैं तो कोई बहुत लम्बी चौड़ी बात इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि बात की पुनरावृत्ति होगी। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हू कि राज्य की सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के बारे में, जिन्होंने इस आन्दोलन में अपनी सहभागिता निभाई उनके संबंध में, मैं जरूर कहना चाहता हूँ। जहाँ एक और उन तमाम आन्दोलनकारियों को जिन्होंने आन्दोलन में हिस्सा लिया उनको आन्दोलनकारी मानते हुए जो कुछ भी सरकार कर सकती है उसको करने का प्रयास किया गया है और किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकारी सेवाओं में जो कार्यरत लोग थे उनकी सहभागिता इस उत्तराखण्ड राज्य निर्माण में रही। मैं आज सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हू कि आज उनको भी सम्मानित करने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी के इस कथन से सहमत हूँ कि सरकारी कर्मचारी जिनकी आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही उन्होंने यह नहीं कहा कि हमारी बहुत बड़ी सरकारी सेवाओं में पदोन्नति की बात हो या आर्थिक सहायता की बात हो, उन्होंने यह कहा कि राज्य आन्दोलन में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका रहीं, हम उसको स्वीकार करते हुए उनको सम्मान देने का काम करें। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि अभी संसदीय कार्य मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे, निश्चित रूप से मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वह आज सदन में घोषणा करें कि उत्तराखण्ड आन्दोलन में जिन सरकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया उनको आन्दोलनकारी घोषित करते, माननीय अध्यक्ष जी, उनके सम्मान के लिए सरकार करने का प्रयास करे, कोशिश करे। अगर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों में घोर निराशा का वातावरण व्याप्त होगा। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि 2002 से 2007 तक क्या हुआ। मैं कहता हू कि अगर 2002 से 2007 तक कुछ नहीं हुआ तो 2002 से 2012 तक भी कुछ नहीं करेंगे। क्या हम मौन रहेंगे? यह विषय सरकारों का नहीं है, यह विषय सरकारों से ऊपर उठकर इस प्रदेश का है, आन्दोलनकारियों का है। जिन्हें हम सम्मान देने की बात करते हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करना चाहता हूँ निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु है अविलम्बनीय है और लोकमहत्व का भी है। अतः आज सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा कराई जाए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सम्मानित साथी माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी व मेरे अन्य सम्मानित साथियों द्वारा आंदोलनकारियों से सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों को आंदोलनकारी घोषित करने के सम्बन्ध में सूचना की ग्राह्यता पर विचार रखे गये माननीय अध्यक्ष जी, राज्य आंदोलन से सम्बन्धित विषय पर विस्तृत रूप से कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यह सदन जिस सदन में सम्मानित सदस्यगण मौजूद हैं और इस राज्य के सभी बाल, वृद्ध, नर–नारी, शिक्षक कर्मचारी, छात्र और किसान सभी उस आंदोलन के साक्षी और दृष्टा रहे हैं और उस आंदोलन में राज्य के कर्मचारियों की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। और उस आंदोलन को जिस तरह हम लोगों ने बहुत करीब से देखा एवं आंदोलन में हम लोगों ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। जब उत्तराखण्ड राज्य बन गया तथा राज्य बनने के बाद तब से लेकर आज तक विभिन्न सरकारों के माध्यम से समय–समय पर आंदोलनकारियों को अनेकों सुविधायें दिये जाने के विभिन्न आदेश निर्गत किये गये। उन आदेशों की मूल भावना ऐसे आंदोलनकारी, जिनका उस आंदोलन के समय उत्पीड़न हुआ और जिन आंदोलनकारियों को जेल जाना पड़ा था, जिन आंदोलनकारियों को शारीरिक यातना झेलनी पड़ी थी। उन सभी आंदोलनकारियों को उचित सुविधा दिया जाना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाना सरकार का परम कर्तव्य है। और इसी के चलते हुए विभिन्न समय में जिसमें विशेष तौर पर 7 दिन से अधिक जेल गये आंदोनकारियों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पदों पर समूह–ग और घ में सेवायोजित किया गया, ऐसे 520 आंदोलनकारी थे और ऐसे आंदोलनकारी 7 दिन से कम अवधि तक जेल में गये, जिनकी 50 वर्ष से कम आयु है ऐसे आंदोलनकारियों को विभिन्न नियुक्तियों में आरक्षण भी प्रदान किया गया।

मान्यवर, अधिमान देने की भी व्यवस्था की गयी है और जिन आन्दोलनकारियों की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गयी और सात दिन से अधिक जेल गये और अक्षम होने के कारण उन्होंने सेवा नहीं की, ऐसे आन्दोलनकारियों के बच्चों को सीधी भर्ती में दस प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था भी की गयी। मान्यवर, सात दिन से कम जेल गये आन्दोलनकारियों को स्वरोजगार योजनाओं में प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गयी। मान्यवर, इसके साथ–साथ जो 26 फरवरी, 2009 को आदेश निकाला गया था कि सी0बी0आई0 के मुकदमें जिन आंदोलनकारियों पर लगे थे, ऐसे आन्दोलनकारियों को तीन श्रेणी में विभक्त करते हुए उनको एक अनुमन्य राशि का प्रविधान भी किया गया। मान्यवर, श्रेणी एक में 1 लाख रूपये, श्रेणी दो में 75 हजार रूपये तथा श्रेणी तीन में 60 हजार रूपये देने के प्राविधान किये गये और उन पर जो दायर मुकदमे थे, उनको वापस ले लिया गया। मान्यवर, ऐसे सभी आन्दोलनकारियों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, यह हमारी सरकार भी महसूस करती है। मान्यवर, इसी बात को लेते हुए 22 अक्टूबर, 2008 को आन्दोलनकारियों को चिन्हीकरण करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई और यह प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है, इसके कुछ आधार रखे गये हैं। मान्यवर, यह एक जन

आन्दोलन था, इसमें 84 लाख लोगों का योगदान था, उस आन्दोलन को एक नेतृत्व भी मिला, जिन लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया और जिन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, ऐसे आन्दोकारियों को चिन्ह्रीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की और जिलाधिकारियों को निर्देशित भी किया। मान्यवर, उस निर्देश के तहत एल0आई0यू0 की रिपोर्ट, पुलिस के अन्य अभिलेख, प्रथम सूचना रिपोर्ट, चिकित्सालय संबंधित प्रमाण पत्र, ऐसे प्रमाण पत्र को जिलाधिकारी प्रमाण से, इस प्रकार के प्रमाण जिसके माध्यम से भी आन्दोलनकारी उपलब्ध करायेंगी, उनको आन्दोलनकारी प्रमाण–पत्र दिया जायेगा। मान्यवर, जिलाधिकारियों को आदेश दिये गये कि ऐसे सभी आन्दोलनकारियों को उचित सम्मान दिया जाय और जिला स्तर पर होने वाले समारोह में आमंत्रित किया जाय। मान्यवर, आन्दोलनकारियों की चिन्ह्रीकरण की यह सतत् प्रक्रिया है। इसके तहत उत्तराखण्ड का नागरिक या आन्दोननकारी, जिलाधिकारी के यहां इस पहचान पत्र को ले सकता है। मान्यवर, जहां स्पेशिफिक राज्य कर्मचारियों का मामला रखा, चूंकि यह राज्य कर्मचारी के सेवा नियमावली एवं आचरण संहिता से भी वह शासित होता है। मान्यवर, उन सभी कर्मचारियों के जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस आन्दोलन में की है, उसका हम सब सम्मान करते हैं। क्योंकि उस त्याग, तपस्या के बलिदान को हम नमन करते हैं। मान्यवर, हम सम्मान करते हैं और उनके सम्मान में कही भी कमी नहीं आने देते है। मान्यवर, सरकार इस विषय पर स्वयं गंभीर है और समय–समय पर सरकार के माध्यम से आदेश हुए हैं। मान्यवर, इस विषय के बारे में, मैं जो सदन के संज्ञान में लाया हूं, इसलिए आपसे आग्रह करूँगा कि इस सूचना को अग्राह्य किया जाय, चूंकि इस विषय पर सरकार स्वयं गंभीर है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी जी, श्री प्रीतम सिंह जी, श्री किशोर उपाध्याय जी, श्री गोविन्द सिंह कुजंवाल जी और डा0 हरक सिंह रावत जी तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। (व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो वर्ष, 2008 का शासनादेश है, वह सब पर लागू होता है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मान्यवर, कल भी कानून–व्यवस्था पर चर्चा हुई। आज उत्तराखण्ड में कानून व्यवस्था बहुत ही गंभीर बनी हुई है। राज्य में आए दिन डकैती, लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही है। मैं विशेष तौर पर हरिद्वार की बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार जनपद में रोज न रोज कोई न कोई लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही हैं। कभी कोई घटना घटित हो

जाती है तो कभी कोई घटना घटित हो जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार जनपद में वैसे भी बहुत ही संवेदनशील है क्योंकि इसकी सीमाएं दूसरे प्रदेशों से लगी हुई हैं। जिसके कारण बाहर के बदमाश यहां आते हैं और घटना का अंजाम करके चले जाते हैं लेकिन पुलिस का कुछ भी अंकुश इन पर नही है। घटना को दर्ज कर लिया जाता है और दर्ज करने के बाद वह कागजों में ही दब कर रह जाती है। अगर पुलिस तत्परता के साथ घटना का खुलासा करे और अपराधी को पकड़े और दण्डित करें तो अपराधी की दोबारा हिम्मत न हो कि वह अपराध करके चला जाए उसको अपराध करने की हिम्मत भी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण बदमाशों के हौसले बुलंद हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक केस के बारे में आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं। दिनांक 20 व 21 की रात्रि को श्री लाल सिंह नाम का युवक, जो किशनपुर, तहसील–रूड़की, थाना– भगवानपुर का निवासी है की गला काट कर हत्या कर दी जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि इसी व्यक्ति को ठीक एक महीने पहले 19.2.2010 को सालियर के पास बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया जाता है। जिसकी रिपोर्ट थाना गंग नगर में अपराध संख्या–39/10 में दर्ज हो जाती है और उसे रेफर करके जौलीग्रांट अस्पताल भेज दिया जाता है। 15 दिन इलाज के बाद वापस जब वह अपने घर जाता है और पुलिस द्वारा इस बीच कोई भी कार्यवाही बदमाशों को पकड़ने में नहीं की जाती है और न ही इन बदमाशों को चिन्हित किया जाता है और न पकड़ने का प्रयास किया जाता है। बल्कि बदमाशों को पुनः उसकी हत्या करने का मौका दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर पुलिस द्वारा बदमाशों पर पहले ही दिन से कार्यवाही की जाती, उनको पकड़ने का प्रयास किया जाता या फिर उनको चिन्हित किया जाता तो शायद उन बदमाशों की हिम्मत दुबारा उस व्यक्ति को मारने की न होती। लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही बदमाशों के खिलाफ नहीं की जाती है और तफ्तीश को दबाकर ठण्डे बस्ते में डाल दिया जाता है। यदि पुलिस ईमानदारी से काम करती, यदि पुलिस तत्परता से काम करती तो वह जो घटना घटित हुई है यह जो हत्या हुई वह आज न होती। यदि उन बदमाशों को पकड़ लिया जाता और उन्हें जेल में भेज दिया जाता तो उनकी हिम्मत न होती कि हत्या करें।

मान्यवर, इसलिए गम्भीर विषय है, क्योंकि इन अपराधियों के हौसले इतने बुलन्द हैं कि पहले गोली मारते हैं और एक महीने बाद तलवार से मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका मात्र 14 साल का एक बच्चा है, उस पर भी चाकू से प्रहार किया जाता है, उसको भी चाकू से दोनों हाथों को घायल किया जाता है, लेकिन पुलिस सोती रहती है, प्रशासन सो रहा है और जब हमारी सरकार सो रही है, सरकार ने अधिकारियों को निरंकुश कर रखा है तो कहां से कानून व्यवस्था इस प्रदेश की ठीक होगी, कानून व्यवस्था तो तब ठीक हो सकती है जब सरकार की नियत साफ हो और सरकार का डण्डा

मजबूत हो और वे अधिकारियों को कहें कि यदि तुम्हारे क्षेत्र में कोई घटना घटित होती है तो तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही होगी, तुम्हें निलम्बित किया जायेगा, सस्पेण्ड किया जायेगा, लेकिन सस्पेण्ड की बात तो दूर उन्हें गवाह तक नहीं बनाया जाता है, गोली मार दी जाती है और गिरफ्तारी तक नहीं होती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस विषय में यह कहना चाहता हूँ कि हत्या कर दी गई तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि एक महीने पहले जब 19 तारीख को गोली मारी गई थी, जिस प्रकार से इसकी विवेचना कर रहे थे, जिस थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई एक महीने के अन्दर पुलिस अधिकारी ने न कोई कार्यवाही की और कार्यवाही नहीं की तो फिर उनकी हत्या होती है और हत्या का जिम्मेदार पूर्णतया वह थानाध्यक्ष है जो उस तफ्तीश की जांच कर रहे थे। मैं यहां तक उन पर आरोप लगाना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से उनकी लापरवाही की वजह से आज यह हत्या हुई, क्या सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है या उनके खिलाफ कोई एक्शन करेगी, जिनकी वजह से हत्या हुई। मान्यवर, एक नवयुवक, जो उस परिवार का अकेला कमाने वाला था, आगे उसके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है, परिवार बरबाद हो गया है, वह परिवार बेसहारा हो गया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिनकी लापरवाही से हत्या हुई है, निश्चित रूप से मैं उन्हें दोषी मानता हूँ, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से उनकी भी हत्या की जा सकती है, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि बदमाशों ने एक हत्या की है और यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो निश्चित रूप से उनके लड़के की भी हत्या की जा सकती है इसलिए उस परिवार को संरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि बदमाश गिरफ्तार न हो जायें। मैं यह भी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उस परिवार के लिए निश्चित रूप से सरकार भरण-पोषण के लिए कुछ मदद भी करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने दिनांक 21–3–2010 की इस घटना का उल्लेख किया, उसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहूंगा कि 19 फरवरी, 2010 को जब श्री लाल सिंह अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे तो उस दौरान अज्ञात अपराधियों द्वारा गुहाना थाना गंग नहर के पास गोली मारकर घायल कर दिया गया था और इसके सम्बन्ध में थाना गंग नहर में धारा–307 के तहत मुकदमा अज्ञात अपराधियों के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया, वह मामला विवेचनाधीन है, लेकिन इसी मध्य में 31–03–2010 को श्रीमती कुसुम पत्नी श्री लाल सिंह निवासी ग्राम बिशनपुर थाना भगवानपुर, जनपद हरिद्वार द्वारा अपने पति श्री लाल सिंह की दिनांक 21–3–10 को अज्ञात बदमाशों द्वारा गला काटकर हत्या किये जाने से सबंधित मुकदमा लिखाया गया और यह धारा–302 बनाम तीन अज्ञात लोगों के लिए पंजीकृत कराया गया और यह विवेचना वर्तमान में चल रही है, 2 दिन पुराना प्रकरण है।

मान्यवर, अपराध त्वरित अनावरण के लिए हमारी पुलिस टीमें अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है और शीघ्र ही यह प्रकरण खुल जायेगा। चूंकि ये एक तरह से ब्लाइंड केस है इसके सुराग लेने का कार्य चल रहा है। ज्यों ही प्रकरण का सुराग मिलता है तत्काल इसमें दोषियों की गिरफ्तारी और उन्हें समुचित दण्ड दिया जायेगा। मान्यवर, चूंकि आपने हरिद्वार जनपद में पुलिस की लापरवाही से सम्बन्धित विषय उठाया है। मान्यवर, वहां की पुलिस पूरी तरह से अपराधियों पर नियंत्रण का कार्य कर रही है। वर्ष, 2010 में केवल एक डकैती का प्रकरण हुआ है और उसको भी तत्पर पुलिस ने खोल दिया है। लूट की 11 घटनाएं हुई, जिनमें से 6 का अनावरण हो चुका है और हत्या की 9 घटनाओं में से 8 घटनाओं का अनावरण कर दिया गया है। मान्यवर, इसी तरह से जितने भी अपराध समाज के अंदर होते हैं, उन पर नियंत्रण का कार्य पुलिस करती है, जोकि वह पूरी तत्परता से कर रही है। सरकार पूरी तरह से गम्भीर है। इसलिए इस विषय पर चर्चा कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः इसे अग्राह्य कर दिया जाय। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, 19 तारीख को उस व्यक्ति को गोली मार दी जाती है और आज माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी कर ली जायेगी। अब आगे उसके परिवार की सुरक्षा कैसे होगी। (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और एक साथ अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी पुलिस की है, और वह यह कार्य कर रही है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होता, तब तक किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह ब्लाइंड केस है, टीमें गठित कर दी गयी है, खोलने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसे घटित हुए अभी दो दिन हो रहे हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर पुलिस अधिकारियों ने जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि प्राणघातक हमला हुआ है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि धारा–307 का मुकदमा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया है।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' में खड़े रहे।)

मान्यवर, उस व्यक्ति की हत्या हुई है, जिसमें धारा–302 में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर सचमुच इस एक माह के कार्यकाल में पुलिस की कोई लापरवाही दिखाई दे रही है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका परीक्षण करा लें, जांच करा ले।

('वेल' में खड़े बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, पुलिस की लापरवाही नहीं है। बिल्कुल ब्लाइंड केस है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व में अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा–307 में मुकदमा दर्ज हुआ है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, पुलिस ने सभी केसों का अनावरण किया है, इसका भी अनावरण हो जाएगा। दोषी जो अपराधी है, वह जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाह रहा हूं और यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो हत्या का प्रयास करने का मुकदमा धारा–307 में दर्ज हुआ था, वह भी अज्ञात लोगों के खिलाफ था और यह जो घटना हुई, जो कत्ल किया गया, वह तो ठीक है, जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि 2 दिन पुरानी घटना है और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ धारा–302 का मुकदमा दर्ज है और पुलिस इसका अनावरण करने की कार्यवाही करेगी। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जो प्राण घातक हमला धारा–307 का था, उसको तो एक माह हो गया है। एक व्यक्ति पर पहले प्राण घातक हमला होता है, फिर एक माह बाद उसी व्यक्ति का कत्ल कर दिया जाता है, दोनो अलग-अलग बातें हैं। यह तो ठीक है कि दो दिन पहले जो हत्या हुई है, पुलिस उसका खुलासा करने की कोशिश करेगी। क्योंकि मुकदमा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ है, ब्लाइंड केस है। लेकिन एक माह पहले जो उसी व्यक्ति पर हमला हुआ।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वह भी अज्ञात लोगों के खिलाफ है। उस व्यक्ति ने हमलावरों के खिलाफ कोई सुराग नहीं दिया। पुलिस अपने स्तर से कार्यवाही कर रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं इसको अग्राह्य कर चुका हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस घटना को तो एक माह हो चुका है। क्या पुलिस एक माह में उसका खुलासा नहीं कर पायी है?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जिस व्यक्ति पर हमला हुआ था, जिसने उसके ऊपर हमला किया था, उसने उसके बारे में कुछ बताया नहीं। वह भी ब्लाइंड केस था। ब्लाइंड केस खोलने का

हम प्रयास कर रहे हैं। टीमें गठित की गयी है। हम इसको खोल लेंगे। (व्यवधान) जैसे अन्य प्रकरण खुले हैं, वैसे ही यह प्रकरण भी खुलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय श्री शहजाद जी, माननीय श्री राकेश जी, सरकार ने कहा है कि बहुत जल्दी खुलासा किया जाएगा, जो भी दोषी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने कहा है, उनकी बात का संज्ञान ले लिया गया है। अगर किसी की लापरवाही होगी तो उसको दण्डित किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सुरेन्द्र राकेश जी और श्री शहजाद जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने आपके दबाव में यह कह दिया है कि कोई भी लापरवाही यदि की गई है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान) माननीय सुरेन्द्र जी, उसे फांसी तो नहीं दी जा सकती है, आप यदि ऐसे ही जिद पर अड़ जाओगे तो कैसे होगा, मैं किसी अपराधी को बचाने की बात नहीं कर रहा हूं। प्रदेश के और भी तमाम मुद्दे हैं। (व्यवधान) यदि पुलिस की लापरवाही होगी तो मंत्री जी ने कहा है कि उस पर भी कार्यवाही होगी।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अवगत कराया है कि यह बिल्कुल ब्लाइंड केस है। जब कहीं से कोई सुराग नही मिला, जिसके ऊपर गोली चली, उसने भी सुराग नही दिया। लेकिन पुलिस अपने सूत्रों से ढूंढने का प्रयास कर रही है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि उसमें लापरवाही हुई है तो उसका परीक्षण करा लेंगे। जो माननीय सदस्य ने कहा है, उस प्रकरण को दिखवा लेंगे, हम उसका संज्ञान ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गये।)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को हमने सदन में रखने का प्रयास किया है, हमारे सदस्य श्री केदार सिंह रावत और श्री रणजीत रावत ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को यहां पर रखा है। मान्यवर, कई वर्षों से गंगा नदी में लाशें बहकर आती हैं, कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ की मृत्यु नदी में डूबने से हो जाती है, कुछ नदी मे बह जाते हैं, कुछ साधु–सन्यासी समाधि लेकर नदी में बह जाते थे। तो पिछले 15–20 वर्षों से यह काम लगातार चल रहा था कि लाशें आती थी और जो वीरभद्र बैराज है, जहां पर जाली लगी हुई है। उस जाली में जब लाशें फंस जाती हैं तो हमारे प्रदेश सरकार के कर्मचारी उन लाशों को बोट के जरिये जाकर निकालते थे और उनके हाथ में या पावों में रस्सी बांधकर बाहर लाते थे और बैराज के पास ही पेड़ों पर उन लाशों को टांग देते थे। और जंगली जानवर उन लाशों को खा जाते थे और ये प्रक्रिया लगातार पिछले कई वर्षों से चल रही थी माननीय अध्यक्ष जी, एक तो इससे जो जानवर चाहे बाघ, चाहे जो भी जंगली जानवर उन लाशों से मांस को खाता था, वो आदमखोर हो जाता था। इससे जो आदमखोर जानवरों की संख्या में एकदम तीव्रता के साथ वृद्धि हुई उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। और दूसरा कई बार कोई हत्या करके नदी में शव को डाल दिया जाता है और शव न मिलने के कारण उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती है, अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं और प्रदेश सरकार के कर्मचारी उन लाशों की अंत्येष्टि भी नहीं करते हैं जो हमारी मैथेलांजी के तहत अंत्येष्टि होनी चाहिए। जब मीडिया के माध्यम से अचानक 2 मार्च को ये मामला प्रकाश में आया, मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर, गढ़वाल को इसकी जांच सौंपी और तीन तारीख से लाशों की गिनती शुरू हुई।

तो माननीय अध्यक्ष जी, कितनी लाशें रोज आती है, इसकी गणना शुरू हुई। तो माननीय अध्यक्ष जी, तीन तारीख को दो लाशें मिली, 4 तारीख को 2 लाशें मिली और तब से लगातार रोज एक न एक लाश वीरभद्र बैराज पर मिल रही है। अभी इसमें एक टिहरी जनपद के लड़के की लाश मिली और उसकी शिनाख्त होकर उसके घर के लोगों को सौंप दिया गया, उन्होंने उसकी अंत्येष्टि की। यह गम्भीर सवाल है, गम्भीर विषय है कि इससे पहले पेड़ों पर अगर आप देखते वहाँ नजदीक हड्डियां पड़ी हुई थी। जिससे गंगा नदी का जो हमारा सपना है, गंगा को प्रदूषण से बचाये रखने का। गंगा नदी प्रदूषित हो रही थी, जानवर आदमखोर हो रहे थे और शव न मिलने के कारण, शवों की शिनाख्त न होने के कारण अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा था। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित सदस्यों ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन के सम्मुख रखा। इसमें आज की कार्यवाही रोककर इसमें चर्चा करायी जाय क्योंकि कब से इस तरह की व्यवस्था हो रही थी, कब से ये कर्मचारी इस तरह कर रहे थे, जो कर्मचारी इस तरह के कुकृत्य कर रहे थे, सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी? सदन के सम्मुख चर्चा इसमें होनी चाहिए, इस सदन के विचार आने चाहिए। निश्चित रूप से इस गंभीर विषय पर मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। विषय की गम्भीरता को देखते हुए, गंगा की पवित्रता को देखते हुए, जानवर आदमखोर न हों उसको देखते हुए, अपराधों पर नियंत्रण लगाये रखने के उद्देश्य से इस पर चर्चा की मांग मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

*श्री केदार सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष के विचारों से सम्बद्ध करते हुए इस गम्भीर प्रकरण पर मान्यवर, यह राज्य की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता में अपराध के प्रति, चाहे गंगा के प्रति जो आस्था है, उसमें प्रदूषण होने का सवाल हो, चाहे जंगली जानवरों के इस तरह लाशें खाकर आदमखोर बनाने की आदत का सवाल हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर प्रश्न है। इसमें सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे दायित्व के साथ इस समस्या का निराकरण करना चाहिए। और यह लोक महत्व की बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है इसलिए सदन की कार्यवाही रोक करके चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने और माननीय सदस्य श्री केदार सिंह रावत जी ने कहा, ऋषिकेश बैराज में जिला पावर हाउस के लिए शक्ति नहर में पानी जाता है वहां पर कूड़ा करकट न जाय, उसके लिए लोहे की जाली लगाई है। शक्ति नहर पर जो जाली लगी हुई है वास्तव में यह बात सत्य है कि यदा कदा जैसे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, हर दिन वहां पर लाश आ जाती है, अगर यदा कदा वहां पर लाशें आती हैं और फिर वहां पर अटक जाती हैं, हमारा सिंचाई विभाग इसकी तत्काल पुलिस को रिपोर्ट करता है और पुलिस विभाग उस लाश को निकालते हैं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 2 मार्च के बाद जब यह विषय मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया और फिर मुख्यमंत्री जी ने उसमें आदेश दिये, उसके बाद गिनती हो रही है कि कितनी लाशें आ रही हैं, कितनी लाशें रोज मिल रही हैं। माननीय मंत्री जी बतायें कि उससे पहले कोई आंकड़े हैं आपके पास, कि पिछले दो सालों में, तीन सालों में कितनी लाशें मिली हैं? आप कह रहे हैं कि हमारा सिंचाई विभाग पुलिस को सूचना कर देता है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अनुरोध किया है कि इससे पहले सिंचाई विभाग जब कोई लाश जाली पर अटक जाती थी उसकी सूचना पुलिस विभाग को देते थे। मगर मैं स्वीकार करता हूं कि उसका रिकार्ड पुलिस विभाग रखता होगा, सिंचाई विभाग नहीं रखता है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया तब से जो लाशें आती है उसका रिकार्ड रखा जाता है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जब आपका विभाग सूचना देता होगा उसका तो रिकार्ड सिंचाई विभाग के पास रहता होगा। विभाग द्वारा लिखित सूचना दी जाती है या मौखिक सूचना दी जाती है । माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत बड़ा गम्भीर विषय है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरा अनुरोध यह है कि मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि पहले सिंचाई विभाग कोई रिकार्ड नहीं रखता था, यह मामला पुलिस का है इसको पुलिस विभाग देखेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार तो आपकी है, पुलिस विभाग कोई बाहर का तो है नहीं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, जो मृतक के नाम वगैरा आये हैं 3–3–2010 को मुकेश सिंह, उम्र 21 वर्ष पुत्र श्री प्रताप सिंह नेगी निवासी बैलण फदकोट थाना नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल। दूसरा है रामकृष्ण पाण्डे, उम्र 22 वर्ष पुत्र श्री चन्द्र शेखर पाण्डे, जनपद बलिया, उत्तर प्रदेश/तीसरा है मृतक का नाम, पता, अज्ञात उम्र लगभग 25 वर्ष। यह 4–3–2010 की बात है, मृतक का नाम, पता, अज्ञात साधु 6–3–2010 की बात है, मृतक का नाम, पता, अज्ञात 6–3–2010 की बात है, मृतक का नाम, पता, अज्ञात। यह 9–3–2010 की बात है। मान्यवर, यह बकायदा हम जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने

आदेश किया तब से इसका रिकार्ड रख रहे हैं। मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि इससे पहले इसका सिंचाई विभाग द्वारा रिकार्ड नहीं रखा जाता था, इसका भविष्य में ध्यान रखा जायेगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह नियम-58 में नहीं आता है, इसलिए इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत तथा माननीय सदस्य केदार सिंह रावत को तथा माननीय सिंचाई मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2010–11 को आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

*श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सरकार के मुखिया डा0 रमेश पोखरियाल निशंक जी को वित्तीय वर्ष 2010–11 के करमुक्त एवं सभी के लिए हितकारी बजट के लिए बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, करमुक्त सभी के लिए हितकारी बजट हेतु बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, डा0 निशंक जहां एक अच्छे लेखक, कवि और राजनेता हैं वहीं कुशल वित्तीय प्रबन्धक भी हैं। मैंने उनके बारे में 4 पंक्तियां लिखी है। "चेहरे पर है सदा मुस्कान, उनके मन में है देशप्रेम, विचारों में पवित्रता, उनके मस्तिष्क में है विवेक। राजनेता है सबसे बड़े, कवियों में कवि लेखकों में लेखक, हर तरफ से हमारे मुख्यमंत्री है सर्वश्रेष्ठ"। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल वित्तीय प्रबन्धन का संज्ञान लेते हुए, उनकी सराहना करते हुए केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा भी पुरस्कार स्वरूप एक हजार करोड़ रूपये की राशि अनुमन्य की है। यह भी इस प्रदेश में पहली बार और देश में सर्वाधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे इस छोटे से नवोदित प्रदेश में विकास का काम बहुत ही अच्छी गति से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में सभी वर्गों का बहुत ध्यान रखा गया है, चाहे कर्मचारी हो, व्यापारी हो, चाहे गरीब वर्गों के लोग हो सभी वर्ग के लोगों का इसमें ध्यान रखा गया है। जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किया एवं उसमें भी ढाई हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ/भार हमारी सरकार पर पड़ा उसके बाद भी इस बजट को करमुक्त पेश किया जाना अपने आप में सराहनीय कदम है। मान्यवर, आज पूरे देश के अंदर और हमारे इस छोटे से राज्य में भी महंगाई से हर आदमी बड़ा त्रस्त है। हमें ध्यान है आज से 7–8 वर्ष पूर्व आटा, जो कभी 7–8 रूपये किलो मिलता था आज आटा 20 रूपये किलो है, जो चावल कभी 7–8 रूपये किलो मिलता था, आज 25–30 रूपये किलो है। जो चीनी एन0डी0ए0 की सरकार में 12 रूपये किलो थी आज 48 रूपये किलो मिल रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आटा, दाल, चावल, चीनी की ही बात नहीं है आज सारी मूलभूत आवश्यक वस्तुओं की भी कीमतें बहुत बढ़ गई है। हमारी सरकार में आटा, मैदा, सूजी और बेसन को वैट से मुक्त करके सामान्य लोगों को लाभ देने का काम किया और इस बार मिट्टी तेल पर साढ़े बारह प्रतिशत से चार प्रतिशत वैट कम करके बहुत बड़ी राहत गरीब लोगों को दी है। इसी प्रकार से गरीब लोगों की जो सामान्य वस्तुयें जैसे गद्दा है, तकिया है उसमें साढ़े बारह प्रतिशत से चार प्रतिशत करके हमारी सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। इसके साथ-साथ ग्रामोद्योग से निर्मित दियासिलाई, आतिशबाजी, मोमबत्ती, नारियल की जटा से निर्मित रेशा, कागज, फाइल कवर, फाइल बोर्ड इत्यादि इस प्रकार की अनेकों वस्तुयें हैं जिन्हें वैट से मुक्त किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों की जहां बात आती है, भले ही हमारे मित्र कुछ भी कहें, लेकिन थ्रेसर जो किसानों की बहुत आवश्यक वस्तु होती है उसमें भी 4 प्रतिशत वैट से मुक्त करके बहुत ही सराहनीय काम हमारी सरकार ने किया है। इसके साथ-साथ स्टाम्प शुल्क में छूट की राशि जो अनुमन्य ऋण सीमा तीन लाख रूपये थी, उसे पांच लाख रूपये करके किसानों के लिए बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। मैं तो बधाई देना चाहता हूं अपने गन्ना मंत्री जी को, जिन्होंने गन्ने मूल्य को पूरे देश के अंदर सर्वाधिक रेट करके किसानों को बहुत ही अच्छा लाभकारी मूल्य गन्ने का दिया है। इसके साथ-साथ हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने हाथ से बुने हुए ऊनी दन, गलीचों इत्यादि को वैट से मुक्त करके सराहनीय कदम उठाया हैं। वही स्वदेशी को आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार से निराश्रित एवं मानसिक विकलांग से ग्रसित लोगों को आवासीय गृह एवं कूड़ा बीनने वालों के बच्चों को स्कूली शिक्षा एवं छात्रावास और अत्यन्त गरीब आवासहीन परिवारों को अटल आवास योजना के अन्तर्गत जो प्रविधान हमारी सरकार ने किये हैं, उन लोग के प्रति एक अच्छा भाव प्रकट किया है। मान्यवर, एक अच्छा संदेश पूरे प्रदेश में गया है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का संचालन हाईस्कूल तक करने का निर्णय लिया है एवं राजीव गांधी नवोदय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों में बालिकाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण करके सरकार ने महिला उत्थान में एक और बड़ा कदम उठाया है। माननीय अध्यक्ष जी, आई0आई0एम0 एवं एन0आई0टी0 की स्थापना हमारे राज्य में होगी। निश्चित रूप से प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मान्यवर, इसी प्रकार से हमारा प्रदेश पर्यटन की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें पर्यटन मेगा सर्किट स्वीकृति का प्राविधान करके भी सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। इसी प्रकार नदियों के संरक्षण संवर्धन एवं प्रदूषण मुक्ति के लिए एक बड़ा सुन्दर अभियान हमारे मुखिया माननीय निशंक जी ने स्पर्श गंगा अभियान किया है, चूंकि इस प्रदेश की छवि पूरे देश में देवभूमि के रूप में है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर, स्वास्थ्य के क्षेत्र

में, हमारे प्रदेश ने जहां 15 हजार रूपये में वार्षिक फीस देकर एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई की व्यवस्था की है, मैं समझता हूं कि देश में इस प्रकार का कार्य किये जाने वाला पहला राज्य होगा। इसी प्रकार हल्द्वानी मेडिकल कालेज का राजकीयकरण करके इस सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

माननीय अध्यक्ष जी, संस्कृत को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा देकर चूंकि यह भाषा सभी भाषा की जननी है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दो–तीन बिन्दुओं पर और कहना चाहूंगा कि जैसे ऊर्जा क्षेत्रों, सिंचाई क्षेत्र में, पेयजल क्षेत्र में, सड़क बिछाने के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में, अनेकों आयामों की बात इस बजट में कही गयी है। मान्यवर, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में, मैं कहना चाहूंगा पर्वतीय क्षेत्र में जहां हमारी सरकार ने 100 करोड़ रूपये के निवेश हमारे दूरस्थ क्षेत्र में किये हैं उससे लगता है कि इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का काम हमारी सरकार ने किया है। वैसे औद्योगिक पैकेज की बात यहां पर बहुत हो चुकी है और इसके पैकेज बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ हम सबको मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में प्रार्थना अवश्य करना चाहूंगा। चूंकि मैं पहले भी आपसे आग्रह कर चुका हूं इस बजट से पहले बजट में भी। मान्यवर, आज वन्य जीव जन्तु विशेषकर हाथी हमारे क्षेत्र में घुस रहे हैं एवं आवासीय कालोनी में घुस रहे हैं और जान–माल का नुकसान हो रहा है जैसे श्यामपुर न्याय पंचायत में और ऋषिकेश के आस–पास के क्षेत्र में हो रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार बाढ़ के दिनों में खासकर श्यामपुर न्याय पंचायत क्षेत्र में, रानीपुर न्याय पंचायत में और मानियावाला न्याय पंचायत में, जब बहुत तेजी से बाढ़ आती है और किसानों की जमीन बह जाती है, उसके लिए भी प्राविधान किये जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, ऋषिकेश में संजय झील का प्रकरण बहुत पहले से है, इसका काम बहुत पहले से लम्बित है उस पर काम होना चाहिए, इसी प्रकार सूर्यधार बहुउददेश्य योजना है जिसके लिए 135 करोड़ रूपये का स्टीमेट बना था, उसमें शीघ्र स्वीकृति मिल जाय, इसी प्रकार सौंग नदी पर बहुउद्देश्य योजना की स्वीकृति की जाय जिससे पूरे देहरादून शहर और आस–पास के क्षेत्रों को पेयजल से लाभ मिले। मान्यवर, इसी प्रकार ऋषिकेश डिग्री कालेज को स्वायत्तशासी बनाने का निर्णय हुआ है। मेरा आपसे आग्रह है और इस कार्यक्रम में आप भी शामिल थे, इसलिए इस कालेज को विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। इसी प्रकार ऋषिकेश में महिला डिग्री कालेज हो या डोईवाला महाविद्यालय में बी0कॉम और पी0जी0 क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होनी चाहिए, इसी के साथ–साथ रायवाला, प्रतीतनगर, गौहरीमाफी, चकजोगी में शीघ्र ही सड़क का निर्माण होना चाहिए क्योंकि यह बहुत पहले से बनी हुई है उसके बाद सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और इसके साथ–साथ वीरपुर में, गीता नगर में और तमाम मेरे

ऋषिकेश क्षेत्र के आस–पास ओवर हेड टैंक और ट्यूबवेल का निर्माण हो ताकि पेयजल की समस्या का निदान हो सके और प्रगति विहार, गंगा नगर के आस–पास के क्षेत्र में सीवर लाईन बिछे। ताकि पूरे क्षेत्र का विकास हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हुए, चूंकि आज कल नवरात्र है और रामनवमी है उसकी बधाई देते हुए सिर्फ दो लाईन में कविता के रूप में, मैं अपनी बात को विराम दूंगा।

जनता की रीढ़ बन गयी हमारी ये निशंक सरकार,

आम आदमी को राहत दे गयी हमारी निशंक सरकार,

हितैषी है हर जन की यह निशंक सरकार,

जनता की भावनाओं का सिर्फ इनको ही है ख्याल, इनको ही है ख्याल। धन्यवाद।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आपने मुझे बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैं यह कहूंगा कि यह जो बजट भाषण है वह काल्पनिक केवल कल्पनाओं से भरा हुआ है जिसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं बनी, क्योंकि बहुत सी घोषणाएं इसमें है वह कार्य कैसे होंगे। इसकी कोई मंशा सरकार ने जाहिर नहीं की है। मान्यवर, मैं कहूंगा कि यह बजट भाषण एक झूठ का पुलिंदा है। इसलिए मैं तथ्य पर कहूंगा, कि पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में उस समय कहा था कि आटा, मैदा, सूजी तथा बेसन पर वैट खत्म कर दिया गया और इस तरह से हमने इन वस्तुओं को सस्ता कर दिया। मैंने पिछली बार भी इस सदन में कहा कि मान्यवर, यह 1 प्रतिशत वैट घटाकर आपने ये चीजें मंहगें कर दिये हैं और माननीय निशंक जी ने कहा कि इसकी चर्चा हम आपसे मिल बैठकर बाद में कर लेंगे लेकिन एक साल हो गया अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। जो भी मेरी अधिकारियों से चर्चा हुई उन्होंने माना कि 2.5 प्रतिशत ये चीजें महंगे हो गये 1 प्रतिशत वैट घटाकर, क्योंकि आई0टी0सी0 की सुविधा उस पर खत्म हो गयी। मैं मान्यवर, आज फिर से यह कहना चाहता हूं कि ये खोखली घोषणाएं हैं। पूरे साल टेलीविजन के ऊपर सुनते रहे कि आटा, सूजी, मैदा सस्ते हो गये। ये एडवरटीजमेंट में लगे हुए। आज फिर से मैं चैलेंज देकर कहता हूं इस हाउस में, कि अगर ये कम हो गये तो सरकार या तो मुझे मनवा दे या सरकार इस बजट भाषण में से यह लाईन हटा दे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ गये। यह लाईन जिसमें इन्होंने लिखा है कि आटा, मैदा, सूजी, बेसना सस्ती हो जायेगी। या तो मुझे गलत साबित कर दें या सरकार इस लाईन को वापस लें। इसकी घोषणा माननीय नेता सदन करेंगे। पिछले साल इन्होंने कहा था कि हम आपको संतुष्ट

करेंगे लेकिन अभी तक कोई संतुष्टि नहीं दी है। मान्यवर, चूंकि यह सरकारी डांक्यूमेंट है इसमें पिछली बार भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि आई०टी०सी० की सुविधा वापस लेकर आपने इन जीसों को 2.5 प्रतिशत महंगा किया है अच्छा होगा कि आप बजट में गेहूं पर परचेज टैक्स अगर 4 प्रतिशत से 0 प्रतिशत करेंगे तब आप सही मायने में कहलायेंगे कि हाँ, आप गरीबों के लिए कुछ राहत देने जा रहे हैं। इसके बाद आपने खादी ग्रामोद्योग की बात करी। अब आप मोमबत्ती बनायेंगे तो मोमबत्ती के मोम पर तो वैट लग गया और मोमबत्ती पर आपने 0 प्रतिशत कर दिया यही खेल आपने यहां खेल दिया।

मान्यवर, जिस–जिस जीन्स पर 0 प्रतिशत आप टैक्स कर रहे हैं वह जीस महंगी होगी, सस्ती नहीं होगी। क्योंकि इस पर आई०टी०सी० की सुविधा खत्म हो जायेगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या 0 प्रतिशत आटा, मैदा सूजी पर वैट करने से क्या वह जीस महंगी हुई या सस्ती हुई या तो मुझे संतुष्ट कर दें या इस लाईन को बजट से हटा दें। मान्यवर, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है इस प्रदेश की जनता के संबंध में कि जब हम नगर विकास की बात करते हैं तो हमारे पास ई०ओ० नहीं है, जे०ई० नहीं है, अवर अभियंता नहीं है।

मान्यवर, अगर हम ब्लाक की बात करें तो हमारे पास बी०डी०ओ० नहीं है, ए०डी०ओ० नहीं है। समाज कल्याण का एक–एक ए०डी०ओ० 2–3 ब्लाक देख रहा है, हमारे पास लेखाकार नहीं है। जब हम जिले की बात करते हैं तो ए०डी०ओ० नहीं और जब हम ऊर्जा निगम की बात करते हैं तो वहां पर लाईन मैन नहीं है, मीटर रीडर नहीं है, हमारे पास अवर अभियंता नहीं है, सर्विस स्टेशन बिना अवर अभियन्ताओं के चल रहा है। मान्यवर, उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे पास प्रवक्ता नहीं है, जब हम माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं तो वहां पर एल०टी० के अध्यापक नहीं है, जसपुर में देखें, जहां 17 सौ लड़कियां जी०जी०आई०सी० में पढ़ती है उसमें 18 स्वीकृत पदों में से मात्र 6 एल०टी० के टीचर्स हैं, कहते हैं कि पहाड़ में टीचर नहीं है पर यहां तो मैदान में भी टीचर नहीं है, पता नहीं कहां चले गये, इसी तरह से डाक्टर की कमी है, नर्सों की कमी है। मान्यवर, पटवारियों की कमी है, 60 परसेन्ट पटवारी काम कर रहे हैं। मान्यवर, 2 तरह की नौकरियां हैं, एक तो लोक सेवा आयोग में आते हैं, हमारे इस प्रदेश में अगर विकास में अवरोध पैदा कर रहा है तो लोक सेवा आयोग को भंग कर दिया जाना चाहिए, सभी नौकरियों को सरकार अपने पास ले, जो नौकरियां लोक सेवा आयोग की भर्ती में भी नहीं आती, जैसे पटवारी, लाईन मैने, रीडर तो उन नौकरियों को भी

भरने का भी काम आप नहीं कर रहे हैं, जिससे आम जनता त्रस्त है, तो बी0डी0ओ0 की बात छोड़े। मान्यवर, हरियाणा में पी0सी0एस0 की परीक्षा हुई और हफ्ते में रिजल्ट आ गया और यहां पूछा तो पता चलता है कि अधियाचन आयेगा, वो यह अधियाचन क्या है, पिछले साल भी यही सुनने को मिला था, इस साल भी यही सुनने को मिल रहा है और लगता है कि अगले 2 साल तक यही सुनने को मिलेगा।

मान्यवर, नगर पालिका में सफाई कर्मचारी नहीं है, किस तरह से विभाग चलायेंगे तो मैं सरकार से कहता हूं कि आई0टी0 का युग है और पता चलता है कि एक साल बाद विज्ञापन जा रहा है, तो यह क्या है कि एक-एक साल लग जाता है विज्ञापन में, तो क्या इस तरह से उत्तराखण्ड चलेगा, इस तरह से भारत चलेगा, यह व्यवस्था हमें सुधारनी होगी, अगर नहीं सुधारेंगे तो जो आम लोग आज त्रस्त है उनका सुधार नहीं कर पायेंगे तो सही मायने में सही गवर्नेंस नहीं दे पा रहे हैं। मान्यवर, भूखा बच्चा है और खाने के लिए नहीं है तो उसकी मां उसे लोरी सुनाती है और बच्चे को सुला देती है, यही बेसहारा मां यह सरकार है और भूख हमारा विकास है, यह भूख हमारी मिट नहीं सकती और बजट के माध्यम से मात्र अकाल्पनिक बात कहकर हमें सुला देना चाहते हैं ताकि हमारी भूख खत्म हो जाए। मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों की बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि समय कम है, मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा कि पिछली बार इसी विधान सभा सत्र में गन्ना विकास का प्रश्न आया कि चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण किया जायेगा, तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? मान्यवर, आपने कहा कि कोई आधारित पम्प बिजली का उत्पादन करेंगे, जब कोई व्यवस्था है नहीं तो बिजली का उत्पादन कैसे हो जायेगा, इस समय सबसे बड़ी परेशानी उत्तराखण्ड में आ रही है कि कचरे का किस तरह से निस्तारण होगा ?

मान्यवर, एक कुमायूं में पावर प्लांट कचरा बेस खोला जाय और इसी तरह का गढ़वाल में खोला जाय और 35-40 किलोमीटर तक की दूरी का कचरा उस प्लांट में लाया जाय और उससे विद्युत उत्पादन किया जाय। मान्यवर, हैदराबाद में उसी तरह का प्लांट लगा हुआ है। जब तक इस तरह का मॉडल उत्तराखण्ड में नहीं बनेगा, इसी तरह की व्यवस्थाएं जब तक उत्तराखण्ड में नहीं होगी तो हमारे जो नगर हैं वे कूड़े के ढेर बनते चले जा रहे हैं और इनसे निकलना भी दूभर हो रहा है और इन से बीमारियां फैल रही हैं। मान्यवर, क्या इसी तरह की हमारी यह देव भूमि होगी। मान्यवर, किसानों की बात कहना चाहता हूं। इस बार गेहूं की बम्पर क्राप है और गेहूं को रखने की सरकार की

क्या व्यवस्था है? धान का चावल तो पूरा खरीदा नहीं, राईस मिलर परेशान है। अब आप गेहूं कहां रखेंगे, किस तरह से एक तारीख से आप हाट लगाने जा रहे हैं, कहां पर गेहूं रखने की व्यवस्था होगी? गोदाम आपके सारे भरे हुए हैं आप फिर बिचौलियों को देंगे। बिचौलिया आयेगा, सस्ते दाम पर गेहूं खरीदेगा इसका पूरा फायदा आम किसानों को नहीं मिल पायेगा। मान्यवर, पिछली बार भी यही हुआ था और इस बार भी वही होने वाला है।

मान्यवर, सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं कि सड़कों के लिए धन नहीं दिया जा रहा है। मेरे क्षेत्र की सारी सड़कें ऐसी ही हैं। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में जब तक चैक डैम नहीं बनेंगे तब तक हम पेयजल की बात करें, आबादी को रोकने की बात करें, खेती की बात करें पहाड़ों में, जब तक हमारे चैक डैम नहीं बनेंगे, तब तक यह संभव नहीं है। मान्यवर, स्विटजरलैण्ड एक इसका मॉडल है। जब तक हमारे चैक डैम नहीं बनेंगे, तब तक हम पर्वतीय क्षेत्र का विकास नहीं कर पायेंगे। मान्यवर, सरकार ने बजट में जलागम के लिए व्यवस्था की है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया कि हम कितने चैक डैम बनायेंगे? मान्यवर, जो चैक डैम बन भी गये हैं, तो उनसे क्या फर्क पड़ा है यह बात इस बजट में होनी चाहिए थी। इस चैक डैम का रिजल्ट हमारे उत्तराखण्ड में क्या मिला, हम जो मूलभूत सुविधाएं जुटा रहे हैं इसका रिजल्ट हमें क्या मिला, इसका उल्लेख भी बजट में होना चाहिए था। मान्यवर, ज्यादा न कहते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कुछ मूलभूत असुविधाएं हैं उस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के लिए सरकार ने जमीन तीन साल पहले खरीदी थी, उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसी तरह से तहसील का पैसा वहां तीन साल से पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में स्टेडियम की मांग है इसके लिए वहां पर जमीन भी उपलब्ध है, इस सम्बन्ध में मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी की है, बस एक कलम घुमाने की आवश्यकता है धीरे-धीरे स्टेडियम का निर्माण होता रहेगा। मान्यवर, इसी तरह से महुवा डाबर का 33 के.वी. सब स्टेशन अधूरा पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पर हाईवे पर वाइल्ड होटल है, जिसको मोटल बनना था। आज वह चारगाह बन गया है, इसमें गायें बांधी जाती हैं, वह गौ-शाला बन गयी है। मैं चाहता हूँ इस पर भी कार्य प्रारम्भ हो जाय। मान्यवर, जसपुर के अंदर मुंसिफ कोर्ट बनना चाहिए। मान्यवर, जसपुर के नाम से हमारे जज काशीपुर में अप्वाइमेंट है और सुप्रीम कोर्ट की भी अवधारणा है कि जो विकेन्द्रीकरण करेगा तहसील स्तर पर, वह उसी कोर्ट में बैठेगा और जो जज जसपुर के काशीपुर में बैठ रहे

है, उन्हें जसपुर में स्थापित किया जाय। इसके साथ ही आय–व्ययक का बजट है, इस पर मैं अपने को नेता प्रतिपक्ष के साथ सम्बद्ध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

सुश्री कैरन मेयर–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई देती हूं कि जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है, वह एक "रिच बजट फॉर दि प्योर मैन कहा जा सकता है।" मान्यवर, अब प्रदेश में रोजगार एवं रोजगार पर शिक्षा एवं अवसरों की आवश्यकता है। यह हर्ष का विषय है कि बजट में इसका विशेष ध्यान रखा गया है।

मान्यवर, बजट में प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत लगभग 43 करोड़ का प्राविधान है, जिसमें आई0टी0आई0 के माध्यम से युवकों को मुख्य उद्योगों के लिए ट्रेण्ड करेंगे, जिससे वे सीधे उद्योगों में रोजगार प्राप्त कर पाएं। स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क से एक तरफ जहाँ दूरस्थ गांव में सूचना की पहुँच संभव होगी, वहीं दूसरी तरफ 2804 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में शिक्षा पर किया गया खर्च, प्रदेश वासियों का जीवन स्तर ऊपर उठाने में, रोजगार दिलाने में और ओवर ऑल डेवलपमेंट में मदद करता है। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बजट में करीब 17 प्रतिशत के व्यय का प्राविधान एक स्वागत योग्य कदम है। मैं समझती हूं कि कोई प्रदेश इतना प्रतिशत व्यय शिक्षा पर नहीं करता। उच्च शिक्षा में भी किसी से पीछे न रहें, इसके लिए 170.27 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है और चिकित्सा शिक्षा में मात्र 15000 रूपये वार्षिक शुल्क में एम0बी0बी0एस0 की शिक्षा देने का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे शिक्षा के साथ–साथ प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को भी और बल मिलेगा। हमारे प्रदेश के उच्च शिक्षित और विद्वान मुखिया ने अपने चिन्तन को बजट में डिफ्लेक्ट किया है। इससे प्रदेशवासियों को अच्छा एहसास हो रहा है और सबको आगे बढ़ने का उत्साह है। अब हमारी बारी है, इन सब योजनाओं को एग्जीक्यूट कराने की। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहती हूं कि हम सब आपको सहयोग देने के लिए तत्पर हैं और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि यह विकास एवं शिक्षा अभियान पूर्णतः सफल होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने इस स्टेटमेंट को सदन में रखने की आज्ञा चाहती हूं। मान्यवर, बजट एक वार्षिक वित्तीय सुअवसर है और इसमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति, प्रदेश के आर्थिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने और गरीबी तथा बेरोजगारी दूर करने के प्रयास छिपे हैं। बजट में भूख से लड़ने की आर्थिक योजनाएं होती हैं। युवाओं के सपनों को एक रियालिटी बनाने के एफर्टस पर वार्तालाप होता है इसलिए बजट की चर्चा को गंभीरता से लिया जाय। मैं एक महिला होने के नाते यह कह सकती हूं कि लिपिस्टक हमारी कौन सी आवश्यकता है, एक आवश्यक आवश्यकता या एक आरामदायक आवश्यकता ?

(माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन द्वारा बैठे–बैठे कुछ बोलने पर)

मान्यवर, एक विलासिता सम्बन्धी आवश्यकता? प्रदेश की महिलाएं समझती है और इस सदन के सदस्यों को भी समझना चाहिए कि रोटी, मकान, बच्चों की पढ़ाई और लिपिस्टक में से आवश्यक आवश्यकता कौन सी है? (मेजों की थपथपाहट) यदि माननीय मुख्यमंत्री जी बजट में विलासिता सम्बन्धी वस्तुओं को महंगा करते हैं तो हम सबको इसका गंभीरता से स्वागत करना चाहिए।

(माननीय सदस्य श्री शहजाद द्वारा अपने स्थान पर बैठे–बैठे कुछ कहे जाने पर)

मान्यवर, आप वरिष्ठ वक्ता हैं, हमको भी आज बोल लेने दीजिये।

(व्यवधान) मान्यवर, यदि बजट पर गम्भीरता से बहस होती है, तो उससे वार्तालाप होता है और वार्तालाप से विचार मंथन होता है तथा फिर हम शायद उससे अपने प्रदेश वासियों के लिये अमृत फल निकाल पायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपकी आभारी हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर चर्चा करने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी और प्रतिपक्ष के अन्य वक्ता साथियों से सम्बद्ध करता हूं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट भाषण 2010–11, जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वह सुन्दर मुख्यमंत्री जी का सुन्दर शब्दों में, सुन्दर कलाकारी के साथ आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बजट में यह दर्शाया कि यह सरप्लस बजट है, मैं यह कहना चाहता हूं कि समेकित निधि घाटा, जो 630 करोड़ रूपये है और लोक लेखा समायोजन, जिसे कोई आम आदमी पढ़ेगा तो जान भी नहीं पायेगा कि यह लोक लेखा समायोजन क्या होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कर्मचारियों के भविष्य निधि और अन्य बचत योजनाओं के पैसे को, जोड़ते हुये, घटाते हुये, कलाकारी करते हुये 630 करोड़ रूपये के घाटे को समाप्त करते हुये चार सौ करोड़ रूपये कर सरप्लस बजट इस सदन में पेश किया है जो कि मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई एक बहुत अच्छी कलाकारी है। मान्यवर, वैट को इस बजट के माध्यम से कम कर दिया गया है और एक महीने पहले उसे बढ़ा दिया गया था। मैं कहना चाहता हूं, कृषि के बारे में बात करना चाहता हू कि किसानों के समस्त उपकरणों पर, चाहे वह ट्रैक्टर हो या कोई और कृषि उपकरण हो, उनको किसी प्रकार की सुविधा दिये जाने का काम इस बजट में नहीं किया गया है। विशेषतः बीज में सब्सिडी नहीं दी गई, खाद पर सब्सिडी नहीं दी गई और जब आज का प्रश्न काल चल रहा था तो पोषक तत्वों की कमी की बात सामने आई थी, लेकिन इसका भी उल्लेख बजट में नहीं किया गया कि पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जायेगा।

मान्यवर, बिजली के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा कि बिजली का उत्पादन लगातार घट रहा है, बिजली की कटौती की जा रही है। घोषित कटौती के साथ-साथ अघोषित कटौती की जा रही हैं, लेकिन सरकार चिन्तित नहीं है। उद्योग यहां आना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि ऊर्जा प्रदेश में उन्हें बिजली नहीं मिलेगी, इसलिये वे यहां नहीं आ रहे हैं।

मान्यवर, पिछले साल में कितने उद्योग स्थापित हुए, शून्य की तरफ सुई जाती है, क्योंकि बिजली उपलब्ध नहीं है। मैं समाज कल्याण के बारे में बात करना चाहता हूँ, विधवा पेंशन बढ़ाई गयी, विकलांग पेंशन बढ़ाई गयी और समाज कल्याण के बारे में, एस०सी०पी० के बारे में पिछले दो सालों से चर्चा हो रही है। लेकिन एस०सी०पी० की योजनाओं के लिए परिव्यय दिया जाता है, लेकिन उसे खर्च नहीं किया जा रहा है। बहुत शोचनीय विषय है इस पर सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए कि एस०सी०पी० के पैसा का सदुपयोग किस प्रकार से हो। एस०सी० लोगों के बारे में कहना चाहता हूं कि बैकलाग आपका खाली पड़ा हुआ है लगभग 8 हजार। अभी अनुसूचित जाति आयोग से यहां उपाध्यक्ष और अन्य लोग आये थे। सरकार की तरफ से सचिव, समाज कल्याण द्वारा एक आदेश दिया गया कि हम एक महीने के अंदर जितनी भी कमियां यहां हैं, 85वां संशोधन हम लागू कर देंगे, बैकलाग पूरा कर देंगे, प्रमोशन हम कर देंगे, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के साथ जो यहां गलत व्यवहार किया जा रहा है, उसे हम दूर कर देंगे, उनका प्रमोशन ठीक प्रकार से कर देंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये सरकार करना चाहेगी। मैं आबकारी के बारे में कहना चाहता हूँ। माननीय आबकारी मंत्री जी बैठे हैं आबकारी मंत्री जी ने राजस्व बढ़ाने के लिए रेट बढ़ाने का काम किया है। उत्पादन शुल्क को बढ़ाने का काम किया है। यदि उत्पादन शुल्क बढ़ने से यहां की शराब मंहगी होगी, चंडीगढ़ की सस्ती होगी, हरियाणा की सस्ती होगी, उत्तर प्रदेश की सस्ती होगी तो वहां की शराब यहां पर तस्करी होगी और यहां जो शराब बनेगी उसे कोई लेने वाला नहीं होगा। तस्करी को बढ़ावा देने का काम माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया। पिछले वर्षों में, यहां पर बियर भी बनती है, उस पर क्यों नहीं उत्पादन शुल्क बढ़ाया जाता। यहां केवल 12 रूपये और अन्य प्रदेशों में 130 रूपये, 129 रूपये कहीं 140 रूपये, 140 रूपये से कम किसी भी प्रदेश में नहीं है। जो आबकारी नीति लायी गयी थी उसमें कहीं इसका उल्लेख नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप विचार में करें।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री सुरेन्द्र राकेश-

मान्यवर, मेरे 5 मिनट रह गये हैं। खाद्य के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूँ कि बी०पी०एल० सर्वे के अनुसार जितना यहां सूची में है, वो नहीं बढ़ाये गये हैं, न उन्हें

राशन कार्ड दिये जा रहे हैं, न राशन दिया जा रहा है। बाल कल्याण के बारे में कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रदेश महिलाओं के द्वारा बनाया गया प्रदेश है लेकिन हमारी कैबिनेट में एक भी महिला कैबिनेट मंत्री नहीं है। महिलाओं को नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात नहीं की जा रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात नहीं की जा रही है। आप महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात तो करते हैं। 50 प्रतिशत केवल गांव पंचायतों में देने से काम चलने वाला नहीं है, नौकरियों में दिया जाये इन्हें आरक्षण, तब इनका बढ़ावा होगा, आर्थिक स्थिति बढ़ायी जाय। मैं पर्यटन के बारे में कहना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड पर्यटन के मामले में बहुत ही विख्यात है पूरे हिन्दुस्तान में, लेकिन कोई योजना ठीक प्रकार से नहीं बनायी जा रही है। बजट पिछली बार भी नयी योजना में शून्य था, इस बार पता लग रहा है कि फिर शून्य की तरफ जा रहा है। कैसे हम पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे? पेयजल में संकट ही संकट है। सवाल लगा रहे तो संकट और उनके बारे में दूर करने की बात करें तो वहां आश्वासन देते हैं पेयजल मंत्री कि हाँ, आप अलग से हमें सूची उपलब्ध करा दो, लेकिन कहते हैं कि मेरे पास बजट ही नहीं है। स्थिति बड़ी गम्भीर है।

मान्यवर, खेलकूद के बारे में कहना चाहता हूं कि दो वर्ष पहले दस स्टेडियम स्वीकृत किये गये थे पूरे उत्तराखण्ड में, 1 हजार रूपये केवल उसमें टोकन मनी दे दी गयी लेकिन उनका कोई निर्माण नहीं हो रहा है। सरकार आपने किये हैं, इसके लिए बजट का निर्धारण होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। अगले वर्ष में फिर बढ़ जाने चाहिए जिससे कि खेल भावना को बढ़ावा मिल सके। राष्ट्रीय खेल, जो यहां के है हमारे, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। उच्च शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं हरिद्वार जनपद में मानक के अनुरूप डिग्री कालेज नहीं है। मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया, नियम-300 के तहत सवाल लगाया है, लेकिन डिग्री कालेज बनाने का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। तीन साल से लगा पड़ा हुआ हूँ। भगवानपुर में आवश्यकता है, 85 गांव हैं, 10 किलोमीटर तक में कोई भी डिग्री कालेज नहीं है। उसकी व्यवस्था नहीं की जा रही है। तकनीकी शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ कि एस०सी०पी० योजना के अन्तर्गत पालीटैक्निक बनाये जा सकते हैं। एम०एस०डी०पी० के अंतर्गत पालीटैक्निक बनाये जा सकते हैं, पैसे की आवश्यकता भी इसमें नहीं है। पैसे एस०सी०पी० में भी सुरक्षित है और एम०एस०डी०पी० में भी है। केवल कार्ययोजना बनानी है माननीय मुख्यमंत्री जी, कि इनमें बननी चाहिए। जैसे कार्ययोजना बन जायेगी, तत्काल भारत सरकार पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन कार्य योजना बनाने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं है, जो बननी चाहिए। मैं शिक्षा के मामले में कहना चाहता हूँ कि अध्यापकों की कमी के बारे में बार-बार कहा जाता है, जब अध्यापकों की कमी है तो तत्काल भर्ती की जानी चाहिए, क्योंकि यह मूलभूत सुविधा है, शिक्षा अगर हमारे पास नहीं होगी, स्वास्थ्य हमारे पास नहीं होगा तो हम कैसे तरक्की करेंगे, कैसे उन्नति करेंगे, इसलिए शिक्षा होनी चाहिए।

स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूं पिछली बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दी थी कि 108 आपकी वाकई अच्छी है, लेकिन दवाई उपलब्ध नहीं है। विशेषकर मैं हरिद्वार जनपद की बात करता हूं जहाँ मैं रहता हूं वहाँ पर हॉस्पिटलों में पर्ची दे दी जाती है और कहा जाता है कि आप जाइये, दवाई ,खरीदिये, दवाई खरीदने को पैसे नहीं है, इलाज वह कर नहीं सकते, अगर पैसे होते तो वह सरकारी हॉस्पिटलों में क्यों जाते। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री भी आप ही हैं, आप दवाईयों का विशेष ध्यान रखिये, वहाँ दवाईयाँ दी जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जिला प्लान में हरिद्वार के बारे में कहना चाहता हूं बजट के अनुरूप जो शासनादेश है उसके अनुरूप हमें जिला प्लान नहीं दिया जा रहा है, इसमें आश्वासन भी दिया गया था। माननीय मुख्य मंत्री जी, एक बहुत गम्भीर विषय है आप सदन में उपस्थित हैं इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जिला योजना में विधायकों का विशेष अधिकार बनता है कि जिला योजना पास हो, लेकिन हरिद्वार जनपद की जिला योजना बिना विधायकों के माध्यम से प्रभारी मंत्री ने और जिला अधिकारी ने बिना हमारे संज्ञान के जिला योजना पास करके हमारे साथ धोखाधड़ी और 420 का काम किया है। इसलिए आज मैं इस सदन के माध्यम से प्रभारी मंत्री को 420 मंत्री की संज्ञा देता कि उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी का काम किया। सिंचाई विभाग में प्रोजेक्ट बहुत बने हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, कृपया खेद व्यक्त करिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, यह शब्द अगर असंसदीय है तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं।

*श्री सुरेश चन्द जैन–

मान्यवर, जिला योजना की बैठक में सब विधायकों के हस्ताक्षर हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, इससे पूर्व भी मैं कई बार इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि माननीय सदस्य कृपया अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। यह पर्याप्त नहीं है कि हम कुछ बोल दें और उसके बाद कह दें कि इसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये। कृपया बोलने से पहले इस बात का परीक्षण कर लें कि जो कुछ बोल रहे हैं वह सही बोल रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ अगर किसी के साथ धोखाधड़ी कोई करता है तो वह किस श्रेणी में आता है। अगर हमारे साइन के बिना हमारे साथ धोखाधड़ी होगी तो किस श्रेणी में आयेगा, माननीय मंत्री जी बता दें कि वह किस श्रेणी में आता है, जिस श्रेणी में आता है मैं वही शब्द इस्तेमाल करता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपके साथ दूसरे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनके हस्ताक्षर हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य और सत्ता पक्ष के माननीय मदन कौशिक, श्री सुरेश चन्द जैन, श्री हरभजन सिंह चीमा आदि कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात को जोर–जोर से कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अन्त में, बजट के बारे में कहना चाहता हूँ कि यह महिलाओं, बेरोजगारों, दलितों, व्यापारियों, मजदूरों और किसान विरोधी बजट है। इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। इसमें बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है, धन्यवाद।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, जो यहाँ पर नोकझोंक हुई वह माननीय सदस्य की गलती नहीं, यह मौसम की गलती है।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी कवि भी है तो कहा जाता है कि जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि और उसके साथ पत्रकार भी है तो जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे पत्रकार। मान्यवर, आपने जो यहां पर बजट रखा है। ऐसी क्या जल्दी थी बजट लाने की, अभी वार्षिक योजना का आकार ही निर्धारित नहीं हुआ तो सरकार को इतनी जल्दी बजट लाने की क्या आवश्यकता पड़ी?

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी, आप बहुत विद्वान माननीय सदस्य हैं। कृपया गागर में सागर वाला काम करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, सरकार को ठीक नहीं लग रहा है तो अभी बैठ जाता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

सरकार की बात नहीं है। अभी काफी माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, सवाल पूरे एक वर्ष के लेखे–जोखे का है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, बजट पर काफी माननीय सदस्यों के विचार आ चुके हैं। कोई अलग से बात हो तो कहें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जो विचार आ चुके हैं, उनको तो मैं छू ही नहीं रहा हूँ, जो माननीय सदस्यों ने कहा है। मैं यह कह रहा हूँ कि जब वार्षिक योजना का आकार तय ही नहीं हुआ है तो फिर आपने बजट की परिकल्पना कैसे कर दी। मान्यवर, जिस तरह से यह बजट लाया गया है अभी तो बजट देखकर ऐसा लगता है कि इस राज्य की क्या आवश्यकतायें हैं? इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। मुझे बड़ी आशा थी कि निशंक जी जिस पृष्ठभूमि से है, जो उनका संघर्ष है, गांव से निकले हैं। वे ऋषिकेश में रहे और हरिद्वार में भी रहे। निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्र की जो जनता है, उसकी पीड़ा को समझते होंगे और मैदानी क्षेत्र की जनता की पीड़ा को समझते होंगे। लेकिन कहीं भी मान्यवर, इस दस्तावेज में वह पीड़ा परिलक्षित नहीं होती है। इस राज्य की क्या आवश्यकतायें हैं? इस राज्य में थ्रस्ट सैक्टर क्या होने चाहिए? राज्य को बने हुए दस वर्ष हो गये हैं, किस रास्ते पर हमको आगे जाना है। इस बजट में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। आप क्या खाली विज्ञापन देते हैं अखबारों में, उससे यह राज्य सशक्त हो जायेगा? इस राज्य में हम किस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। जल विद्युत परियोजनाओं की हालत आप देख ही रहे हैं। जड़ी बूटी की हम बात करते हैं, जिसमें राज्य आगे बढ़ सकता है बजट में उसके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते थे लेकिन पर्यटन की जो स्थिति है, मान्यवर, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम के होटलों में चले जायें, उसमें ठहरने के लिए कोई भी तैयार नहीं है चूंकि पर्यटन का सीजन आ रहा है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में आज नौजवान बहुत ही

कुण्ठाग्रस्त है। मान्यवर, इसमें मैं देख रहा हूं कि क्या यह सरकार पूरे प्रदेश को शराबियों का प्रदेश बनाना चाह रही है? मान्यवर, मैंने एक सवाल के माध्यम से पूछा था कि क्या सरकार, जो देवभूमि है प्रदेश में शराबबन्दी करेगी? मान्यवर, आज चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र, इनमें 6-7 बजे के बाद गांव में नहीं जा सकते हैं, यह एक कुण्ठा है उस कुण्ठा को दूर करना चाहिए था। यह कुण्ठा कहां से उत्पन्न हो रही है चूंकि नौजवान के पास काम नहीं है। मान्यवर, जब नौजवान के पास काम नहीं होगा तो निश्चित रूप से कुण्ठा आयेगी। इस बजट में सबसे पहले प्रस्ताव आना चाहिए था कि पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में गुटका पर प्रतिबन्ध होना चाहिए था। मान्यवर, स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थिति है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विभाग के मंत्री हैं। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जायें, अगर डाक्टर है भी तो वह इलाज भी कुछ पैसों से कर रहा है, मान्यवर, कोई एक डाक्टर बता दें, इसके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की है। इसी प्रकार पेयजल की पर्वतीय क्षेत्र में जो समस्या है उसके सम्बन्ध में, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पेयजल के संबंध में एक पत्र लिखा है, भले ही उस पर कोई जवाब नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय किशोर उपाध्याय जी, मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि आप बहुत विद्वान सदस्य हैं, आप अपनी बातों में गागर में सागर भर दें। अपनी बात को संक्षिप्त में कह दें।

श्री किशोर उपाध्याय-

मान्यवर, ऐसी बात है तो आप कह दें, गागर में सागर तो बाद में भरूंगा। मान्यवर, विश्व युद्ध बाद में होगा, प्रदेश की जनता में अगले महीने से ही विश्व युद्ध हो जायेगा, बिना पेयजल के आदमी कैसे जिन्दा रह सकता है? मान्यवर, यह गंभीर विषय है।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पेयजल मंत्री जी जान बूझकर इसलिए पानी नहीं पिला रहे हैं कि निशंक की सरकार फेल हो जाय।

श्री किशोर उपाध्याय-

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। इस सरकार के मंत्री उन गांव में जाना नहीं चाह रहे हैं और गांव की पीड़ा को समझना नहीं चाहते हैं। मान्यवर, हर बार मैं अखबार में देखता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के दो बयान आते हैं कि हर बार हमको केन्द्र सरकार से पल्ला फैलाना पड़ रहा है कि हमको, पांच हजार या पचीस हजार रूपये दे दो, कहना पड़ा है और हालत यह है मान्यवर, आपके सामने केवल दो चार आंकड़े रख रहा हूं। मान्यवर, बारह सौ करोड़ रूपये जो केन्द्र सरकार ने दिये थे, सरकार खर्च नहीं

कर पायी है। नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी योजना में 98 करोड़ रूपये खर्च नहीं कर पाये, सड़क निर्माण (पी0एम0जी0एस0वाई0) योजना में 80 करोड़ रूपये, इंदिरा आवास योजना में 34 करोड़ रूपये, बीआरजीएफ योजना में 09 करोड़ रूपये, एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम में 173 करोड़ रूपये, सीआरएसपी में 12.50 करोड़ रूपये, सिंचाई एआईबीपी में 65 करोड़ रूपये, लघु सिंचाई एआईबीपी0 में 17 करोड़ रूपये, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में 52 करोड़ रूपये, आईसीडीएस में 18 करोड़ रूपये खर्च नहीं कर पाये। मान्यवर, हमारे सम्मानित साथियों ने कहा कि हमारे जिला योजनाओं में धनराशि घटा दी गयी है। इसमें अभी पचास प्रतिशत से ज्यादा धनराशि खर्च नहीं हो पायी है, यहां पर क्या होगा मान्यवर, जब 31 मार्च आयेगा? और पता चलेगा कि पहली अप्रैल को सारी की सारी धनराशि समाप्त हो चुकी होगी। मान्यवर, किसके पेट में गयी और किसकी जेब में गयी इसका पता नहीं चल पायेगा। मान्यवर, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यह जो बजट है इसमें आत्मा है ही नहीं और जिसमें आत्मा नहीं होती है उसको आप भलीभांति समझ सकते हो कि क्या है? इस बजट की कोई आत्मा नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा और माननीय नेता प्रतिपक्ष और अपने सभी प्रतिपक्ष के सदस्यों की बातों पर बल देते हुए यह कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अंतिम पृष्ठ में मान्यवर, एक कविता है जिसमें वेदना का उल्लेख है। मान्यवर, ये वेदना क्या है। मान्यवर, वेदना यह है कि कैसे और ज्यादा अंदर हो सके माल, यह उसकी वेदना है। मेरे ख्याल से और कोई वेदना नहीं हो सकती है। धन्यवाद।

श्री सुरेश चन्द जैन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, सबसे पहले तो जो यह बिना टैक्स का और सरप्लस बजट प्रस्तुत किया गया इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। जबकि छठा वेतन आयोग जिसकी वजह से 25 सौ करोड़ रू0 का अतिरिक्त भार पड़ा 2009–10 में, और यह कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही कमाल है माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि कोई भी टैक्स न लगाकर इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया। (हँसी) अभी मैं बताऊँगा कि मैंने क्या कहा। (हँसी) देखिये, सच्चाई को सुनने की क्षमता होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

जैन साहब, यह तिवारी जी से सीखा आपने। (हँसी)

श्री सुरेश चन्द जैन–

देखिये, यह तो चाहे तिवारी जी रहे हो चाहे मेजर जनरल खण्डूड़ी जी रहे हो या फिर चाहे माननीय निशंक जी रहे हो। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय निशंक जी का, कि एक भी महीने कोई कर्मचारी यह नहीं कह सकता कि इतना वित्त भार पड़ा छठे वेतन आयोग की वजह से कि किसी कर्मचारी को वेतन नहीं मिला। यह कुशलता

ही थी सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, इसके बावजूद भी बिना टैक्स के सरप्लस बजट प्रस्तुत करना बिना प्रबंधन के नहीं हो सकता। इसलिए यह वित्तीय प्रबंधन का ही द्योतक है। इसलिए वित्त आयोग ने 1 हजार करोड़ की धनराशि की पुरस्कार के रूप में संस्तुति की। मान्यवर, किसानों के उत्थान के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है सरकार ने थ्रेसर पर वैट खत्म किया और वहीं जो ऋण की सीमा है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जिससे किसानों को बहुत राहत मिलने जा रही है और इसके साथ-साथ मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय गन्ना मंत्री जी को भी, कि पहली बार पूरे भारत में किसानों को गन्ने का मूल्य इस प्रदेश में सबसे ज्यादा दिया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहे।

श्री सुरेश चन्द जैन–

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ ही एक अनुरोध है हमारा आपके माध्यम से सरकार से कि किसानों को भी, जो किसान वृद्ध हो जाते हैं उन किसानों को पेंशन दी जाए और मान्यवर, कम से कम एक हजार पेंशन किसानों की, की जाए। मान्यवर, अनेक चीजों पर वैट कम किया गया सरकार के द्वारा और यह इसका द्योतक है कि सरकार गम्भीर है, जो अपने पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया गया, जो सामान्य बच्चे बीनते फिरते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं उसके लिए भी अच्छी दृष्टि दिखाई है। मान्यवर, एक पिक्चर 'विदाई' आई थी उसमें दुर्गा खोटे का मुख्य रोल था जिसमें वह अपने बच्चों को बड़ा करती है और जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो बच्चे उसे छोड़कर जाते रहते हैं और अन्त में जब उसका समय आता है तो उसके पास कोई नहीं आता है। तब अन्त में तो कृष्ण के रूप में उसका पोता बनकर आते हैं। तो ऐसी ही रूड़की के लिए कृष्ण के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी रूड़की आ गये और क्षेत्र के लिए पहली बार 15 करोड़ रूपया दिया, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और इसके साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कार्यकाल में रूड़की के मास्टर प्लान की योजना चालू हो गई, नोटिफिकेशन हो चुका है, रूड़की का सर्वे हो चुका है और रूड़की के चारों तरफ का जितना क्षेत्र उसमें लेना है पाजिटिंग चल रही है। सीवरेज का मास्टर प्लान लागू हो चुका है और एक टीम चार दिन पहले रूड़की गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में रूड़की के सीवरेज का मास्टर प्लान शुरू होने जा रहा है और पेयजल का मास्टर प्लान भी शुरू होने जा रहा है और ड्रेनेज का मास्टर प्लान बनकर तैयार है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री सुरेश चन्द जैन जी, कृपया सीमित करें।

श्री सुरेश चन्द जैन–

मान्यवर, ऊर्जा के क्षेत्र में, मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि गर्मियां आ रही हैं और रुड़की में कम्बजेक्शन बहुत बढ़ गया है वहां पर बहुत फैक्ट्री लग गई हैं तो इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप ऊर्जा मंत्री भी हैं कि जो पांवर ग्रिड है अभी पुहाना में जो लगी है उसमें फीडर लग जाए तो 2–3 महीनें में काम हो सकता है, तो जो समस्या गर्मियों में आने वाली है तो उस समस्या से हरिद्वार जिले और उसके आस–पास का क्षेत्र भी उससे लाभान्वित होगा, यह मेरा आपसे निवेदन है। मान्यवर, एक चीज और कहना चाहूँगा कि मैं बार–बार निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र में अन्तराष्ट्रीय स्टेडियम रुड़की में होना चाहिए, वहां पर आई0टी0आई0 है, इतने बड़े–बड़े सेन्टर है वहाँ पर ऑफिस है बाहर से विदेशी आते हैं और खेलो की प्रतियोगिता होती रहती है तो उसके लिए इण्टरनेशनल स्टेडियम होना चाहिए। दूसरा पर्यटन की दृष्टि से गम्भीर है हमारे पर्यटन मंत्री जी, कि उत्तराखण्ड पर्यटन प्रदेश बने। हरिद्वार, रुड़की, मंगलौर, भगवानपुर से ले करके बहादराबाद तक प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है, पर हम उसको समेट नहीं रहे हैं, वहां पर पर्यटन की दृष्टि से इतने अच्छे सेन्टर बन सकते हैं। चाहे वह आसन नगर के पास, जहां पर रेग्यूलेटर बना हुआ है जहां से जगह–जगह 4–5 रजवाएं और नहर निकलती है, उसको डेवलप कर सकते हैं। दूसरा पार्दी बुद्दर झील, आप पहले उत्तर प्रदेश में मंत्री थे और तब आपसे निवेदन किया था तो आपने देखा होगा आपको ध्यान होगा जब आप रुड़की आये थे और आपसे आग्रह किया था और उसके लिए आपने प्रयास भी किया था। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन सरकार नहीं रही और आप कुछ नहीं कर पाये। मान्यवर, उसको अच्छा डेवलप किया जा सकता है, लेकिन वह ऐसे ही पड़ा है जहां पर प्रवासी पक्षी आते थे। मान्यवर, नई नहर और पुरानी नहर का संगम बना है। मान्यवर, वाटर स्पोर्टस की गुंजाईस वहां पर है, वह बहुत अच्छा केन्द्र बन सकता है और दूसरी रुड़की से बहादराबाद तक की जगह ऐसी हैं, जहाँ पर नीचे नहर है और ऊपर नदी है, इस जगह को विकसित किया जा सकता है। मान्यवर, हॉस्पिटल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि रुड़की में कार्डियालॉजी सेंटर और एक ट्रामा सेंटर खोलने का प्राविधान बजट किया है, लेकिन इसके साथ–साथ वहाँ पर कुछ प्रशासनिक अधिकारी, प्रवर वर्ग सहायक, चिकित्सा अधीक्षक, वरिष्ठ पैथेलॉजी, चिकित्सा अधिकारी और बाल रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता है, इनका होना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा इन कमियों को दूर कर दिया जाय। अन्त में, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में सरप्लस बजट प्रस्तुत किया है। मान्यवर, मैं दो लाईन में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। "पलक को जिद है, जहाँ बिजली गिराने की, माननीय निशंक जी को भी जिद है, वहीं आशियां बना लेने की।

श्री दिनेश अग्रवाल--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, इस बजट को देखने में साफ रूप से परिलक्षित होता है कि इस बजट में न तो ग्रामीण विकास की झलक है और न ही शहरी विकास की झलक है। मेरे हिसाब से तो यह गड़बड़ झाला बजट है। यह बजट मात्र पिछले साल की नकल मात्र है। इस बजट के अंदर जिस विकास की सोच होनी चाहिए थी। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के पीछे जो सोच हमारी थी वह परिलक्षित होनी चाहिए थी, वह नहीं है। मान्यवर, आज हम जिस शहर में रहते हैं वह शहर एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त शहर है, जिसको तत्कालीन सरकार ने अस्थाई राजधानी का स्वरूप दिया था और आज इस शहर में कितना दबाव बढ़ गया है। मान्यवर, मैं ज्यादा न कहकर अपने शहर के सम्बन्ध में दो तीन बातों को यहां पर रखना चाहता हूँ। यह शहर अस्थाई राजधानी के रूप में जब से बना है, तब से इतना दबाव इस शहर पर बढ़ गया है कि सारी जगहों से लोग आकर इस शहर में, शहर की गलियों में बस गये हैं। मान्यवर, हमने इसके लिए क्या कोई ऐसी व्यवस्था की है, उनके आवास के लिए कोई ऐसी योजना हम बनायेंगे, ऐसी कोई हमारी आवासीय योजना नहीं बनी है। देहरादून के अंदर हमने एक एम०डी०डी०ए० बनाया और एम०डी०डी०ए० ने कई वर्षों के बाद एक मास्टर प्लान बनाया, पता नहीं यह मास्टर प्लान कहां से धक्का खाकर बाहर आया। वह मास्टर प्लान आज कहां है, वह कैसा मास्टर प्लान है, इस मास्टर प्लान में टोटल खामियां हैं। यह ऐसा मास्टर प्लान है, जिसका यदि हम इम्प्लीमेंटेशन करें तो देहरादून का जितना बेड़ा गर्क होना था, वह तो हो गया, लेकिन इसके लागू होने पर चौगुना बेड़ा गर्क हो जायेगा, ऐसा मास्टर प्लान हमने बनाया है। मास्टर, मेरा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हैं वे आवास मंत्री भी हैं। इस मास्टर प्लान में इतनी खामियां हैं, यह मास्टर प्लान बिल्कुल वास्तविकता से परे है। सरकार को आज भी लैण्ड यूज चेंज करना पड़ रहा है। मास्टर प्लान आने के बाद भी लैण्ड यूज चेंज करना पड़ रहा है। तो यह हम कैसा मास्टर प्लान बनाकर लाये हैं और हमने जब मास्टर प्लान बनाया तो वास्तविकताओं को धरातल पर नहीं देखा है। एम०डी०डी०ए० की आज जो स्थिति है, वह बहुत ही भयावह है, एम०डी०डी०ए० के पास इतने वर्षों बाद भी देहरादून के सुनियोजित विकास की कोई योजना नहीं है। कैसे देहरादून का सुनियोजित विकास होगा, कैसे आवासीय योजनाएं बनेंगी? आज पूरे देहरादून में जितना भी अवैध निर्माण हुआ है, इसके लिए यदि मैं किसी को दोषी मानता हूँ तो वह देहरादून को मानता हूँ। आपने कोई आवासीय योजना नहीं बनायी तो लोगों ने एग्रीकल्चर फील्ड में जगह-जगह प्लाटिंग करके अवैध निर्माण कर दिया। मान्यवर, आज पूरे देहरादून का कहीं पर भी सुनियोजित विकास नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि आज एम०डी०डी०ए० के पास कोई लैण्ड बैंक नहीं है। कहाँ से यह आवासीय

योजनाएं बनाये? हमने लैण्ड बैंक बनाने का कोई प्रयास ही नहीं किया। जब हम लैण्ड बैंक नही बनाएंगे, तो कैसे हम, देहरादून के अन्दर जो दबाव बढ़ रहा है, उस दबाव को हम कैसे दूर कर पाएंगे। तो मेरा तो अनुरोध है कि एम0डी0डी0ए0 को समाप्त कर दिया जाय और दोबारा से नगर पालिका, नगर निगम को नक्शे का अधिकार दे देना चाहिए। क्योंकि एम0डी0डी0ए0 जो है, यह एक ऐसी संस्था बन गया है कि खाली नक्शा पास करके धन उपार्जन कर ले और अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने में यह पूर्णतः असफल रहा है। मान्यवर, दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या इस देहरादून की है, वह सीवरेज की है। आज हम देहरादून में महामारी के कगार पर बैठे हुए हैं। आज पूरे देहरादून का सीवरेज ओपन नदियों में और और खुले में गिर रहा है। कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है। देहरादून में आज भी एक भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना। हमारा प्रयास है कि हम ए0डी0बी0 से सीवरेज प्लांट बनाएं, हम जे0एन0एन0यू0आर0एम0 से सीवरेज प्लांट बनाएं लेकिन उनकी प्रगति बहुत धीमी है। सीवरेज प्लांट नहीं बन रहे हैं और एक जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि कष्ट का विषय है, आज देहरादून के अन्दर लोगों के घरों के अन्दर जो गड्ढे हैं, उनसे निकासी के लिए तो सीवरेज निकाला जा रहा है, उस सीवरेज की निकासी को सड़क के किनारे पर डाला जा रहा है। मान्यवर, उससे कभी भी वहां पर महामारी फैल सकती है। उसके लिए क्या सरकार ने कोई उपाय किया है? सरकार उसकी रोकथाम का क्या कोई उपाय कर रही है? मान्यवर, सरकार कहीं पर कोई उपाय नहीं कर रही है। सारा सीवरेज सड़कों के किनारे गिर रहा है। यदि आप हरिद्वार बाईपास पर जाएं तो आपको सामने सड़कों पर गिरता हुआ सीवरेज नजर आ जाएगा। टैंक सड़कों पर ही सीवरेज के निष्कासन में लग गये हैं।

मेरा कहना यह है कि सरकार ने कोई भी योजना इस बजट के अन्दर नहीं बनायी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कोई योजना मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। कहीं पर भी ब्रांच सीवरेज नहीं बन रही है। मान्यवर, इतनी खराब स्थिति है। मैं समझता हूं कि इससे भयावह बात और कोई दूसरी हो नहीं सकती। इसमें सरकार को कहीं पर कोई चिन्ता भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि ये जितने टैंक हैं, इनमें नगर निगम के भी हैं, जल संस्थान के भी हैं, प्राईवेट लोगों के भी हैं, क्या उन पर अंकुश लगाने का सरकार ने कोई प्राविधान किया है, उन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कहीं पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है, कहीं पर सरकार इसको देख रही है कि ये जो मलमूत्र घरों से एकत्र करके लाते हैं, कहां पर इसका निष्पादन किया जाय? मान्यवर, देहरादून की नगर पालिका परिषद को बड़ा करके नगर निगम बनाया गया और 18 ग्राम सभाओं को उसमें सम्मिलित कर लिया गया। हमने शहरीकरण की दिशा में प्रगति करते हुए एक मात्र नगर निगम का निर्माण देहरादून में कर लिया लेकिन क्या हम कोई अवस्थापना सुविधा उस नगर निगम के माध्यम से लोगों को दे पाए? 18 ग्राम के लोगों की स्थिति आज यह है, जो नगर निगम में सम्मिलित हुए, वहां पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, वहा पर कोई आदमी कोई सुविधा देने को तैयार

नहीं है। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि नगर निगम भी आपका, जो सत्तारूढ़ पार्टी है और सरकार भी आपकी। उसके बाद भी स्थिति यह है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा। पूरी अंधेर नगरी, 70 वाट के बल्ब भी कहीं पर आपने नहीं लगाए, पूरे शहर के क्षेत्रों में अंधेरा फैला है। उसके साथ-साथ चारों तरफ कूड़े के ढेर हैं। हमारे सफाई कर्मचारियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता हमने नहीं समझी। हम इस देहरादून के लिए सफाई कर्मचारियों को आगे बढ़ाएं, कितनी बड़ी विडम्बना है कि नगर निगम, मान्यवर, मैं यह बात यहां पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नगर निगम के द्वारा बार-बार यह आरोप लगता है कि सरकार द्वारा हमें कोई सहायता नहीं दी जा रही है। सरकार हमारी सहायता नहीं कर रही है। हम वहां पर एक रिक्शा नहीं खरीद पाए, कितनी बड़ी विडम्बना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पैसा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के माध्यम से नगर निगम को कब का मिला हुआ है। उसके माध्यम से एक रूपया खर्च नहीं कर पाए। कितने शर्म की बात है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 का एक पैसा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में खर्च नहीं कर पाए। हमारे पास वहां पर झाडू खरीदने के लिए पैसा नहीं है। नगर निगम की वित्तीय स्थिति ऐसी है। यह सरकार उसको कोई सहायता नहीं दे रही है। मान्यवर, मैं समझता हूं, देहरादून के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। हमने 18 गांवों को नगर निगम में सम्मिलित कर लिया, उनकी समस्याओं का कहीं पर भी कोई निस्तारण नहीं हुआ। आज उनके ऊपर एक और बहुत बड़ा कर थोपने की तैयारी सरकार कर रही है। स्वकर प्रणाली के रूप में देहरादून के लोगों के ऊपर भवन कर लगाने की तैयारी चल रही है। इतना बड़ा आर्थिक बोझ डालने की तैयारी और वह भी कारपेट एरिया में। अगर आप कारपेट एरिया में स्वकर लगायेंगे, तो आपकी स्थिति क्या हो जायेगी। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा आज भी नगर निगम का कोई एक्ट नहीं है, हम आज भी उत्तर प्रदेश के एक्ट से गवर्न हो रहे हैं। हमें उत्तर प्रदेश के एक्ट से गवर्न नहीं होना चाहिये, हमारा नगर निगम का नया एक्ट बनना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

कृपया, सीमित करें।

श्री दिनेश अग्रवाल-

मान्यवर, आपकी वाणी तो मैं बोल रहा हूं, यह स्थितियां ऐसी हैं, जिनसे आपको और मुझे ही दो चार होना है। मान्यवर, जब हम अपना नगर निगम का एक्ट नहीं बना लेते, तब तक कम से कम सरकार को इस बात के प्रति गम्भीर होना चाहिये कि जो स्वकर प्रणाली के तहत आर्थिक बोझ देहरादून के निवासियों पर डालने की तैयारी हो रही है, उसे अपने एक्ट बनाने तक स्थगित रखना चाहिये। मान्यवर, देहरादून के दोनों ओर दो नदियां बहती हैं, बिन्दाल एवं रिस्पना, उसके किनारों पर मलिन बस्तियां हैं, मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भी चुनाव का समय आता है तो सभी राजनीतिक

दलों के लोग वहां पर जाकर कहते हैं कि हम आपको मालिकाना हक देंगे। लेकिन आज भी उन मलिन बस्तियों के लोगों को कहीं पर भी मालिकाना हक दिये जाने की बात नहीं की गई है। मान्यवर, अगर राज्य सरकार सचेत होती तो इसके लिये हम केन्द्र से जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के माध्यम से बहुत पैसा ला सकते थे और देहरादून की मलिन बस्तियों के विकास के लिये जितनी हम चाहते, उतनी योजनायें बना सकते थे। उनके रखरखाव की हम बात कर सकते थे, उनके विकास की बात कर सकते थे, वहां पर पेयजल, सीवरेज की बात कर सकते थे।

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बहुत वर्षों से इस क्षेत्र के लोग और खासतौर पर वह लोग जो सस्ते और सुलभ न्याय की बात करते हैं, वे हाईकोर्ट की बेंच को हरिद्वार या देहरादून में खोले जाने की बात करते हैं। मान्यवर, यह इस प्रदेश के लिये दुर्भाग्य की बात है कि आज इस प्रदेश में हाईकोर्ट बना तो वह नैनीताल में बना, जहां पर कोई सुविधा नहीं है। वादकारी के हित की यहां पर कोई सुविधा नहीं है, एक पर्यटक स्थल पर आपने हाइकोर्ट बना दिया, जब वादकारी वहां पर जाता है तो उसे मंहगे होटलों में ठहरना पड़ता है और गर्मियों के सीजन में तो उसे रहने के लिये भी स्थान नहीं मिल पाता है। मान्यवर, हाईकोर्ट के लिये यह जरूरी है, हमारे चीफ जस्टिस ने भी देहरादून के बार एसोसियेशन में इस बात को कहा है कि यह राजनीतिक विषय है, इसमें सरकार को पहल करनी होगी। सरकार हरिद्वार या देहरादून में हाईकोर्ट की खण्ड पीठ की स्थापना के लिये प्रस्ताव भेजे। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को खण्डपीठ की स्थापना के लिये प्रस्ताव केन्द्र को भेजना चाहिये। जिससे सस्ते और सुलभ न्याय वादकारी को मिल सके और वादकारी के हित के साथ हम न्याय कर सकें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय दिनेश जी, अनुदान मांगों पर भी आप अपनी बात को कह सकते हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात को समाप्त कर लूंगा। मान्यवर, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, कि नहीं जानता कि हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के साथियों को पिछले वर्षों में राज्य योजनाओं से कितनी योजनायें मिली है। लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे विपक्ष के साथियों को राज्य योजनाओं में से कोई धन आवंटन नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह स्वस्थ परम्परा नहीं है, यदि आप पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी से इस बात का उद्धरण लें तो आपको निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी के जमाने में चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो, चाहे विपक्ष का व्यक्ति हो, जो भी अपने क्षेत्र की विकास की योजनाओं को लेकर जाता था, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होता था।

(माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र सिंह रावत द्वारा अपने स्थान पर बैठे-बैठे कुछ कहे जाने पर)

मान्यवर, आप अपने समय पर अपनी बात रखियेगा, अभी मुझे अपनी बात रखने दें। मान्यवर, हम यह कहना चाहते हैं कि विकास की जरूरत हर क्षेत्र में है, प्रत्येक व्यक्ति जनता से चुनकर यहां पर पहुंचा है। विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं होना चाहिये, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हैं, वह निश्चित रूप से इस बात का संज्ञान लेंगे कि किस विभाग से या किस मंत्रालय से विकास कार्यों को लेकर भेदभाव हो रहा है। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विवेकाधीन कोष से धन देने का पूर्ण अधिकार है। अभी पिछले दिनों मैंने एक अखबार में पढ़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साल में 19 करोड़ रूपया करीबन-करीबन विवेकाधीन कोष से दिया है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हैं। इस राज्य में असहाय लोगों के लिए, निर्बल लोगों के लिए, जो पीड़ित हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए विवेकाधीन कोष की स्थापना होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि उसमें हर एक का हक है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई सत्तारूढ़ पार्टी का व्यक्ति है तो उसका ज्याद हक है या विपक्ष का व्यक्ति है तो उसका कम हक है। क्योंकि वो भी इतनी पैरवी उस व्यक्ति की करता है जितनी आप करते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो संस्तुतियां माननीय विधायकों की ओर से जाती हैं, उनका संज्ञान नहीं लिया जाता है, उन्हें विवेकाधीन कोष से पैसा आवंटित नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी सदाशयता हर एक के साथ रखनी चाहिए और पीड़ित व्यक्ति राज्य का पीड़ित व्यक्ति होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई लेबल नहीं होता कि वो किस दल का है या किस दल का नहीं है। तो मैं समझता हूं कि विवेकाधीन कोष के अंदर जो डिस्पैरिटी है, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और उसमें सामान्य रूप से आवश्यकतानुसार मिलना चाहिए। मैं बहुत आभारी हूं माननीय अध्यक्ष जी, कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। (व्यवधान) ये गड़बड़झाला बजट है इसका क्या समर्थन करूं।

*हाजी तरसीम अहमद–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट को देखने से मुझे तो पूरी निराशा हुई है। इसलिए कि सबसे पहले पूरे प्रदेश को, पूरे समाज को एक समान लेकर चलना, ये एक मुखिया की जिम्मेदारी है। लेकिन इस बजट के अंदर खास तौर से अल्पसंख्यकों के सुधार के लिए कहीं जिक्र तक नहीं है। मान्यवर, मेरे लालढांग क्षेत्र में, इंटर के अलावा उच्च शिक्षा का कहीं भी विद्यालय नहीं है पूरे लालढांग क्षेत्र में और मैंने कहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए सभी भाषाओं को और सभी को साथ लेकर सम्मान दिया जायेगा इस बजट भाषण के अंदर, वो तो अध्यापक के लिए, उर्दू पढ़ने वाले बच्चों के लिए, अरबी और फारसी मदरसों के लिए

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस बजट भाषण के अंदर कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, मैंने पहले भी शिक्षा मंत्री जी से कहा था कि जहां जो उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका सर्वे कराकर उर्दू अध्यापक वहां पर पहुँचाए जाएं और उन्हें उर्दू सामग्री मिले। मान्यवर, जब उनके पेपर आते हैं तो ये खुला अंधेरा उन बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए है। मान्यवर, जो बच्चे इम्तिहान में बैठते हैं और उन्हे कोई जानकारी नहीं होती है तो उस पेपर में पास होने का कोई मकसद नहीं होता है। इसी तरह से वन गूजर, जो वनों से निकालकर बसा दिये गये हैं। उनको कोई देखने वाला वहां नहीं है। जो आज उनके सामने मूलभूत समस्या खड़ी है शिक्षा, स्वास्थ्य और जो रास्ते आज दो-दो किलोमीटर दूर पड़े हुए हैं, आज चरने के लिए, उनके पशुओं के लिए चारा तक नहीं है और उनके सामने ये भी एक बहुत बड़ी मांग है कि जो एक सूची के तहत 2002 में उन्हें एक पट्टा आवंटित किया गया था उसी में उनकी आबादी है और उसी में उनका परिवार है और जो सूची बनी तो उनके जो बच्चे थे वो आज जवान हो चुके हैं और एक दूसरी आज सूची बन रही है, सर्वे हो रहा है, वर्ष 2006 में जिन परिवारों का सर्वे हुआ उन्हें आज तक कहीं कोई स्थान नहीं मिला। वह हर तरह से वंचित हैं और वह सीधे सादे लोग है बेचारे, वह कहीं दूर जाकर अपने पशुओं को लेकर अपना भला नहीं कर सकते हैं, बल्कि यहां तक उन लोगों को जो अभी वन में रह रहे हैं, उन्हें गलत तरीके से वन विभाग के कर्मचारी तथा अधिकारी फंसाकर उन्हे मुकदमों में उलझा देते है। मान्यवर, मेरा लालढांग क्षेत्र, जो पूरे जिले के अन्दर हमारे क्षेत्र में जनजाति के लोग रहते हैं वहां पर सड़कों का अभाव है और एक रास्ता जो लालढांग से मिट्ठीबेरी और उस इलाके में जो मजरे हैं नदी बीच में पड़ती है, नदी में जब पानी आ जाता है, इससे वहां से किसी बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए नहीं ले जा सकते हैं और जिन बच्चों का शिक्षा से जुड़ा मामला है वहां से वह बच्चे अपने स्कूल तक नहीं जा सकते हैं। वहां पर आसन नदी पर एक पुल की मांग है, इसकी ओर आज तक ध्यान नहीं दिया गया, वहां पर सड़को का भी बहुत बड़ा आभाव है। माननीय अध्यक्ष जी, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में पैसा भी है लेकिन पता नहीं उन्हें चिन्हित करके उनके उद्धार के लिए पैसा क्यों नहीं दिया जाता?

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षिप्त करें।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि किसान हमारे प्रदेश में सीमित जनसंख्या में हैं, किसानों को बिजली फ्री दी जाये और बीजों पर सब्सिडी दी जाये, किसानों को सिंचाई में भी बहुत बड़ी दिक्कत है, सिंचाई ट्यूबवैलों द्वारा, नहरों द्वारा ज्यादा की जाये। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम लोगों के सामने चिकित्सा, जो प्रदेश में राजकीय यूनानी चिकित्सालय है वे कुल पांच हैं, इन पांच चिकित्सालयों में, चार में डॉक्टर नहीं है, सिर्फ एक डॉक्टर है इन पांच चिकित्सालयों में, इसकी ओर अभी तक सरकार ने कोई ध्यान

नहीं दिया है, वहां पर सिर्फ काम कम्पाउन्डरों द्वारा चलाया जा रहा है, यह बहुत बड़ी समस्या है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं वह अल्पसंख्यकों के लिए और दबे कुचले लोगों के लिए भी पूरा ध्यान दें, इसमें संशोधन करें। धन्यवाद।

*काजी मो0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मान्यवर, इस बजट को मेरे हिसाब से दो हिस्सों में बाँटा जा सकता है। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कुशल शब्दों के आकड़ो का प्रबन्ध, एक व्यवहारिक स्थिति सड़कों की है जो सरकार के कार्यालयों में मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं, कुशल शब्दों का और आँकड़ों का प्रबन्ध माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, एफ0आर0बी0एन0 एक्ट के दायरे में बिलकुल मंत्री चले, इसका डेप्रेसिट का साढ़े तीन प्रसेन्ट जी0डी0पी0 को लेकर चले और जो रेव्यन्यू डेप्रेसिटका था उसको जीरो लेकर चलें, तो इसमें आपको बधाई देनी पड़ेगी। लेकिन बधाई जो आप परिस्थितियों में लेकर चले, बधाई देने से ही काम नहीं चलेगा, आपने लगभग 30 प्रतिशत से ज्यादा नान प्लान का बजट बढ़ाया, कहीं न कहीं हमारी उम्मीद प्लान बजट बढ़ाने की है। अगर नान प्लान 30 प्रतिशत से ऊपर बढ़ा दिया तो 30 से ज्यादा होने की हम उम्मीद लगा रहे थे, 30 नहीं तो 15 करते, मेरी जानकारी के हिसाब से जो मैं देख पाया लगभग 5 प्रतिशत आस–पास आप प्लान बजट बढ़ा रहे हैं, आप आंकड़े क्या रख रहे हैं वह तो आपके ऊपर है। मान्यवर, उसमें भी शायद कुशल प्रबन्ध हों। आप की पार्टी केन्द्र में लगातार महंगाई के बारे में बात करती है इनफलेशन के बारे में बात करती है। आप पाँच प्रतिशत प्लान बजट को बढ़ा रहे हैं लेकिन आप ही बार–बार केन्द्र में आवाज उठाते हैं कि 8 प्रतिशत इन्फलेशन आज की तारीख में है। अगर 8 प्रतिशत इन्फलेशन आप खुद मानकर चल रहे हैं और पाँच प्रतिशत आप प्लान पर लगा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि गाड़ी आगे जाने के बजाए पीछे लौट रही है। आठ पर भी होगा तो हम कहीं न कहीं शून्य पर आकर खड़े होंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि अभी भी समय है बजट पास नहीं हुआ है, बजट में कुछ संशोधन करवा लें ताकि प्लान बजट कुछ बढ़ाया जा सके तो हम भी उसका समर्थन दे पायें। मान्यवर, गैरसैण राजधानी नहीं बनाई गई, न बताई गई, न देहरादून को राजधानी घोषित किया गया जब कि इस पर काफी धनराशि व्यय की जा चुकी है। मान्यवर, माइनारिटीज की बात करें तो 90 जिले पूरे देश में चिन्हित किये गये थे जिसमें माइनारिटीज को एम0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत पैसा दिया जाना था। इसमें बहुत भारी तादाद में पैसा केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाना था राज्य सरकार का कोई पैसा नही लगना था लेकिन 90 जिलों में बदकिस्मत से उत्तराखण्ड में ऊधम सिंह नगर वह जिला है जिसमें हम पैसा प्रयोग नहीं कर पाये। 32 जिलों में से दो जिले ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार है जिसमें मिली हुई धनराशि हम खर्च कर सकते थे लेकिन पता नही क्यों क्या वजह रही कि हम नहीं कर पाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, स्पर्श गंगा की बात करते है मैं कहता हूं स्पर्श हृदय करें। मान्यवर, यदि समाज कल्याण विभाग की बात करें। आँकड़े बहुत अच्छे प्रस्तुत किये। लेकिन आप जानकारी हासिल करें तो पेंशन चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, सबकी पेंशन रूकी हुई है। मान्यवर, छः–छः महीने तक पेंशन नहीं मिलती है। हायर एजुकेशन लीजिए या विद्यालयी शिक्षा लीजिए उनमें ओ0बी0सी0 और एस0सी0, एस0टी0 को आज तक स्कालरशिप नहीं मिली है। मान्यवर, अगर 31 मार्च गुजर गया तो शायद नहीं भी मिल पाये। माननीय अध्यक्ष जी, यदि एग्रीकल्चर पर ध्यान दे तो आपने थ्रेसर पर 4 प्रतिशत वैट हटाने की बात कहीं । मान्यवर, आप की जानकारी के लिए बता दूं यदि आप काश्तकारों का सर्वे करा ले तो आज की तारीख में थ्रेसर कोई किसान नहीं रखता है। कामर्शियल लेविल पर आज सब किराये पर लेते हैं, कौन रखता है। सब किराये पर ही धान, गेहूं कटवाते हैं। मान्यवर, काश्तकार को खाद, पानी और बिजली चाहिए। मान्यवर, आज की तारीख में गन्ना बोने का समय है, खाद ऐवलेबिल नहीं है। खाद की व्यवस्था करवाये, उस पर सब्सिडी दिलाने की बात कीजिए। मान्यवर, पावर नहीं, बिजली नहीं। ऊर्जा प्रदेश में बिजली नहीं, बिजली है तो वोल्टेज नहीं, वोल्टेज है तो खम्बा नहीं,खम्बा है तो तार नहीं। मान्यवर, बहुत से खम्बे ऐसे है आप सर्वे करवा लीजिए जो आपके नगरीय क्षेत्र होगे जिनमें कई सालों से खम्बे लगे हुए हैं लेकिन उनमें तार नहीं है। हाँ, आपके बजट में एक चीज कायदे की लगी। मुझे अवश्य अच्छी लगी जो शिक्षा विभाग ने मुस्कान योजना चलाई है वाकई इससे चेहरे पर मुस्कान आई है। लेकिन आपने कुछ बातें इसमें ऐसी कही है जिस पर मुझे बहुत तकलीफ महसूस हुई कि 100 स्मार्ट स्कूल होगें, क्यों होगे 100? हमारे यहां तो सारे स्कूल स्मार्ट होने चाहिए। क्या और को तनख्वाह नहीं देते है आप। सारे स्कूल स्मार्ट होने चाहिए। जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे है वे सारे स्मार्ट स्कूल होने चाहिए। स्मार्टनैस हर स्कूल के लिए पैदा की जाए। ऐसी उम्मीद इस सरकार से लगाता हूं। मान्यवर, यह राज्य नॉन प्लान में खर्च बढ़ाने के लिए नहीं बना है। यह राज्य बना था इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलप करने के लिए, फाइलों में उलझने के लिए नहीं। डी0पी0आर0 में उलझने के लिए नहीं। मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले कहा, स्पर्श हृदय करें सब के विकास के बारे में सोचें। यकीनन विकास के साथ–साथ गंगा जी की भी सफाई होगी।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, अभी मेरे पांच मिनट पूरे नहीं हुए हैं। मेरी नजर आप पर नहीं घड़ी पर है। मान्यवर, इस बजट को पढ़ने के बाद मुझे एक किस्सा याद आता है, मैं उसके बाद समाप्त कर दूंगा चाहे अभी दस मिनट बाकी है। मान्यवर, एक लाला जी थे जो बहुत गरीब थे और उनकी पत्नी का देहान्त हो गया। उनके तीन चार बच्चे थे, लाला जी बच्चों

को खुद रोटी बनाकर खिलाते थे, वह अपने बच्चों को जब किसी टाईम भी खाना खिलाते थे, तो वह एक बन्द घी का डिब्बा उनके बीच में रख देते थे और बच्चों से कहते थे कि बन्द घी के डिब्बे के ऊपर रोटी लगाकर खाते रहो, बाद में लाला जी उस डिब्बे को उठाकर अलमारी में रख देते थे और उस पर ताला लगा देते थे चाबी अपनी जेब में रख लेते थे। मान्यवर, एक दिन लाला जी को गांव से शहर जाना पड़ा और ऐसी परिस्थिति हुई कि लाला जी को शहर में ही रुकना पड़ा। उस दिन लाला जी बहुत परेशान हो गये कि आज बच्चों को सूखी रोटी खानी पड़ी होगी। लाला जी घर पर पहुंचे और बच्चों को प्यार किया और कहने लगे कि कल रात तुमको रूखी रोटी खानी पड़ी होगी, बच्चों ने कहा नहीं, पड़ोस की चाची ने रोटी दे दी थी और हमने उन रोटियों को बन्द अलमारी के ताले के ऊपर लगा-लगाकर खायी है। मान्यवर, हम जब सारे विधायक अपने विधान सभा क्षेत्र में जायेंगे और जनता सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, की मांग करेगी तो हम इन पन्नों की फोटो-स्टेट कराकर बाटेंगे और कहेंगे कि इस पर रोटी लगाते रहो और खाते रहो। मान्यवर, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास और इस सरकार के पास दस्तावेज के अलावा और कुछ नहीं है। मान्यवर, एक और बात मेरे जहन में आ गयी समय रहते रहते, महंगाई के बारे में हम लोग बार-बार बात करते हैं। मान्यवर, पेट्रोल में वैट बढ़ा दिया गया है जबकि उत्तर प्रदेश में कम है और हरियाणा में कम है, कहा जा रहा है कि राजस्व बढ़ेगा मेरे हिसाब से और कम होगा क्योंकि ये लोग हमारे यहां से पैट्रोल लेते थे अब अपने ही प्रदेश से लेंगे, वैट बढ़ाने से हमको नुकसान हुआ है। मान्यवर, केन्द्र सरकार काला बाजार रोकने के लिए क्वालिटी कन्ट्रोल ऑर्डर निकालने के आदेश दे रही है, शायद सरकार मानने को तैयार नहीं है। मैं समझता हू कि इसको लागू करें, कर दिया ठीक है आपको इसके लिए बधाई। जैसा मैंने कहा, यह केवल एक दस्तावेज है, इसकी प्रतियां हम लोगों में बांट देंगे, इस पर रोटी लगाते रहेंगे और खायेंगे। मान्यवर, केवल इनको देखकर एक चीज याद आ रही है जो मिर्जा गालिब की गजल है:-

यूँ तो रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल।
जो आँख से न टपका वो लहू क्या है।।

*श्री गणेश जोशी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया 17 तारीख को, और नेता प्रतिपक्ष बहुत विद्वान आदमी है और मेरे मित्र भी हैं और वे अभी बाहर गये हैं शायद मेरी आवाज सुनकर आ जाए। वे बार बार मुख्यमंत्री जी को इशारा करके कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बाजीगर है, मुख्यमंत्री जी जादूगर है सामने की चीजें गायब कर देते हैं और मैं मुख्यमंत्री के सामने ही रहता हूं। मान्यवर, जो मदारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होता है उसके सामने जमूरा होता है। (हँसी) जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट की सीटी बजायी माननीय हरक जी ने जो हमारे जमूरे सामने बैठे थे लगातार पौने तीन घण्टे तक, तरह तरह की मसकरी बातें करके, करतब दिखाकर सदन का मनोरंजन किया इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उनके सम्मान में कुछ पंक्तियाँ पढूंगा, क्योंकि ये बार-बार कभी हमारी तरफ इशारा करके कभी किसी की तरफ इशारा करते थे।

ये अँगुलियाँ हर किसी पर तुम उठाया न करो।
खुद को खुद की पलकों पर तुम यूं बिठाया न करो।
अपनापन तो ठीक है मगर बेगानापन दिखाया न करो।
ये दुनिया सभी की है सिर्फ अपना हक जताया न करो।
फर्क हमेशा खुद में होता है। दूसरों में बताया न करो।
ये दुनिया सब जानती है। खुद को ज्यादा बनाया न करो।
है ये आईना खुद को देखने के लिए, दूसरों को दिखाया न करो।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में जो कि उत्तराखण्ड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाला हर छठा सैनिक उत्तराखण्ड से होता है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जहां विधवाओं की पेंशन बढ़ायी है वहीं सैनिक कल्याण के लिए 18.65 करोड़ रू0 की व्यवस्था की है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए जहां 200 करोड़ रू0 की बजट में वृद्धि की है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार युवा कल्याण में 10 करोड़ से अधिक खेलों के लिए युवाओं के लिए 26 करोड़ रू0 की व्यवस्था की है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में पूरी चिन्ता करी है। इसी प्रकार आज पूरे विश्व के अंदर अगर 15 हजार रू0 में डॉक्टर की कहीं पढ़ाई हो रही है तो वह हमारे उत्तराखण्ड में हो रही है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और चन्द शब्द मुख्यमंत्री जी के सम्मान में कहना चाहूंगा।

जिन्दगी का रूख तो इरादों से बदलना है, क्यों इनको हथियार बना नहीं लेते।
मंजिल दूर है तो चलना न छोड़ो, मुमकिन हर सफर बना क्यूं नहीं लेते।
जो जज्बात को समझ सके वो हर आदमी नहीं होता।
जो जिन्दगी का राज समझ सके वो हर दिल नहीं होता।
बुरी नजर से भी मत देखो, सभी गुनाहगार नहीं है हरक जी।
अगर हर आदमी यहां साहिल नहीं होता तो हर आदमी यहां जाहिल न होता।

जैसे सलाखों से बाहर आजाद हर आदमी दरियादिल नहीं होता,

वैसे सलाखों के पीछे कैद हर आदमी कातिल नहीं होता।

जो इस राज को समझ सके, वो हर आदमी नहीं होता।

और जो न समझ सके वो आदमी नहीं होता। मान्यवर, मेरे......

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक मात्र परेड ग्राउन्ड खेल का मैदान है, चूंकि देहरादून में बड़े-बड़े अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी फुटबाल के क्षेत्र में दिये हैं और खेल का मैदान न होने के कारण अभ्यास नहीं हो पा रहा है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इसमें खेल का मैदान या स्टेडियम का भी उल्लेख करें। इसी के साथ मैं अपनी बात पर बल देते हुये इस बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रीमण्डल का पुनर्गठन तो नहीं हो रहा है?

श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बजट भाषण में सम्मानित चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों की बातों से मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हू और जो वर्ष 2010-2011 का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में पढ़ा, यह बजट जो 171 पेज का है, यह बजट झूठ का पुलिंदा है और आंकड़ों के हेरफेर का पुलिंदा है। मान्यवर, इस सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय खण्डूड़ी जी ने कहा कि जो केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुति है तो यह प्रथम राज्य था जिसने लागू की और वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उत्तराखण्ड देश का दूसरा राज्य है। मान्यवर, छठे वेतन आयोग की संस्तुति को निश्चित रूप से इस सरकार ने लागू किया, लेकिन जब से छठा वेतन आयोग इस प्रदेश में लागू हुआ है और उसके बाद इसमें जो कमियां हैं, उसमें वेतन विसंगति का प्रकरण है, चाहे पदों का मामला हो, लगातार आपने देखा है कि पूरे प्रदेश में कर्मचारियों का आंदोलन फूट गया है, अभी एक माह पूर्व जनवरी 24 से फरवरी तक एक माह का आंदोलन हुआ था और इससे प्रदेश में विकास कार्य बाधित हुआ, तो इसमें एक ओर पीठ थपथपाते रहे हैं और दूसरी ओर इसमें सरकार द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा इस बात का जो जिला योजना को आकार था, इसका जो परिव्यय था, हर साल 10 प्रतिशत बढ़ाया जाता था पूरे प्रदेश के अन्दर, जब भी जिला योजना की बैठक होती थी, इस वर्ष जिला योजना की बैठक हुई तो उसका परिव्यय उतना ही रखा गया, बढ़ाया नहीं गया, इसका उल्लेख भी नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट भाषण में सरकार ने लगातार जो केन्द्र सरकार ने उपलब्धियाँ रखी हैं, उसमें इस सरकार ने अपनी उपलब्धियों का उल्लेख किया है, चाहे जमरानी बाँध परियोजना, जिसकी अभी केन्द्र सरकार ने स्वीकृति दी है, सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र सरकार द्वारा संचालित हुआ। हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल जी ने कहा कि चाहे मोटर मार्ग हो, चाहे हाई स्कूल हो लेकिन अभी केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना के माध्यम से पुनः योजना लागू की है, जिसकी उपलब्धि ये सरकार लेने का काम कर रही है। मान्यवर, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी 108 की उपलब्धता बताते हैं, निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से मरीजों को लाते हैं, लेकिन जिला अस्पताल में जाते हैं वहां पर जो चिकित्सा की हालत है, वहां पर चाहे न्यूरो डाक्टर हो, पर्वतीय क्षेत्र में नहीं मैदानी क्षेत्र में भी कहीं भी आप देखेंगे तो वहां पर डॉक्टरों की बहुत भारी कमी है तो उसमें निश्चित रूप से कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया कि हम डॉक्टर की नियुक्ति करने जा रहे हैं, इस बजट में नहीं है तो इसमें भी कहीं न कहीं प्रश्नचिन्ह लगता है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे चिन्ता की बात है कि यहां पर बोर्ड की परीक्षा चल रही है और लगातार विधान सभा में विपक्ष द्वारा प्रश्न के माध्यम से कहा जा रहा है कि विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो रही है और इसके लिए सरकार में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि वास्तव में विद्युत का उत्पादन कम हो रहा है सरकार जल विद्युत परियोजना बनाने जा रही है, सरकार अन्य चीजें करने जा रही है, लेकिन सरकार ने जो लाईन लॉस की बात की है, अगर सरकार इस चीज की ओर ध्यान दे, अगर सरकार लाईन लॉस की ओर ध्यान दे, अगर एक मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, तो उससे कम से कम 40 पैसे लाईन लॉस होता है तो इसकी ओर सरकार की नजर अभी तक नहीं गई है, क्योंकि दिल्ली में भी सरकार ने गम्भीरता से चिन्तन किया था और उससे दिल्ली में लाईन लॉस में कमी आई, वर्तमान में 5–8 प्रतिशत तक लाईन लॉस में कमी रह गई है तो निश्चित रूप से चाहे उसके तार हों, चाहे कन्डेन्सर हो, चाहे कुछ भी हो तो कहीं पर भी सरकार ने चाहे जल विद्युत परियोजना की बात की और सरकार ने इस बजट में कहीं पर भी लाईन लॉस की बात का जिक्र नहीं किया, जिसमें 40 प्रतिशत विद्युत आपूर्ति में लाईन लॉस होती है और जो अभी इस बजट में शहरी क्षेत्रों में 10 हजार आबादी से आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना कार्यान्वित की जायेगी, अच्छा होता अगर ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को किया जाता तो निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं जो विद्युत की कमी है उससे निदान मिलता और इसके साथ–साथ आज सरकार मैंने पहले भी कहा कि विद्युत आपूर्ति हो रही है, लेकिन पीडा विभाग के माध्यम से हुई है। मान्यवर, लेकिन पवन ऊर्जा के माध्यम से जहां पर जिस मानक के अनुसार पवन ऊर्जा लगती हो, वहां पर पवन ऊर्जा लगातार उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्युत उत्पादन किया गया है। निश्चित रूप से इसका भी सरकार ने कहीं पर उल्लेख नहीं किया है। मान्यवर, जहां तक समाज कल्याण विभाग की बात है, इसमें

विधवाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए इलाज या शादी–विवाह के लिए पैसे दिये जाते हैं, उसमें बहुत कम बजट का प्राविधान रखा गया है। सरकार द्वारा जो वर्ष 2010–11 का बजट रखा गया है, इसमें भी बजट बढ़ाने का कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है। इसके साथ–साथ एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आज पर्वतीय क्षेत्रों में हो या मैदानी क्षेत्रों में, जो हमारी हस्तशिल्प कला है, जो ताम्र उद्योग कला है वह धीरे–धीरे विलुप्त होती जा रही है। मान्यवर, अल्मोड़ा जनपद के अंदर जो टम्टा मोहल्ला है, वहां ताम्र उद्योग का बहुत अच्छा कार्य होता था और लोग उससे अपनी जीविका को चलाते थे और यह सब लोग बहुत ही गरीब तबके के हैं। निश्चित रूप से आज इण्डस्ट्री लगी है सरकार ने इसके माध्यम से जो अच्छी फिनिसिंग होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो ताम्र उद्योग का हस्तशिल्प का जो कार्य था चाहे वह तोले बनाते हों, फिल्टर बनाते हों, चाहे अन्य चीजें बनाते हों, इसके लिए विपणन केन्द्र खोलने का कार्य इस सरकार द्वारा नहीं किया गया है और न ही इस बजट में कोई उल्लेख किया है।

मान्यवर, नगर पालिका के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि यह निश्चित रूप से आज चिंता का विषय है चूंकि नगर पालिका भी इस प्रदेश का अंग है, वहां पर भी लोग रहते हैं और कहीं न कहीं यह दायित्व इस सरकार का भी है कि इस तरह से इनकी जो आज की आर्थिक स्थिति है, इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता है। जब भी प्रश्न के माध्यम से पूछा जाता है नगर पालिका के सम्बन्ध में, तो सरकार का जवाब आता है कि नगर पालिका अपने इनकम सोर्स खुद डेवलप करेगा। मान्यवर, इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि कई ऐसी नगर पालिकाएं हैं, जिनकी इनकम सोर्स हमने जनरेट कर दी है वह तहबाजारी लेती है, होल्डिंगस पर पैसा लेती है, हाउस टैक्स लेती है, रेता–बजरी पर टैक्स लेती है या अन्य चीजों पर टैक्स लेती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि नगर पालिका के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि चाहे वह सफाई कर्मचारी हों या अन्य कर्मचारी हों, उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाय। इसका भी इस बजट में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, आज प्रदेश में जो सबसे चिंतनीय स्थिति है, वह कूड़े की है। आज जब हम कभी भी नगर में प्रवेश करते है। मान्यवर, जब भी कोई पर्यटक हमारे प्रदेश में आता है तो उसे सबसे ज्यादा कूड़े का ढेर दिखायी देता है। लेकिन सरकार द्वारा इसमें कोई भी प्राविधान नहीं किया गया है कि इसका निस्तारण किस तरह से किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

शिक्षा विभाग की अनुदान पर बोल लीजिएगा। माननीय अनिल नौटियाल जी।

श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा जैसे गुणात्मक विषय में सरकार द्वारा कोई दीर्घकालिक योजना बनाने का प्राविधान नहीं किया गया है। शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विषय, जिससे हमारे नौजवानों का भविष्य जुड़ा हुआ है। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा, आज जो सबसे बड़ा चिन्ता का विषय है, प्राथमिक शिक्षा के गिरते हुए स्तर को सुधारने की आवश्यकता है। उसके साथ–साथ आज हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो माध्यमिक विद्यालय हैं, उनको आज जो प्राइवेट विद्यालय खुल चुके हैं, उनके समकक्ष लाना है, उनकी चुनौती के सामने इन विद्यालयों को खड़ा करने का इस बजट में कहीं पर प्रविधान नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक ब्लॉक में राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाय और उसके साथ–साथ शिक्षा विभाग द्वारा जो दुर्गम, अतिदुर्गम और सुगम की जो परिभाषा दी गयी है, निश्चित रूप से उस पर प्रश्न चिन्ह लगा है। कोई 50 मीटर, 100 मीटर भी सड़क मार्ग के पास रहता है, पर्वतीय क्षेत्र में तो, उसको सुगम क्षेत्र में जोड़ा गया है। तो निश्चित रूप से सुगम, दुर्गम और अतिदुर्गम की परिभाषा को चेंज करने की आवश्यकता है। इसके साथ–साथ निश्चित रूप से आज उच्च शिक्षा का प्रश्न है, उच्च शिक्षा में आप देखेंगे कि जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज है, कई हमारे विश्वविद्यालय हैं, जो आज संकट की स्थिति में खड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे हमारे कैम्पस कॉलेज हैं, आज उनकी यह स्थिति है कि वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लाले पड़ रहे हैं। कहां नये सब्जेक्ट खोलने की बात हो या कोई अन्य बात हो। आज उनमें व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता है, एजुकेशनल हब बनाने की आवश्यकता है, उनमें फूड प्रोसेसिंग जैसे सब्जेक्ट यहां पर खोलने की आवश्यकता है। बजट में इन सब चीजों का भी उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

*श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पहली बार इतना अच्छा, सुन्दर और ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें परिस्थितियां अनुकूल न होते हुए भी जो वित्तीय प्रबन्ध माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है, उस पर केन्द्र द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी दी गयी है और सराहना भी की गयी है और एक हजार करोड़ रूपये की जो प्रोत्साहन राशि पहली बार इस प्रदेश को मिली है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए यह बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें अनेकों ऐसी योजनाएं हैं, चाहे हमारी सरकार ने बी0पी0एल0 कार्डधारक को गैस कनैक्शन निःशुल्क

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देने की बात करी हो, वहीं आम आदमी के लिए इस बजट में, जो आम आदमी मिट्टी तेल का उपयोग करता है, उसमें साढ़े बारह प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत जो वैट किया गया है, उससे निश्चित रूप से गरीब और सुदूर गांव में रहने वाले व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ग्रामोद्योग इकाईयों के द्वारा जो सामग्री तैयार की जाती है, चाहे वह दियासलाई हो, चाहे वह आतिशबाजी हो, मोमबत्ती हो, फाईल कवर हो, बधाई पत्र हो, कपूर हो, गोंद हो, चाहे वह आम छात्र-छात्राओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्याही हो, इन पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बजट में जो वैट कम किया गया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा और उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में आम गरीब व्यक्ति के लिए तो आवास की व्यवस्था की गयी है, वह चाहे अटल आवास की व्यवस्था हो, दीनदयाल आवास की व्यवस्था हो या नगर क्षेत्रों के लिए दयानन्द भारती आवास की व्यवस्था इस बजट में की गयी है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, 108 की कल्पना वास्तव में इस प्रदेश में किसी ने की नहीं थी और आज जब हम गांवों में जाते हैं, जहां कोई संसाधन नहीं है। अभी हम लोग एक दूरस्थ गांव में गये थे, वहां पर भालू के द्वारा एक महिला पर आक्रमण कर दिया गया था। हमने 108 कॉल करी और आधे घण्टे के अन्दर-अन्दर वहां पर 108 पहुँची और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के बाद, नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाने के बाद उसकी जान बचाई जा सकी।

मान्यवर, इस प्रकार से जो सचल चिकित्सा केन्द्र हमारी सरकार के द्वारा चलाये जा रहे हैं, जिसमें सभी सुविधायें उपलब्ध है, उसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इस बजट में है कि पंचायत राज के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में जो विकास योजनायें संचालित की जाती हैं, उसके लिये डी०पी०सी० के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से दो-तीन निवेदन करना चाहता हूं कि गैरसैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत नागचूला नामक स्थान है, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की नितान्त आवश्यकता है, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर एक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिया जाय। मान्यवर, गौचर में स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, उसे शीघ्र बनवाया जाय और इसी प्रकार से गैरसैण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है, वहां पर भवन निर्माण की कार्यवाही अतिशीघ्र की जाय। मैं इसी के साथ मुख्यमंत्री जी और आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

*श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 2010–11 के बजट पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, आज यहां पर सब 108 की बात कर रहे हैं, जितने भी सदस्य सत्ता पक्ष के बोल रहे हैं, वे सब 108 की ही बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से कहना है कि क्या 108 से ही हमारा काम चल जायेगा? उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार बनी थी तो हम सभी विधायक बहन जी से मिलने लखनऊ गये थे। तो हमने उनके सामने यह बात रखी थी कि हमारे उत्तराखण्ड में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिससे हमारे प्रदेश के लोगों को राहत मिल सकती है। तो हमने बहन जी को प्रस्ताव दिया कि हम तो अपने प्रदेश में कुछ कर नहीं सकते तो बहन जी ने कांशीराम के नाम से सहारनपुर और बिजनौर में एक–एक कालेज की व्यवस्था की। मान्यवर, यहां पर चिकित्सा की बात कर रहे हैं, 108–108 की बात कर रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में 108 नहीं है, क्या हिमाचल में 108 नहीं है। किस प्रदेश में 108 नहीं है? मान्यवर, मेरा कहने का मकसद यह है कि आप अगर उत्तराखण्ड की जनता को नीली छतरी के नीचे सोने की जरूरत पड़े, जैसी बहन जी ने योजना चलाई है, कांशीराम शहरी विकास योजना। (व्यवधान)

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, यहां तो भाई साहब हैं, बहन जी कहां से आ गई।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, भाई साहब भी ऐसी व्यवस्था करने के लिये बहन जी से सलाह ले लें, वह अच्छी बात होगी। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज लोगों को पेट मे रोटी, सिर पर छत और हाथ में काम चाहिये। आम आदमी नीली छतरी के नीचे सोने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिये। लेकिन इस बजट के माध्यम से ऐसी कोई बात नहीं की गई है। मान्यवर, इस प्रदेश के लिये हमारे उत्तराखण्ड की महिलाओं ने बलिदान किया है और प्रदेश बनाया है। यह प्रदेश इसलिए नहीं बनाया है, जैसे कि सुबह भी बात चल रही थी कि लोग आये और मौज करके चले जाये। उन्होंने यह प्रदेश इसलिये बनाया था कि हमारी बहने जो पहाड़ मे रहती हैं, उसको पलायन करके कहीं और न जाना पड़े। हम अभी दिल्ली के चुनाव में गये थे, तो उत्तराखण्ड के विधायक से हमने कहा कि तुम उत्तराखण्डियों को साथ में लेकर चलो। दिल्ली जैसे प्रदेश में भी इतनी संख्या में यहां के लोगों को बसना पड़ा। लेकिन इस पलायन को रोकने के लिये भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। मान्यवर, पिछड़ी जातियों के संबंध में कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक लाख रूपये तक जिसकी आय है, उसको उच्च शिक्षण संस्थानों में वजीफा दिया जाता है और आज हमारी प्रदेश सरकार 45 हजार रूपये एक दिहाड़ी मजदूर को देने के लिये, मानने के लिये तैयार नहीं है। तो जो हमारे प्रदेश में 45 हजार रूपये तक वालों को वजीफा नहीं मिल सकता है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, दलित समाज के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में ढाई लाख कर रखा है, हमारे प्रदेश में एक लाख कर रखा है माननीय अध्यक्ष जी, ये भी देखना चाहिए सरकार को। मान्यवर, एस०सी०पी० का 18 परसेंट बजट हमारा बनता है, उसको भी ये सरकार खर्च नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

हरिदास जी, जब मदन कौशिक जी गन्ने की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लिए तो आप कहते हैं कि उत्तराखण्ड की बात करो। जब मदन कौशिक जी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं गन्ने के लिए, तो आप कहते हैं कि उत्तराखण्ड की बात करो। (व्यवधान)

श्रीमती आशा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2010–11 का बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मान्यवर, जो इस प्रदेश के लिए 2010–11 के लिए जो बजट पेश किया गया है वास्तव में, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ और प्रदेश की तमाम जनता की ओर से तमाम महिलाओं की ओर से हम सब उनके आभारी हैं कि उन्होंने इतना सराहनीय बजट इस प्रदेश में पेश करके इस प्रदेश की जनता को विकास के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर प्रकार से इस प्रदेश की जनता को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, इसके लिए हम सब उनके आभारी हैं और इसके लिए मान्यवर, मैं एक छोटी सी दो लाइन, क्योंकि आज बहुत लोग कविता बोल रहे हैं, दो लाइन इसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत लम्बा भाषण भी करना नहीं चाहूँगी। मान्यवर, ये प्रदेश देवभूमि है और इस देवभूमि को ध्यान में रख कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और इस सरकार ने, हमारी सरकार ने ये बजट पेश किया है। मैं इसके लिए कहना चाहती हूँ "प्रकृति का प्रत्येक कण है, प्रकृति का प्रत्येक कण है, सृष्टि सजने के लिए, जो यह बजट बना है मान्यवर, ये पूरे उत्तराखण्ड को सजने के लिए, ये बजट पेश हुआ है। प्रकृति का प्रत्येक कण है, सृष्टि सजने के लिए, मनुज प्रत्येक क्षण इतिहास रचने के लिए, जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतना सुन्दर बजट पेश करके इतिहास रच रहे हैं। हम यहां पैदा हुए सत्कार करने के लिए और मन में प्रेरणा के भाव भरने के लिए"। जैसी प्रेरणा आपने हमको दी, ऐसा बजट पेश करके हम सब आपके आभारी है। मान्यवर, यहां कुछ हमारे प्रतिपक्ष के माननीय बंधुओं ने कहा है कि महिलाओं के लिए जैसे कैरन मेयर जी ने कहा कि महिलाओं के लिए केवल लिपिस्टिक और इस तरह की जो यहां बात आ रही थी। मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए इतना सुन्दर यहां बजट पेश किया गया है और इस वर्ष जो 2010–11 का बजट पेश किया गया है इसमें 200 करोड़ की वृद्धि करके महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूं। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, कस्तूरबा गांधी विद्यालय इस प्रदेश में संचालित हो रहे हैं जिसमें 50 प्रतिशत

हमारी बालिकाओं को उसमें शिक्षा दी जाएगी और उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जायेगा। पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि मान्यवर, मैं केदारनाथ क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हूँ, वहां की सेवक हूँ और मैं समझती हू कि आज हम सबको पर्यटन के क्षेत्र में इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की कितनी आवश्यकता है। मैं सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने श्रीनगर से कालीमठ तक पर्यटन सर्किट के रूप में हमारे क्षेत्र को भी उसमें शामिल किया, इसके लिए मैं केदारनाथ की जनता की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं बहुत अधिक न बोलते हुए कुछ अपने क्षेत्र की बातें करना चाहूँगी।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक बहुत ही पुराना महाविद्यालय है जो अगस्त्यमुनि में है, वहां पर बार-बार छात्रों की माँगें आती रहती हैं, विद्यालय के विकास को आगे बढ़ाने की माँग छात्र करते रहते हैं। आप भी अभी 30 तारीख को वहां पर थे, उस महाविद्यालय में प्रेक्षागृह बनाने की माँग चल रही है, मैं सदन के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हू उसको वहां पर बनाया जाय। मान्यवर, गौरीकुण्ड से केदारनाथ तक हर वर्ष तीन-चार महीने बर्फ गिरती है और बरसात के दिनों में वहां पर भूस्खलन भी होता है, पिछले सितम्बर में वहां पर भूस्खलन होने के कारण गरूड़चट्टी और रामबाड़ा में पुल भी बह गये, लोगों की दुकानें भी बह गये थे, मैं निवेदन करना चाहती हूँ पर्यटन मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से उस मार्ग के लिए, क्योंकि वहां पर यात्री अधिक संख्या में रहते हैं उस मार्ग को सुदृढ करने के लिए, यात्रा से पहले व्यवस्था की जाये। मदमहेश्वर और देवरियाताल इनको भी विकसित करने के लिए व्यवस्था की जाय। धन्यवाद।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"-

माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष का तो विशेषाधिकार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

जो नाम आपने दिये थे वे आ गये हैं।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"-

मान्यवर, कार्यसूची में भी मेरा नाम है, आप देख लीजिए। मान्यवर, वैसे आपकी इच्छा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, थोड़ा समय का ध्यान रखना।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"-

मान्यवर, मुझसे पहले मेरे काबिल दोस्तों ने काफी बातें अर्ज की हैं, मैं रिपीट तो करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इनको पुलिन्दा कहूँ या गुमराह करने वाला दस्तावेज कहूँ या माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना कहूँ, मैं दो लाइन में कह रहा हूँ "किसी

पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है" मान्यवर, न परस्तिश हो सकी न इबादत हो सकी, लेकिन जनहित की हानि इस बजट के द्वारा जरूर हुई। शिक्षा विभाग में सरकार के द्वारा बहुत बड़े-बड़े दावे किये गये, लेकिन लक्सर जैसे अति पिछड़े क्षेत्र, जो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर मात्र एक डिग्री कालेज संस्थान मौजूद है, उसमें शिक्षकों की व्यवस्था नही है, भवन जर्जर हो चुका है उसके विषय में कुछ नहीं कहा गया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मान्यवर, खानपुर क्षेत्र एकमात्र रोजगारपरक संस्थान आई0टी0आई0 है उसके लिए सरकार की ओर से कोई भी बात इसमें नहीं आयी। मेरी माँग है कि वहाँ मेडिकल कालेज अवश्य खुलवाया जाय। मुख्यमंत्री सेतु संयोजन योजना को बड़े अल्फाजो में दर्ज किया गया। आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि लक्सर खानपुर क्षेत्र में बड़े अर्से से आनखेड़ी मोहम्मद पुर शैलोनी नदी के घाट पर पुल की आवश्यकता है, इसको संज्ञान में ले लिया जाय। मान्यवर, महाकुम्भ के विषय में महाघोटालों का जिक्र आया, इसे दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा, हमारे जिले के मंत्री जी नाराज हो जाते हैं। मान्यवर औद्योगिक विकास के क्षेत्र में जिस तरह उद्योग का पलायन हो रहा है, वास्तव में यह चिन्ता की बात है, मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में इतनी भूमि उपलब्ध है, लेकिन सरकार की तरफ से उसमें टेढ़ी नजर हो रही है, आपके माध्यम से इच्छा करूँगा कि उस तरफ सरकार की सीधी नजर हो जाये और म्लाकपुर शाहपुर की भूमि गोवर्धनपुर में गौशाला की भूमि है और जोगीवाला में पूरी की पूरी भूमि पड़ी है उसका उपयोग उद्योग स्थापना में किया जाये। विद्युत विभाग का नाम अगर अंधेरिया रखा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी-बड़ी घोषणा की है, लेकिन हर जगह अघोषित कटौती हो रही है, किसानों को नुकसान हो रहा है, गर्मी का सीजन आ रहा है, खेतों में आवासी करनी है, जब सिंचाई नही करेंगे तो फसल कहां से होगी तो लोग भूखे मरने के कगार पर पहुंच जायेंगे। गन्ने के बारे में सरकार बहुत सी भ्रान्तियां फैलाती है, लेकिन किसानों का शोषण करने के लिए, गन्ना मंत्री कुछ घोषणायें करते हैं पेमेंट कुछ लिया जाता है, उसके बाद बेवजह कटौती किसानों से वसूली जा रही है। सिर्फ शर्मदारों को फायदा देने के लिए यह परिणति चली आ रही है इसमें बदलाव आवश्यक है, विस्तार से चर्चा इसमें बाद में हो जायेगी। कृषि उत्पादनों के बारे में मेरे साथियों ने बहुत कुछ कहा, हकीकत भी है जो थ्रेसर आदि चीजें हैं वे बड़े किसानों के लिए है, जो मार्जिनल किसान है, आम किसान है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है इसमें अगर छूट दी गई है तो बेमानी सिद्ध होगी।

मान्यवर, थ्रेसर पर वैट घटाने की बात कही गई। थ्रेसर का उपयोग तो बड़े किसान करते हैं। जो आम किसान है वह इसका उपयोग नही करता है। जो अन्य कृषि उपकरण हैं जिनका उपयोग आम किसान भी करता है। जैसे हैरो, कल्टीवेटर आदि पर छूट दी जाए। मान्यवर, उद्यान और फलपट्टी के बारे में बहुत कुछ कहा गया लेकिन लण्ढौर नगला मंगलौर, लण्ढौरा शिकारपुर के आस-पास का एरिया, जो कभी हरित

पट्टी हुआ करता था पिछले तीन वर्षों में फलदार वृक्ष वहां समाप्त हो रहे हैं। क्यों समाप्त हो रहे हैं इसका संज्ञान सरकार ने नहीं लिया। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से संज्ञान लिया जाए। उससे इकोलॉजिकल सिस्टम तो संतुलित हो ही साथ ही किसान के परिवार को आर्थिक लाभ मिले, उसका विकास हों। इसके साथ खेल एवं युवा कल्याण के क्षेत्र में खानपुर में 2004 में जब प्रीतम सिंह खेल मंत्री थे, तो एक मिनी स्टेडियम वहां स्वीकृत किया गया था। लेकिन उसके बाद कोई भी संसाधन वहां नहीं लाया गया। आपने वहां पर कोच की व्यवस्था की थी लेकिन कोच भी चले गये। तीन साल से वहां कोई प्रशिक्षण देने वाला नहीं है। वहां कोई आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं है। मैं चाहूँगा कि उनकी प्रतिपूर्ति की जाए। मान्यवर, भारत का प्राचीनतम खेल कुश्ती हुआ करता था, जो हमारी विलुप्त होती एक विशेष खेल कला है, उसे खेल सूची से ही बाहर कर दिया गया है। संरक्षण तो क्या देंगे, उसे खेल सूची से ही बाहर कर दिया गया है। मैं तो सलाम करता हूं शर्मा जी को, वह देहरादून में परेड ग्राउन्ड में हर सप्ताह दंगल कराते हैं। मैं चाहूंगा कि इसे संरक्षण दें और कुश्ती की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। युवा कल्याण विभाग में इसको दुबारा लिया जाए। कला संस्कृति के क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के कुछ जिलों की संस्कृति है जिसमें रागिनी का विशेष महत्व है किस तरह से उसका तिरस्कार किया जा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में खेड़ी कला गांव में श्री रफल सिंह जी का एक दल था जो एड्स की जागरूकता कार्यक्रम में जानबूझकर नहीं लाने दिया गया। जब कि संस्कृति विभाग के द्वारा मेरे द्वारा जानकारी भी प्राप्त की गई थी। मैं चाहूँगा कि दुबारा इसकी पुनरावृत्ति न हों। मान्यवर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ग्रामीण संस्कृति का भी समावेश किया जाए। पंचायती राज अधिनियम का प्रदेश में गठन नहीं किया गया है। जनपद हरिद्वार में बहुत शीघ्र त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराये जा रहे हैं, उसमें क्या व्यवस्था होगी उसके बारे में परिदृश्य साफ नजर नहीं आ रहा है। मान्यवर, श्रम एवं सेवायोजन के बारे में कहना चाहता हूं हमारे केन्द्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी द्वारा 800 करोड़ की लागत का अस्पताल हरिद्वार को दिया गया है लेकिन राज्य सरकार के द्वारा बरगलाया जा रहा है, कोई प्रस्ताव तक नहीं भेजा गया। अगर प्रस्ताव भेज दिया जाता तो बहुत बड़ी सुविधा मिलती। इससे कई जिलों को फायदा होता। सिंचाई बाढ़ नियंत्रण का तो कहना ही क्या है?

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, अब समाप्त करें। आपने कह तो दिया है।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, बाढ़ नियंत्रण वाली बात सरकार के संज्ञान में तो लाने दें।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आप लिखकर दे दें। (व्यवधान)

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, भोगपुर से बालीवाली की जो केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना है वहां 21 कि०मी० बांध बनना था वह 07 कि०मी० बनाकर रोक दिया गया। मैं चाहूंगा कि इसे पूरा कराया जाए। परिवहन के विषय में कहते हैं कि 150 बसें नई ला रहे हैं। पचासों बसें जंग खा रही हैं, उनकी मरम्मत करके उनका उपयोग किया जा सकता है तो इतना अपव्यय न होता। मान्यवर, माइनोरिटीज के विषय में कहना चाहता हूँ। बहुत ही गम्भीर मामला है। इनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका संरक्षण बहुत जरूरी है। कुछ वर्षों पूर्व हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय का गठन किया गया है। मैं चाहूँगा कि उसी तरह से उर्दू अकादमी का गठन भी किया जाए। उर्दू के संरक्षण के लिए, माइनोरिटीज के हिफाजत के लिए। मान्यवर, एम०एस०डी०पी० का जिक्र मुझसे पहले हुआ। उससे सम्बद्ध करते हुए कहना चाहूँगा उसमें केवल ए०एन०एम० सैन्टर तक ही समिति न करें बल्कि जो रोजगार परक चीजें हैं उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया जाए। मान्यवर, खानपुर क्षेत्र में पी०एच०सी० का उच्चीकरण अब तक नहीं हुआ है। सरकार को कर देना चाहिए था। चन्द्रपुरकला में सी०एच०सी० की स्थापना नहीं हुई। और लक्सर में जो सी०एच०सी० कार्यरत है वहां पर अपेक्षित संख्या में डॉक्टर नही है, संसाधन नहीं है। एक्सरे मशीन तक नहीं चल रही है। मान्यवर, झूठी वाह–वाही लुटने की जो परम्परा है, उससे सरकार को बचना चाहिए।

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, आपने मुझे पूरा बोलने का मौका तो दिया नही एक छोटी सी कविता तो सुना दूँ। आने वाले 2012 में जब हमारी सरकार आयेगी उसी के बारे में कविता सुनना चाहता हू। "मत सताओं हम है सताए हुए इस निशंक सरकार के, मत घबराओ फिर वही बहारें आएगी इसलिए दिल को समझाए हुए हैं हम। एक दिन तो भी था, जब फूल को मसल देते थे हम, आज काँटो को सीने से लगाए हुए हैं, हम। मत घबराओ फिर वहीं बहारें आएगी इसलिए दिल को समझाये हुए हैं, हम। (हँसी)

(कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।) (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप फूलों को मसलने का खामयाजा तो नहीं भुगत रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।) (व्यवधान के मध्य)

श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, कविताओं के प्रकाशन के लिए भी बजट में प्राविधान है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा हो तो एक बात मैं भी कह दूँ माननीय तिवारी जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि–

यह माना कि इस जहाँ को गुलिस्ताँ न बना सके हम,

जिस राह से गुजरेंगे उस राह से कांटे कम करेंगे हम। (हंसी)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत पुरानी बात हो गयी है। (व्यवधान के मध्य)

श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, उनके कांटे कम करने की बात का जवाब तो दे दूँ, यह तीन साल की बात बता रहा हूँ।

एक दो जख्म नहीं पूरा जिस्म है छलनी,

दर्द भी बेचारा परेशां है कहाँ उठूं।

(व्यवधान के मध्य)

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, वित्तीय वर्ष 2010–11 के बजट अनुमान पर, बजट भाषण पर माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय हरक सिंह रावत जी, माननीय विधायक यशपाल आर्य जी, माननीया श्रीमती अमृता रावत जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय चौ0 यशवीर सिंह जी, माननीय यशपाल बेनाम जी, माननीय चन्दन राम दास जी, माननीय सुरेन्द्र सिंह जीना जी, माननीय हरभजन सिंह चीमा जी, माननीय शहजाद जी, माननीय महेन्द्र सिंह माहरा जी, माननीय तिलक राज बेहड़ जी, माननीय नारायण पाल जी, माननीय शेर सिंह गढ़िया जी, माननीय गोविन्द सिंह कुंजवाल जी, माननीय बलवीर सिंह नेगी जी, माननीय ओम गोपाल जी, माननीय प्रेमानन्द जी, माननीय रणजीत सिंह रावत जी, माननीय जोत सिंह गुनसोला जी, माननीय गोपाल सिंह राणा जी, माननीय केदार सिंह रावत जी, माननीय प्रेम चन्द अग्रवाल जी, माननीय शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी, सुश्री केरन मेयर जी, माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, माननीय सुरेश चन्द जैन जी, माननीय किशोर उपाध्याय जी, माननीय दिनेश अग्रवाल जी, माननीय तस्लीम जी, माननीय काजी मो0 निजामुद्दीन जी, श्री गणेश जोशी जी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री अनिल नौटियाल जी, श्री हरिदास जी, श्रीमती आशा नौटियाल जी, कुँवर प्रणव सिंह जी, लगभग 37 लोगों ने इस महत्वपूर्ण बजट पर अपने विचार प्रकट किये हैं और मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

श्रीमन्, और भी सुझाव इस बजट पर होंगे तो मैं चाहूँगा कि बाद में माननीय सदस्यगण सुझाव देंगे तो उस पर विचार करेंगे। श्रीमन्, मैं आभारी हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पहले दिन इस बजट पर अपना मार्गदर्शन दिया है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष का भी जो हमारा बजट था उस बजट को न केवल इस प्रदेश की जनता ने, न केवल हमारी सरकार ने, बल्कि केन्द्र सरकार के वित्त आयोग ने और भारत सरकार ने, उस पर अपनी अच्छी मुहर लगायी। मैं इस बात को प्रसन्नता पूर्वक इस सदन में रखना चाहता हूँ।

श्रीमन्, कुशल वित्तीय प्रबंधन में पूरे देश के अंदर उत्तराखण्ड पहला राज्य था जब 13 वें वित्त आयोग ने संस्तुत किया और इस अच्छे वित्तीय प्रबंधन की न केवल राज्य सरकार की प्रशंसा की बल्कि 13 वें वित्त आयोग ने हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन में हमको पूरे देश में न0–1 घोषित करते हुए हमको 1 हजार करोड़ रू0 अतिरिक्त देने की संस्तुति की। श्रीमन्, 13 वें वित्त आयोग की संस्तुति को भारत सरकार ने भी अपनी सहमति दी है और मेरा भरोसा है कि जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले वर्ष जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा भी, 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद भी हम लोगों ने बेहतर आर्थिक प्रगति की। श्रीमन्, मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूँ जहां हमारा बेहतर आर्थिक मैनेजमेन्ट रहा है वही हमने विकास को भी आगे बढ़ाया। श्रीमन्, यह मैं नहीं कह रहा हूं यह सदन भी कह रहा है बल्कि भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े ने यह साबित किया है कि पूरे देश के अंदर श्रीमन्, हम विकास की दर में, पूरे देश में तीसरे नं0 पर आये हैं। श्रीमन्, पूरे देश के सभी राज्यों में हम तीसरे स्थान पर आए है और उन्होंने मुझे यह भी कहा उसको कहने में मुझे हर्ष होता है कि पूरे हिमालयी राज्य जितने भी हैं हमारे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैण्ड, हिमाचल, जहां तक श्रीमन्, जम्मू कश्मीर इन सभी राज्यों में विकास की दर में हम न0–1 हैं जो 3 राज्य 9 नवम्बर, 2000 को बने, उन तीनों राज्यों में भी हम न0–1 पर हैं और इतना ही नहीं जो हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिससे हम अलग हुए हैं उससे भी हम विकास की दर में आगे बढ़े हैं। यह हमारे लिए संतोष का विषय हो सकता है। श्रीमन्, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बजट में हमने बहुत विचार किया है। मैंने सभी सदस्यों से कल और परसों जितने भी सदस्यों ने अपने विचार यहां पर प्रकट किए उनके एक–एक शब्द का मैंने अवलोकन किया और अधिकांश को तो मैंने सुना है और मैं यह कहना चाहता हूं श्रीमन्, कि बहुत सारे बिन्दु ऐसे भी है चूंकि अभी विभागावार बजट आयेंगे इसलिए इसको इतना विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है लेकिन जो नीतिगत विषय है उन पर जरूर जोर देना चाहूंगा। श्रीमन्, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरप्लस बजट दिखाने के लिए लोक लेखा से 8 सौ करोड़ का समायोजन करके आंकड़ो की जादूगरी की गयी है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहूँगा कि यह

हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है कि हमारे राज्य ने, इस समय हमने बेहतर प्रबंधन करके सरप्लस बजट यदि घाटे का बजट करते तब यहां से कहा जाता कि सब गड़बड़ है सब घाटा ही घाटा हो रहा है। आज हमने सरप्लस बजट की स्थिति लाई है तो इसमें तो आप को हमको बधाई देनी चाहिए कि यह राज्य सरप्लस बजट की स्थिति में आया है। ऐसा नहीं है कि सरप्लस बजट के लिए जो 6 सौ करोड़ की बात हो रही है यह कोई ऋण भी नहीं है यह हमारे ही लोक लेखा का है, वह हमारे राज्य के खाते में रहता है यदि उस राशि से निकालते हैं उस पर ब्याज देते हैं राज्य और यह नई कोई बात नहीं है यदि आप देखेंगे तो 2003–04 में भी लोक लेखा से लिया गया और 2001–02, 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06। 2004–05 में तो 660.05 करोड़ लिया गया।

श्रीमन, इसी लोक लेखा से वर्ष 2005–06 में इस लोक लेखा का जो समायोजन किया गया वह 608.08 करोड़ लिया गया और वर्ष 2007–08 में यह 620 करोड़ था पिछली बार वर्ष 2009–10 में 800 करोड़ था और इस समय 800 करोड़ से नीचे कटकर 600 करोड़ हुआ, उसमें भी 200 करोड़ की कमी आई है, नीचे आया है, तो इसलिए यह कहना ठीक नहीं है। मैं सोचता हूँ कि शायद कदाचित उचित नहीं है। श्रीमन्, दूसरा विषय आया कि वर्ष 2010–11 में जो प्राप्तियां हैं उनका कम लक्ष्य रखा गया है और कम प्राप्तियां हैं, ऐसा भी नहीं है, हम लोग अपनी क्षमताओं को भली प्रकार से समझते हैं और हमने कोशिश की है इस राज्य के संसाधनों को बढ़ाने के लिए। श्रीमन्, मैं पीछे के आंकड़ों से माननीय सदन को, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि यदि पीछे देखें तो जो हमने संसाधन बढ़ाये हैं ये वर्ष 2001–02, 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2006–07, क्योंकि मैं वर्षवार भी देता लेकिन समय देना चाहें तो आप देख लें कि वर्ष 2002–03 से दे तो वर्ष 2002–03 से लिया 1391 करोड़ रूपये का संसाधन जुटाया जब कि वर्ष 2003–04 में 1660, वर्ष 2004–05 में 1964 वर्ष 2005–06 में 2794 है। कुल कॉंग्रेस के समय के संसाधनों को देखा जाए तो यह 3645.61 करोड़ रूपया है, लेकिन मैं इन 3 साल का विवरण आपकी कृपा से इस सदन के समक्ष रखना चाहूँगा वर्ष 2007–08 में हमने 2794, जो पहले वर्ष 2005–06, और 2006–07 में था इसको उठाकर 4166 करोड़ रूपया किया है, उसके बाद वर्ष 2008–09 में 4166 करोड़ को फिर बढ़ाकर 4551.50 किया और श्रीमन्, यह जो वर्ष चल रहा है वर्ष 2009–10 में अनुमानित जो हमने किया है, जो हमें अपने पर भरोसा है उसमें 4551 से बढ़कर 5074.77 पर हम जायेंगे। यह 14 सौ करोड़ की सीधे–सीधे वृद्धि हुई है, हम लोग केवल आंकड़े के मुद्दे पर नहीं, यदि पीछे का देखेंगे तो जो आंकड़ों के साथ आय–व्यय का लेखा रखा है वह इस बात को साबित करता है कि पूरे देश के अंदर जितने भी बजट है उसमें उत्तराखण्ड का बजट वास्तविकता के आधार पर था, इसलिए तेरहवें वित्त आयोग, जो पूरे देश की अर्थ की व्यवस्था के स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है उसने हमारी पीठ थपथपाई और हमको प्रोत्साहन दिया।

श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यदि देखा जाए तो इन दोनों वर्ष 2009-10 के सापेक्ष में अभी हमने 11.6 प्रतिशत की वृद्धि की है तो इसलिए हमारी वृद्धि बहुत अच्छी है, हम पूरे सदन को भरोसा दिलाना चाहते हैं और माननीय नेता प्रतिपक्ष को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जो आंकड़े हैं वह ठोस हैं, उसको हर हाल में प्राप्त करेंगे।

श्रीमन्, राजकोषीय घाटे के बारे में हमारे तमाम साथियों ने कहा है। मैं उनकी बातों को सुन रहा था। राजकोषीय घाटा कम दिखाये जाने के सम्बन्ध में कहा गया कि यह तो जादूगरी है। अब जब हमने राजकोषीय घाटा कम किया है तो मुझे पहली बार आश्चर्य हो रहा है कि जहां हमारी पीठ थपथपायी जानी चाहिए थी कि आप ऋण को कम कर रहे है, वहां पर उस पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं कि आप राजकोषीय घाटे को कम क्यों कर रहे हैं, आप इसे बढ़ाईये। राजकोषीय घाटा इस समय हमारा, पिछली बार हम माईनेस 213 करोड़ रू0 के घाटे में थे। यह हमारा कुशल वित्तीय प्रबन्ध ही है कि इस समय हम सरप्लस बजट लाये हैं और 162 करोड़ रू0 को सरप्लस किया है। मान्यवर, हमने घाटे को पाटकर सरप्लस किया है। वैसे भी यदि श्रीमन्, आप देखें तो जहां गत वर्ष 2 हजार था, उसको घटाकर 1700 पर लाये हैं। श्रीमन्, मैं पीछे के आंकड़ों को लेकर नहीं आना चाहता हूं यदि जरूरत पड़ेगी तो वर्ष 2002 से लेकर के अभी तक के हर वर्ष के आंकड़े दे सकता हूं। श्रीमन्, मैं भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ कि केवल आलोचना, आरोप और प्रत्यारोप के लिए नहीं है। यदि सदन का पूरा आशीर्वाद रहेगा तो हम इस घाटे को लगातार कम करते जायेंगे, यह हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। श्रीमन्, यह भी कहा गया कि कांग्रेस शासन काल में 2700 करोड़ को बढ़ाकर के एक साल में वार्षिक प्लान 4000 करोड़ कर दिया गया और यह भी बताया गया कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया आप तो 4591 करोड़ से केवल 5167 करोड़ तक ही पहुंचे हैं। श्रीमन्, इस बारे में भी मैं पूरे तथ्य आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि यह बात सही है कि 2700 को बढ़ाकर 4000 करोड़ कर दिया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि सभी सदस्य इसमें रूचि भी रखते हैं, इसलिए उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह जो बजट में प्राविधान था वह 2002-2003 में, जहां 2605 प्राविधान था, वहीं स्वीकृति केवल 1749 हुई और जो खर्च हुआ है 1452 करोड़ रू0 यह लगभग 65 से 67 प्रतिशत हुआ है। श्रीमन्, वर्ष 2003-2004 की तुलना भी करना चाहता हूं। 2527.76 करोड़ का था, स्वीकृति 1686.96 की हुई और इसमें जो व्यय किया गया 1681 करोड़ रू0 इसका भी आप प्रतिशत निकाल दीजिए। इसके बाद वर्ष 2004-2005 में 3600.90, जबकि स्वीकृति केवल 2484 की हुई और इसमें जो खर्च हुआ वह और कम हुआ 1925.07 करोड़ हुआ। श्रीमन्, यदि किसी माननीय सदस्य की और रूचि होगी तो मैं और वर्षवार आंकड़े रख सकता हूं, लेकिन मैं मोटा-मोटा यह कहना चाहता हूँ कि यदि कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों का प्लान देखा जाय तो यह होता है जो कुल व्यय हुआ वह 2282.42 करोड़ का खर्च हुआ। मैं इन तीन वर्षों में पूरा जो व्यय हुआ है 3260 करोड़, केवल तीन वर्षों में।

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, जनता इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं है कि जो आपको लोक सभा चुनाव हरा दिया।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

श्रीमन्, जनता तो जनार्दन है, उसका निर्णय सबको मानना पड़ता है, उसने क्या सोचा होगा, क्या नहीं सोचा होगा। श्रीमन्, विकास नगर में कुछ सोचा होगा, उसके बाद कपकोट में चुनाव हुए उसमें भी कुछ सोचा होगा। जनता जो सोचती है, बहुत अच्छा सोचती है, हमें जनता में भरोसा है।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके कुछ और आंकड़े देना चाहता था, यदि किसी को जरूरत होगी जानने की, तो मैं प्लान, नॉन प्लान के सारे आंकड़े देने की स्थिति में आपके पास हूँ। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि चाहे प्लान हो, चाहे नॉन प्लान हो, हर चीज को बहुत व्यवस्थित करके चल रहे हैं। एक-एक चीज को हम व्यवस्थित करके चल रहे हैं। श्रीमन्, हमारे शहजाद जी ने कहा कि जो जिला प्लान है, वह जारी नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो 390 करोड़ का बजट था, उसमें 350 करोड़ की स्वीकृति हुई है और यह लगभग शत-प्रतिशत हो जाएगा। अभी तक यह जो आंकड़े हैं, 70 से 75 प्रतिशत, ये फरवरी तक के हैं। मेरा भरोसा है कि यह पूरा-पूरा हो जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। हरिद्वार के बारे में आपने कहा, उसके बारे में, मैं आपसे चर्चा करूंगा। श्रीमन्, फिर चर्चा होती है कि बजट में 45 प्रतिशत प्राप्तियां केन्द्र सरकार से दिखाई गयी है। जबकि विकास सम्बन्धी धन जो अनुमानित 60 प्रतिशत है, जो महानुभावों की लाल बत्ती पर खर्च किया जा रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ श्रीमन्, पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि बार-बार केन्द्र से मिलने वाले धन के बारे में जो हमारे मित्र कहते हैं, अभी हमारे किशोर उपाध्याय जी कह रहे थे कि जब चाहे तब पल्लू तान कर केन्द्र के सामने खड़े रहते हैं। श्रीमन्, हम चाहे पक्ष में हों या विपक्ष में, हम यह कहना चाहते हैं कि यह स्वाभिमानी प्रदेश है। यदि हम कहीं कुछ बोलते हैं, तो हम भीख नहीं मांगते, हमारा अधिकार है। श्रीमन्, यह क्षेत्र दो-दो विदेशी सीमाओं से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र गंगा का प्रदेश है। यहां 65 प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र होता है और शेष 35 प्रतिशत में ही मकान, दुकान, गाँव, शहर, उसी में विकास करना होता है। 65 प्रतिशत वन क्षेत्र को भी हम पूरे देश और विदेश की प्राण वायु पर देते हैं। श्रीमन्, यदि हम राजाजी नेशनल पार्क और कार्बेट नेशनल पार्क सहित 14 राष्ट्रीय पार्कों की सम्पत्ति का दोहन करें तो प्रतिवर्ष 5000 करोड़ रूपये से भी ज्यादा आता। हम उन पर हाथ भी नहीं लगाते। इसलिए श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि हम केन्द्र की बात करते हैं, तो यह उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि यह केन्द्र से आ रहा है। यह जो केन्द्रीय करों में राज्यांश होता है, यह हमारा होता है और जो

राज्य सरकार कर रही है, वह पूरे देश के मानकों के आधार पर किया है। बहुत कुछ कृपा नहीं कर दी हम पर। उसके एक-एक आंकड़े देखना चाहें तो मैं सारे आंकड़े लाया हूं, और प्रदेशों में भी मिलता है।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा बैठे-बैठे कुछ कहने पर व्यवधान)

श्रीमन्, क्यों नहीं देंगे, वह तो उनको देना ही है। (व्यवधान) जितना टैक्स हम यहां से देते हैं (व्यवधान) चाहे इनकम टैक्स है। (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, केन्द्रीय करों से धनार्जन भी तो 30 प्रतिशत हो रहा है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, विधायकों का भी तो अधिकार है, सरकार पर। एक खम्भा भी लगवाना हो तो विधायक निधि चाहिए। (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, राष्ट्रीय करों से जो इनकम हो रही है, केन्द्रीय करों से राज्य को कितना धन मिल रहा है? (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, यह भी बताता हूं। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, एस0सी0पी0 तक का पैसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे नाम का उल्लेख किया है। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी का आदेश हम लोगों को मानना पड़ता है। निश्चित रूप से हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं। जैसे आज हमारा हरिद्वार में कुम्भ मेला चल रहा है, अगर हमारी उसमें सोच ठीक होती, तो उसके लिये सही नीति बनाते, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी का आदेश था, इसलिए उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, अगली बार जब कुम्भ होगा तो हम किशोर भाई से जरूर सुझाव लेंगे।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जब तक जल स्राव नहीं बढ़ेगा, तब तक आप गंगा की रक्षा कैसे कर पायेंगे?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं माननीय आर्य जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ विषयों पर जो कर लगाने की शक्तियां हैं, वह संविधान ने केवल केन्द्र सरकार को ही दी है और यह कहा गया है कि जो कर लगेगा, उसे अपने राज्य में आप नहीं लेंगे, लेकिन जो कर इकट्ठा करेंगे, उसमें आपका अंशदान होगा, तो वह राज्यांश हमारा वह देते हैं। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि राज्यांश नहीं देते हैं, वह तो कोई भी राज्य होगा, उसे मिलता है, जितना अंश राज्य से जाता है, सुनिश्चित उसका अंश उसे मिलता ही है। मान्यवर, कहा गया कि लालबत्तियों पर यह पैसा व्यय किया जा रहा है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की पिछली सरकार ने 125 महानुभावों को वह सुविधायें प्राप्त थीं और जिस पर 36 करोड़ रूपये खर्च हुये। एक वर्ष का करीब 12 करोड़ के लगभग यह एमाउंट आता है, क्योंकि पहले के दो वर्षों में यह सुविधा नहीं दी गई थी, बाद के तीन वर्षों में चाहे लालबत्तियां हों या दायित्व हों, दिये गये थे। श्रीमन्, हमको कहा जा रहा है कि यह पैसा लालबत्तियों पर व्यय कर रहे हैं, हमने तो विगत दो वर्षों में मात्र दो करोड़, 12 लाख रूपया ही इस पर खर्च किया है। तो कहां 36 करोड़ और कहा 2 करोड़ 12 लाख।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, 2007 के चुनाव में आपने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया था कि जनता की गाढ़ी कमाई को आप ऐसे खर्च नहीं करेंगे।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मुझे इस बात की खुशी है कि जिस बात को हमने कहा था, उस पर हम काफी कायम रहे। मैं इसीलिये इस बात को आंकड़ों के साथ कह रहा हूँ कि उस समय 36 करोड़ रूपये व्यय किये गये थे और अभी तक मात्र 2 करोड़ 12 लाख रूपये व्यय किये गये हैं। हम इसके लिये भी पूरी कोशिश करेंगे, तो यह बात भी ठीक नहीं बैठती है।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, दस हजारी और पन्द्रह हजारी तो आपने ही पाल रखे हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, यदि आप आर0टी0आई0 में भी नहीं पायेंगे तो हम ही आपको पूरे आंकड़े दे देंगे। क्योंकि यह सरकार तो पारदर्शी सरकार है, जो भी आंकड़े लेना चाहे, ले सकता है। श्रीमन्, यहां पर स्टाम्प ड्यूटी को लेकर चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि अचल सम्पत्ति क्रय करने पर स्टाम्प ड्यूटी साढ़े छः प्रतिशत घटा दी है और यह बहुत बड़ी बात है। श्रीमन्, हमने कुछ दिन पहले जो दरें शहरी क्षेत्र में थी, जो अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी दो प्रतिशत थी, हमने उसे पूरा ही समाप्त कर दिया। हमारे दिनेश भाई को इसके लिये खुशी होनी चाहिये थी। इसी के साथ मैं सर्किल रेट की भी बात करना चाहता हूँ, यदि हर दो वर्ष, पिछले के आंकड़े मैं प्रस्तुत करूं तो जो सर्किल रेट बढ़े है, उसका भी आकलन मेरे पास है। क्योंकि यह व्यवस्था है कि दो वर्ष में सर्किल रेट बढ़ेंगे और यह भी व्यवस्था है कि जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रजिस्ट्री हुई होगी, उसके हिसाब से सर्किल रेट तय होगा और वही हुआ। हमने अलग से कुछ नहीं किया, उसके प्रमाण हमारे पास है और मैं यह कह रहा हू हमने दो प्रतिशत जो शहरी क्षेत्र में अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी थी, उसे घटाया। मान्यवर, पहले 8 प्रतिशत था, 8 से हमने 7 प्रतिशत किया और 7 से भी हमने इसे 5 प्रतिशत कर दिया है, तो इस प्रकार से हमने चार प्रतिशत घटा दिया है। श्रीमन्, मैंने इसके लिये थोड़ा सा पीछे भी जाने की कोशिश की। मान्यवर, मैंने सोचा कि पीछे सरकारों ने क्या किया होगा। 5 वर्ष में कांग्रेस ने आधा प्रतिशत भी कम नहीं किया, आधा (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, तीन वर्षों में जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आई है। एक प्रकार से सारा निवेश बंद हो गया राज्य का जमीनों की खरीद–फरोख्त के अंदर लाखों–लाख रोजगार बेरोजगार हो गये। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, जहां निवेश का सवाल है। जवाब देंगे आप चिंता मत करिये, इधर सबके लिए जवाब है।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी, भू माफिया के अलावा यहां धारा–371 भी लगनी चाहिए।

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, मैं ये कहना चाहता हू कि ये जो स्टाम्प शुल्क है इसमें निश्चित रूप से इस सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसमें सभी को खुशी होनी चाहिए।

आबकारी के बारे में बोला गया श्रीमन्, कि बिल्कुल तस्करी नहीं रूक रही है और जो-जो भी है, आबकारी की नीति ठीक नहीं है और रेट कम करो ताकि खूब पियें लोग। (व्यवधान) श्रीमन्, आप और लोगों को भी समझाइये न, किशोर भाई और लोग तो कह रहे हैं कि सस्ती करके खूब पियो। (व्यवधान) मैं ये कहना चाहता हू श्रीमन्, वर्ष 2010-11 की जो प्राप्तियों का लक्ष्य है, वो 2009-10 से बढ़ करके है। 13 आबकारी चेकपोस्ट भी स्थापित किये है श्रीमन्, और जो हमने टीम बनाई है तस्करी को रोकने के लिए, वो बहुत ही प्रभावी है। इसलिए वर्ष 2009-10 के सापेक्ष जबकि ये कहा जा रहा है कि महंगी भी है, तस्करी होगी और कोई यहां शराब नहीं लेगा। इसके बावजूद भी 2009-10 में जहां 598.22 करोड़ हमारा राजस्व था, वो राजस्व श्रीमन्, इस समय 686.93 करोड़ रूपया हमने प्रस्तावित किया है और इसलिए इसकी कोई गुंजाइश नहीं है श्रीमन्, सफाई के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा है श्रीमन्, आप तो अवगत ही हैं कि जो स्थानीय निकाय है, ये स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं और वित्त आयोग सीधे इनको पोषित करता है। ये काम उनका है कि वे अपने नगर को कितना अच्छा रखें, क्या-क्या वो करना चाहते हैं। हां, जो सरकार से नीतिगत सहयोग लेना चाहें, हम देना चाहते हैं श्रीमन्, लेकिन ये स्थानीय निकाय सरकार पर बोझ बन जाएं यह कैसे संभव हो सकता है। वो अपने संसाधन जुटाए। बाकायदा संविधान में जो संशोधन हुआ श्रीमन्, संविधान संशोधन में बहुत स्पष्ट मंशा है कि इन निकायों को, स्वायत्तशासी संस्थाओं को अपने संसाधन अपने आप अर्जित करने पड़ेंगे।

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, जो कर्मचारियों के पदों के सृजन की बात है। काफी लम्बे समय से पदों का सृजन नहीं हुआ है। आबादी बढ़ गयी है। 15 साल पहले अगर 10 कर्मचारी थे तो 10 ही हैं। पदों का सृजन और सफाई कर्मचारी संविदा पर रखने की अनुमति तो सरकार को देनी चाहिए।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

श्रीमन्, निश्चित रूप से पदों का सृजन की बात है, ये सरकार करना चाहती है। लेकिन ये काम उन्हीं जगह पर होगा जो आश्वस्त कर सकें सरकार को, कि उनके पदों के सृजन के बाद उनको वेतन देने की स्थिति में आ जाएं, नहीं तो वे झंडा लेकर बैठ जाते हैं। पदों का सृजन करो और वेतन भी दो।

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, जो उसको वेतन मिलता है वो तो राज्य सरकार से मिल ही रहा है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

यदि किसी नगर पालिका के, यदि उसके मानकों में आता हो और उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और वह सरकार से चाहता हो कि उनके पदों में सृजन करें

तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मैं आश्वस्त करता हूँ, लेकिन ये काम उनका है। श्रीमन्, गंगा के बारे में यह कहा कि जो गंदे नाले हैं, श्रीमन्, गंगा स्पर्श के बारे में भी हमारे कुछ मित्रों ने कहा और मैं कहना चाहता हूँ काजी जी, कि अकबर साहब गंगा जी की पहली बूंद लेते थे हमेशा और इतना ही नहीं दुनिया के तमाम लोग जो गंगा के प्रति आस्था और श्रद्धा रखते है केवल धार्मिक रूप में नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भी, यह बात सही है कि उस गंगा को जो गंगा हमारी धरती पर स्वर्ग से उतर कर आती है, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उस गंगा को पवित्र रूप में अकलुषित तरीके से आगे बढ़ाये। इस सरकार ने यह संकल्प लिया है कि गंगा की सफाई के अभियान के लिए जहां जन जागृति करेगी, वहीं सरकारी कार्यक्रमों को भी करेगी उस पर हमने जैसे सीवरेज लाइन है, जैसे आपका भी सुझाव था, माननीय हरक सिंह जी का, कि जो शहर हैं उसकी जो सीवर लाइन हैं उस पर भी हम काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम करेंगे। अकेले हरिद्वार में 2050 तक के सीवर लाइन का खाका हमने तैयार कर दिया और लगभग इस वर्ष हम उसको पूरा कर देंगे, 2050 तक, यह हम करेंगे। हमने उन नगरों को जो गंगा के तट पर हैं उनको भी हमने सुनिश्चित किया है, और स्पर्श गंगा के माध्यम से हम जनजागरण करेंगे, अभी 4 अप्रैल को इस स्पर्श गंगा का अभियान होगा, एक लाख से भी अधिक लोग उसमें सहभागी होंगे, हम सोचते हैं कि यह केवल एक सरकार का ही काम नहीं है, केवल केन्द्र सरकार का ही काम नहीं है, केवल राज्य सरकार का ही काम नहीं है, जब तक जनजागरण नहीं होगा तब तक हम इस विशाल अभियान में सफल नहीं होंगे।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि माननीय कण्डारी जी इस बात के लिए सहमत होंगे कि इस सम्मानित सदन में गंगा स्वच्छता पर सबसे पहले कार्य–स्थगन मैंने ही लगाया था, वह आपके लिए ही नहीं मैंने उस दिन मेंशन किया था, रिटर्न में वहां होगा, आस्थायें हमारी भी गंगा से जुड़ी हैं। मैंने यह कहा कि आप अपने लिए करें या न करें, गंगा जी को स्वच्छ हमारे लिए करें। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, धन्यवाद, मैं आपको 4 तारीख को आमन्त्रित करना चाहता हूँ उस कार्यक्रम में।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, हदय स्वच्छ कीजिए अपना।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, आपका तो है ना, आपका हो जायेगा तो धीरे–धीरे सब लोगों का हो जायेगा।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आपने गंगा स्वच्छ की बात की, मेरा यह कहना है कि जब उसमें जल रहेगा तभी तो आप गंगा स्वच्छता की बात करेंगे। जल स्राव को बढ़ाने का तो आपकी सरकार का पिछले तीन सालों में कोई कार्यक्रम नहीं दिखायी दिया।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय किशोर उपाध्याय की चिन्ता बिल्कुल जायज है, यह बात सही है कि जब गंगा में पानी नहीं रहेगा तो आखिर गंगा कहां साफ रहेगी। आपने जो सुझाव दिया उसके लिए श्रीमन्, जो कैम्पा है और स्पर्श गंगा। श्रीमन्, हमने एक महत्वाकांक्षी योजना बनायी है जिस पर हमारे ताल, खाल और चाल इन सभी के संरक्षण की दिशा में माननीय पेयजल मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी इन दोनों लोगों के समन्वय से कैसे संरक्षण होगा और वन विभाग इन तीनों को सम्मिलित करके एक कार्य योजना बनाई है जिसको कैम्पा के माध्यम से हम करेंगे। जब वन विभाग का बजट आयेगा जो किशोर भाई की चिन्ता है हम उसको आगे करेंगे। कुम्भ के बारे में कहा गया उस दिन भी कुम्भ के बारे काफी होहल्ला मचा और माननीय नगर विकास मंत्री जी ने अपनी बात को भी रखा। श्रीमन्, मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि जो ये कुम्भ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मान्यवर, दुनिया के जितने लोग हरिद्वार आये और देश के किसी छोर से क्यों न आये हों। उनसे आप पूछ लीजिए, वे आपको जरूर रिपोर्ट देंगे, आपके पास भी टेलीफोन आते होंगे। वे कहते हैं कि इतिहास में पहली बार इस ढंग की व्यवस्था है और पहली बार उनको यह आनन्द आ रहा है। हरिद्वार की एक पत्रिका ने यहां तक लिखा श्रीमन्, कि पहली बार ऐसा लग रहा है, यह बहुत ही सम्मानित पत्रिका है, जिसका पूरी दुनिया में अपना स्तर है उसने लिखा कि हरिद्वार की धरती पर स्वर्ग उतर आया हो।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपने कहा कि पत्रिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है तो क्या जो अन्य पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है वह महत्वपूर्ण नहीं है?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, प्रत्येक पत्रिका अपने आप में महत्वपूर्ण है लेकिन जो पत्रिका अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अपने मानकों को चिन्हित करती हो तो कहीं न कहीं उसकी गुणवत्ता और गम्भीरता बढ़ती होगी। उसने कहा है तो यह तो एक पक्ष हो गया। लेकिन श्रीमन्, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कुम्भ तो हमेशा होते हैं और कुम्भ केवल हरिद्वार में ही नहीं होता है और पहली बार भी नहीं हो रहा है। लेकिन श्रीमन्, अभी तक जितने भी कुम्भ हुए हैं, आगे भी यह आयोजन, जहां भी अभूतपूर्व हो। हमारी शुभकामनायें हैं जिस प्रदेश में भी हों वह बहुत अच्छा करें। मान्यवर, बार–बार घाटों की बात को उठाया जा रहा है तो मान्यवर, घाट कितने बने हैं तब से लेकर आज तक, केवल पांच कि0मी0 घाट

60 वर्षों में। आजादी के पूर्व समझ में आता है कि चलो, किसी ने इन पर्वों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन देश की आजादी के 60 सालों में केवल 5 कि0मी0 घाट। इस समय मान्यवर, अकेले हमने 5 कि0मी0 घाटों को बढ़ाया। मान्यवर, पुलों को आप देखेंगे तो अस्थाई पुल होते थे और अभी तक यह होता था कि जितना भी काम होता था उसमें 80 प्रतिशत अस्थाई होता था और 20 प्रतिशत काम स्थाई होता था। इस समय हम लोगों ने 80 प्रतिशत काम स्थाई और 20 प्रतिशत अस्थाई किया है।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, स्थाई कार्यों की परिभाषा दी। पिछली कांग्रेस सरकार ने 8 सम्पर्क मार्ग ऐसे–ऐसे सुदूर ग्रामीण अंचलों में बनाये जिससे ट्रैफिक डायवर्ट हुआ। उसमें से एक मार्ग का नाम आप बता दें जिनका अनुरक्षण किया हो। मान्यवर, मायापुर का पुल जो बनते–बनते टूट गया।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, अभी तो कुम्भ पर ही हूँ। अभी सड़कों पर भी आयेंगे। मैं यह कह रहा था कि इस कुम्भ में अभी तक इतिहास में यदि स्थाई तरीके से पुल बने तो केवल दो पुल बने। इस बार हमने 8 पुलों को बनाया। अभी तक 60 वर्षों के इतिहास में पहली बार हुआ है।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, कांग्रेस सरकार में चिन्हित हुए होंगे।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

कुंवर जी, यदि हम आपकी बात भी मान लें तो बनाये तो हमने ही। चिन्हित तो बहुत सारे लोग करते हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, पहली बार सैन्टर ने आपको इतना पैसा दिया है। यह भी मान लें बिना पैसे के यह पुल बन नहीं सकते थे।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, पैसा नहीं आता तो कहां से होता।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

यह बात भी ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं, श्रीमन्।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह भी इतिहास में पहली बार हुआ है, अगर आपने काई हटायी और वह भी अस्थायी कार्य में सम्मिलित किया इसी सदन में जवाब आया, आपने अस्थायी निर्माण की सूची इस प्रश्न में दी उसमें काई को अस्थाई निर्माण दिखाया, यह भी इतिहास में पहली बार हुआ है। सूची साथ में लाता तो वह भी बताता। (कई माननीय सदस्यगण एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) (व्यवधान के मध्य)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, प्रीतम भाई ने जिस बात को कहा है और वे बहुत गंभीर बात बोल गये, सही है यह सरकार काई को हटाने के लिए आयी है (तालियों की गड़गड़ाहट) और काई हटाने के बाद उसको स्थायी रूप में भी करने को आयी है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, काई हटायी तो ठीक बात है, लेकिन ऋषिकेश जैसी स्थिति मत कर देना (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, हम वह भी ठीक कर देंगे। आप चिन्ता मत करना, श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पांच-पांच करोड़, चार–चार करोड़, तीन–तीन करोड़, दो–दो करोड़ से एक–एक, दो–दो, तीन–तीन, चार–चार, पांच–पांच, पुल यानी छोटी पुलिया नहीं आज उन पुलों को देखा जा सकता है, श्रीमन्, जो आपने कहा, मैं उस बात से सहमत हूँ, मैं तो सोच रहा था कि प्रीतम भाई उठे तो शायद यह कहने के लिए उठे हैं कि राज्य सरकार को, वह पहली बार हुआ कि केन्द्र सरकार ने कुम्भ को पैसा दिया, हम लाये (तालियां की थपथपाहट) वह बात सही है और गलत नहीं है। श्रीमन्, इससे पहले कांग्रेस की सरकार भी रही है और रोज होता रहा है कुम्भ। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं इसलिए उठा कि मुख्यमंत्री जी बार–बार इतिहास को दोहरा रहे थे कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ हमने यह कर दिखाया। इतिहास में काई हटाने का भी तो काम हुआ।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो, चाहे घाट हो, चाहे सीवर लाईन हो, चाहे पेयजल हो, श्रीमन्, कौन सा काम, मान्यवर, यदि मैं दो घन्टा भी बोलूं तो मैं इसी कार्य में बोल सकता हूं। आपके माध्यम

से और सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का और योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी को धन्यवाद देने का सुअवसर तो मिला मुझे।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मुख्यमंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूँ कि आपके पास स्वर्णिम अवसर है कि यहां पर महाकुम्भ हो रहा है आप जब हिमालय की पीड़ा को पूरे देशों में फैला सकते थे। मान्यवर, हरिद्वार में कुम्भ मेला केवल पाप धोने के लिए नहीं है इतने बड़े–बड़े लोग आ रहे थे। उनके साथ अपनी बात रखने की, हिमालय की रक्षा के लिए आगे आने की आवश्यकता थी और आप पूरी तरह से विफल रहे हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, आधे तक तो आप ठीक बोले उसके बाद आप फिसल गये। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, कुम्भ में महामहिम राष्ट्रपति जी आना चाह रही थी, एक पुलिस महानिदेशक ने उनका यह कार्यक्रम स्थगित करा दिया, जब वे आ जाती तो कितनी महिमा होती उसकी।

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, यहाँ पर महामहिम का संदर्भ लिया है माननीय तिलक भाई ने, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि महामहिम से मेरी बातचीत हुई थी कार्यक्रम तो बना था चूंकि हमने सभी वी0वी0आई0पी0 को यह कहा था श्रीमन्, यदि कुम्भ के समय वे रूक सकें तो अच्छा है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण देता हूँ सोनिया जी को निमंत्रण देता हूँ। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, क्या निमंत्रण देने के बाद सरकार ने यह रिपोर्ट भेज दी ? कि यहां आना उनका उचित नहीं है। सरकार निमंत्रण दे रही है और बैठक में तय कर रही है कि उनको बुला लिया जाय और पुलिस महानिदेशक की रिपोर्ट आ रही है कि ठीक नहीं और रिपोर्ट आने के बाद उनको भेज दिया जाता है कि यहां सुरक्षा की दृष्टि से समस्या हो गयी। मान्यवर, एक ओर सरकार बुला रही है और दूसरी ओर कैंसिल कर रही है यह क्या है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं इस बात को पूरी तरह से खण्डित करता हूं कि महानिदेशक के पत्र पर महामहिम को रोका गया बिल्कुल नहीं, हमने तो रिपोर्ट दे दी थी कि महामहिम आ सकते हैं, उसमें दस दिन का समय है और जो शाही स्नान है। श्रीमन्, महामहिम ने यह सोचा होगा और चर्चा हुई होगी कि यह उनकी इच्छा पर निर्भर था, जो भी सोचा होगा। लेकिन मैंने स्वयं इस बात के लिए निवेदन किया और इस बात के लिए कहा था दिनेश जी को, वे शाही स्नान पर नहीं आने के लिए कहा था और शाही स्नान के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्री की बैठक में यह कहा। उस दिन भी मैंने यह कहा कि शाही स्नान के जो दिनांक है उस पर हमने नहीं कहा कि मत आइये, हम आपको सुरक्षा नहीं देंगे। आम आदमी की तरह हम कैसे रोक सकते हैं। वे आए और आम नागरिक की तरह स्नान करके चले जाएं यह हमने सबको कहा था। लेकिन शाही स्नान पर थोड़ा सा यह कहा था लेकिन डी0जी0पी0 की कोई रिपोर्ट नहीं थी कि साहब, आप मत आइये। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री तिलक राज बेहड़–

नेपाल के राष्ट्रपति के लिए तो सारी व्यवस्थाएं हुई थी।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे यातायात की दृष्टि से हो, 1 लाख गाड़ियों को खड़ी करने की व्यवस्था, चाहे सूचना केन्द्र के बारे में हो। आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कुम्भ को, जो यश मिला है एक ही साथ 100 लोग पूरी दुनिया में अपना संवाद भेज सकते हैं, अपलिंकिंग कर सकते हैं। इस ढंग की भी व्यवस्था हमने वहां पर की। यदि कुम्भ का मैं मोटा-मोटा आंकलन करूं तो जो 1998 में केवल 64 करोड़ 22 लाख 94 हजार खर्च हुआ और उसके बाद 2004 में श्रीमन्, 103 करोड़ 28 लाख 47 हजार खर्च हुआ जबकि श्रीमन्, इस समय जो हमने किया वह 364 करोड़ के तो स्थायी प्रवृति के काम पिछले महीने पूरे हो गये और यह 565 करोड़ का हम लोग करेंगे। श्रीमन्, पहली बार इतिहास में, इसको भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने सदन के समक्ष इस बात को रखा। केन्द्र सरकार का जिस थर्ड पार्टी पर सबसे बड़ा ठप्पा है योग्यता का, मूल्यांकन के अधिकार का, दो बड़ी पार्टियों को थर्ड पार्टी जांच के लिए हमने बनाया। अभी तक इतिहास में यही सरकार है जिसने थर्ड पार्टी को जांच के लिए अधिकार दिया और इसको जो योजना आयोग की सचिव है बकायदा निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा और हमको टेलीफोन करके धन्यवाद दिया। इसलिए उसमें कोई गड़बड़ भी होगी तो वह जिम्मेदारी उनकी है। यह जिम्मेदारी जब तय हो गयी कि दोनों पार्टियों को, कि कोई गड़बड़ होगी

उसको ठीक करायेंगे इसके लिए भारत सरकार भी उतनी जिम्मेदार होगी। क्योंकि उनका भी सीधा–सीधा नियंत्रण है और हम तो चाहते हैं हर दृष्टि से, क्योंकि कुम्भ हो रहा है वह राष्ट्र का नहीं, पूरे अन्तर्राष्ट्रीय का है इसलिए उस दिन भी थोड़ा सा हमने यह चर्चा की थी बहुत विनम्रता से, कि कुम्भ हो रहा है और यह राष्ट्र के स्वाभिमान, सम्मान का है यदि कहीं पर भी किसी की दृष्टि में कोई कोर–कसर आती है बात होती है तो बजाए इसको, कि यह संदेश दे और वह भी बिना बात का संदेश जा रहा था तो यह मेरा निवेदन है कि कुम्भ राष्ट्र के सम्मान और स्वाभिमान का है।

श्री केदार सिंह रावत–

माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ कल भी मैंने बताया था कि यह जो कुम्भ है यह जब समाप्त होगा 16 अप्रैल को, उसके बाद इसके जो श्रद्धालु हैं, तीर्थ यात्री हैं, वे चार धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। हमेशा ही करते हैं मेरा यह निवेदन है कि कुम्भ के बजट से चार धाम यात्रा रूट पर भी कुछ न कुछ अवस्थापना विकास के मद पर खर्च होना चाहिए। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए तो यह अच्छा रहता।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

यह अच्छा सुझाव है केदार सिंह रावत जी का और यह बात सही है कि जब आखिरी कुम्भ होता तो लोग ऊपर के लिए जाते हैं। श्रीमन्, आपको यह जानकर खुशी होगी केदार जी, श्रीमन्, चार धाम के लिए हमने बिल्कुल अलग व्यवस्था की है। और चार धामों को भविष्य में आगे का जो हमारा प्लान है कि श्रीमन्, चार धाम पूरी दुनिया में चमकते हुये नजर आयेंगे, हम आपको आश्वस्त करते हैं हम उनकी सारी व्यवस्थायें चाहे पार्किंग हो चाहे शौचालय हों इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, विशेष इसी कुम्भ से हो जाता।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, आपकी कृपा होनी चाहिए हम तो दूर तक ले जायेंगे। समाज कल्याण के बारे में कहा गया कि कुछ नहीं हुआ है, तो समाज कल्याण के बारे में यह कहना चाह रहा हूँ कि वृद्धों–विधवाओं की पेंशन नहीं। श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 31 मार्च, 2007 तक राज्य बनने के बाद 82 हजार 65 वृद्धावस्था पेंशन थी, यह यहां तक तो पिछली सरकार का है, उसके बाद हमारा शुरू होता है तो 31 मार्च, 2008 तक 1 लाख 12 हजार 985 लोगों को स्वीकृति दी और 31 मार्च, 2009 को यह संख्या फिर बढ़कर 2 लाख 15 हजार 471 गयी और फिर मार्च, 2009 से 28 फरवरी 2010 तक संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, यह संख्या अभी मिली नहीं है।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, संख्या को चैलेंज नहीं कर रहे हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, धन्यवाद, कि आप संख्या को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं जब स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो पीड़ित वृद्धों की संख्या बढ़ेगी, एक्सीडेन्ट होंगे, विधवाओं की संख्या बढ़ेगी, विकलांगों की संख्या बढ़ेगी।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, आप तो स्वास्थ्य भी न दे पाये और न उनकी सुरक्षा कर पाये इसमें आप क्या करेंगे ? यदि वृद्धावस्था पेंशन को देखेंगे तो हम आश्वस्त करते हैं कि वह कभी खत्म कर देंगे। मान्यवर, मार्च, 2007 तक वृद्धावस्था पेंशन को देखेंगे तो 82 हजार 65 से बढ़कर 2 लाख 9 हजार 437 तक पहुँची है, दुगने से भी ज्यादा है, केवल 3 वर्ष में सवा लाख पेंशनर की संख्या बढ़ी है और विधवा पेंशन को देखेंगे तो मार्च 2007 तक 64347 थी और मैं कहना नहीं चाहता हूँ, पर चूँकि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कुछ बिन्दु बोले कि यह संख्या शायद इसलिए बढ़ रही है, पहले जो नीति थी यदि विधवा पेंशन होती थी तो विधवा पेंशन में ऐसा नहीं था, यदि किसी भी प्रार्थना पत्र आ जाए तो उसको तुरन्त पेंशन मिल जाए।

डा0 हरक सिंह रावत –

मान्यवर, जो आप कहने जा रहे हैं वह वर्ष, 2006 में हो गया था।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, वह तिथि भी बता दूंगा, यदि इसकी भी जरूरत पड़ेगी जो मुझे मालूम नहीं था। श्रीमन्, यह कहना चाहता हूँ कि पहले होता क्या था। दुर्भाग्य तो किसी के साथ भी घट सकता है। लेकिन होता क्या था, एप्लीकेशन पड़ी रहती थी और इस बात की प्रतीक्षा होती रहती थी कि कौन मरेगा, तब उसका नम्बर आयेगा। अब हमारी सरकार ने इस दिशा में यह किया। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना जानना चाहता हूँ। क्योंकि हम जब जिलों में जा रहे हैं तो जिलों में स्थिति इसके विपरीत है। आप यहां पर चाहे जो भी आंकड़े रखें। हम से लोग मिलते हैं और कहते हैं कि हमें छः महीने से पेंशन नहीं मिली और कुछ लोग कहते हैं कि ब्लाक में एक साल से पेंशन नहीं मिली क्या आप यह कह सकेंगे कि आज की तिथि तक, जितने आपने स्वीकृत किये हैं प्रदेश के अंदर कोई विधवा, विकलांग या वृद्ध ऐसा नहीं है जिसको पेंशन नहीं मिली है। यह कहने की स्थिति में हैं आप?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, उसको मैं दिखवा लूंगा। श्रीमन्, मार्च 2007 में 82.91 करोड़ रू0 खर्च हुआ। विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पर। श्रीमन्, इस समय जो निकाला है, वह 160.63 करोड़ रू0 अभी तक हम दे चुके हैं। मैं इसको भी दिखवा लूंगा कि यह कहां–कहां नहीं जा रहा है। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यदि संख्या बढ़ेगी तो भुगतान भी बढ़ेगा।

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, मैं वर्ष, 2007 का आंकड़ा दे रहा हूँ, जो बढ़ा था वह वर्ष, 2006 में बढ़ा था।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 400 रू0 विधवा पेंशन दे रहे हैं, क्या इसको और बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है।

श्री गोपाल सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछला जो बजट माननीय खण्डूड़ी जी ने पेश किया था, तो विकलांग पेंशन बढ़ाने की बात कही थी कि जो 40 प्रतिशत होगा उसे एक हजार रू0 मिलेगा, जो 75 प्रतिशत होगा उसे ढाई हजार मिलेगा और जो 100 प्रतिशत होगा उसे साढ़े तीन हजार मिलेगा। इस तरह की बात पिछले बजट में कही गयी थी। आज मात्र 200 रू0 600 रू0 उन्हें दिया जा रहा है। जबकि ये घोषणा सदन में हो चुकी है। इस तरह से सदन को गुमराह किया जा रहा है।

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, मैं बहुत विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूँ कि हजार लोग हों और उन हजार लोगों में से चार लोग तो हृष्ट–पुष्ट हो जायं और बाकी सभी एक तरफ हो जाय तो यह कैसे संभव हो सकता है। इसलिए हमने हर व्यक्ति की चिंता की है और ये आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हम जितने भी संसाधन होंगे किसी भी

व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं, हर व्यक्ति तक हम संसाधन को अवश्य पहुंचायेंगे। चाहे मामला विकलांग पेंशन का हो, चाहे विधवा पेंशन का हो। श्रीमन्, 2007 में वही 26 हजार होता है और आज वह 4100 हजार पर चला जाता है। तो वह लगभग दुगना होता है। काम चलेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि 40 हजार या 80 हजार की बात न की जाय। इस महंगाई के जमाने में 400 और 600 रू0 से क्या गुजारा होगा। मान्यवर, नरेगा के तहत रोजगार गारंटी के तहत जो दैनिक ध्याड़ी है वह इससे भी ज्यादा है। आप 8 करोड़ बांट लो, 10 करोड़ बांट लो। इससे जिस व्यक्ति को आप 400 रू0 दे रहे हो, उस पर फर्क तो नहीं पड़ता है। आप यदि इसको बढ़ाकर 1000 कर रहे हो और आप में इच्छा शक्ति है तो इसे बढ़ा दो, तो हम सदन के अंदर इस पर ताली बजायेंगे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुष्ठ रोगियों के उपचार के 1000 रूपया कर दिया है। (व्यवधान) और विकलांग पेंशन को 600 रूपया कर दिया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय समाज कल्याण मंत्री जी, जब आप क्वानू भ्रमण पर आए थे, तब आपने अपने भाषण में कहा था कि हमारी सरकार ने विधवा, विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा दी है। लेकिन आज तक बढ़ी नहीं। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हम चुनौती देते है, आपको। जितनी विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हमारी सरकार ने दी है, उतनी तो आपकी सरकार ने दी ही नहीं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं। माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने कहा, मैं तो आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूं। आप समाज कल्याण मंत्री हैं, आप जब जनता के बीच जाएं तो वहां पर कोई बात करें तो उससे जनता को गुमराह न करें। आपने क्वानू में कहा कि हमने विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन बढ़ा दी है। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, अभी विभाग का बजट आएगा तब बोल लीजिएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आंकड़ों पर भी जाया जाय और अर्थ पर भी जाया जाय। (व्यवधान) अमृता जी, मैं तो आंकड़ों पर भी नहीं, पैसे पर जा रहा हूं। पैसे के बारे में तो सुनेंगी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, प्रति व्यक्ति कितना देना चाह रहे हैं। वह बता दीजिए। अगर 1000 भी दे देंगे तो हम लोग जोर–जोर से ताली बजाएंगे। वैसे तो 1000 रूपये भी इस महंगाई के जमाने में कम है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, आपको अभी भी ताली पीटनी चाहिए थी, उन लोगों के लिए, जिन लोगों का हित हो रहा है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, बाकी आंकड़े तो पढ़े हुए मान लेंगे।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं आप ही की बात पर आ रहा हूँ। मैंने कहा कि जितने लोगों को 80 करोड़ मिल रहा था, यदि हम संख्या बढ़ाते नहीं तो वह दो गुना से ढाई गुना तक अपने आप ही हो रहा था। आंकड़े बताते हैं कि उन हिसाब से तो हम उन लोगों को 1000 ही दे रहे हैं। जितने लोगों को आपने दिया, उस हिसाब से।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, आंकड़े कितने सच हैं, यह तो जनता बताएगी।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों को हर हालत में सुविधा देंगे। अंतिम छोर तक जिन लोगों को थोड़ा भी नहीं मिल रहा था, पहले उसको देंगे। उसके बाद दूसरी बार विचार करेंगे, जब अंतिम छोर तक उस सुविधा को ले जाएंगे। हम यह कहना चाह रहे हैं कि डेढ़ लाख वृद्ध अचानक पैदा नहीं हुए, एक ही साल में। यह तो तब से चले आ रहे थे, जो उपेक्षित थे, उस सरकार में, उसको हमने दिया है। श्रीमन्, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी उस बात पर भी भविष्य में विचार करेंगे। (व्यवधान) लेकिन जो वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, यह सरकार समाज कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक काम कर रही है। जो अभी तक नहीं हुआ था। श्रीमन्, नये पर्यटक स्थलों के बारे में कहा गया।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बार–बार यह कह रहे हैं कि आपकी सरकार में यह मिला, हम यह कह रहे हैं। आप हमारी सरकार से तुलना क्यों कर रहे हो? आप यह बताओ कि आप इस प्रदेश के वृद्ध और विधवाओं के आंसू पोंछने के लिए क्या कर रहे हैं ?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, हम वही तो बता रहे हैं। हम तो सब वही कर रहे हैं और वही कह रहे हैं और वही करेंगे भी।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारी लकीर को मिटा कर अपनी लकीर को लम्बा क्यों कर रहे हैं? आप अपनी लकीर को लम्बी खींच दो। (व्यवधान) हमारी लकीर को मिटाने की बात क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आप तो अभी तक कह रहे हैं कि हमने स्वीकृत करा रखे हैं। आपके सभी जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि हमने स्वीकृत कराया है। (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

पौड़ी गढ़वाल जिले में अभी लगभग 1600 से अधिक आवेदन पत्रों का भुगतान नही किया गया है। मेरे द्वारा प्रश्न लगाने पर अतारांकित प्रश्न में माननीय समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा यह जबाब दिया गया कि 1600 से अधिक आवेदन पत्र हमारे पौड़ी जिले के रूके हुये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उसमें आपका भी विधान सभा क्षेत्र आता है, आप कृपया, यह बतायें कि उनको यह कन्या धन कब तक आवंटित किया जायेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी इतने वृद्ध हो गये है कि अपनी बिरादरी का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, माननीय मंत्री जी, आपकी उम्र 65 साल हुई कि नहीं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, यह आपके कैसे साढू भाई हैं?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरे साढू भाई मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मान्यवर, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हू कि गौरा देवी कन्या धन योजना में जो लाभार्थी सामान्य जाति के है, उनके लिये जो पैसा रखा गया था, वह कम पड़ गया था और अभी हमने उसके लिये साढ़े तीन करोड़ रूपया आवंटित कर दिया है, अब उन्हें मार्च तक यह राशि मिल जायेगी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने तो इसलिये कहा था क्योंकि अभी लॉबी में माननीय भट्ट जी कह रहे थे कि कण्डारी जी इतने वृद्ध क्यों लग रहे हैं, जब कि ये मुझसे चार–पांच साल ही बड़े हैं, यह तो ऐसे लग रहे हैं, जैसे पिचहत्तर साल के हो गये हों।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, पर्यटन के क्षेत्र में भी हम काफी काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि उत्तराखण्ड के जो महत्वपूर्ण स्थान है, उन्हें इनमें स्थान दिया जा सके। क्योंकि हमने 2020 का विजन रखा है और उस विजन 2020 में टूरिस्ट सर्किट भी हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उत्तराखण्ड धरती का स्वर्ग ही है, जिसके पास अपार सौन्दर्य है, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको व्यवस्थित करके पूरी दुनिया के सामने हम कैसे लाये, उसके लिये भी हमने कार्य योजना बनाई है। हमें इस बात की भी चिन्ता है और हम् पर्यावरण को भी संरक्षित करेंगे, हम बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं चाहेंगे। इसलिये किन–किन स्थानों को हमें शामिल करना चाहिये, इसके लिये हमने बहुत अच्छी योजना तैयार की है और अभी हम लोगों ने आठ सर्किट तैयार किये हैं। उनको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और उसके लिए अभी 100 करोड़ रूपये की सैद्धान्तिक स्वीकृति हमें मिल गई है, जिससे हम यहां पर पर्यटन का विकास करेंगे।

मान्यवर, यह भी कहा गया कि आवासीय योजना की दिशा में हम लोग क्या काम कर रहे हैं। मान्यवर, इस सरकार ने इसके लिये दो योजनायें प्रारम्भ की है, एक तो अटल आवास योजना और दूसरी दीन दयाल उपाध्याय आवासीय योजना। अटल आवास योजना जो 2008–09 में शुरू की गई थी, इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 3340 लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है और यह बिल्कुल नई योजना थी, जिसमें 256.22 लाख रूपये की धनराशि भवन निर्माण हेतु दी गई है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये इस योजना के लिये 6 करोड़ रूपये की राशि का प्राविधान रखा गया है। श्रीमन्, दूसरी हमारी जो महत्वपूर्ण योजना है, वह पं0 दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना है, जो ऐसे परिवारों के लिये है, जो बी0पी0एल0 की सूची में चयनित नहीं है, लेकिन आवासहीन है और आवास के इच्छुक है। उनको लाभ देने के लिये वर्ष 2007–08 में यह योजना प्रारम्भ की थी और अभी तक दस हजार, पांच सौ लोग इसका लाभ ले चुके हैं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर, इसी प्रकार से राज्य ऋण से अनुदान ग्रामीण योजना है। जिसमें श्रीमन्, अभी तक 22600 ग्रामीणों को आवास की सुविधा मिल चुकी है। श्रीमन्, कहा गया कि ग्रामीण विकास में बजट का ठीक से प्राविधान नहीं किया गया है। श्रीमन्, ग्रामीण विकास पर हमारा पूरा ध्यान केन्द्रित है। ग्रामीण क्षेत्र में अटल आदर्श ग्राम, एक ऐसे ग्रामों को हम ले रहे हैं, जो अपने आप में विकास का मॉडल होगा। अभी पहले चरण में एक न्याय पंचायत स्तर पर एक स्थान को चुना है, उसी को सभी सुविधाओं से न केवल

पूरी करेंगे बल्कि उस क्षेत्र के आस-पास रहने वाले नौजवान, महिला जिन लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, वो हर दृष्टि से उसको, उस क्षेत्र को पूरे तरीके से समृद्ध करने का, ये अभियान ही नहीं, ये हमारा महाअभियान है श्रीमन्, इसलिए अटल आदर्श गांव इस सरकार की रीढ की नींव बनेगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। उस दिशा में चौधरी साहब ने कुछ पूछा था, उसको भी लाया था मैं, लेकिन चौधरी यशवीर सिंह जी इस समय नहीं हैं तो मैं ये सारा जो उनके लिए तैयार करके लाया हूं। उन्होंने सदन में जिज्ञासा प्रकट की थी कि ये अटल आदर्श ग्राम कैसे होंगे, ये मैं तैयार करके लाया हूं, उनको भिजवा दूंगा श्रीमन्, वैसे भी यदि बजट में भी देखा जाय श्रीमन्, तो जहां 2010-11 में 507 करोड़ 2009-10 में 317.69 करोड़ था अब तो हमने बढ़ा करके 517 करोड़ कर दिया, ये 200 करोड़ की एक साथ वृद्धि है, ये कम नहीं है श्रीमन्, पीछे भी कुछ आंकड़ों को मैं देखूंगा तो ग्रामीण विकास की क्या दृष्टि थी और क्या दशा थी, उस पर मैं इस सदन का समय खराब नहीं करना चाहता हूं। महिला सशक्तीकरण के बारे में बोला जा रहा है। अमृता जी, कम से कम आप तो हमको धन्यवाद दीजिए इस बात की, कि ये पहली सरकार है, जिसने पंचायतों में 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया महिलाओं को। (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत-

मान्यवर, इस बात की बधाई दूं कि 3000 आंगनबाड़ी केन्द्रों को बंद कर दिया, जिससे 6000 महिलाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। 6000 विधवा, विकलांग इतनी महिलाओं के पेट पर लात मारी है सरकार ने।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

श्रीमन्, आप अपनी सरकार को क्यों बदनाम कर रही हैं केन्द्र की। आप अपनी सरकार को कम से कम सदन में तो बदनाम मत करिये। मैं उसके भी उदाहरण दूंगा। (व्यवधान) केन्द्र सरकार का क्या दृष्टिकोण है, वो भी सुनना चाहेंगी आप, भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है, वो भी सुनना चाहेंगी। आप चिंता मत करें, उसको भी हम ठीक करेंगे। अमृता जी, मैं तो आपको बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं मैं ये कहना चाहता हूं ये पहली सरकार है पिछली बार भी महिलाओं के लिए जेण्डर बजट घोषित किया 1205 करोड़ रूपये, अलग से घोषित किये। (व्यवधान) मैं उसमें आ रहा हूं न।

श्रीमती अमृता रावत-

मान्यवर, पहाड़ों में जो आंगनबाड़ी केन्द्र खुले हैं, वो हमारी सरकार की देन है। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

एक तो श्रीमन्, अमृता जी, मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूं कि जो आपकी सरकार ने किया उसको शब्दशः अंकलित कर रहा हूं मैं यहां पर। शब्दशः, आपकी

सरकार ने क्या किया, वही तो बता रहा हूं मैं उस सरकार ने क्या किया अच्छा किया तो अच्छा भी कहूंगा, जो किया नहीं तो बताऊंगा और वो आंकडों के साथ बताऊँगा। श्रीमन्, मैं ये कहना चाहता हूं कि महिला सशक्तिकरण, महिला विकास की दिशा में हमारी ही सरकार श्रीमन्, देश के अंदर पहली सरकार है जिसने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है पंचायतों में, और ये देश की पहली सरकार है श्रीमन्, जिसने महिलाओं के लिए पिछले वर्ष जेंडर बजट 1205 करोड़ का रखा। जबकि श्रीमन्, ये जानकर आपको खुशी होगी, इस सदन को बताते हुए मुझे भी प्रसन्नता हो रही है इस समय जो हमने प्राविधान किया है वह 1400 करोड़ का किया है और दो सौ करोड़ इसको और बढ़ायेंगे, इसको हम व्यवस्थित करेंगे। जहां तक श्रीमन्, अभी यह चर्चा आ रही थी कि आंगन बाड़ी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो केन्द्र की बात हो रही है भारत सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकत्री को डेढ़ हजार और मिनी आंगनबाड़ी सहायिका को 750 रूपया अनुमन्य है। हमें जहां डेढ़ हजार भारत सरकार दे रही है वहीं हम भी डेढ़ हजार दे रहे हैं। हम उनको तीन हजार रूपये दे रहे हैं, देश का कोई भी राज्य इतना नहीं दे रहा है। हम पूरे देश के अन्दर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 750 मिलता है उसको भी हम 750 यहां भी देते हैं, इसलिए श्रीमन्, मैं गौरव के साथ इस बात को कह सकता हूं कि पूरे देश के अन्दर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को सर्वाधिक मानदेय उत्तराखण्ड देता है, यह आंकड़े मैंने सभी प्रदेशों के एकत्रित किये हैं। श्रीमन्, उद्यान के बारे में भी कहा गया, उद्यान की दिशा में भी हम चाहे फलोत्पादन हो, सब्जी पट्टी की बात हो, चाहे वह जड़ी बूटी का उत्पादन हो, श्रीमन्, हमने बहुत ध्यान केन्द्रित किया है। हमको इस बात की भी खुशी है कि पूरे देश के अन्दर उत्तराखण्ड में ही सबसे बड़ा फूड और हर्बल पार्क स्थापित हुआ है जो लगभग 6 सौ करोड़ की लागत से हरिद्वार में स्थापित है। उसको हम पूरे उत्तराखण्ड से जोड़ेंगे और इसमें केन्द्र सरकार ने थोड़ी सी मदद की। मैं समझता हूँ कि यह देश का पहला ऐसा उद्यान होगा जो जड़ी बूटी का होगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, कहां है, हमको भी वहां ले चलो।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, जब कहेंगे चले जायेंगे। आपने इतनी देर में इच्छा प्रकट की। श्रीमन्, जड़ी बूटी के क्षेत्र में उत्पादन और दोहन पर जहां जड़ी बूटी शोध संस्थान, औषधि पादप बोर्ड और आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इन तीनों के संयुक्त सहयोग से हम इसको ऐतिहासिक क्षेत्र में बनाना चाहते है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो जड़ी बूटी का उत्पादन और दोहन होगा वह उन गांवों की आधारभूत शिला स्थापित होगी और आर्थिकी की दिशा

में। इसलिए हमने प्रति वर्ष एम0ओ0यू0 भी किया है हम, पहला प्रदेश होंगे जो जड़ी बूटी का समर्थिक मूल्य घोषित करेंगे और जड़ी–बूटी प्रति वर्ष आगामी एक हजार करोड़ तक की ग्रामीण क्षेत्र से जड़ी–बूटी कैसे उत्पादित होती है इस पर पूरा ध्यान हमने केन्द्रित किया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, उन जड़ी बूटियों पर ध्यान दिया जायेगा जो इन्सान को ऊर्जा देती है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, आपको जरूर दिया जायेगा। श्रीमन्, आप तो जड़ी–बूटी के क्षेत्र में रहते हो। श्रीमन्, जो निजी इंजीनियरिंग कालेज के बारे में कहा गया है, यह कहना चाहता हूँ कि जो निजी इंजीनियरिंग कालेज की जो डोनेशन की बात हुई है। श्रीमन्, निजी शिक्षण संस्थानों के शुल्क को निर्धारण करने के लिए उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थान, प्रवेश एवं शुल्क विनियमन अधिनियम, 2006, यह श्रीमन्, 2006 से गठित है इसकी धारा–19 के अन्तर्गत सेवा निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में शुल्क का ढांचा प्रवेश प्रक्रिया समिति का भी अलग से गठन किया गया है। इसमें यह व्यवस्था है कि जो इसका उल्लंघन करेगा, धारा–13 के अन्तर्गत उसको दण्ड दिया जायेगा, मान्यवर, 10 लाख का अर्थ दण्ड आरोपित किया जायेगा और इस प्रदेश में एक संस्था को 10 लाख का अर्थ दंड दिया भी गया है। इसलिए श्रीमन्, जब भी ऐसी कोई शिकायत आती है श्रीमन्, उस शिकायत पर पूरी गौर होती है और उस पर कार्यवाही होती है। इसके लिए हमारे प्रदेश में ऑलरेडी व्यवस्था है कि कोई गलत न करें उसके लिए बाकायदा एक शुल्क निर्धारण करने की भी व्यवस्था है, यदि उसका पालन कोई नहीं करता तो जो भी व्यक्ति सरकार के सामने आयेगा श्रीमन्, कि इसने गलत किया है, इसको हर कीमत पर हम दंडित करेंगे। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। समाज कल्याण हो, विकलांग हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अल्पसंख्यक हो इन सबके कल्याण के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और हर हालत में इन सभी वर्गों को आगे बढ़ाया जायेगा। ये जो अभी 16 करोड़ 35 लाख, जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति है उस दिशा में यहां पर हम लोगों ने प्राविधानित किया है श्रीमन्, उस क्षेत्र में भी हम निश्चित रूप से आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। माननीय शैलेन्द्र मोहन जी ने जब मैं आया था श्रीमन्, तो उन्होंने आटा, मैदा, सूजी जैसे बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर जो टैक्स हमने लगाया उसको पूरा कर मुक्त किया, ये पहला उदाहरण आ रहा है जो उस टैक्स को करमुक्त कर जो एक प्रतिशत था, हमने उसको खत्म कर दिया और वो कह रहे हैं कि गड़बड़ हो गया।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, पिछली बार भी आपने कहा था कि बुलाकर हम आपको संतुष्ट कर देंगे तो प्रमाण के सहित (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, वो मैं आ रहा हूं, बता रहा हूं उस बात को। मैं सोचता हूं मुझे स्वयं बहुत आश्चर्य होता है कभी–कभी एक प्रतिशत कोई आदमी ले रहा है और एक प्रतिशत उस पर टैक्स है और वो एक प्रतिशत टैक्स खत्म कर दिया तो कहां गड़बड़ हो रहा है, (व्यवधान) कहां गड़बड़ हो रहा है। एक प्रतिशत खत्म करने से दाम बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि इसीलिए केन्द्र सरकार इसे आगे बढ़ा रही होगी। लेकिन मैं उस फार्मूले को नहीं समझता। आप दोनों विषयों को जोड़ें नहीं, (व्यवधान) आप दोनों विषयों को मत जोड़िये।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, 40 रूपया प्रति कुन्टल के हिसाब से भारत सरकार राईस मिलों, फ्लोर मिलों को सब्सिडी देती है लेकिन उस स्थिति में देती है जब टैक्स होगा। इसलिए जब 4 प्रतिशत टैक्स था। एक प्रतिशत इसलिए कर दिया गया था, जीरो प्रतिशत इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि भारत सरकार से जो सब्सिडी मिलती है, फ्लोर मिलों को वह खत्म न हो जाए। क्योंकि जीरो प्रतिशत आप टैक्स कर दोगे तो सब्सिडी खत्म हो जायेगी। एक कुन्टल पर 40 रूपये मिली है, भारत सरकार से सब्सिडी। आपने जब उसे शून्य कर दिया तो फ्लोर मिल को 40 रूपये नहीं मिल रहा है। उससे क्या हुआ, कि 20 रूपया आटा मंहगा हो गया। इसीलिए आटा सूजी पर 4 प्रतिशत टैक्स था। शून्य इसलिए नहीं किया गया था उस समय, जिससे टैक्स भी कम हो जाए और भारत सरकार से जो सब्सिडी मिलती है वह भी मिलती रहे।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, उसको भी मैंने दिखवा लिया है। इस सरकार ने आते ही उपभोक्ताओं की चिन्ता की है तो मिलों की भी चिन्ता कर लेगी। मैंने दोनों का अध्ययन किया है। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि उपभोक्ताओं को सीधा–सीधा लाभ मिला है। मान्यवर, अब जो मिलों का विषय है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मिलों को अगर सब्सिडी नहीं मिलेगी, 30 रूपये प्रति कुन्टल आटा महंगा होगा तो वह उपभोक्ताओं से ही तो लेंगे। अपनी जेब से कौन देगा ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, किशोर उपाध्याय जी ने कहा कि जो ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना है इस सरकार ने कुछ किया ही नहीं। एक आध सदस्यों ने भी इस बात को कहा। मैं बहुत विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूं जो 2006–07 की धनराशि व्यय है। मान्यवर, 2006–07 में धनराशि है सात हजार एक सौ ग्यारह रुपया है। 2006–2007 में प्राप्त धनराशि 7111 करोड़ रूपये है। श्रीमन्, इसमें व्यय है 4859 रूपये। वर्ष 2007–08 में जो धनराशि प्राप्त हुई है वह 15319.36 रूपये और व्यय हुई है 9575.01 रूपये, श्रीमन् वर्ष 2008–09 में जो धनराशि प्राप्त हुई है वह 17536.03 रूपये और व्यय हुई है 13579.34 रूपये, श्रीमन्, यही वर्ष 2009–10 में जो धनराशि प्राप्त हुई है वह बढ़कर 27972.37 रूपये प्राप्त हुआ। मान्यवर, जब आंकड़े हमारे पास रहते हैं और जमीन आसमान का अन्तर है ऐसा भी नहीं 19–20 होगी उसमें जम्प मारा और मैं इसमें कहना चाहता हूं कि हमने केन्द्रीय मंत्री जी को तीन पत्र दिये इसी बात की नाराजगी व्यक्त की, हमारा जो प्लान बना हुआ उसके लिए पैसा नहीं मिल रहा है जिसमें तीन पत्र दे चुके हैं। केन्द्र सरकार पैसा नहीं दे रही है एक ओर से ऐसा कह रही है कि राज्य सरकार व्यय नहीं कर रही है और दूसरी ओर हम तीन–तीन पत्र लिख चुके हैं कि हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा यह केन्द्र पोषित धन है हम इसका पूरा–पूरा उपयोग करेंगे। श्रीमन्, स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में जिन लोगों ने बिन्दुओं में चर्चा की है। यह बात सही है कि हमारे पास डाक्टरों का अभाव है और डाक्टर हम नहीं रख रहे हैं, ऐसा दूर–दूर तक नहीं है। हम लगातार जिस–जिस रूप में कर सकते हैं। हम लोक सेवा आयोग से अनुरोध कर रहे हैं और डी0जी0 साहब की अध्यक्षता में बैठक की और उसमें वॉकिंग इन्टरव्यू कर दिया। जो–जो भी हम कर सकते हैं वह व्यवस्था कर रहे हैं उसमें लगभग 400 डाक्टरों की नियुक्ति हमने की, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है हमको लगा अन्ततोगत्वा डाक्टर कहां से आयेंगे, इसलिए सरकार ने तात्कालिक और दीर्घकालिक दो प्रकार की योजना बनायी श्रीमन्, जो तात्कालिक योजना बनायी उसके अन्तर्गत 108 भी है। इसमें हमारे मित्र भी चर्चा कर रहे थे और बहिन जी भी बोल रही थी कि उत्तर प्रदेश में 108 के संबंध में बहिन जी ने भी हमसे टेलीफोन पर बात भी की थी और उन्होंने कहा कि हम 108 को उत्तर प्रदेश में भी लागू करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को दो दिन के लिए यहां भेजा था। श्रीमन्, मुझे खुशी होती है कि आज उत्तराखण्ड को देखते–देखते महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मैंने तो शीला दीदी को भी कहा कि आप तो केन्द्र में हैं। इस प्रकार कम से कम आठ प्रदेश ने यहां आकर हमारी पूरे मॉडल को देखकर पूरे देश में 108 को लागू किया।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय निशंक जी, इस मॉडल में क्या है, एक दिन मेरा परिवार गंगोत्री गया था और हरसिल में, मेरे बच्चे के पेट में दर्द हुआ और 108 में गये उन्होंने कहा कि दवाई नहीं है। जब इस 108 में इस तरह की भी व्यवस्था नहीं है कि जो एक आम मेडिकल स्टोर वाला दे सकता है वह भी नही है। इसी प्रकार विकास नगर में भी हुआ आप 108 की क्या बात कर रहे हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, नेता प्रतिपक्ष जी ने दो बातें कही हैं 108 के बारे में।

डा0 हरक सिंह रावत–

मैं सच्ची बात कह रहा हूं।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

आपकी बात को मैं मानता हूं।

श्री किशोर उपाध्याय–

आप स्कूटर जरूर लाईये जो आप दोनों चलाते थे। (हंसी)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

ऐसा है किशोर भाई, वह जो स्कूटर है वह भी ऐतिहासिक स्कूटर है उसको हम कहीं जाने नही देंगे, चिन्ता मत करियेगा।

श्री किशोर उपाध्याय–

यहां एक संग्रहालय बना लेते हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

वह बनायेंगे। क्योंकि ये उधर बैठे हुए हैं और मैं इधर बैठा हूं तो इतिहास तो स्कूटर रहेगा ही बीच में। (हंसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

नहीं, हम तो आपके प्रेस में जब जाते थे तो अ की मात्रा, ए की मात्रा, जब आपका अखबार छपता था तो कभी–कभी आपके प्रिन्टिंग प्रेस वाले नहीं आते थे तो हम ही अक्षर मिलाते रहते थे। (हंसी) आपका अखबार बेचने के लिए पौडी बस अड्डे पर खड़ा रहता था कि निशंक जी के अखबार का बण्डल आयेगा और उस बण्डल को दुकान–दुकान बॉटता था। एक दिन मैंने विज्ञापन इकट्ठे करे और मैंने एक दुकानदार इलजार भाई से विज्ञापन लिया था इनके अखबार के लिए, वह रोज मुझसे कहता था कि रावत जी, वह विज्ञापन कहॉ छपा। उस दिन वह अखबार ही नही आया। मैं इनसे कहता रहा कि अखबार तो भेज दो। (हंसी)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, एक आध अपवाद ऐसा हो सकता है जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है लेकिन यदि समग्र दृष्टि से देखें तो।

डा0 हरक सिंह रावत–

108 के मामले में मेरा एक सुझाव है कि जो एम्बुलेंस है वह मात्र 30 किलोमीटर ले जाती है जैसे कोई हार्ट का पेसेन्ट हो तो उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि यह नहीं कि मात्र 30 किलोमीटर हो उसको हॉस्पिटल भेजा जाना चाहिए।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

अच्छा सुझाव है श्रीमन्, इस पर भी क्योंकि एक दो बार ये घटनाएं हुई हैं जो अभी नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। क्योंकि कई बार यह होता है कि हमारी एम्बुलेंस है उसको 30 किलोमीटर तक ही जाने का है और जब आदमी बीमार होता है तो जिद करता है कि वह देहरादून तक छोड़ दे। कठिनाई इसमें है क्या रास्ता निकल सकता है। यह गंभीर मामला है उसके लिए यह है कि जो निकटतम उसका अस्पताल होगा, उस अस्पताल तक उसको ले जाना है। इसलिए यह व्यवस्था की है इस पर भी आपने कहा कि क्या हो सकता है।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देख लीजिए आपके मंत्रियों की कितनी आस्था है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

कोई बात नहीं उनको पता है कि मुख्यमंत्री अकेले ही काफी है। जिस बात की नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा की है अपवाद स्वरूप कुछ घटनाएँ हो सकती है लेकिन यदि इसकी व्यापकता को देखें तो इतने कम समय में हमने राष्ट्रीय नहीं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को छुआ है। आज यदि देखेंगे कि इतने कम समय में कुल पीड़ितों की संख्या 1 लाख 41 हजार 258 और उसमें 15 हजार तो ऐसे हैं जो भीषण एक्सीडेन्ट में, सड़क एक्सीडेन्ट में लोग छोड़ करके चले जाते थे, बहुत सारे लोगों की जिन्दगी बची है। 15 हजार से ऊपर तो ऐसे है जो सड़क दुर्घटनाओं में बचे हैं। श्रीमन्, जो मातृ शक्ति है मां और बहने है प्रसूति से सम्बन्धित 52 हजार 460 मां और बहनों को, जिन्होंने उनका जीवन जब संकट में था, तो उसे संकट की घड़ी में 108 ने मदद की है, यदि 52 हजार माँ–बहने हैं तो एक लाख से भी अधिक मां–बहनों की जान बचाने वाली 108 इस राज्य में है। अभी आपने चर्चा की है, तो यह बात सही है, यह भी दुनिया का अपना रिकार्ड है कि कल दिन तक 1295 बच्चों ने चलती हुई एम्बुलेन्स में जन्म लिया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह तो आपके नेतृत्व में हो सकता है कि 108 में बच्चे पैदा हुये।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

हाँ, यह सही है, यह मेरे ही नेतृत्व में हुआ है और श्रीमन्, मैं पूरे सदन के समक्ष माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और यदि आपने सबके माध्यम से कहा है तो मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। श्रीमन्, आखिर कभी कोई अच्छा काम होता है तो इतना तो हृदय की विशालता होती कि इसे स्वीकार कर सकें, आखिर जो माँ–बहनें, प्रसव पीड़ा से बच्चा–माँ मर जाती थी, आंकड़े बताते हैं कि राज्य की मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कितनी थी। आज मातृ–मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में जो गिरावट आई है यह केवल 108 से हुआ है यह छोटा काम नहीं है, पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि यह राज्य सरकार की योजना है।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, 108 में जो लोग है, उस पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्यों लिखा है, राज्य स्वास्थ्य मिशन क्यों नहीं लिखा है, अगर उसको राज्य की योजना में इम्प्लीमेण्ट किया गया है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, यह तो गलत फहमी है कि हमने मोनोग्राम लगा दिया और आपने कह दिया कि यह भारत सरकार की हो गई, उस पर भी हम आ रहे हैं। श्रीमन्, हमें इस बात की खुशी है कि यह बहुत ही महत्वाकांक्षा पूरे देश और दुनिया में अपने को एक अलग कीर्तिमान स्थापित करने वाली ये 108 आज पूरे देश और दुनिया में चर्चित ही नहीं है, बल्कि हर प्रदेश उस व्यवस्था को अपने प्रदेश की जनता की सेवा में करना चाहता है और इसके लिए आज पूरे देश के अन्दर उत्तराखण्ड के नाम से 108 पहचानी जा रही है। श्रीमन्, दूसरा विषय जो श्री बलबीर जी ने कहा और समय–समय पर यह बात उठती रहती है तो एन0आर0एच0एम0 जो ग्रामीण मिशन है स्वास्थ्य सेवा का, भारत सरकार का, वह हर वर्ष पैसा देती है, केवल उत्तराखण्ड को नहीं, पूरे देश को देती है, उसके मानक हैं और माननीय अमृता जी, केन्द्र सरकार कृपा नहीं कर रही है, केन्द्र सरकार इन कार्यक्रमों को नहीं चलाये तो काहे के लिए सरकार है।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, यह सर्वप्रथम 108 जी0वी0के0 फाउन्डेशन से है जो एन0जी0ओ0 है, मिस्टर राजू इसके संस्थापक थे, उन्होंने पैसा दिया है कि जो भी राज्य सरकार चाहे वह इसको लागू कर सकती है और सर्वप्रथम यह आन्ध्र प्रदेश से शुरू हुई थी, यह गलत प्रचार किया जा रहा है कि उत्तराखण्ड से शुरू हुई।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, एन0जी0ओ0 से हमने एम0ओ0यू0 किया, आन्ध्र प्रदेश ने जरूर शुरू किया होगा, लेकिन 108 के स्वरूप में सबसे पहले उत्तराखण्ड में आया है, इसमें बहस

क्या करनी, हमारे राज्य को लाभ मिल रहा है, शुरूआत की है और हमने व्यवस्थित किया है और इसको बढ़ाया है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जब हमने शुरू किया और भारत सरकार में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ बात हुई तो हमने श्रीमन्, बैठक में सारा विवरण दिया, अब आप सुन नहीं रहे है। जब हमने 108 सेवा शुरू की, उसके बाद भारत सरकार में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ मीटिंग हुई।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि 108 को छोड़कर प्रदेश के अंदर अन्य जो दूसरी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, जो स्वास्थ्य सेक्टर है, दवा का मामला है, उस पर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, यह बतायें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

श्रीमन्, कुछ जानकारियां तो सदन के अंदर माननीय सदस्यों को देनी ही चाहिए, यह मेरी कोशिश भी रहती है कि जितनी देर तक मैं सदन के अंदर हूँ और जितनी जानकारी मेरे पास है, वह मैं सदस्यों को दूं। मैंने दो बातें कही थी एक तात्कालिक और एक दीर्घकालिक। मैं अभी अपनी बात आधी भी पूरी नहीं कर पाया हूँ। मैं संक्षिप्त में अपना भाषण समाप्त करना चाहता हू जैसा कि माननीय बलबीर सिंह जी ने बताया, जब 108 यहाँ शुरू ही हुई और जब उसके आंकड़े भारत सरकार ने लिये और सभी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक हुई, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसकी समीक्षा की, तो केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस बैठक में यह कहा कि अच्छा होगा कि और प्रदेश भी, ऐसी योजना लागू करने पर विचार करें। मान्यवर, कहा चूंकि हम इतनी महत्वाकांक्षी योजना चला रहे हैं इसलिए जो आपका एन0आर0एच0एम0 का पैसा होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जाता है। क्योंकि मृत्युदर और शिशु मृत्युदर को कम करने के लिए आपका जो पैसा आता है, वह हम इस योजना पर भी लगायेंगे। वह दोनों विषय थे जिसको हमने किया। मान्यवर, भारत सरकार का हमें एन0आर0एच0एम0 में पैसा मिलता है, लेकिन इस योजना के लिए मिलता है, ऐसा नहीं है। वो हम इस योजना में खर्च कर रहे हैं। केन्द्र ने सब प्रदेशों को कहा है कि अच्छा होगा कि जैसे उत्तराखण्ड ने एन0आर0एच0एम0 में इतनी अच्छी महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है और राज्यों को भी ऐसा ही करना चाहिए, चूंकि वह एन0आर0एच0एम0 का पैसा सभी राज्यों को जाता है। श्रीमन्, एक तो 108 और दूसरा जो महत्वपूर्ण तात्कालिक है, वह है चलता चिकित्सालय। हमने प्रदेश के अंदर एक ऐसा अभिनव प्रयोग किया है कि जो चलता हुआ चिकित्सालय हो इसके अंदर हमने अल्ट्रासाउण्ड मशीन, एक्सरे मशीन, ई0सी0जी0 और सभी सुविधाओं से युक्त अभी एक-एक जिले को एक-एक चिकित्सालय हम दे रहे हैं। श्रीमन्, वह दूरस्थ क्षेत्र में जहां अंतिम व्यक्ति तक वह चिकित्सालय पहुंचे, ऐसा हम कर रहे हैं। मान्यवर, वहीं पर उ0 व्यक्ति का अल्ट्रासाउण्ड होगा और 10-15 मिनट में ही, वहीं पर उसकी रिपोर्ट उसे मिल जायेगी और वहीं पर उसका इलाज शुरू हो जायेगा। श्रीमन्, देश के अंदर यह पहला राज्य है, जिसने यह अभिनव प्रयोग किया है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह फ्री ऑफ कास्ट होगा।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय अध्यक्ष जी, यह फ्री ऑफ कास्ट होगा। जिलाधिकारी और सी0एम0ओ0 दोनों इस पर चार्ट बनायेंगे। श्रीमन्, यह हमारी तात्कालिक योजना है। जो दीर्घकालिक योजना है कि डा0 हमारे पास नहीं है। जैसे अभी मेरे से पहले एक माननीय सदस्य ने कहा कि देश और दुनिया का यह राज्य पहला ऐसा राज्य है जो श्रीनगर जैसे मेडिकल कॉलेज को चलाकर केवल 15 हजार रू0 में अपने बच्चों को एम0बी0बी0एस0 करवायेगा। इसमें हम यह कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ हमारा अनुबंध होगा, जब वे एम0बी0बी0एस0 कर लेंगे तो दूरस्थ क्षेत्रों में वे इसी राज्य की सेवा पांच और सात साल तक करेंगे। इससे आगे भी यह कहना चाहता हूं कि बी0पी0एल0 परिवारों के बच्चों को जो अपनी नम्बरों से यू0पी0एम0टी0 और सी0पी0एम0टी0 में पास होकर आयेंगे, यदि उनके पास पैसा नहीं होगा तो जो गरीब घर के हैं, तो राज्य सरकार उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से पांच लाख रू0 का ऋण दिलायेगी। मान्यवर, 5 लाख में भी 50 प्रतिशत की छूट देंगे। 50 प्रतिशत की छूट में भी जब वह एम0बी0बी0एस0 हो जाएगा, तनख्वाह लेने लगेगा, तब आसान किस्तों पर उसको दे पाएगा। श्रीमन्, मुझे इस बात को कहते हुए भी खुशी होती है कि यह भी पूरे देश के अन्दर इस राज्य ने अभिनव प्रयोग किया है। श्रीमन्, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ा रहे हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को भी युद्ध स्तर पर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से श्रीनगर का होगा, उसी तरह से हमारा अल्मोड़ा का भी होगा और जो हल्द्वानी का मेडिकल कॉलेज है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी राजकीय कर देंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, वैसे तो आपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ कहा है। एम्बुलेंस होगी, उसमें एक्स–रे होगा, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। आप इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि कब से यह योजना चल रही है। अभी आपने कहा कि गरीब बच्चों के लिए 5 लाख रूपया लोन होगा, यह योजना कब से चल रही है, जरा इसको दिखवा लें। मालूम हो जाएगा यह योजना किसने शुरू करायी है। मैं बार–बार टोक रहा हूँ, मुझे ठीक नहीं लगता।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, तिलक जी तो हमारे मित्र हैं। हमारी योजनाएं इनकी है और इनकी योजनाएं हमारी है। श्रीमन्, रूद्रपुर के मेडिकल कॉलेज की बात थी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जो हल्द्वानी का मेडिकल कॉलेज है, उसको भी राजकीय कर देंगे तो क्या उसमें भी 15000 रूपये में एम0बी0बी0एस0 करा देंगे?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे तो हम कर देंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, राजकीयकरण हो जाएगा तो वहाँ भी 5 लाख रूपये ऋण करेंगे?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, करेंगे। अभी भी 75 प्रतिशत है। लेकिन उसको करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि हम इस राज्य को डॉक्टरों से सम्पन्न नहीं कर देते। दूसरा, जो दीर्घकालिक योजना, जो अभी जिक्र कर रहा था। एक तो ये डॉक्टर हमारे आएंगे और दूसरा रूद्रपुर मेडिकल कॉलेज के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, इससे पूर्व अभी तक 3 करोड़ और 6 करोड़, अभी तक 8 करोड़ उसको अवमुक्त कर चुके हैं। वर्तमान में 9.75 करोड़ रूपये अभी तक अवमुक्त किये जा चुके हैं। आगे भी हमने उसके लिए प्राविधान रखा है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, रूद्रपुर मेडिकल कॉलेज के बारे में सरकार सफेद झूठ बोल रही है। 3 साल में 8–9 करोड़ दिया है। 40 करोड़ रूपये तो अभी बेस अस्पताल का उच्चीकरण करने के लिए चाहिए। मान्यवर, पीठ से निर्देश दिये गये थे। मैं आज निवेदन करना चाहता हूँ कि पीठ अपने निर्देश को वापस ले लें। आपने कहा था कि अस्पताल को सरकार तत्काल पूरा करे और अभी सरकार कह रही है कि हम देखेंगे, करेंगे। उस मेडिकल कॉलेज को सरकार नहीं बनाना चाहती, यह मैं आरोप लगा रहा हूँ। मान्यवर, आपसे निवेदन है, दो साल सरकार के जो रह गये हैं, इसमें मैं कभी भी रूद्रपुर मेडिकल कॉलेज की बात नहीं करूँगा। आज मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि पीठ के निर्देश को आप वापस ले लें। क्योंकि इस सरकार ने पीठ का अपमान किया है। पीठ का निर्देश होने के बाद 2 साल हो गये हैं मान्यवर, आज के बाद इस विधान सभा के अन्दर मैं रूद्रपुर मेडिकल कॉलेज की चर्चा कभी नहीं करूँगा। क्योंकि सरकार उसको बनाना नहीं चाहती। दूसरा मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार रूद्रपुर के अन्दर बनाना चाहती थी, उसका निर्णय कैबिनेट के अन्दर हुआ, उस मेडिकल कॉलेज के सारे शासनादेश आज भी रूद्रपुर मेडिकल कॉलेज के नाम पर होते हैं। मान्यवर, जो व्यवस्था की गयी है, बजट है, वह मात्र 1000 रूपये टोकन मनी की गयी है, पिछले साल भी और इस साल भी। बिल्डिंग के निर्माण के नाम पर 2 करोड़ और 3 करोड़ रूपया एक साल का दे रहे हैं। इतनी तो महगाई बढ़ रही है। सीमेंट और

ईंट का रेट भी बढ़ता जा रहा है, तो एजेन्सी कब तक उसको पूरा करेगी? मान्यवर, अधिकारियों के पास जाते हैं फाईलों के लिए, तो अधिकारी कहते हैं, पी0पी0पी0 में होगा, इसमें होगा, उसमें होगा। चक्कर काटता रह गया मैं तो अधिकारियों के। कोई कुछ करता ही नहीं। मान्यवर, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि पीठ अपने निर्देश वापस ले लें। अगर पीठ ने निर्देश वापस नहीं लिए तो मुझे 'वेल' में बैठना पड़ेगा। क्योंकि पीठ ने निर्देश दिये थे कि अस्पताल तत्काल पूरा किया जाय। लेकिन वह अभी भी वैसे का वैसा अधूरा बना हुआ है।

श्री प्रकाश पन्त--

श्रीमन्, हम पीठ के निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि इस वर्ष प्राविधान नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बताएंगे कि इस वर्ष प्राविधान है या नहीं।

श्री तिलक राज बेहड़--

मान्यवर, जितना दे रहे हैं, उतनी तो महंगाई बढ़ जा रही है।

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'--

श्रीमन्, पहले तो यदि आपकी बात पूरी हो गयी हो तो मैं कुछ बोलूं।

श्री किशोर उपाध्याय--

मान्यवर, जब एक-दो बार मौका मिला माननीय मुख्यमंत्री जी के कक्ष में तिलक राज बेहड़ जी के साथ जाने का, तो वहाँ पर तो बहुत हंस-हंस कर मिलते हैं लेकिन यहाँ पर गुस्से में दिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है।

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'--

माननीय किशोर जी, आप चिन्ता मत करिये, हम यहां पर भी मुस्करायेंगे।

श्री तिलक राज बेहड़--

मान्यवर, सरकार क्यों नहीं कह देती है कि रूद्रपुर का मेडिकल कालेज हम नहीं बनायेंगे, कैबिनेट के निर्णय को वापस ले लें। अल्मोड़ा का भी टेण्डर हमारे समय का है, उसे तो आप बहुत जल्दी बना रहे हैं। हम उसका विरोध नहीं करते हैं, आप वहां पर बनाईये और भी बनाइयें, आज देश में ऐसे कई छोटे राज्य हैं, जिनमें 10-10, 15-15 मेडिकल कालेज हैं, आप भी बनाइये।

श्री ओम गोपाल--

मान्यवर, टिहरी में कब बनेगा, पहाड़ों पर ये मेडिकल कालेज कब बनेंगे?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ, पहली बात यह की जो आपकी पीठ का निर्देश है, उसका पालन सरकार हर हाल में करेगी। दूसरी बात मैं तिलक जी को यह कहना चाहता हूँ कि इसको यदि कभी बनायेंगे तो हम ही बनायेंगे।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह बात सुनते–सुनते हमें तीन साल हो गये हैं और हमारे कान पक गये हैं। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, यह सरकार बनाने की मंशा रखती है, आपने तो एक करोड़ देकर छुट्टी कर दी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, इसके लिये हम आपको आश्वस्त करते हैं। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह गलत आरोप है। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, हमने इसके लिये ढाई करोड़ रूपये का प्रावधान किया है और उसको आगे बढ़ायेंगे। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, देहरादून के दून चिकित्सालय को मैडिकल कालेज बनाये जाने की बात सरकार करती रहती है, क्या उस दिशा में सरकार ने कोई निर्णय लिया है?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि दून चिकित्सालय है, दून महिला चिकित्सालय है और दीन दयाल उपाध्याय, कोरोनेशन चिकित्सालय है। इनमें आज हम चिकित्सालय की दृष्टि से आगे हैं। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह सरकार सोचती है कि यदि ऊधमसिंह नगर में यह मेडिकल कालेज बन जायेगा तो यह मैसेज जायेगा कि तराई में सारा काम हो रहा है, पहाड़ में काम नहीं हो रहा है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय तिलक जी, यदि तराई में कुछ करना है, तो हमने ही करना है और हम ही करेंगे। इसी तराई में काशीपुर में एक आई0आई0एम0 जो 600 करोड़ की लागत

से बनेगा, उसे हमारी ही सरकार बना रही है। (मेजों की थपथपाहट) तराई का विकास भी किसी और ने नहीं करना है, तराई का विकास भी यही सरकार करेगी और यदि आज हरिद्वार के लिये जमीन की बात की है, तो वह जमीन भी हमने हरिद्वार में दे दी है। हरिद्वार में भी मेडिकल कालेज बनेगा, हरिद्वार में बनेगा तो हल्द्वानी में भी बनेगा और अगर देहरादून में भी मेडिकल कालेज बनायेंगे तो हम ही बनायेंगे और कोई नहीं बनायेगा। अल्मोड़ा और श्रीनगर में भी बनाया, तो हम ही ने बनाया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अल्मोड़ा के मेडिकल कालेज को हमारी सरकार ने स्वीकृति दी थी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, वहां पर केवल रंगाई–पुताई ही हो रही है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूँ और मैं यह कहना चाहता हूँ कि चाहे चिकित्सा की बात हो या चिकित्सा शिक्षा की बात हो, हम हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमन्, हम कहने में भरोसा नहीं रखते, हम करने में भरोसा रखते हैं। हम टोकन मनी आदि देकर के काम नहीं करते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, अभी अभी बाह्य सहायतित योजनाओं की बात चल रही थी।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण की बात करते हैं, एक महिला की बात आज सुन लीजिये।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, 80 डाक्टर हमारे यहां उत्तर प्रदेश से आयेंगे, जो कमी हम यहां पर पूरा नहीं कर पा रहे थे, उसके साथ–साथ क्या उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हमें प्राप्त हुई हैं, क्या वहां पर भी 15 हजार रूपये के हिसाब से हमारे छात्रों को एडमीशन मिलेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूँ पुष्पेश जी का, अभी मैं माननीय कुंजवाल जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। श्रीमन्, हमारे यहां जो विशेषज्ञ हैं, 50 प्रतिशत से ज्यादा विशेषज्ञों के पद खाली हैं, क्योंकि हमारे राज्य में हमारे बच्चे एम0बी0बी0एस0 करने के बाद एम0डी0 और एम0एस0 नहीं कर पा रहे थे। मैं इस सदन के माध्यम से श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने कोई शर्त नहीं रखी श्रीमन्, और पुनर्गठन में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। जब मायावती जी से हमने अनुरोध किया और श्रीमन्, मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं 7–8 सीटें प्रतिवर्ष कर दें। उन्होंने मुझे कहा कि कितनी सीट चाहिए संकोच करते हुए कहा कि 16 सीट प्रतिवर्ष उन्होंने कहा 5 वर्ष के लिए 80 सीटें देते है और वो ओ0के0 हो गया। अभी इसी साल से। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, विधान सभा की सीटों में भी गठजोड़ होगा। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, हो जायेगा, आप चिंता मत करिये। श्रीमन्, मैं पुष्पेश जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इसी वर्ष से हम उसको शुरू करेंगे। हमारे प्रदेश के हर वर्ष 16 डॉक्टर एम0डी0 और एम0एस0 होंगे। ये हमारे लिये गौरव का विषय है और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों पर अपनी दृष्टि डाली। कृपा करके लोक निर्माण विभाग में भी अपनी दृष्टि डाल दें और ये हम सबकी पीड़ा है सभी विधायकों की, कि इस सरकार के तीन सालों में हम लोगों को एक किलोमीटर भी सड़क नहीं दी गयी है, एक किलोमीटर नहीं, एक इंच भी सड़क नहीं दी गयी है। तो क्या मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आशा कर सकती हूँ कि इस बजट में क्या हम सब विधायकों को सड़कें दी जाएंगी, सड़कें कितने किलोमीटर हमको दी जाएंगी? आप भी पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, विधान सभा के समीप आपका भी विधान सभा क्षेत्र है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमें कितनी सड़क देंगे? क्योंकि ऐसे तो आप कहते हैं कि विकास करेंगे, उत्तराखण्ड का विकास करेंगे। सड़क नहीं होगी, हमारे उत्तराखण्ड का विकास नहीं हो सकता।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, एजेंडा बहुत लम्बा है, डिनर ब्रेक कर दें अब तो।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं अमृता जी का आभारी हूँ और उन्होंने सड़कों के बारे में कहा है श्रीमन्, नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि हमारा अधिकार है। आपका पूरा अधिकार है सरकार पर, हमारी सरकार पर। हम तो रोज ही कहते हैं कि आपका हम पर,सबका पूरा अधिकार है, पूरा, आधा भी नहीं। ठीक है पूरा अधिकार है। सड़क पर अमृता जी ने कुछ कहा और बाह्य सहायतित, मैं दोनों बातों को जोड़ना चाहता हूँ। श्रीमन्, बार–बार, बार–बार, बार–बार कहा जाता है कि केन्द्र पोषित और बाह्य सहायतित, इन दोनों पर तो ये सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। इतना पैसा मैं अखबार में जब देखता हूँ श्रीमन्, कि इतना पैसा केन्द्र सरकार देना चाहती है, लेकिन कुछ नहीं कर रही है राज्य सरकार। मैं बहुत विनम्रता के साथ कुछ बिन्दुओं को सदन के सम्मुख रखना चाहता हूँ। (व्यवधान) केन्द्र पोषित श्रीमन्, सुन तो लीजिए, सुनने में क्या दिक्कत है। (व्यवधान) वो भी आ रहा हूँ मैं, उस विषय पर भी आ रहा हूँ। (व्यवधान) सड़कों पर भी मैं आ रहा हूँ।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, हम सड़क चाहते हैं, हम अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमें सड़क कितने देने वाले हैं? कितनी नई सड़कें देंगे, (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एक–एक कर सभी विधायकों को आंकड़े दे देंगे, सभी पढ़ लेंगे। यह तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि प्रत्येक विधायक को कितनी सड़के देंगे? (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मार्च 2012 में आप यहां आओगे या नहीं? (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, कई बार यह होता है कि सदन में कुछ बातें उठती हैं तो वह स्वाभाविक ही अभिलेख बनती है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमें सड़क मिलती नहीं है, पहले सड़कें दे दें। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं सड़कों पर ही आ रहा हूँ। मैं सड़कों की ही बात करूँगा। (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, केन्द्र पोषित बाह्य सहायतित योजनाओं के संबंध में कहना चाहता हूँ कि (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय आर्य जी, आपने केन्द्र पोषित और बाह्य सहायतित के बारे में कहा है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं पहले केन्द्र पोषित लेना चाहूंगा उसमें वर्षवार थोड़ा मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 2003 और 2004 में (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, 2009–10 का बतायें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, ज्यादा समय नही लगेगा। जल्दी–जल्दी कर दूंगा, वर्ष 2003–04 में जो परिव्यय था वह 677 का था। बाद में जो बजट का प्राविधान हुआ वह एक हजार एक सौ उन्नीस हुआ और स्वीकृति 771 हुई और जो व्यय हुआ वह 669 करोड़ का हुआ। वर्ष, 2004–05 में (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप पहले वालों के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हैं। तीन सालों का बतायें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, यदि वर्षों को छोड़ देते हैं, इससे समय भी खराब होगा। श्रीमन्, वर्ष, 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06, तथा 2006–07 यहाँ तक तो सुनेंगे, मैं डिटेल नहीं दे रहा हूं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, 2007 से पहले हमने क्या किया वह जनता ने रिजल्ट दे दिया। जनता का फैसला भी आ गया, आप वहाँ आ गये और हम यहाँ आ गये, हमने अच्छा किया या बुरा किया, वह हमारे साथ चला गया। हमने कहा, वर्ष 2007 के बाद क्या किया है, वह आप बताईये? (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय आर्य जी, क्योंकि आपने इच्छा व्यक्त की है, मेरा अनुरोध है कि कोई चर्चा न करें, क्योंकि इन्होंने जिज्ञासा की है उनका पूरा अधिकार है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, तीन वर्षों का बता देता हूं। यह जो तीन वर्षों का टोटल जो स्वीकृत हुआ है वह तीन वर्षों का है। मान्यवर, केन्द्र पोषित जो तीन वर्षों में स्वीकृत है।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं वर्षवार जानना चाह रहा हूं। टोटल नहीं। वर्षवार।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मैं वही तो कर रहा था। मान्यवर, मैं 2007 से आगे चलता हूँ। पीछे छोड़ देता हूँ। मान्यवर, 2006–2007 में स्वीकृत है 704 करोड़, जब कि व्यय केवल 597.74 करोड़ है। मान्यवर 2007–08 में स्वीकृत हुआ एक हजार अड़तालिस करोड़ है जब कि खर्च 815 करोड़ है। अन्तर देख लीजियेगा। उसके बाद अगले वर्ष 2008–09 में एक हजार दो सौ पचासी करोड़ रूपये और व्यय हुआ है यह है 892 करोड़। श्रीमन्, 2009–10 में यदि देखें तो जो स्वीकृत हुआ है वह अभी तक, यह अभी चालू वर्ष है, 925 करोड़ है और इस समय फरवरी तक 753 करोड़ रूपये व्यय भी हो चुका है। यदि टोटल देखेंगे तो श्रीमन्, ऊपर पाँच वर्षों में केवल और केवल 2353.7 करोड़ खर्च हुआ जब कि तीन वर्षों में 2461.41 करोड़ खर्च हुआ। (मेजो की थपथपाहट)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, केन्द्रीय सहायता के रूप में जिस तरह से बढ़ा है, आप उसके आधार पर ही तो खर्च करेंगे।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ 2009–10 का जो आपने वित्त पोषित योजना का उल्लेख किया है। 2009–10 में जो आउट ले था वह 1107 करोड़ रूपया और प्राविधान किया गया 1784 करोड़ रूपया। और जो खर्च आपने बताया वह है 753 करोड़। अर्थात 65 प्रतिशत की खर्च 28 फरवरी तक कर पाई है। वाह्य सहायतित परियोजनाओं में 1152 करोड़ रूपये का आउट ले आपने निर्धारित किया है और प्राविधान 1004 करोड़ और खर्च हुआ है 28 फरवरी तक, 25 प्रतिशत खर्च कर पाई है।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं उसके भी आंकड़े दे रहा हूँ। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह विषय आलोचना प्रत्यालोचना का नहीं है। शहजाद जी, थोड़ा सा आपसे निवेदन कर रहा हूँ। कृपया बात तो सुन लें। मैं यह कह रहा हूँ कि 2003–04 में जो व्यय था 669 और दूसरे ही वर्ष आपकी सरकार ने कम खर्च किया। मान्यवर, हम पीछे नहीं आये। हम आगे ही बढ़े हैं। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये आकड़े हैं इस बात के (व्यवधान) मान्यवर, मैं वाह्य सहायतित की बात करना चाहता हूँ। श्रीमन्, यदि वाह्य सहायतित में आप देखेंगे तो वर्ष 2006–07 में जो व्यय हुआ है वह 83.10 करोड़ हुआ है और 2007–08 में 144.61 करोड़ खर्च किया। 83 करोड़ से आगे बढ़े हम, पीछे नहीं। श्रीमन्, वर्ष 2008–09 में 246.59 रूपये खर्च किये और वर्ष 2009–10 में बढ़कर 284.31 करोड़ रूपया है। यह 482 रूपये में से मैं आंकड़े दे रहा हूँ (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय यशपाल जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। मेरी बात तो सुनें, अगर आप लोगों ने ऐसी ही अव्यवस्था फैलानी है तो ऐसा तरीका नहीं है। आप जानते हैं कि अगर जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं या माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हों तो, जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपको बोलने की इजाजत तब देंगे, वे जब बैठ जायेंगे, इसी प्रकार से जब माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं और जब तक वे इजाजत नहीं देंगे, आप नहीं बोलेंगे। अब आप बतायें कि अगर आप बीच-बीच में टोका-टोकी करेंगे। माननीय बंशीधर भगत जी, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मंत्री रहते हुए भी आप सदन की गरिमा का ध्यान नहीं दे रहे हैं और जी0एल0 शाह जी, आप भी इस बात को ध्यान में रखें। अगर आप व्यवस्था बनाकर नहीं चलेंगे तो ठीक नहीं है कृपया आप व्यवस्था बनायें। ऐसी स्थिति में, मैं हाउस नहीं चला पाऊंगा। (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम अपने प्रश्न का (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगर आपको यहाँ बैठने का ज्यादा शौक है तो आप आ जाये, इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम अपने प्रश्न का उत्तर पूछ नहीं सकते हैं, तो मान्यवर इस प्रकार नहीं हो सकता। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, यदि वे आपको अनुमति देंगे तभी आप प्रश्न करेंगे। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, मुझे कहा गया कि डिटेल में दें, जब डिटेल बता रहा हूँ तो कह रहे हैं डिटेल नहीं। मान्यवर, अब मैं संक्षेप में कह रहा हूं। मैं केन्द्र पोषित और बाह्य सहायतित दोनों को संक्षेप में कह देता हूँ, संक्षिप्त में केन्द्र पोषित यह है कि वर्ष, 2003-04 से वर्ष 2006-07 तक कुल व्यय हुआ वह 2363 रूपये हुये (घोर व्यवधान के मध्य) इसी प्रकार बाह्य सहायतित में संक्षिप्त में आ जाता हूँ श्रीमन्, उसमें पिछले वर्ष, 2003-04 से वर्ष 2006-07 तक जो कुल खर्च हुआ वह 325 करोड़ रूपये हुआ जबकि इस समय तीन ही वर्षों में 675 करोड़ रूपये खर्च कर चुके हैं (व्यवधान) यदि आप नहीं सुनेंगे हम तो सारे सदन को सुनायेंगे आपने पूछा इसलिए सुना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी बात आ जाये, उसके बाद आपको जो जिज्ञासा करनी है आप कर सकते हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, केन्द्र पोषित और बाह्य सहायतित के बारे में कहा गया है। अब मैं सड़कों के बारे में बताता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अगर किसी माननीय सदस्य की इसमें जिज्ञासा है तो कह सकते हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी सरकार से यह निवेदन किया और मैं केवल विपक्ष विधायकों की ओर से कहना चाहता हूँ इस सरकार से, चूंकि मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते और प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी के नाते यह बात कहना चाहता हूँ कि मान्यवर, वर्ष, 2002 से 2007 तक अपने विधान सभा क्षेत्र से विधायक रह चुका हूँ, इस बीच में, मैंने 86 सड़कें स्वीकृत करायी चाहे वे पक्की हों या कच्ची हों, उन सभी सड़कों में, 70 प्रतिशत सड़कों में काम हो चुका है, मान्यवर, मैं यह बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ और निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वर्ष 2007 के बाद आज वर्ष, 2010 हो गया है, मेरी विधान सभा क्षेत्र में इस सरकार से कोई भी सड़क की स्वीकृति नहीं हुई हैं। हम सिर्फ आंकड़ों के हेर–फेर में नहीं पड़ना चाहते। क्योंकि हमारे क्षेत्र में गांव को सड़क चाहिए उनको यह नहीं चाहिए कि आपने कितने किमी0 सड़क बना दी, कितना करोड़ रू0 खर्च कर दिया। पहले 14 लाख रू0 प्रति किमी0 खर्च होता था अब 35 लाख रू0 प्रति किमी0 खर्च हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतनी जिज्ञासा हम सभी विधायकों की है, हम कोई बीच में टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ इतनी घोषणा कर दें बाकी आंकड़े हम पढ़े हुए मान लेते हैं। लेकिन आप इतना कह दीजिए कि 50 किलोमीटर दे रहे हैं या 100 किलोमीटर नहीं दे रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि हमारी जिज्ञासा इतनी मात्र है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, यह सदन है और इस सदन के समक्ष जो हो रहा है जो हुआ और जो होगा, इन तीनों तथ्यों का आना बहुत जरूरी हो गया है। जब विषय यह होता है कि हमने ये किया तुमने ये किया तब और भी जरूरी हो जाता है। आखिर इस सदन के सामने यह विषय नहीं आयेंगे तो कहाँ आयेंगे। इसलिए मैं विनम्रता से थोड़ा सा वक्त और लेना चाहूँगा आपकी अनुज्ञा से श्रीमन्, सड़कों का जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत था उसमें भी इस बात का संतोष है कि हमने बेहतर प्रदर्शन किया। यदि वर्षवार कहना है तो मैं वर्षवार कर दूँगा और घोषणा तो बाद में कर लेंगे, पहले आप इसको तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

श्री गोपाल राणा जी, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं उनकी बात सुन लीजिए उसके बाद अगर कोई जिज्ञासा है यह परम्परा है। मैं नहीं कर सकता कुछ भी। अब उनका भाषण नहीं आयेगा तो आप उसमें क्या जिज्ञासा व्यक्त करेंगे, ऐसा नहीं है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं कोशिश करूँगा कि यदि किसी सदस्य की जिज्ञासा होगी तो उसको भी पूरा करने की कोशिश करूँगा। मेरी बात पूरी आ जाए फिर आपकी भी बात सुनूँगा। या मैं बैठ जाता हूँ आपने जितना कहा कह दिया मुझे थोड़ा सा कहने दीजिए। जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है श्रीमन्, पैसे में भी और लम्बाई में दोनों में कोशिश करूँगा। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का तुलनात्मक जो है वर्ष, 2003–04 में केवल 32 करोड़ रू0 खर्च हुआ। 2004–05 में केवल 26 करोड़ खर्च हुआ। 2006–07 में 67 करोड़ खर्च हुआ । यदि उन पांच वर्षों को देखेंगे तो श्रीमन्, केवल 212.92 करोड़ खर्च हुआ। श्रीमन्, अब आते हैं इस सरकार पर 2007–08 में 99.72 करोड़ रू0 खर्च हुआ। 2008–09 में बढ़कर 152.1 करोड़ चला गया और इस समय 2009–10 में अभी तक 150 करोड़ खर्च चला गया है और आगे बढ़ेगा और यदि आकलन करेंगे तो उन 5 वर्षों में श्रीमन्, 212.92 करोड़ और इन तीन वर्षों में 680.7 करोड़। श्रीमन्, कितना अंतर है। अब लम्बाई में कहना चाहता हूँ। उस समय जो लम्बाई थी केवल 5 वर्षों में 607.96 किलोमीटर, जबकि केवल 3 वर्षों में 2870.22 करोड़ सड़कें बनाने में खर्च हुआ। यह भी बता देंगे कि कहाँ बनी है। श्रीमन्, आश्वासन दे दिया और कह दिया कि सड़कें स्वीकृत कर दिया और छुटी, हम यह नहीं कर सकते हम तो स्वीकृत करेंगे तो सड़क भी बनायेंगे। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप अपना आंकड़ा बतायें कि आपने कितनी स्वीकृत सड़कें की हैं, यह पहले से स्वीकृत सड़कें थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं चुनौतीपूर्ण इस बात को कहना चाहता हूँ।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह उस समय की स्वीकृत सड़कें थी, आप अपनी उपलब्धि बतायें कि आपने किस–किस विधान सभा क्षेत्र में कौन–कौन सी सड़कों को स्वीकृत किया? (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मुझे आश्चर्य होता है, मैं पीछे कहूँगा तो आप कहेंगे। श्रीमन्, जब चुनाव हो तो हजारों करोड़ रूपये की सड़कों को कागज में स्वीकृत कर दिया, तो क्या उसको स्वीकृत मानते हैं। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, उन सड़कों को स्वीकृत कराने वाले भाजपा के विधायक भी थे।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितनी लम्बी चादर होती है उतने लम्बे पांव होने चाहिए, यदि चादर छोटी होगी और पांव लम्बे तो नग्नता दिखाई देगी और यह सरकार यह काम नहीं कर सकती है। मैं तो वर्षवार आंकड़े दे रहा हूँ और मैंने आर्थिक रूप से भी दे दिया है। मैंने अपने स्रोतों को भी सदन के समक्ष दे दिया, हमने पैसा भी उपलब्ध किया और काम भी किया है और इसका वर्षवार प्रमाण दे रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, हमारे विपक्ष के विधायकों का आंकड़ा दे दें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के विधायकों को एक किलोमीटर सड़क भी नहीं दी है, यह सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सामान्य चर्चा है, माननीय मुख्यमंत्री जी सामान्य चर्चा पर जवाब दे रहे हैं और इस पर विभागवार चर्चा नहीं हो सकती है। जब लोक निर्माण विभाग का बजट आये तो कहें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, विपक्ष के विधायकों को एक इंच सड़क स्वीकृत नहीं हुई है, सौतेला व्यवहार हो रहा है।

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सरकार हर हालत में एक–एक विषय पर जवाब देने को तैयार है।

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं बैठते हैं तब तक उनकी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य पूर्ववत् अपने–अपने स्थान पर खड़े थे और एक साथ अपनी बात कह रहे थे।)

श्री अध्यक्ष–

जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होता है, तब तक किसी भी माननीय सदस्य की बातों का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों ने, नेता प्रतिपक्ष के साथ सदन से बहिर्गमन किया।)

एस0एस0बी0 प्रशिक्षित गुरिल्लाओं पर लाठीचार्ज विषयक सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज दिनांक 23–03–2010 को एस0एस0बी0 प्रशिक्षित गोरिल्ला संगठन जुलूस गांधी पार्क में एकत्र होकर सचिवालय तक जाना प्रस्तावित था। जुलूस के गांधी पार्क से शान्ति पूर्वक सचिवालय तक ले जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, प्रभारी निरीक्षक, कैण्ट मय पुलिस बल के नियुक्त थे, जो जुलूस को शान्तिपूर्ण ढंग से सचिवालय गेट के पास लगे बैरियरों तक ले आये। सचिवालय गेट पर बैरियर के पास प्रभारी निरीक्षक, डालनवाला मय पी0ए0सी0 बल के नियुक्त थे। अपर तहसीलदार मजिस्ट्रेट जिला प्रशासन की ओर से सचिवालय गेट पर ही नियुक्त/मौजूद थे। उक्त जुलूस का नेतृत्व श्री ब्रह्मानन्द डालाकोटी, अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा था। जुलूस में लगभग 150–200 महिला पुरूष शामिल थे, जिनके द्वारा सचिवालय गेट के पास लगे बैरियरों पर पहुंचते ही अनियंत्रित ढंग से व अति उत्साह में सचिवालय के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की गई, जिससे उनके द्वारा बैरियरों को गिरा दिया गया। जिन्हें रोकने हेतु आवश्यक बल का प्रयोग किया गया। अनियंत्रित भीड़ द्वारा की गई धक्का–मुक्की से बैरियरों के कारण दोनों पक्षों को चोटें भी आई। इसी दौरान भीड़ में शामिल लोगों में से कुछ लोगों द्वारा पथराव किया गया जिसमें पुलिस के कर्मचारियों को भी चोटें आई तथा अपर तहसीलदार, श्री दिनेश मोहन उनियाल के सिर पर पत्थर लगने से वह घायल भी हो गये। क्षेत्राधिकारी कोतवाली एवं एस0डी0एम0 सदर द्वारा मौके पर पहुंच कर अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित किया गया तथा भीड़ को समझा–बुझाकर शांत कराया गया। यह सूचना आपके संज्ञान में लाये है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राहय करता हूँ।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, चर्चा समाप्त हो गयी है।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने भी सदन से बहिर्गमन किया।)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, गुरिल्लों के सन्दर्भ में जो सूचना दी गयी है, उसमें उनका सिर्फ इतना आग्रह है कि उनका ज्ञापन ले लिया जाता, इससे उनको थोड़ा समय मिल जाता।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान,

अनुदान संख्या–23 उद्योग विभाग

औद्योगिक विकास परिवहन एवं सहकारिता मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रूपये 589011 हजार (रूपये अट्ठावन करोड़ नब्बे लाख ग्यारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रूपये 539885 हजार (रूपये तिरपन करोड़ अठ्ठानवे लाख पचासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18,

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 380711 हजार (रुपये अड़तीस करोड़ सात लाख ग्यारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अनुदान संख्या–23 पर कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 589011 हजार (रुपये अट्ठावन करोड़ नब्बे लाख ग्यारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अनुदान संख्या–24 पर कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 539885 हजार (रुपये तिरपन करोड़ अट्ठानवे लाख पचासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अनुदान संख्या–18 पर कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18, सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 380711 हजार (रुपये अड़तीस करोड़ सात लाख ग्यारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग

सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, समाज कल्याण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रूपये 6929342 हजार (रूपये छः सौ बयानवे करोड़ तिरानवे लाख बयालिस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रूपये 3816737 हजार (रूपये तीन सौ इक्यासी करोड़ सड़सठ लाख सैंतीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा और राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रूपये 6589650 हजार (रूपये छः सौ अट्ठावन करोड़ छियान्वे लाख पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रूपये 1972487 हजार (रूपये एक सौ सत्तानवे करोड़ चौबीस लाख सत्तासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अनुदान संख्या–20 पर कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रूपये 6929342 हजार (रूपये छः सौ बयानवे करोड़ तिरानवे लाख बयालिस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अनुदान संख्या–15, पर कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15, कल्याण योजना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रूपये 3816737 हजार (रूपये तीन सौ इक्यासी करोड़ सड़सठ लाख सैंतीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अनुदान संख्या–30, पर कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रूपये 6589650 हजार (रूपये छः सौ अट्ठावन करोड़ छियानवे लाख पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अनुदान संख्या–31, पर कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रूपये 1972487 हजार (रूपये एक सौ सतानवे करोड़ चौबीस लाख सतासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–12, पर कोई माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं?

(कोई भी माननीय सदस्य अपने विचार रखने के लिये खड़े नहीं हुये।)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–13 पर कोई माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं?

(कोई भी माननीय सदस्य अपने विचार रखने के लिये खड़े नहीं हुये।)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के तहत श्रीमती बीना महराना, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री हरभजन सिंह चीमा, श्रीमती अमृता रावत, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री पुष्पेश त्रिपाठी तथा श्री ओम गोपाल कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्या श्रीमती बीना महाराना की सूचना, जो चम्पावत विधान सभा के अन्तर्गत टनकपुर में डिग्री कालेज के लिये भूमि स्थानान्तरण एवं स्थापना करने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिये तथा प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के 12 वें वृत्त के अन्तर्गत संचालित खण्डों में बजट आवंटित न होने के कारण सैकड़ो मोटर मार्गों का निर्माण ठप्प होने के सम्बन्ध में माननीय सदस्या श्रीमती अमृता रावत की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये एवं माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना, जो विधान सभा क्षेत्र भिकियासैंण, जनपद अल्मोड़ा के स्कूल, कालेजों व महाविद्यालयों में एन0सी0सी0 न होने से व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में है, को ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में शिक्षक विहिन विद्यालय में प्रभावित हो रहे शिक्षण कार्य के सम्बन्ध में श्री शेर सिंह गढ़िया, स0वि0स0 द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य

शिक्षा राज्य मंत्री/स्वतंत्र प्रभार (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

[जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में कोई प्राथमिक विद्यालय बन्द नहीं है। विकास खण्ड कपकोट के 04 विद्यालय (राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुलमती, पेठी, हरकोट, बैछम) अध्यापक विहीन है, जिनमें अन्य विद्यालयों से अध्यापन हेतु अध्यापकों की व्यवस्था की गयी है। विकास खण्ड कपकोट में 70 विद्यालय एकल अध्यापकीय है तथा 10 विद्यालय शिक्षा मित्रों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। जनपद के समस्त विशिष्ट बी0टी0सी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूलों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों में सहायक अध्यापक एल0टी0 के 70 एवं प्रवक्ता के 53 पद रिक्त हैं।

प्रवक्ता के सीधी भर्ती के 1404 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 30.05.2009 को विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है, नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है तथा प्रवक्ता के पदोन्नति कोटे के 1689 रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2006 के अनुसार विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा भर्ती हेतु राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों से सहायक अध्यापक एल0टी0 वेतनक्रम हेतु 290 पदों पर दिनांक 24.02.2010 को विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही गतिमान है।

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति करने हेतु 02 वर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण आरम्भ किया जा रहा है प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के उपरान्त, प्रशिक्षणार्थियों के गृह जनपदों में पद रिक्त हो जाते हैं तो जनपद स्तरीय कैडर को दृष्टिगत रखते हुए इन प्रशिक्षणार्थियों को उनके गृह जनपदों में ही तैनाती सुनिश्चित कर दी जायेगी।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तराखण्ड लोक पुस्तकालय अधिनियमानुसार ब्लाक, जिला एवं राज्य स्तर पर पुस्तकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष तथा सूचीकार के रिक्त पदों पर बी0लिब0, एम0लिब0 डिग्रीधारी छात्र/छात्राओं को नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेश त्रिपाठी, स0वि0स0 द्वारा नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट-

[मान्यवर, अविभाजित उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड में 08 जिला पुस्तकालय एवं 16 शाखा पुस्तकालय संचालित हैं। जिला एवं शाखा पुस्तकालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के 24 पद, कनिष्ठ सहायक/सूचीकार के 06 पद, चतुर्थ श्रेणी के 24 पद तथा 01 पद दफ्तरी का सृजित है। इन पदों के सापेक्ष पुस्तकालयाध्यक्ष के 07 पद, सूचीकार लिपिक के 05 पद व चतुर्थ श्रेणी के 24 कार्मिक कार्यरत हैं। वर्तमान में लोक पुस्तकालय अधिनियमानुसार पुस्तकालयों हेतु विभागीय ढांचा तैयार किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। उक्त ढांचे में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्मिकों की सेवा नियमावली तैयार होने के पश्चात ही नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, 25 मार्च 2010 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये।

(सदन की कार्यवाही 9 बजकर 32 मिनट पर दिनांक 25 मार्च, 2010 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून :

दिनांक 23 मार्च, 2010

महेश चन्द्र

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–12 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–39 पर)

क्र0 सं0	योजना का नाम	क्षतिग्रस्त होने की	जलपूर्ति की स्थिति तिथि
1	2	3	4
1	घटोटिया	18.09.07	अस्थाई चालू
2	बल्ला मल्ला	30.05.08	अस्थाई चालू
3	किल्बोखाल	30.05.08	अस्थाई चालू
4	गैन्दोली	16.05.08	अस्थाई चालू
5	बेवड़ी	15.10.08	अस्थाई चालू
6	मटियाली लम्गा मलेथा	10.01.09	अस्थाई चालू
7	चौकड़ी –क्वली	30.05.08	अस्थाई चालू
8	चान्दपुर सुमेरसैण	10.05.08	अस्थाई चालू
9	बन्देला भरग्वाड़ी	03.04.08	अस्थाई चालू
10	रज्बो	20.05.09	अस्थाई चालू
11	स्यालनी	04.12.08	अस्थाई चालू
12	उमरैला	06.05.08	अस्थाई चालू
13	मुण्डगांव	10.12.07	अस्थाई चालू
14	दाबड़	18.03.08	अस्थाई चालू
15	कोटद्वार नगरीय	10.05.07	अस्थाई चालू
16	रिगड़ी	10.08.09	अस्थाई चालू
17	सिरस्वाड़ी	10.07.09	अस्थाई चालू
18	टकोलीखाल	10.07.09	अस्थाई चालू
19	कण्डिवाली	02.11.09	अस्थाई चालू
20	रिखणीखाल	10.01.10	अस्थाई चालू
21	मंझोल	16.10.09	अस्थाई चालू
22	पैडगांव खालसा	04.02.09	अस्थाई चालू
23	हरसोली	10.12.09	अस्थाई चालू
24	सालकोट	02.11.08	अस्थाई चालू
25	बढेथ सन्पुधार	09.11.08	अस्थाई चालू
26	भरपूर	28.12.07	अस्थाई चालू
27	दूणी	08.06.08	अस्थाई चालू
28	कुजमारी पल्लीगांव	13.07.08	अस्थाई चालू
29	चपलोड़ी	14.08.08	अस्थाई चालू
30	क्वीराली	13.08.08	अस्थाई चालू
31	चौरा बुगरी	17.05.08	अस्थाई चालू
32	धारी औलना	01.12.08	अस्थाई चालू

1	2	3	4
33	भेकल्या	20.07.08	अस्थाई चालू
34	बगानी	25.06.08	अस्थाई चालू
35	बुनखेत	28.02.08	अस्थाई चालू
36	सतपुली बाजार	28.08.08	अस्थाई चालू
37	कोलू सुसुर	20.11.06	अस्थाई चालू
38	दिउसी	12.10.07	अस्थाई चालू
39	मरोड़ा	02.12.07	अस्थाई चालू
40	रीठाखाल	12.08.09	अस्थाई चालू
41	चूला बिडोली	20.12.08	अस्थाई चालू
42	घण्डालू पैडुल	26.06.09	अस्थाई चालू
		10.01.10	
43	पैडुल	12.04.09	अस्थाई चालू
44	नौगांव कन्डेरी	28.01.09	अस्थाई चालू
45	सिल्सू कोटा	05.09.09	अस्थाई चालू
46	पौड़ी नगर	22.12.07	अस्थाई चालू
47	जयकोट चिरोली	12.08.09	अस्थाई चालू
48	कोट ग्रा0स0पं0 पे0यो0	02.04.08	
		22.01.09	
		07.05.09	
		06.05.09	
49	कड़ाकोट–कोट ग्रा0स0पं0 पे0यो0	24.06.09	अस्थाई चालू
50	मल्ठा ग्रा0स0पं0 पे0यो0	07.07.09	अस्थाई चालू
51	उत्तरासू पे0यो0	31.08.07	अस्थाई चालू
52	गिरगांव पे0यो0	12.12.09	अस्थाई चालू
53	पनिया गिठावी पे0यो0	10.03.10	अस्थाई चालू
54	जाख मल्ला पे0यो0	05.04.09	अस्थाई चालू
55	मरदा	05.09.09	अस्थाई चालू
56	कुमराड़ा	05.09.09	अस्थाई चालू
57	बमाड़ा	01.09.09	अस्थाई चालू
58	कठिया पे0यो0	31.12.09	अस्थाई चालू
59	ऊनाकोट पे0यो0	23.01.09	अस्थाई चालू
60	परिन्दा पं0 पे0यो0	20.04.09	अस्थाई चालू
		09.10.09	
61	भेल्दाबड़ा पे0यो0	10.06.09	अस्थाई चालू
62	रणचुला पे0यो0	08.06.09	अस्थाई चालू
63	पुण्डरासू पं0 पे0यो0	29.12.09	अस्थाई चालू
		08.06.09	

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0–23 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–47 पर)

वित्तीय वर्ष 2006–07 से वर्ष 2008–09 तक अनुसूचित जाति उपयोजना/ जनजाति उप योजना में जनपद चम्पावत को प्राप्त धनराशि का विभागवार विवरणः

क्र0 सं0	विभाग का नाम	अनुसूचित जाति उपयोग (SCSP) वित्तीय वर्ष का नाम			जनजाति उपयोग (TSP) वित्तीय वर्ष का नाम		
		2006–07	2007–08	2008–09	2006–07	2007–08	2008–09
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कृषि विभाग	40.46	17.61	12.18	0	0	0
2.	उद्यान	8.11	15.36	10.05	0	0	0
3.	पशुपालन	103.69	14.67	7.54	1.13	0.29	0.17
4.	दुग्ध	4.06	6.24	6.24	0.49	0.64	0.50
5.	मत्स्य पालन	0	1.63	0.11	0	0	0
6.	वानिकी	48.51	19.42	26.07	0.65	0	0
7.	सहकारिता	1.15	3.04	3.84	0	0	0
8.	सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना–I-II	21.41	66.62	7.23	0	0	0
9.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	5.06	19.78	19.43	0	0	0
10.	इन्दिरा आवास/क्रेडिट कम सब्सिडी	52.81	49.49	0	0	0	0
11.	डी0पी0ए0पी0/हरियाली कार्यक्रम	0	16.63	0	0	0	0
12.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास योजना	235.03	0	0	0	0	0
13.	निजी लघु सिंचाई	69.30	134.24	87.20	0	0	0
14.	राजकीय सिंचाई	9.42	9.59	13.90	1.98	2.02	2.15
15.	नलकूप	9.62	10.61	9.72	2.03	2.27	0
16.	नेडा/आर0आई0ई0पी0	12.78	12.19	0	0	0	0
17.	लघु उद्योग	0.80	0.60	0.20	0	0	0
18.	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	0.41	0.67	0.72	0	0	0.12
19.	माध्यमिक शिक्षा	0	267.52	0	0	0	0
20.	प्राथमिक शिक्षा	33.17	43.64	0	6.56	16.52	0
21.	क्रीड़ा	0	0	1.00	0	0	0
22.	युवा कल्याण एवं प्रान्तीय दल	5.62	2.63	6.06	0	0	0
23.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	0	14.86	0	0	0	0
24.	पेयजल निगम	66.50	10.70	67.61	0	0	0
25.	जल संस्थान	45.75	16.70	16.44	2.56	0.11	0

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	लोक निर्माण	140.20	269.58	0	0	0	0
27.	अनुसूचित जाति कल्याण	77.24	167.98	94.91	0	0	0
28.	समाज कल्याण	82.10	6.05	0	0	0	0
29.	विकलांग कल्याण	7.28	9.48	11.81	0	0	0
30.	महिला कल्याण	3.22	5.24	6.17	0	0	0
31.	खाद्य एवं आपूर्ति	0	0	0	0	0	0
32.	वैकल्पिक ऊर्जा	0	0	15.94	0	0	0
	योग	1074.48	1143.37	433.43	15.34	15.85	2.94
33.	डी०आर०डी०ए० प्रशासनिक मद	0	0	9.38	0	0	0
34.	विधायक निधि	20.60	9.93	56.81	0	0	0
35.	बाल विकास एवं पुष्टाहार	5.66	1.81	2.23	0	0	0
36.	ऋण सह अनुदान आवास	4.00	2.79	0.0	0	0	0
37.	सार्वभौम रोजगार योजना	7.00	7.18	0.0	0	0	0
38.	सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम	0	4.67	0.0	0	0	0
40.	सांसद निधि	8.80	0	0	0	0	0
40.	सम विकास योजना	210.00	0	0	0	0	0
41.	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	6.13	7.13	48.38	0	0	1.10
42.	जनजाति कल्याण	0	0	0	3.15	6.21	7.41
43.	विद्युत		12.28				
	योग	262.19	45.70	116.78	3.15	6.21	8.51
	महायोग	1336.68	1189.07	550.27	18.49	22.06	11.45

पी०एस०यू०पी० (आर०ई०) 16 विधान सभा/316-29-06-2013-200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)